चतुर्दश माला, खंड 35, अंक 3

शुक्रवार, 17 अक्तूबर, 2008
25 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र–भाग II

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & ... Unit
Parliament ...
Room ...
Block ...
Acc. No. 35-3
Dated 3 June 2009

(खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र, 2008/1930 (शक)]

अंक 3, शुक्रवार, 17 अक्तूबर, 2008/25 आश्विन, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
राष्ट्रगान	1
निधन संबंधी उल्लेख	1–7
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	7–75
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 162	75–354
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	355
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	356–358
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	359–360
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	359–360

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 17 अक्तूबर, 2008/25 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, सत्र के इस भाग में आप सभी का स्वागत है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो वर्तमान सदस्यों श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा एवं श्री किशन लाल दिलेर तथा सात पूर्व सहयोगियों श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम सजीवन, श्री तेज प्रताप सिंह, प्रो. पी.आर. रामकृष्णन, श्री शिव सम्पति राम, श्री प्रताप सिंह सैनी और श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा कर्नाटक के चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पूर्व वह 1998 से 2004 तक इसी निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री श्रीकांतप्पा चौदहवीं लोक सभा के दौरान आवास समिति, शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति तथा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य थे। बारहवीं लोक सभा के दौरान वह कृषि संबंधी समिति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान् वह पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति तथा रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे।

पेशे से कृषक, श्री श्रीकांतप्पा की कृषि, बागवानी, फल बागानों और फसल रोपण क्षेत्रों का वैज्ञानिक विकास करने तथा उनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रति विशेष रुचि थी। उन्होंने कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए कृषि जैव-उर्वरक, सूक्ष्मजैव उर्वरक, मृदा संरक्षण विकास तथा शुष्क भूमि के विकास एवं रिसाव और जड़ सिंचाई प्रणाली, को प्रोत्साहित किया। वह कृषि आधारित उद्योगों के विकास के पक्षधर थे। श्री श्रीकांतप्पा ने 'कृषि' शीर्षक से एक पुस्तक लिखी।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री श्रीकांतप्पा ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। वह वर्ष 1998 से 1999 तथा वर्ष 2004 से 2008 तक कॅयर बोर्ड के सदस्य रहे। वह वर्ष 2000 से 2004 तक कॉफी बोर्ड तथा भारत-टर्की संसदीय मैत्री ग्रुप के सदस्य रहे।

श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा का निधन 4 अगस्त, 2008 को 79 वर्ष की आयु में बिरूर, कर्नाटक में हुआ।

श्री किशन लाल दिलेर लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वर्ष 1996 से 2004 तक उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा में भी प्रतिनिधित्व किया।

श्री दिलेर वर्ष 1967 से 1993 तक पांच बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री दिलेर सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति; नियम समिति; खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति और रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व 11वीं लोक सभा के दौरान वह शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य रहे।

12वीं लोक सभा के दौरान वह रेल संबंधी समिति; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। 13वीं लोक सभा के दौरान वह श्रम और कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्री दिलेर अनुसूचित जाति मंच, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री किशनलाल दिलेर का निधन 4 सितम्बर, 2008 को 77 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री वर्ष 1989 से 1999 तक नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री अग्निहोत्री वर्ष 1980 से 1985 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री अग्निहोत्री नौवीं लोक सभा के दौरान रेल अभिसमय समिति के सदस्य रहे और दसवीं लोक सभा के दौरान वह प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान वह सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। बारहवीं लोक सभा के दौरान श्री अग्निहोत्री प्राक्कलन समिति तथा परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री अग्निहोत्री एक प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का निधन 5 जून, 2008 को 70 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ।

श्री राम सजीवन वर्ष 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा, 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा और 1999 से 2004 तक तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री राम सजीवन वर्ष 1967 से 1989 तक चार बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक योग्य सांसद, श्री राम सजीवन नौवीं लोक सभा के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति; ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति और तेरहवीं लोक सभा के दौरान उद्योग संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। उन्होंने तेरहवीं लोक सभा के दौरान सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री राम सजीवन ने अनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की और उनके प्रबंधन से जुड़े रहे। वह जनसेवा इंटर कालेज, कारवी और संकट मोचन इंटर कालेज, बछारन के प्रमुख रहे। श्री राम सजीवन चित्रकूट इंटर कालेज, कारवी की प्रबंधन समिति के सदस्य भी रहे।

श्री राम सजीवन वर्ष 1955 से 1960 के दौरान इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक, ''अमृत पत्रिका'' के सहायक सम्पादक रहे।

श्री राम सजीवन का निधन कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 15 जून, 2008 को 79 वर्ष की आयु में नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री तेज प्रताप सिंह वर्ष 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में छठी लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व श्री सिंह वर्ष 1952 से 1957 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक श्री सिंह सहकारिता आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें वर्ष 1951 से 1967 तक जिला सहकारिता बैंक का प्रबंध निदेशक, वर्ष 1971 से 1974 तक उत्तर प्रदेश सहकारिता संघ का अध्यक्ष और वर्ष 1967 से 1973 तक उत्तर प्रदेश सहकारिता संघ का उपाध्यक्ष रहने का श्रेय प्राप्त था। वह वर्ष 1952 से 1971 तक सहकारिता फेडरेशन लिमिटेड बोर्ड, लखनऊ के निदेशक और उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री सिंह ने अनेक देशों की यात्राएं की और उन्होंने भारतीय सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधि के रूप में कई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलनों में भाग लिया।

श्री तेज प्रताप सिंह का निधन 25 जुलाई, 2008 को 86 वर्ष की आयु में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

प्रो. पी.आर. रामकृष्णन वर्ष 1957 से 1967 तक दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने तत्कालीन मद्रास स्टेट के पोलाची और कोयम्बटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक उद्योगपति एवं शिक्षाविद, प्रो. रामकृष्णन कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के संस्थापक प्रधानाचार्य रहे। वे एक प्रतिभाशाली विद्वान थे तथा उन्हें पहले भारतीय के रूप में 1952 से 1953 तक मैसेचूऐट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी में स्लोआन फेलो के रूप में कार्य करने का सम्मान मिला।

एक समर्पित सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता प्रो. रामकृष्णन ने 1949 से 1951 तक मानद रेलवे मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर जैसे भारी उद्योग, लघु उद्योग बोर्ड से संबंधित केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य, कोयम्बटूर रेड क्रास सोसाइटी के आजीवन सदस्य और अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ रेडियो इंजीनियर्स के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह आपरेशनल रिसर्च सोसाइटी आफ इंडिया के प्रेसीडेंट भी थे।

उन्होंने उद्योग के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अपने निधन के समय वह जयपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई और कृष्णा इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन, चेन्नई के चेयरमैन थे।

उन्होंने कई देशों की यात्रा की। प्रो. रामकृष्णन 1958 में एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

उनकी मृत्यु से देश ने एक प्रख्यात विद्वान, एक कर्मठ उद्योगपति तथा उत्कृष्ट शिक्षाविद खो दिया है।

प्रो. पी.आर. रामकृष्णन का निधन 14 अगस्त, 2008 को 91 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री शिव सम्पति राम वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रार्बट्सगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री राम वर्ष 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश, विधान सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक श्री राम ने कृषकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री राम वर्ष 1977 से 1979 तक आल इंडिया रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।

श्री शिव सम्पति राम का निधन 18 अगस्त, 2008 को 92 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के महुली में हुआ।

श्री प्रताप सिंह सैनी ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1996 से 1997 तक उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री सैनी 1991 से 1992 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे जहां उन्होंने उक्त अवधि के दौरान ग्रंथालय समिति तथा पर्यावरण समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान श्री सैनी 1996 से 1997 तक रक्षा संबंधी समिति के सदस्य भी थे।

जाने-माने सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता श्री सैनी ने लोगों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक स्तर में समानता लाने का अथक प्रयास किया तथा समाज के उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह लोगों की निरक्षरता को दूर करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की दिशा में भी सक्रिय रूप से प्रयासरत रहे।

श्री प्रताप सिंह सैनी का निधन 4 सितम्बर, 2008 को 55 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ।

श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी आठवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1984 से 2004 तक आंध्र प्रदेश के हैदराबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री ओवेसी 1962 से 1984 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। श्री ओवेसी ने वर्ष 1984 के दौरान आंध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

दो दशकों से अधिक समय तक संसद सदस्य के अपने लम्बे तथा उत्कृष्ट कार्यकाल के दौरान श्री ओवेसी ने सभा के एक सक्रिय सदस्य के अतिरिक्त विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी कुशलतापूर्वक कार्य किया।

एक समर्पित सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, श्री ओवेसी ने अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक इंजीनियरिंग कालेज, एक मेडिकल कालेज, एक डिग्री कालेज तथा अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने में भी अहम भूमिका अदा की। उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में सहकारी बैंक, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और दो अस्पतालों की स्थापना करने में भी अहम भूमिका अदा की।

श्री ओवेसी उर्दू भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहे।

श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी का निधन 29 सितम्बर, 2008 को 72 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है।

माननीय सदस्यो, आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद की अनेक घटनाएं हुई हैं। बैंगलुरू, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मालेगांव और अगरतला में सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के कारण निर्दोष लोगों की जानें गयी, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा तथा अनेक लोग घायल हुए।

सभा आतंकवाद के इस बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण कृत्य की समवेत स्वर में निन्दा करती है। मुझे विश्वास है कि नागरिकों के सक्रिय सहयोग से हमारे सुरक्षा और अर्द्धसैनिक बल एकजुट

होकर इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले तत्वों के इरादों को नाकाम कर देंगे।

यह सभा देश में आतंकवाद का शिकार हुए व्यक्तियों तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले बहादुर सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करती है।

माननीय सदस्यो, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर स्थित नैना देवी मंदिर में 3 अगस्त, 2008 को मची भगदड़ में 142 लोगों की मौत हो गयी तथा 85 लोग घायल हो गए।

इसी तरह 30 सितम्बर, 2008 को जोधपुर के चामुण्डा देवी मंदिर में मची भगदड़ में 147 लोग मारे गए तथा लगभग 55 लोग घायल हो गए।

हाल ही में, बिहार, उड़ीसा और असम में आई अत्यंत दुखद प्राकृतिक आपदा—अभूतपूर्व बाढ़ से हुई तबाही में जान-माल की अत्यधिक हानि हुई है और भारी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं।

यह सभा इन त्रासदपूर्ण घटनाओं, जिनमें मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों को भारी दु:ख और वेदना पहुंची है, पर अपना गहरा दु:ख व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आवास ऋण पर ब्याज दर

***1. श्री बची सिंह रावत "बचदा":** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के कुछ बैंक आवास ऋण की राशि को ध्यान में रखे बिना इन पर अधिक ब्याज दरें समान रूप से लागू करते हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक किसी सीमा विशेष से ऊपर के ऋण पर ही अधिक ब्याज दरें लागू करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुरूप मानदण्ड अपनाने के लिए निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) अक्तूबर 1994 से ब्याज दर अविनियमित किए जाने से, बैंक विधि की वास्तविक लागत, परिचालनगत व्यय, न्यूनतम मार्जिन, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) का निर्धारण करते हैं। अत: बैंक आवास ऋण सहित ज्यादातर ऋण के लिए ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जुलाई/अगस्त, 2008 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपो रेट/नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया।

(ख) से (घ) बैंकों द्वारा स्वयं ही ब्याज दर निर्धारण की विद्यमान नीति के कारण, किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी बैंक को आवास ऋणों पर ब्याज दर में संशोधन का निर्देश देने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

जल विद्युत उत्पादन

***2. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की अपार संभावना के बावजूद देश में जल विद्युत उत्पादन घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उनकी उपलब्धि कितनी रही; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) हालांकि, पिछले 5 वर्ष से जल विद्युत उत्पादन लगातार बढ़

रहा है, जैसा कि नीचे तालिका (क) में देखा जा सकता है, तथापि, देश में कुल संस्थापित क्षमता में जल विद्युत का हिस्सा घटता जा रहा है, जैसा कि नीचे तालिका (ख) में देखा जा सकता है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ है कि पिछले कुछ समय में जल विद्युत क्षमता की अपेक्षा तथा विद्युत क्षमता में वृद्धि कहीं अधिक गति से हुई है, जिसके प्राथमिक कारण निम्नलिखित हैं-

* परिपक्वता की लम्बी अवधि
* निर्माण में अधिक जोखिम
* सुदूर एवं दुर्गम निर्माण स्थल
* पर्याप्त सहायक बुनियादी ढांचे की कमी
* पर्यावरण, वन, वन्यजीव, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास के अधिक जटिल मुद्दे।
* अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक घटनाएं।
* जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित राज्य अथवा अन्तरराज्यीय मुद्दे।

तालिका (क)

वर्ष	हाइड्रो पावर जेनेरेशन (मिलियन यूनिट)	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि (मिलियन यूनिट)	उत्पादन में वृद्धि
2003-04	73775.0	9941.0	15.6%
2004-05	84495.3	10720.3	14.5%
2005-06	101293.1	16797.8	19.9%
2006-07	113358.8	12065.7	11.9%
2007-08	123424.1	10065.3	8.9%

तालिका (ख)

जल विद्युत की योजनावार वृद्धि एवं हिस्सा

योजना अवधि	योजना के अंत में संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		
	हाइड्रो	कुल (नवीकरणीय सहित)	कुल के प्रतिशत के रूप में हाइड्रो
पहली योजना (1951-56)	1061	2886	36.78
दूसरी योजना (1956-61)	1917	4653	41.19
तीसरी योजना (1961-66)	4124	9027	45.68
त्रिवर्षीय योजना (1966-69)	5907	12957	45.58
चौथी योजना (1969-74)	6966	16664	41.80
पांचवीं योजना (1974-79)	10833	26680	40.60
वार्षिक योजना (1979-80)	11384	28448	40.01
छठवीं योजना (1980-85)	14460	42585	33.96
सातवीं योजना (1985-90)	18307	63636	28.77
द्विवार्षिक योजना (1990-92)	19194	69065	27.79
आठवीं योजना (1992-97)	21658	85795	25.24
नौवीं योजना (1997-02)	26269	105046	25.00
दसवीं योजना (2002-07)	34654	132329	26.18

(ख) सरकार, देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित विशेषकर सुदूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि समग्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सुधार लाया जा सके। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में 25 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाओं का विकास किया जाता है।

(ग) लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाओं (25 मेगावाट तक की) की कुल अनुमानित संभाव्यता 15,000 मेगावाट है। अब तक 14,294 मेगावाट की कुल क्षमता के 5,403 संभावित स्थलों की पहचान की गई है। इनमें से, 31.8.2008 की स्थिति के अनुसार कुल 2,206 मेगावाट की 624 एसएचपी परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और कुल 663 मेगावाट की 226 परियोजनाएं कार्यान्वयन अधीन हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्थापित तथा कार्यान्वयन अधीन संभाव्य परियोजनाओं की राज्य-वार सूची विवरण-I पर संलग्न है।

10वीं योजना में, लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 530 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 10वीं योजना में 537 मेगावाट की उपलब्धि हुई है। 11वीं योजना का लक्ष्य 1,400 मेगावाट है। वर्ष 2007-08 के दौरान, 200 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में कुल 205 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(घ) जल विद्युत उत्पादन मुख्यत: नदियों में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है जो आगे परियोजनाओं के आवाह क्षेत्र में वर्षा और बर्फ के पिघलने पर निर्भर करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07) में जल विद्युत उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्यवार विवरण-II एवं विवरण-III पर संलग्न है।

(ङ) योजना आयोग ने 11वीं योजना में 78700 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का अनुमोदन किया है जिसमें जल विद्युत क्षमता में 15627 मेगावाट की वृद्धि शामिल है।

जल विद्युत वृद्धि का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्र	मेगावाट
1.	केन्द्रीय	8654
2.	राज्य	3482
3.	निजी	3491
	कुल	15627

11वीं योजना में 15627 मेगावाट की अनुमानित वृद्धि में से 2862 मेगावाट पहले ही चालू किए जा चुके हैं और वर्तमान में 12765 मेगावाट निर्माणाधीन है।

विद्युत कार्य दल ने 11वीं योजना के लिए अपेक्षित राशि की गणना निम्नलिखित अनुसार की है:-

(1)	निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं	29,700 करोड़ रु.
(2)	समर्पित जल विद्युत परियोजनाएं	15,114 करोड़ रु.
	उप जोड़	44,814 करोड़ रु.
(3)	11वीं योजना में निर्माणाधीन 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित राशि	86,291 करोड़ रु.
(4)	11वीं योजना अवधि में कुल अपेक्षित राशि	1,31,105 करोड़ रु.

विवरण I

लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) की राज्यवार संख्या और कुल क्षमता, शक्यता अधिष्ठापित एवं कार्यान्वयनाधीन

(31.8.2008 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	शक्यता		स्थापित परियोजनाएं		क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं	
		संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	489	552	59	180.83	12	21.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	566	1333	68	45,240	56	41,82

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	60	213	4	27.110	4	15.00
4.	बिहार	94	213	7	50.400	9	7.60
5.	छत्तीसगढ़	164	706	5	18.050	1	1.00
6.	गोवा	9	9	1	0.050	–	–
7.	गुजरात	292	196	2	7.000	–	–
8.	हरियाणा	33	110	5	62.700	1	6.00
9.	हिमाचल प्रदेश	547	2268	67	110.115	12	39.75
10.	जम्मू-कश्मीर	246	1411	32	111.830	5	5.91
11.	झारखंड	103	208	6	4.050	8	34.85
12.	कर्नाटक	128	643	73	470.000	24	178.70
13.	केरल	247	708	17	123.12	4	14.55
14.	मध्य प्रदेश	99	400	10	71.160	4	19.90
15.	महाराष्ट्र	253	762	29	211.325	5	31.30
16.	मणिपुर	113	109	8	5.450	3	2.75
17.	मेघालय	102	229	4	31.030	3	1.70
18.	मिजोरम	75	166	16	17.470	3	15.50
19.	नागालैंड	99	196	10	28.670	4	4.20
20.	उड़ीसा	222	295	7	32.300	7	35.93
21.	पंजाब	234	390	29	123.900	2	18.75
22.	राजस्थान	67	63	10	23.850	–	–
23.	सिक्किम	91	265	15	41.110	3	11.20
24.	तमिलनाडु	176	499	14	89.700	4	13.00
25.	त्रिपुरा	13	46	3	16.010	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	220	292	9	25.100	–	–
27.	उत्तराखंड	458	1609	90	105.12	36	63.15
28.	पश्चिम बंगाल	203	393	23	98.400	16	79.25
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	12	8	1	5.250	–	–
	कुल	5403	14,294	624	2206.34	226	663.31

विवरण II

क्षेत्र/राज्य	2002-2003			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			2002-07 (10वीं योजना)		
	योजित (मि.यू.)	प्राप्त लक्ष्य (मि.यू.)	योजना की तुलना में प्राप्त लक्ष्य का %	योजित (मि.यू.)	प्राप्त लक्ष्य (मि.यू.)	योजना की तुलना में प्राप्त लक्ष्य का %	योजित (मि.यू.)	प्राप्त लक्ष्य (मि.यू.)	योजना की तुलना में प्राप्त लक्ष्य का %	योजित (मि.यू.)	प्राप्त लक्ष्य (मि.यू.)	योजना की तुलना में प्राप्त लक्ष्य का %	योजित (मि.यू.)	प्राप्त लक्ष्य (मि.यू.)	योजना की तुलना में प्राप्त लक्ष्य का %	योजित (मि.यू.)	प्राप्त लक्ष्य (मि.यू.)	योजना की तुलना में प्राप्त लक्ष्य का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
उत्तरी क्षेत्र																		
केन्द्रीय क्षेत्र																		
बीबीएमबी	9650	10671	110.6	9650	11442	118.5	10050	8377.70	83.4	10802	11646.48	107.8	10800	10064.34	93.2	50952	52201.52	102.5
एनएचपीसी	8580	8967	104.5	8660	10196	117.7	9981	10288.38	103.1	11413	11622.61	101.8	12892	12372.21	96.0	51526	53446.20	103.7
एसजेवीएनएल				2421	1121	46.3	6242	5109.48	81.9	6900	4053.73	58.7	6400	6000.79	93.8	21963	16285.00	74.1
टीएचडीसी				431	0	0.0	200	0.00	0.0	200	0.00	0.0	1384	890.47	64.3	2215	890.47	40.2
कुल केन्द्रीय	18230	19638	107.7	21162	22759	107.5	26473	23776	89.8	29315	27323	93.2	31476	29328	93.2	126656	122823.15	97.0
हरियाणा	202	244	120.8	210	256	121.9	300	289.55	96.5	310	259.06	83.6	310	255.78	82.5	1332	1304.39	97.9
हिमाचल प्रदेश	1775	1650	93.0	2901	2814	97.0	3085	2736.15	88.7	3148	2796.28	88.8	3375	3017.24	89.4	14284	13013.67	91.1
जम्मू-कश्मीर	869	323	37.2	785	891	113.5	770	731.09	94.9	693	779.45	112.5	930	978.83	105.3	4047	3703.37	91.5
राजस्थान	702	53	7.5	1273	643	50.5	584	935.50	160.2	860	763.43	88.8	658	1116.14	169.6	4077	3511.07	86.1
पंजाब	4320	3516	81.4	3720	4388	118.0	3770	3354.63	89.0	3630	5014.37	138.1	3658	4396.3	120.2	19098	20669.30	108.2
उत्तर प्रदेश	1790	1417	79.2	1752	2145	122.4	1759	1171.27	66.6	1630	1285.43	78.9	1567	1416.61	90.4	8498	7435.31	87.5
उत्तराखंड	3360	3380	100.6	3433	3392.00	98.8	3433	3111.13	90.6	3370	3493.11	103.7	4092	4249.56	103.9	17688	17625.80	99.6
कुल उत्तरी	31248	30221	96.7	35236	37288.00	105.8	40174	36104.88	89.9	42956	41713.95	97.1	46066	44758.27	97.2	195680	1900086.10	97.1
पश्चिमी क्षेत्र																		
केन्द्रीय क्षेत्र																		
एनएचडीसी				0	192	-	800	1348.76	168.6	2200	2572.97	117.0	2698	2605.69	96.6	5698	6719.42	117.9
गुजरात	930	587	63.1	1088	858	78.9	1368	1088.92	79.6	2271	2751.17	121.1	3755	4870.48	129.7	9412	10155.57	107.9
मध्य प्रदेश	2620	1857	70.9	2625	2712	103.3	2546	2253.65	88.5	2509	2592.62	103.3	2511	3092.01	123.1	12811	12507.28	97.6
छत्तीसगढ़	450	247	54.9	410	295	72.0	450	385.73	85.7	310	367.00	118.4	320	388.41	121.4	1940	1683.14	86.8
महाराष्ट्र	5382	5372	99.8	5137	5336	103.9	5164	5444.42	105.4	4969	7547.19	151.9	5244	7236.99	138.0	25896	30936.60	119.5
कुल पश्चिमी	9382	8063	85.9	9260	9393	101.4	10328	10521.48	101.9	12259	15830.95	129.1	14528	18193.58	125.2	55757	62002.01	111.2
दक्षिणी क्षेत्र																		
आंध्र प्रदेश	7781	3665	47.1	6976	3210	46.0	6719	5812.57	86.5	6264	8322	132.8	7702	9822	127.5	35442	30831.29	87.0
कर्नाटक	11580	7212	62.3	10684	7459	69.8	10010	8910.08	89.0	9609	11534.97	120.0	10970	15189.17	138.5	52853	50305.22	95.2
केरल	7398	4860	65.7	6913	3957	57.2	3780	6144.02	162.5	5500.00	7538.55	137.1	6292.00	7592.78	120.7	29883	30092.35	100.7
तमिलनाडु	4570	2728	59.7	3832	2044	53.3	2505	4413.11	176.2	3870	6110.47	157.9	4250	6284.30	147.9	19027	21579.88	113.4
कुल दक्षिणी	31329	18465	58.9	28405	16670	58.7	23014	25279.78	109.8	25243	33505.56	132.7	29214	38888.40	133.1	137205	132808.74	96.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
पूर्वी क्षेत्र																		
केंद्रीय क्षेत्र																		
डीवीसी	350	296	84.6	350	303	86.6	300	260.52	86.8	300	174.76	58.3	300	357.31	119.1	1600	1391.59	87.0
एनएचपीसी	340	355	104.4	340	345	101.5	340	369.64	108.7	339	352.05	103.8	339	201.12	59.3	1698	1622.81	95.6
कुल केंद्रीय	690	651	94.3	690	648	93.9	640	630.16	98.5	639	526.81	82.4	639	558.43	87.4	3298	3014.40	91.4
बिहार	60	59	98.3	118	52	44.1	122	50.23	41.2	62	75.00	121.0	62	67.21	108.4	424	303.44	71.6
झारखंड	240	79	32.9	256	142	55.5	232	148.74	64.1	240	50.77	21.2	105	208.47	198.5	1073	628.98	58.6
उड़ीसा	5675	3153	55.6	5025	5935	118.1	5307	6864.03	129.3	5349	5027.58	94.0	5495	7269.52	131.1	26851	28183.13	105.0
पश्चिम बंगाल	474	510	107.6	475	491	103.4	475	508.40	107.0	496	468.21	94.4	390	412.64	105.8	2310	2390.25	103.5
सिक्किम	45	35	77.8	40	36	90.0	40	61.04	152.6	50	33.76	67.5	57	35.00	61.4	232	200.80	86.6
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	13	0	0.0	10	0	0.0	7	7.29	104.1	7	6.67	95.3	0	9.34	-	37	23.30	-
कुल पूर्वी	7197	4487	62.3	6614	7304	110.4	6823	8269.89	121.2	6843	6188.80	90.4	6748	8494.61	125.9	34225	34744.30	101.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र																		
केन्द्रीय क्षेत्र																		
कुल नेएचपी	2478	1404	56.7	2290	2013	87.9	2425	3004.18	123.9	3000	2894.79	96.5	3287	2099.66	63.9	13480	11415.63	84.7
एनएचपीसी	500	553	110.6	500	504	100.8	500	629.07	125.8	448	586.15	130.8	448	475.42	106.1	2396	2747.64	114.7
कुल केन्द्रीय	2978	1957	65.7	2790	2517	90.2	2925	3633.25	124.2	3448	3480.94	101.0	3735	2575.08	88.9	15876	14163.27	89.2
असम																0	0.00	
मेघालय	600	573	95.5	600	525	87.5	595	615.19	103.4	600	509.5	84.9	569	394.51	69.3	2964	2617.20	88.3
त्रिपुरा	60	56	93.3	60	67	111.7	60	68.83	105.7	60	63.43	105.7	60	46.32	77.2	300	301.58	100.5
अरुणाचल प्रदेश	20	10	50.0	20	11	55.0	20	2.00	10.0	10	0.00	0.0	20	8.00	40.0	90	31.00	34.4
नगालैंड	0	2	-	65	0	0.0	61	0.00	0.0	61	0.00	0.0	60	0.00	0.0	247	2.00	0.0
कुल पूर्वोत्तर	3658	2598	71.0	3535	3120	88.3	3661	4319.27	118.0	4179	4053.9	97.0	4444	3023.91	68.0	19477	17115.1	87.9
कुल अखिल भारतीय	82814	63834	77.1	83860	73778	88.8	84000	84495.30	100.6	91480	101293.1	110.7	101080	113388.77	112.2	442344	436786.2	98.7

विवरण III

10वीं योजना के दौरान लघु जल विद्युत क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट)					
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4.90	8.65	14.55	-	0.04	28.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.27	0.13	1.20	10.60	0.94	13.14

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0.00	0.11	–	–	0	0.11
4.	बिहार	0.00	1.00	–	4.50	0	5.5
5.	छत्तीसगढ़	0.80	5.00	5.0	–	7.05	17.85
6.	गोवा	0.00	0.00	–	–	0	–
7.	गुजरात	0.00	0.00	–	–	0	–
8.	हरियाणा	0.00	14.40	–	–	0	14.4
9.	हिमाचल प्रदेश	1.40	8.80	6.04	24.00	9.535	49.775
10.	जम्मू-कश्मीर	9.00	0.00	7.50	–	2.09	18.59
11.	झारखंड	0.00	0.00	–	–	0	–
12.	कर्नाटक	31.53	24.50	61.50	54.75	86.87	259.15
13.	केरल	2.50	12.60	–	–	13.50	28.6
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	2.20	–	10.00	12.2
15.	महाराष्ट्र	3.75	0.00	–	–	2.25	6.0
16.	मणिपुर	0.75	0.00	–	–	0	0.75
17.	मेघालय	0.01	0.00	–	–	0	0.01
18.	मिजोरम	0.02	0.00	–	–	2.71	2.73
19.	नागालैंड	0.60	0.00	–	0.20	0	0.80
20.	उड़ीसा	6.00	0.00	–	–	0	6.0
21.	पंजाब	4.20	1.00	3.00	11.15	1.35	20.7
22.	राजस्थान	0.00	0.00	–	–	0	–
23.	सिक्किम	3.00	0.00	–	3.00	0.51	6.15
24.	तमिलनाडु	2.50	0.00	1.30	–	12.00	15.8
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	–	–	0	–
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	–	3.60	0	3.6
27.	उत्तराखंड	6.45	7.85	–	3.00	0.22	17.52
28.	पश्चिम बंगाल	3.00	0.00	0.02	6.00	0.10	9.12
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	–	–	0	–
	कुल	80.66	84.04	102.31	120.80	149.165	536.995

[हिन्दी]

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

*3. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) की स्थापना से अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं हेतु कोई नया विद्युत बंटवारा सूत्र तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की स्थापना में यदि कोई देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 4000 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) का विकास करने हेतु कदम उठाए गए हैं। ये परियोजनाएं स्वयं बनाओ, अपनाओ और चलाओ के आधार पर विकसित की जा रही हैं तथा परियोजना विकासकर्त्ताओं का चयन परियोजना विनिर्दिष्ट *शैल कंपनियों, जो कि इस कार्य हेतु चिह्नित नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) की पूर्णत: स्वामित्व की सहायक* कंपनी के रूप में बनाई गई है, के द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के तहत, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों में 9 स्थलों को चिह्नित किया था। इन परियोजनाओं से पूर्ण लाभ 12वीं योजना में आने की परिकल्पना है। इन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थल	राज्य	स्थिति
1.	सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	सीधी जिले में सासन गांव के निकट	मध्य प्रदेश	बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को चिह्नित परियोजना विकासकर्त्ता, जो कि रिलायंस पावर लि. है, को 7.8.2007 को अंतरित किया गया। स्थल पर विकास कार्य प्रगति पर हैं।
2.	मूंदड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	कच्छ जिले में तुंडावांडा गांव के निकट	गुजरात	बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को चिह्नित परियोजना विकासकर्त्ता, जो कि टाटा पावर कंपनी लि. है, को 22.4.2007 को अंतरित किया गया। स्थल पर विकास कार्य प्रगति पर हैं।
3.	कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	नैल्लोर जिले में कृष्णापटनम गांव	आंध्र प्रदेश	बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को चिह्नित परियोजना विकासकर्त्ता, जो कि रिलायंस पावर लि. है, को 29.01.2008 को अंतरित किया गया। स्थल पर विकास कार्य प्रगति पर हैं।
4.	तिल्लैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	हजारीबाग जिले में तिलैया बांध के पूर्वोत्तर में बारही के निकट स्थान	झारखंड	इस समय बोली प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) 30.5.2008 को जारी किया गया था तथा आरएफपी बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04.11.2008 हैं।

तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में चेय्यूर गांव में एक स्थल जो परामनकैनी गांव के निकट कैप्टिव पोर्ट के विकास के स्थल के साथ है उसको राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप तथा अनुमोदन दिया गया है। स्थल अन्वेषण कार्य स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)

द्वारा प्रारंभ किया गया है। उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले में भेड़ाबहल गांव के निकट एक स्थल की पहचान की गई है। महाराष्ट्र में, राज्य सरकार ने हाल ही में अचरा क्रीक के निकट कैप्टिव पोर्ट के साथ-साथ सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़ तालुका में मूंगे गांव के निकट एक स्थल निर्दिष्ट किया है। छत्तीसगढ़ में, सरगुजा जिले में अभी तक उपयुक्त स्थल की पहचान नहीं की गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ और राज्यों ने अतिरिक्त यूएमपीपी के लिए भी अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठकों में, राज्यों के साथ की गई परिचर्चा के आधार पर यूएमपीपी से विद्युत आबंटन का आकलन किया गया था। इस तरह यूएमपीपी से विद्युत के आबंटन की प्रक्रिया सही चल रही है, प्रक्रिया के पुन: कार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजना के विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों से कई जानकारियां/स्वीकृतियां अपेक्षित होती हैं। तथापि, परियोजना आरंभ करने के लिए प्रस्तावित यूएमपीपी के लिए स्थल को अंतिम रूप देने तथा जल संबद्धता के लिए राज्य सरकारों की सहायता अपेक्षित होती है। ऐसा देखा गया है कि उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण यूएमपीपी परियोजनाओं को आरंभ करने में देरी होती है।

[अनुवाद]

शहरी आवास तथा पर्यावास नीति

***4. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आवास की कमी का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शहरी आवास की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(घ) नई राष्ट्रीय शहरी आवास तथा पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 इस आवश्यकता को कहां तक पूरा कर पाएगी;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शहरों में मकानों की कमी का मूल्यांकन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी दल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, देश में कुल 24.71 मिलियन मकानों की कमी है। अनुमान है कि 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक बैकलाग तथा अतिरिक्त आवश्यकता सहित कुल 26.53 मिलियन मकानों की आवश्यकता होगी।

(घ) से (च) राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 का लक्ष्य "सभी के लिए किफायती आवास" विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाना है और इसमें संबंधित विविध पक्षों नामत: निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, श्रमिक आवास के लिए औद्योगिक क्षेत्र तथा कर्मचारी आवास के लिए सेवा/सांस्थानिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। तथापि, चूंकि 'भूमि' तथा 'कोलोनाइजेशन' विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, अत: शहरी क्षेत्रों में मकानों की आवश्यकता की समस्या से निपटना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस नीति में यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी कि वे ऐसी "राज्य शहरी आवास तथा पर्यावास नीति" तैयार करने के साथ-साथ "राज्य आवास एवं पर्यावास" कार्य योजना भी तैयार करें जिसका उद्देश्य आवास (स्लमों के संबंध में विभिन्न लागत प्रभावी विकल्पों सहित) तथा अवस्थापना के लिए धन के तीव्र प्रभाव पर ध्यान देना हो। आशा है कि इससे नियोजित एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास, दीर्घकालीन रोजगार अवसरों के सृजन, कमजोर वर्गों/उपेक्षित समूहों की विशेषकर उनके वर्तमान रिहायशी क्षेत्रों में सुरक्षा, शहरी पर्यावरण के संरक्षण और सरकारी निजी साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2007 के अलावा सरकार द्वारा 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत, शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उप मिशन में 63 चुनिन्दा शहरों में तथा अन्य शहरों व कस्बों में एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत शहरी निर्धनों को आवास एवं बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने का प्रावधान है।

इसके अलावा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्गों (एलआईजी) को आवास ऋण के लिए प्रस्तावित ब्याज दर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए चालू वित्त वर्ष 2008-09 में प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवास क्षमता

*5. **श्री माणिक सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मास्टर प्लान दिल्ली-2021 की अधिसूचना की तारीख से पूर्व प्राप्त विकास नियंत्रण मानदंडों/भवन उपनियमों से संबंधित लंबित मामलों के बारे में कोई संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरिक्त आवास क्षमता के सृजन के लिए विशेषकर राष्ट्रमंडल खेल-2010 के मद्देनजर लम्बित मामलों को मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवास क्षमता में वृद्धि करने हेतु और क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 की दिनांक 7.2.2007 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सिफारिशों पर विधिवत विचार किया गया था।

(ग) से (ङ) होटलों में कमरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए होटलों के जिस विकास नियंत्रणों को दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के संशोधन द्वारा दिनांक 12.8.2008 को संशोधित किया गया जिसके द्वारा एफएआर और अधिकतम अनुमेय ग्राउंड कवरेज बढ़ा दी गई। होटलों के लिए बढ़ाए गए एफएआर का लाभ उठाने के लिए प्रभार भी केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

डीडीए द्वारा हाल ही के वर्षों में कुल 39 होटल स्थलों की नीलामी की गई है। आशा है कि डीडीए द्वारा नीलाम किए गए 39 स्थलों पर 6019 कमरों का निर्माण किया जाएगा जिससे शहर में होटल आवास में वृद्धि होगी। अधिकतर स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

पर्यटन मंत्रालय का अनुमान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए कुल 14,274 कमरे उपलब्ध होंगे जिनमें डीडीए, हरियाणा सरकार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण आदि द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कमरे शामिल हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार द्वारा बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करने से भी शहर में आवास की उपलब्धता बढ़ेगी।

होटल स्थलों के निर्माण की प्रगति की मानीटरिंग पर्यटन मंत्रालय में गठित कार्यबल सहित विभिन्न स्तरों पर की जा रही है।

विद्युत की कमी

*6. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय अनेक राज्य विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार देश में निर्माणाधीन केंद्रीय क्षेत्र/राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख तक प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है/किया जाना है; और

(ङ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी और इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विद्युत की मांग और उपलब्धता के आधार पर विद्युत की कमी की मात्रा राज्य दर राज्य और घंटा दर घंटा भिन्न-भिन्न है। अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान देश में विद्युत की उपलब्धता और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमश: 10.3% और 15.4% थी। सितम्बर, 2008 और अप्रैल-सितम्बर 2008 के लिए विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार स्थिति विवरण-I पर दी गई है।

विद्युत एक समवर्ती विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के द्वारा राज्य सरकार के प्रयासों का संपूरण करती है।

विद्युत की कमी के प्रमुख कारण निम्नानुसार है:-

(1) राज्यों में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी और क्षमता अभिवृद्धि के बावजूद बिजली की मांग और आगे बढ़ती जा रही है।

(2) जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के आवाह (कैचमेंट) क्षेत्रों में विलम्बित और अपर्याप्त वर्षा।

(3) अधिकांशत: राज्य क्षेत्र में कुछ थर्मल उत्पादक यूनिटों का अपेक्षाकृत कम संयंत्र भार घटक।

(4) गैस, न्यूक्लियर ईंधन और कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और नैफ्था की बहुत अधिक कीमतों के कारण ये ईंधन अवहनीय बन रहे हैं।

(6) बिजली की चोरी सहित बहुत अधिक तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां।

(7) राज्य यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उन्हें पर्याप्त उत्पादन, पारेषण व वितरण प्रणाली के विकास हेतु अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में कठिनाई हो रही है।

देश में विद्युत की समग्र उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं-

(1) 11वीं योजना में 78,700 मे.वा. से अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाना जिसमें से कुल 11,554 मेगावाट की परियोजनाएं चालू हो गई हैं।

(2) टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धा बोली के अंतर्गत प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन।

(3) अधिशेष कैप्टिव विद्युत को ग्रिड में डालना।

(4) समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के प्रमुख उपाय के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत राज्यों में उप पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार करना।

(5) उपलब्ध विद्युत का अधिकतम उपयोग करने के लिए अंतर-राज्यीय और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना।

(6) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना।

(7) भूटान से पनबिजली की खरीद।

(ग) से (ङ) थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर परियोजनाएं जो इस समय केंद्रीय/राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं, की अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता और किया गया व्यय, परियोजना पूर्ण होने की संभावित तारीखें तथा इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर देश में जोड़ी जाने वाली संभावित विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: विवरण-I, II, III और IV में दिए गए हैं।

विवरण I

विद्युत आपूर्ति की स्थिति

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	सितंबर, 2008				अप्रैल से सितंबर, 2008			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	115	115	0	0.0	803	803	0	0.00
दिल्ली	1,932	1,908	-24	-1.2	12,698	12,619	-79	-0.6
हरियाणा	2,332	2,126	-206	-8.8	14,873	13,486	-1,387	-9.3
हिमाचल प्रदेश	505	524	19	3.8	3,102	3,116	14	0.5
जम्मू-कश्मीर	723	623	-100	-13.8	4,959	3,898	-1,061	-21.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	3,732	3,430	-302	-8.1	23,293	21,274	-2,109	-8.7
राजस्थान	2,682	2,608	-74	-2.8	16,751	16,449	-302	-1.8
उत्तर प्रदेश	4,326	4,103	-223	-5.2	31,946	26,424	-5,522	-17.3
उत्तराखंड	575	571	-4	-0.7	3,831	3,808	-23	-0.6
उत्तरी क्षेत्र	16,922	16,008	-914	-5.4	112,256	101,877	-10,379	-9.2
छत्तीसगढ़	1,267	1,229	-38	-3.0	7,751	7,524	-227	-2.9
गुजरात	5,277	4,797	-480	-9.1	33,544	29,243	-4,301	-12.8
मध्य प्रदेश	2,833	2,480	-353	-12.5	17,397	14,892	-2,505	-14.4
महाराष्ट्र	8,727	7,146	-1,581	-18.1	58,537	46,840	-11,697	-20.0
दमन और दीव	132	114	-18	-13.6	898	788	-110	-12.2
दादरा और नगर हवेली	292	279	-13	-4.5	1,804	1,749	-55	-3.0
गोवा	222	216	-6	-2.7	1,391	1,369	-22	-1.6
पश्चिमी क्षेत्र	18,750	16,261	-2,489	-13.3	121,322	102,405	-18,917	-15.6
आंध्र प्रदेश	5,926	5,628	-298	-5.0	34,670	32,139	-2,531	-7.3
कर्नाटक	3,265	3,015	-250	-7.7	20,657	19,539	-1,118	-5.4
केरल	1,408	1,162	-246	-17.5	8,602	7,674	-928	-10.8
तमिलनाडु	5,970	5,339	-631	-10.6	36,782	34,301	-2,481	-10.8
पांडिचेरी	176	142	-34	-19.3	1,042	927	-115	-11.0
लक्षद्वीप#	2	2	0	0	12	12	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	16,745	15,286	-1,459	-8.7	101,753	94,580	-7,173	-7.0
बिहार	981	692	-289	-29.5	5,452	4,432	-1,020	-18.7
डीवीसी	1,168	1,145	-23	-2.0	6,943	6,771	-172	-2.5
झारखंड	428	406	-22	-5.1	2,578	2,398	-180	-7.0
उड़ीसा	1,689	1,656	-33	-2.0	10,172	10,001	-171	-1.7
पश्चिम बंगाल	2,711	2,635	-76	-2.8	16,369	15,742	-627	-3.8
सिक्किम	32	31	-1	-3.1	150	145	[illegible]	03.3
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह#	20	15	-5	-25	116	94	-22	[illegible]
पूर्वी क्षेत्र	7,009	6,565	-444	-6.3	41,664	39,489	-2,175	-5.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	33	21	-12	-36.4	241	140	-101	-41.9
असम	464	412	-52	-11.2	2,705	2,372	-333	-12.3
मणिपुर	59	50	-9	-15.3	277	252	-25	-9.0
मेघालय	186	136	-50	-26.9	951	731	-220	-23.1
मिजोरम	26	20	-6	-23.1	161	130	-31	-19.3
नागालैंड	28	28	0	0.0	194	190	-4	-2.1
त्रिपुरा	69	69	0	0.0	411	383	-28	-6.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	865	736	-129	-14.9	4,940	4,198	-742	-15.0
अखिल भारत	**60,291**	**54,856**	**-5,435**	**-9.0**	**381,935**	**342,549**	**-39,386**	**-10.3**

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।
नोट: उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

(आंकड़े मेगावाट निवल में)

राज्य/क्षेत्र/प्रणाली	सितंबर, 2008				अप्रैल से सितंबर, 2008			
	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/कमी(-) (मे.वा.)	(%)	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/कमी(-) (मे.वा.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	224	224	0	0.0	279	279	0	0.0
दिल्ली	3,945	3,945	0	0.0	4,036	4,034	-2	0.0
हरियाणा	5,355	4,466	-889	-16.6	5,511	4,791	-720	-13.1
हिमाचल प्रदेश	889	869	-20	-2.2	890	869	-21	-2.4
जम्मू-कश्मीर	1,338	1,238	-100	-7.5	1,950	1,244	-706	-36.2
पंजाब	8,737	7,270	-1,467	-16.8	8,737	7,309	-1,428	-16.3
राजस्थान	5,772	5,163	-609	-10.6	5,772	5,163	-609	-10.6
उत्तर प्रदेश	10,564	8,180	-2,384	-22.6	10,564	8,220	-2,344	-22.2
उत्तराखंड	1,232	1,232	0	0.0	1,251	1,251	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	34,036	28,947	-5,089	-15.0	34,036	29,504	-4,532	-13.3
छत्तीसगढ़	2,268	2,138	-130	-5.7	2,582	2,201	-381	-14.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	10,028	8,456	-1,572	-15.7	11,841	8,680	-3,161	-26.7
मध्य प्रदेश	5,348	4,958	-390	-7.3	6,376	5,344	-1,032	-16.2
महाराष्ट्र	17,274	11,992	-5,282	-30.6	17,642	13,249	-4,393	-24.9
दमन और दीव	214	178	-25	-11.7	225	200	-25	-11.1
दादरा और नगर हवेली	466	434	-32	-6.9	466	434	-32	-6.9
गोवा	432	377	-55	-12.7	464	413	-51	-11.0
पश्चिमी क्षेत्र	34,520	27,198	-7,322	-21.2	37,171	27,634	-9,537	-25.7
आंध्र प्रदेश	9,890	8,926	-964	-9.7	9,890	8,926	-964	-9.7
कर्नाटक	6,415	5,295	-1,120	-17.5	6,415	5,595	-820	-12.8
केरल	2,803	2,439	-364	-13.0	3,120	2,748	-372	-11.9
तमिलनाडु	10,072	8,894	-1,178	-11.7	10,072	9,221	-861	-8.5
पांडिचेरी	300	245	-55	-18.3	300	275	-25	-8.3
लक्षद्वीप#	5	5	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	27,576	24,299	-3,277	-11.9	27,576	25,035	-2,541	-9.2
बिहार	1,689	1,158	-531	-31.4	1,767	1,258	-509	-28.8
डीवीसी	1,905	1,905	0	0.0	1,905	1,905	0	0.0
झारखंड	763	708	-55	-7.2	812	769	-43	-5.3
उड़ीसा	3,137	3,019	-118	-3.8	3,137	3,019	-118	-3.8
पश्चिम बंगाल	4,976	4,769	-207	-4.2	5,177	4,918	-259	-5.0
सिक्किम	60	60	0	0.0	61	60	-1	-1.6
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह#	40	32	-8	-20	40	38	-2	-5
पूर्वी क्षेत्र	12,165	11,280	-885	-7.3	12,210	11,435	-775	-6.3
अरुणाचल प्रदेश	92	58	-34	-37.0	114	79	-35	-30.7
असम	830	770	-60	-7.2	879	787	-92	-10.5
मणिपुर	105	90	-15	-14.3	116	95	-21	-18.1
मेघालय	413	270	-143	-34.6	457	293	-164	-35.9
मिजोरम	100	51	-49	-49.0	100	53	-47	-47.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	95	86	-9	-9.5	95	86	-9	-9.5
त्रिपुरा	155	148	-7	-4.5	159	148	-11	-6.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,665	1,322	-343	-20.6	1,744	1,343	-401	-23.0
अखिल भारत	**109,962**	**93,046**	**-16,916**	**-15.4**	**109,962**	**93,046**	**-16,916**	**-15.4**

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।
नोट: उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

विवरण II

केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की निर्माणाधीन ताप विद्युत यूनिटों का ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	तुल्कालन की अनुमानित तिथि	आद्यतन परियोजना लागत (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
	सिम्हाद्री टीपीपी विस्तार	केंद्रीय	एनटीपीसी	यू-3	500	11/2010	503853	64567 (08/2008 तक)
				यू-4	500	05/2011		
	काकतिया टीपीपी	राज्य	एपीजेनको	यू-1	500	09/2009	207700	145510 (08/2008 तक)
	कोठगुमडम टीपीपी विस्तार			यू-1	500	03/2010	220300	62552 (08/2008 तक)
	रायलसीमा चरण-3			यू-5	210	12/2009	99800	24900 (08/2008 तक)
	विजयवाड़ा टीपीपी-4			यू-1	500	03/2009	210000	151000 (08/2008 तक)
असम								
	बोंगईगांव	केंद्रीय	एनटीपीसी	यू-1	250	11/2010	437535	24379 (08/2008 तक)
				यू-2	250	03/2011		
				यू-3	250	07/2011		
	लकवा वेस्ट हीट यूनिट	राज्य	एपीजीसीएल	एसटी	37.2	09/2009	23640	14131 (08/2008 तक)
बिहार								
	बाढ़ एसटीपीपी-1	केंद्रीय	एनटीपीसी	यू-1	660	01/2011	869297	308787 (08/2008 तक)
				यू-2	660	07/2011		
				यू-3	660	01/2012		

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	कहलगांव चरण-2, फेज-2		एनटीपीसी	यू-7	500	12/2008	586838 (फेस-1 सहित)	430941	(08/2008 तक)
	नबीनगर टीपीपी (एनटीपीसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम)			यू-1	250	12/2010	535200	28300	(09/2008 तक)
				यू-2	250	04/2011			
				यू-3	250	08/2011			
				यू-4	250	12/2011			
छत्तीसगढ़									
	भिलाई टीपीपी विस्तार	केंद्रीय	एनएसपीसीएल	यू-2	250	12/2008	269050 (यू-1 सहित)	206500	(09/2008 तक)
	कोरबा एसटीपीपी		एनटीपीसी	यू-7	500	02/2010	244849	97719	(08/2008 तक)
	सीपत-1		एनटीपीसी	यू-1	660	03/2009	832339	488146	(08/2008 तक)
				यू-2	660	09/2009			
				यू-3	660	03/2010			
	कोरबा वेस्ट चरण-3	राज्य	सीएसईबी	यू-1	500	06/2011	230934	16900	(09/2008 तक)
	मारवा टीपीपी			यू-1	500	06/2011	463984	30000	(09/2008 तक)
				यू-2	500				
दिल्ली									
	प्रगति सीसीजीटी-3	राज्य	प्रगति पावर कारपोरेशन लि.	जीटी-1	250	03/2010	519581	40000	(09/2008 तक)
				जीटी-2	250	05/2010			
				जीटी-3	250	07/2010			
				जीटी-4	250	09/2010			
				एसटी-1	250	07/2010			
				एसटी-2	250	11/2010			
गुजरात									
	हजीरा सीसीपीपी विस्तार	राज्य	जीएसईसीएल	जीटी+एसटी	351	12/2010	121500	69000	(09/2008 तक)
	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस विस्तार			यू-4	75	10/2008	49000	45403	(03/2008 तक)
	पिपावाव सीसीपीपी			ब्लॉक-1	351	09/2010	233430	22921	(04/2008 तक)
				ब्लॉक-2	351	03/2011			

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	सिक्का टीपीपी विस्तार			यू-3	250	01/2010	225500	15500	(03/2008 तक)
				यू-4	250	05/2010			
	सूरत लिग्नाइट टीपीपी विस्तार	राज्य	जीआईपीसीएल	यू-3	125	02/2009	145585	92280	(08/2008 तक)
				यू-4	125	03/2009			
	उकाई टीपीपी विस्तार		जीएसईसीएल	यू-6	490	02/2011	221000	11750	(03/2008 तक)
	उत्तरन सीसीपीपी विस्तार			जीटी+एसटी	374	08/2009	121500	29500	(03/2008 तक)
हरियाणा									
	इंदिरा गांधी टीपीपी	केंद्रीय	एपीसीपीएल	यू-1	500	07/2010	829300	148450	(09/2008 तक)
				यू-2	500	10/2010			
				यू-3	500	01/2011			
	राजीव गांधी टीपीपी	राज्य	एचपीजीसीएल	यू-1	600	11/2009	429800	85890	(08/2008 तक)
				यू-2	600	02/2010			
झारखंड									
	बोकारो टीपीसी 'क' विस्तार	केंद्रीय	डीवीसी	यू-1	500	09/2011	231300	18958	(08/2008 तक)
	चन्द्रपुरा टीपीएस विस्तार			यू-7	250	10/2008	206645	180035	(08/2008 तक)
				यू-8	250	02/2009			
	कोडरमा टपीपी			यू-1	500	05/2010	431300	40734	(08/2008 तक)
				यू-2	500	09/2010			
	मैथन आरबीसी			यू-1	525	08/2010	445000	5146	(08/2008 तक)
				यू-2	525	01/2011			
कर्नाटक									
	बेल्लारी टीपीपी चरण-2	राज्य	केपीसीएल	यू-2	500	11/2010	217100	19258	(08/2008 तक)
	रायचूर यू-8			यू-8	250	07/2009	98600	27355	(08/2008 तक)
महाराष्ट्र									
	चन्द्रपुर टीपीपी	राज्य	एमएसपीजीसीएल	यू-1	500	12/2011	550000	एनए	(25 जुलाई, 2008 को आर्डर दिए जाने के अनुसार)
				यू-2	500	03/2012			

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	भुसावल टीपीएस विस्तार	राज्य	एमएसपीजीसीएल	यू-1	500	05/2010	412400	19645	(03/2008 तक)
				यू-2	500	09/2010			
	खापरखेड़ा टीपीएस विस्तार			यू-1	500	01/2010	217000	15072	(03/2008 तक)
	न्यू पारली टीपीपी			यू-2	250	04/2009	109100	24038	(03/2008 तक)
	पारस टीपीएस विस्तार			यू-2	250	07/2009	122400	20412	(03/2008 तक)
मध्य प्रदेश									
	सतपुड़ा टीपीपी विस्तार	राज्य	एमपीपीजीसीएल	यू-1	250	11/2010	263700	15146	(06/2008 तक)
				यू-2	250	03/2011			
राजस्थान									
	बरसिंगसर लिग्नाइट	केंद्रीय	एनएलसी	यू-1	125	02/2009	111418	120060	(08/2008 तक)
				यू-2	125	05/2009			
	छाबड़ा विस्तार	राज्य	आरआरवीयूएनएल	यू-1	250	08/2011	220000	7421	(09/2008 तक)
				यू-2	250	10/2011			
	छाबड़ा टीपीएस			यू-1	250	01/2009	235000	172804	(09/2008 तक)
				यू-2	250	08/2009			
	गिरल लिग्नाइट-2			यू-2	125	11/2008	65000	62595	(09/2008 तक)
	कोटा टीपीपी			यू-7	195	03/2009	88000	54683	(09/2008 तक)
	सूरतगढ़ टीपीपी			यू-6	250	02/2009	100000	76512	(09/2008 तक)
	कालीसिंध			यू-1	600	10/2011	460000	24261	(09/2008 तक)
				यू-2	600	01/2012			
तमिलनाडु									
	नैवेली टीपीएस-2 विस्तार	केंद्रीय	एनएलसी	यू-1	250	07/2009	245357	149646	(09/2008 तक)
				यू-2	250	09/2009			
	वल्लूर टीपीपी		एनटीईसीएल	यू-1	500	11/2010	555278	50051	(07/2008 तक)
				यू-2	500	09/2011			
	मेत्तूर टीपीपी विस्तार	राज्य	टीएनईबी	यू-1	600	06/2011	267700	2000	(09/2008 तक)
	नार्थ चेन्नई विस्तार यूनिट-1			यू-1	600	02/2011	309529	आरईसी से वित्त व्यवस्था जिसके लिए आरईसी, भेल और टीएनईबी के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। व्यय का ब्यौरा बाद में दिया जाएगा।		

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	नार्थ चेन्नई विस्तार यू-2			यू-2	600	08/2011	217500	10875	(09/2008 तक)
त्रिपुरा									
	त्रिपुरा गैस	केंद्रीय	ओएनजीसी	माड्यूल-1	375	06/2011	400000	एन.ए.	(25 जून, 2008 को आर्डर दिए जाने के अनुसार)
				माड्यूल-2	375	12/2011			
उत्तर प्रदेश									
	नेशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट चरण-2 यूनिट-5	केंद्रीय	एनटीपीसी	यू-5	490	09/2009	513533	172677	(08/2008 तक)
	नेशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट चरण-3 यूनिट-6			यू-6	490	12/2009			
	अनपरा डी	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	500	05/2011	535879	50030	(09/2008 तक)
				यू-2	500	08/2011			
	हरदुआगंज विस्तार			यू-8	250	03/2010	222500	59273	(08/2008 तक)
				यू-9	250	06/2010			
	परीक्षा विस्तार			यू-5	250	12/2009	210000	81103	(09/2008 तक)
				यू-6	250	04/2010			
पश्चिम बंगाल									
	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	केंद्रीय	डीवीसी	यू-1	500	06/2010	445700	56915	(08/2008 तक)
				यू-2	500	10/2010			
	फरक्का एसटीपीएस चरण-3		एनटीपीसी	यू-6	500	08/2010	257044	62415	(08/2008 तक)
	मेजिया विस्तार		डीवीसी	यू-1	500	10/2009	467689	145941	(08/2008 तक)
				यू-2	500	01/2010			
	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-1			यू-1	600	09/2010	550584	41922	(08/2008 तक)
				यू-2	600	12/2010			
	बक्रेश्वर टीपीएस	राज्य	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-5	210	11/2008	210000 (यू-4 सहित)	1750000	(09/2008 तक)
	संथालडीह टीपीपी विस्तार फेज-2			यू-6	250	07/2009	100000	25500	(09/2008 तक)
					39659.2		17657883	4642509	

7696 मेगावाट के कैप्टिव कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन अधिसूचित किए गए हैं।

विवरण III

केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा
(नवीन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय की परियोजनाओं को छोड़कर)

(30.09.2008 के अनुसार)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	आईसी सं. x मेगावाट	क्रियान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन लागत (करोड़ रुपये)	03/2008 तक व्यय (करोड़ रुपये)	अद्यतन चालू	चालू क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	हिमाचल प्रदेश							
1.	पार्बती चरण-2 (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	3525.25	2013.25	2011-12	
2.	चमेरा-3 (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x77	231.00	1532.52	408.70	2010-11	
3.	पार्बती-3 (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2129.89	407.10	2010-11	
4.	कोलडैम (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	4527.15	2114.28	2009-10	
5.	रामपुर (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	6x68.67	412.00	2047.03	252.77	2011-12	
6.	उहल-3		3x33.33	100.00	431.56	256.52	2010-11	
7.	सवाराकुड्डू		3x36.6	110.00	648.00	35.34	2011-12	
	जम्मू-कश्मीर							
8.	उड़ी-2 (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x60	240.00	1351.88	331.25	2010-11	
9.	सेवा-2 (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	849.98	631.26	2009-10	
10.	चुटक (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x11	44.00	747.10	139.91	2011-12	
11.	निम्नू बाजगो (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x15	45.00	723.99	143.19	2011-12	
12.	बगलीहर-1	राज्य	3x150	300.00	5200.00	4022.15	2008-09	150 मेगावाट
	उत्तराखंड							
13.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x100	400.00	1301.56	758.36	2010-11	
14.	लोहरीनागपाला (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x150	600	2895.10	278.77	2011-12	
15.	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2978.48	235.57	2011-12	
	आंध्र प्रदेश							
16.	प्रियदर्शिनी जुराला	राज्य	6x39.1	156.00	547.00	357.55	2008-10	78 मेगावाट
17.	नागार्जुन सागर टीआर	राज्य	2x25	50.00	464.70	81.50	2009-10	
18.	पुलिचिंटाला	राज्य	4x30	120.00	380.00	–	2011-12	
19.	लोअर जुराला	राज्य	6x40	240.00	908.34	–	2011-13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केरल							
20.	कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार	राज्य	2×50	100.00	168.28	105.73	2008-10	
21.	पल्लीवसल	राज्य	3×20	60.00	242.95+ 57एम यूएस$	32.64	2010-11	
	कर्नाटक							
22.	वराही विस्तार	राज्य	2×115	230.00	291.00	123.01	2008-09	
	तमिलनाडु							
23.	भवानी बैराज-2	राज्य	2×15	30.00	400.59	27.99	2010-11	
24.	भवानी बैराज-3	राज्य	2×15	30.00	398.60	29.91	2009-10	
	पश्चिम बंगाल							
25.	तीस्ता लो डैम-3 (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4×33	132.00	1073.29	637.17	2009-10	
26.	तीस्ता लो डैम-4 (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4×40	160.00	1061.38	231.15	2010-11	
	अरुणाचल प्रदेश							
27.	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8×250	2000.00	7451.99	1975.22	2011-12	
28.	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4×150	600.00	2496.90	692.77	2011-12	
	मेघालय							
29.	मिंत्दू	राज्य	2×42	84.00	671.29	393.78	2009-10	
30.	न्यू उमत्रू	राज्य	2×20	40.00	–	–	2011-12	
				9274.00				

विवरण IV

11वीं योजना के दौरान लाभ हेतु देश में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्रों का ब्यौरा

परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	क्षमता (मेगावाट)	मार्च, 2008 तक विस्तार (करोड़ रुपये)	अनुमानित क्षमता अभिवृद्धि
कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 व 4	3282	440	2217	यूनिट-3 (220 मेगावाट) पूर्ण यूनिट-4 : 2009
राजस्थान अटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 5 व 6	3072	440	1871	यूनिट-5 : 2008 यूनिट-6 : 2009
कुदानकुलम न्यूक्लीयर पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 व 2	13171	2000	10528	यूनिट-1 : 2008 यूनिट-1 : 2009
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रियेक्टर (पीएफबीआर)	3492	500	929	2011

स्रोत: न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन

[हिन्दी]

कुपोषण

*7. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्ष से कम आयु के लगभग 46 प्रतिशत भारतीय बच्चे अभी भी कम वजन वाले हैं और इस विषय पर कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों का कुपोषण दूर करने में आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बच्चों के कम वजन और कुपोषण की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-3) के अनुसार, 3 वर्ष से कम आयु वर्ग के अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत 40.4 था। तथापि, एन.एफ.एच.एस.-3 में कुपोषण का राज्य-वार विवरण केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में उपलब्ध है, जो विवरण में दर्शाया गया है। कुपोषण का प्रतिशत विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए विकास मानकों को अपनाने के बाद निकाला गया है। अब सरकार ने 15 अगस्त, 2008 से समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों के माध्यम से बच्चों के विकास के मानीटरन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों को अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) कुपोषण की समस्या बहुआयामी एवं पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है, जिसके समाधान के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल, पोषण, परिवार कल्याण और गरीबी उपशमन के क्षेत्र में समग्र समन्वित प्रयासों की जरूरत है।

आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी केंद्र सेवाओं की प्रदायगी हेतु एक मंच प्रदान करते हैं। स्कीम में छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरक पोषण प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। ये सेवाएं अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ-साथ छह वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं में कुपोषण में कमी लाने के लिए प्रदान की जाती हैं।

(ङ) सरकार बच्चों में कुपोषण एवं अल्प-वजन की समस्याओं से अवगत है और पूरे देश में अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है, जिनसे बच्चों के पोषण स्तर में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सुधार हो रहा है। इनमें से कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं:

(1) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सेवा प्रदायगी को और अधिक कारगर बनाने के लिए हाल ही में किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

* दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में स्कीम का दो बार विस्तार किया गया।
* सरकार ने पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को दोगुना करके 1/- रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 2/- रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कर दिया है।
* पूरक पोषण की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की जाने वाली लागत में वर्ष 2005-06 से 50% की भागीदारी भी वहन की जा रही है।
* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निरंतर जोर दिया जाता रहा है कि वे:
  - स्कीम के मानकों के अनुसार पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें।
  - विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षित पेयजल सेवाओं का कारगर संकेंद्रण सुनिश्चित करें।

(2) प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण समर्थन कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग);

(3) अल्पपोषित किशोरियों हेतु मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(4) खाद्य एवं पोषण बोर्ड का पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय); तथा

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- संस्थाओं में प्रसव को बढ़ावा देकर तथा प्रसव-पूर्व देखभाल सेवा के प्रसार एवं गुणवत्ता में सुधार, धात्री माताओं की कुल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा देखभाल, सामुदायिक स्तर पर प्रसवोपरांत देखभाल के द्वारा माताओं के स्वास्थ्य में सुधार
- प्रतिरक्षण
- नवजात शिशुओं एवं छोटे बच्चों के रोगों तथा कुपोषण का समेकित उपचार
- शिशुओं एवं छोटे बच्चों के उपयुक्त आहार पर विशेष बल
- 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विटामिन 'ए' के अनुपूरण तथा प्री-स्कूल बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं हेतु लौह तत्व एवं फालिक एसिड अनुपूरण के माध्यम से विटामिन 'ए' तथा आयरन एवं फालिक एसिड के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बचाव एवं निवारण हेतु विशेष कार्यक्रम।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

(6) राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

(7) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

(8) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम/स्वजलधारा एवं पूर्ण स्वच्छता अभियान; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

विवरण

पांच वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	-2 मानक विचलन से कम प्रतिशत
1	2	3
	भारत	42.5
	उत्तर	
1.	दिल्ली	26.1
2.	हरियाणा	39.6
3.	हिमाचल प्रदेश	36.5
4.	जम्मू-कश्मीर	25.6
5.	पंजाब	24.9
6.	राजस्थान	39.9
7.	उत्तरांचल	38.0
	मध्य	
8.	छत्तीसगढ़	47.1
9.	मध्य प्रदेश	60.0
10.	उत्तर प्रदेश	42.4
	पूर्व	
11.	बिहार	55.9
12.	झारखंड	56.5
13.	उड़ीसा	40.7
14.	पश्चिम बंगाल	38.7
	पूर्वोत्तर	
15.	अरुणाचल प्रदेश	32.5
16.	असम	36.4
17.	मणिपुर	22.1
18.	मेघालय	48.8
19.	मिजोरम	19.9
20.	नागालैंड	25.2
21.	सिक्किम	19.7
22.	त्रिपुरा	39.6
	पश्चिम	
23.	गोवा	25.0
24.	गुजरात	44.6
25.	महाराष्ट्र	37.0

1	2	3
	दक्षिण	
26.	आंध्र प्रदेश	32.5
27.	कर्नाटक	37.6
28.	केरल	22.9
29.	तमिलनाडु	29.8

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-3)

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

*8. **श्री काशीराम राणा:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राज्यवार कितनी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया;

(ख) क्या संबंधित प्राधिकारियों ने इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुई चूक के लिए अर्थदंड लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाएं कार्य आदेश जारी किये जाने की तारीख से नौ महीनों की कार्य अवधि के भीतर पूरी की जानी होती हैं। यदि मानसून अथवा अन्य मौसमी कारणों से निष्पादन की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो निष्पादन के लिए अवधि को बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह 12 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी राज्यों, जहां कार्य दो चरणों में निष्पादित किया जाता है, चरण-1 के कार्यों को पूरा करने के लिए 18 महीने तक का समय दिया जाता है तथा चरण-2 के कार्यों को पूरा करने के लिए 9 से 12 महीने का समय दिया जाता है। वर्ष 2005-06 में 1034 कार्य, वर्ष 2006-07 में 6964 तथा वर्ष 2007-08 में 11464 कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरे नहीं किये जा सके। इनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों का आबंटन राज्यों द्वारा मानक बोली दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है। मानक बोली दस्तावेज में कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण होने वाली परिनिर्धारित नुकसानी का जिम्मा ठेकेदार पर डालने का प्रावधान है। चूंकि कार्यान्वयन तथा संविदा प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है, इसलिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे, जहां कहीं भी आवश्यकता हो, कार्यान्वयन अनुसूची की गहन निगरानी करें तथा परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली भी करें।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि में पूरे न हुए कार्यों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2005-06 अपूर्ण	2006-07 अपूर्ण	2007-08 अपूर्ण
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	436	303
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	64	43
3.	असम	186	430	0
4.	बिहार	15	160	392
5.	छतीसगढ़	177	945	0
6.	गोवा	6	0	0
7.	गुजरात	45	122	209
8.	हरियाणा	10	22	38
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	859
10.	जम्मू-कश्मीर	67	0	107
11.	झारखंड	0	0	102
12.	कर्नाटक	90	177	198
13.	केरल	0	91	77
14.	मध्य प्रदेश	0	919	1613
15.	महाराष्ट्र	234	0	1331
16.	मणिपुर	0	0	59
17.	मेघालय	0	30	26
18.	मिजोरम	0	0	34
19.	नागालैंड	0	0	23

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	0	1007	797
21.	पंजाब	0	28	57
22.	राजस्थान	0	698	1348
23.	सिक्किम	0	29	67
24.	तमिलनाडु	0	0	358
25.	त्रिपुरा	0	36	266
26.	उत्तर प्रदेश	0	1410	2826
27.	उत्तराखंड	0	79	102
28.	पश्चिम बंगाल	204	281	229
	कुल	1034	6964	11464

[अनुवाद]

राज्यों में मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली की स्थापना

***9. श्री अबु अयीश मंडल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से अपने राज्यों में मेट्रो रेल परिवहन की स्थापना हेतु कोई रुचियों की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से अपने राज्यों में मेट्रो रेल परिवहन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित नहीं करती। तथापि, कुछ राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में मेट्रो परियोजनाओं के लिए ऐसे प्रस्ताव भेजती हैं, जहां केन्द्रीय वित्तीय सहायता अपेक्षित होती है। ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण में हैं।

विवरण

गत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार को प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित मेट्रो रेल परिवहन प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी. में)	लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	दिल्ली एमआरटीएस फेज-2	54.675	*8605.36
2.	दिल्ली	केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर	20.16	4012
3.	दिल्ली/हरियाणा	दिल्ली मेट्रो का गुड़गांव तक विस्तार	14.47	1581
4.	दिल्ली/हरियाणा	दिल्ली मेट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार	13.875	2028
5.	दिल्ली/हरियाणा	दिल्ली मेट्रो का बहादुरगढ़ तक विस्तार	11.781	1432
6.	उत्तर प्रदेश	दिल्ली मेट्रो का नोएडा तक विस्तार	7.0	827
7.	दिल्ली	आईजीआई-द्वारका सेक्टर-21 तक हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंक	22.70	3869
8.	दिल्ली	द्वारका सेक्टर-9 से द्वारका सेक्टर-21	2.76	356.11
9.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	33.0	6395
10.	कर्नाटक	सिटी सेंटर से न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हाई स्पीड रेल लिंक	33.65	3716

1	2	3	4	5
11.	पश्चिम बंगाल	ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कारीडोर कोलकाता	13.77	4676
12.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो रेल	46.5	14600
13.	महाराष्ट्र	वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर लाइन-1	11	2356
14.	महाराष्ट्र	चारकोप से मानखुर्द लाइन-2	31.817	8250
15.	केरल	कोच्ची मेट्रो रेल	25.3	2991.5

*करों व शुल्कों को छोड़कर

किसानों द्वारा साहूकारों से ऋण लेना

*10. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में साहूकारों से कहीं अधिक ऋण लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या साहूकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दरों पर ऋण मुहैया करा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) "कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता" (2003) के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 51.4% कृषक परिवारों को संस्थागत या गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण उपलब्ध नहीं है। कुल कृषक परिवारों में से 27.30% परिवार औपचारिक स्रोतों और 21.3% परिवार साहूकारों सहित अनौपचारिक स्रोतों से ऋणग्रस्त हैं।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में साहूकारी को नियंत्रित करने वाले विद्यमान विधायी ढांचे और प्रवर्तन तंत्र की क्षमता की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए एक तकनीकी समूह (एस.सी. गुप्ता समिति) गठित की थी। इस तकनीकी समूह ने पाया है कि साहूकारों द्वारा प्रभारित ब्याज की दरें 12 प्रतिशत से 150 प्रतिशत वार्षिक के बीच थी जबकि औसत ब्याज दर 18 प्रतिशत से 36 प्रतिशत वार्षिक के बीच थी।

तकनीकी समूह ने साहूकारों पर निरन्तर निर्भरता के लिए विभिन्न कारण बताएं हैं अर्थात्:

1. औपचारिक ऋण संस्थाओं की सीमित पहुंच,
2. सीमांत किसानों के साथ लेन-देन करने में बैंकों की अनिच्छा,
3. साहूकार "घर पर" जाकर कारोबार करते हैं और गोपनीयता बनाए रखते हैं,
4. साहूकार उपभोग प्रयोजनों के लिए बेझिझक उधार देते हैं, और
5. बैंकों द्वारा अपर्याप्त और विलम्ब से ऋण दिया जाना।

(छ) भारत सरकार ने किसानों के लिए ऋण की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

* भारत सरकार खरीफ 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी अपनी निधियों पर ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान कर रही है ताकि किसानों को आधार पर स्तर पर 7% वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए जारी है।

* कृषि ऋण का प्रवाह पिछले चार वर्षों में तिगुना हो गया है जो वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपए से वर्ष 2007-08 में 2,43,570 करोड़ रुपए हो गया है।

* बैंकों ने कृषि ऋणों के लिए प्रलेखन की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

* 50,000/- रुपए तक के ऋणों को संपार्श्विक और मार्जिन से मुक्त कर दिया गया है और ''अदेयता प्रमाण-पत्र'' की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

* बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सलाह दी गई है।

* बैंकों को परिवारों को सामान्य क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर वित्तीय पहुंच प्राप्त करने, सीमित ओवर ड्राफ्ट सुविधाओं के साथ ''अतिरिक्त सुविधा रहित'' (नो फ्रिल) खाते खोलने, कृषक क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), डाकघरों जैसे सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाओं का कारोबार सुविधा प्रदाता/कारोबार सम्पर्की माडल आदि के रूप में प्रयोग करके वित्तीय पहुंच बढ़ाने की हिदायत दी गई है।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा

*11. **डा. शफीकुर्रहमान बर्क:**
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश में जाली नोटों के परिचालन के बड़ी संख्या में मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इस खतरे से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) चालू वर्ष 2008-09 (अप्रैल-जून) और विगत तीन वर्षों के दौरान, परिचालित नोटों की तुलना में बैंकिंग चैनल में पाए गए जाली नोटों से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मूल्यवर्ग						कुल अदद	परिचालन में नोट (मिलियन अदद)	परिचालित नोटों की तुलना में प्रतिशत
	10	20	50	100	500	1000			
2005-06	80	340	5,991	104,590	12,014	902	123,917	37,851	0.000327
2006-07	110	305	6,800	68,741	25,636	3,151	104,743	39,831	0.000263
2007-08	107	343	8,119	110,273	66,838	10,131	195,811	44,225	0.000443
2008-09 (अप्रैल-जून)	16	138	3,227	32,133	29,028	5,376	69,918	उप. नहीं	उप. नहीं

(ग) देश में जाली नोटों का परिचालन रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें जाली नोटों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा सतर्कता बढ़ाना; प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा विशेषताओं से संबंधित सूचना का प्रसार और बैंकों के मुख्यालयों में नकली नोट निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना शामिल हैं। बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं भी जोड़ी गई हैं जिससे जाली नोट बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा, भारत सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच-पड़ताल की मानीटरी करने के लिए नोडल एजेंसी मनोनीत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों का पता लगाने के तंत्र को भी मजबूत किया है।

[अनुवाद]

ऋण माफी योजना

*12. **श्री पी.सी. थामस:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के बैंक ऋण माफ करने के लिए सरकार ने क्या मापदंड अपनाया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने किसान लाभान्वित हुए तथा अब तक कितनी ऋण राशि माफ की गई है;

(ग) क्या 31 मार्च, 2007 से पहले छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को जिन्हें 2 फरवरी, 2008 तक अदा नहीं किया गया इस योजना/मापदंड में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे किसानों को शामिल करने के लिए उपर्युक्त मापदंडों में संशोधन करने का है;

(ङ) क्या किसानों द्वारा लिए गए दीर्घावधिक ऋणों को इस योजना का लाभ मिलेगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अनेक किसानों की पात्रता कई बैंकों द्वारा लेखा समायोजन किए जाने के कारण समाप्त हो गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(झ) ऋण माफी योजना की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008-09 में किसानों के लिए कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित शर्तें हैं:

(1) इस योजना के अंतर्गत, 31 मार्च, 2007 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए तथा 31 दिसम्बर, 2007 तक अतिदेय सभी कृषि ऋणों को कवर किया गया है।

(2) सीमांत किसानों (अर्थात् 01 हेक्टेयर तक जोत भूमि) तथा छोटे किसानों (01 से 02 हेक्टेयर) के लिए, 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय तथा जिनकी 29 फरवरी, 2008 तक वापसी अदायगी नहीं की गई थी, उन सभी ऋणों की पूरी तरह माफी है। अन्य किसानों के संबंध में, सभी ऋणों जो कि 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय थे तथा जिनकी 29 फरवरी, 2008 तक वापसी अदायगी नहीं की गई थी, उनके लिए एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) है। एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत, 75 प्रतिशत शेष के भुगतान के लिए 25 प्रतिशत की छूट दी गई है।

इस योजना के संशोधन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों तथा ऋण माफी तथा ऋण राहत के पात्र राशि से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(ङ) से (ज) जी, नहीं। किसानों द्वारा लिए गए निवेश ऋणों अर्थात्, दीर्घावधि ऋणों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। यदि ऋण 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007 की अवधि के दौरान संवितरित किया गया तथा 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय था और 29 फरवरी, 2008 तक शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे ऋणों की किस्तें जो कि अतिदेय हैं (इस प्रकार की किस्तों पर लागू ब्याज सहित) को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2004 और वर्ष 2006 में घोषित एक विशेष पैकेज के माध्यम से किसानों को एक सुविधा प्रदान की है जिसके तहत उनके अतिदेय ऋण को पुनर्गठित/पुनर्निर्धारित किया गया था और उन्हें नए ऋणों के लिए पात्र बनाया गया। वर्तमान योजना इस प्रकार की पुनर्गठित कृषि संबंधी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य रूप में पुनर्गठित ऋणों को भी कवर करती है। अर्थात् इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1.4.1997 से पूर्व संवितरित तथा उसके बाद पुनर्गठित सभी ऋण कवर किए जाते हैं।

(झ) यह योजना अपनी नियत तारीख अर्थात् 30 जून, 2008 से कार्यान्वित की गई है।

विवरण

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008
राज्य-वार आंकड़े (अनंतिम)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर किए गए कुल किसान			कुल पात्र माफी/राहत
		छोटे किसान/ सीमांत किसान	अन्य किसान	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6646198	1109029	7755227	11353.71
2.	असम	319546	18146	337692	405.51

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	10775	1241	12016	20.47
4.	बिहार	1662971	94548	1757519	3158.90
5.	छत्तीसगढ़	493828	201119	694947	701.29
6.	दिल्ली	1324	388	1712	7.36
7.	गुजरात	576137	410605	986742	2395.32
8.	गोवा	1592	768	2360	5.58
9.	हरियाणा	527490	357612	885102	2648.73
10.	हिमाचल प्रदेश	114997	4794	119791	273.82
11.	जम्मू-कश्मीर	47449	3081	50530	97.06
12.	झारखंड	639187	27239	666426	789.60
13.	कर्नाटक	1171983	555360	1727343	4020.29
14.	केरल	1390546	40192	1430738	2962.97
15.	मध्य प्रदेश	1715624	659202	2374826	4203.25
16.	महाराष्ट्र	3023000	1225000	4248000	8951.33
17.	मेघालय	40885	2129	43014	77.94
18.	मिजोरम	18699	1641	20340	34.22
19.	मणिपुर	56670	1393	58063	57.49
20.	नागालैंड	12623	2290	14913	22.39
21.	उड़ीसा	2377022	135935	2512957	3277.75
22.	पंजाब	227416	193862	421278	1322.91
23.	राजस्थान	1111821	732765	1844586	3795.78
24.	सिक्किम	7140	651	7791	13.39
25.	तमिलनाडु	1427280	328206	1755486	3365.39
26.	त्रिपुरा	60502	1101	61603	97.09
27.	उत्तर प्रदेश	4794348	621693	5416041	9095.11
28.	उत्तराखंड	154962	18733	173695	317.65
29.	पश्चिम बंगाल	1445743	16590	1462333	1882.27
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1537	958	2495	1.96

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	148	79	227	1.35
32.	दादरा और नगर हवेली	351	137	488	0.69
33.	दमन और दीव	65	38	103	0.15
34.	लक्षद्वीप	130	2	132	0.25
35.	पुडुचेरी	26247	5055	31032	59.37
	कुल	30106236	6771582	36877818	65318.33

आम आदमी बीमा योजना

*13. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री मो. ताहिर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में आम आदमी बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत देश में राज्य-वार अब कितने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को लाया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन में किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत दिनांक 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को प्रदान की गई बीमा सुरक्षा संबंधी राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	बीमित व्यक्ति
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	5000
2.	महाराष्ट्र	8,43,974
3.	आंध्र प्रदेश	38,00,000
4.	चण्डीगढ़	1,153
5.	मध्य प्रदेश	7,53,117
6.	बिहार	62,705
7.	जम्मू-कश्मीर	51,000
	कुल	55,16,949

(ग) से (ङ) इस योजना के अंतर्गत वार्षिक बीमा प्रीमियम प्रति सदस्य 200/- रुपए है, जिसमें राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समान रूप से अंशदान किया जाता है। अब तक, 19 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी सहमति दी है। शेष 16 राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा इस संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है। वित्त मंत्री तथा सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने क्रमशः सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों को इस सामाजिक सुरक्षा योजना को कार्यान्वित करने हेतु दबाव डालने के लिए पत्र लिखे हैं।

[हिन्दी]

छठा केन्द्रीय वेतन आयोग

*14. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का सशस्त्र सेनाओं सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार करने के संबंध में सशस्त्र बलों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन मांगों में फिटमेंट फैक्टर में सुधार, वेतनवृद्धि की दर में वृद्धि, ग्रेड वेतन बढ़ाना, निचले स्तर के समूह ''ग'' कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता की दर में वृद्धि, जवानों के लिए सैनिक सेवा वेतन में वृद्धि, सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम आदि शामिल हैं।

(ग) आवश्यक समझे गए संशोधनों के साथ सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को एक पैकेज के रूप में स्वीकार कर लिया है।

ग्रामीण न्यायालय

***15. श्री शिशुपाल एन. पटले:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना संबंधी नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे न्यायालयों की स्थापना में कितना समय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) 1 फरवरी, 2008 को संपन्न राज्य विधि मंत्रियों, विधि सचिवों और उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 जो कि राज्य सभा में 15 मई, 2007 में पुर:स्थापित किया गया था, के उपबंधों पर व्यापक चर्चा की गई थी। ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए सम्मेलन में व्यापक सहमति बनी थी। तत्पश्चात्, कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति और उपर्युक्त सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008 के पुर:स्थापन के लिए और ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 वापस लेने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) कोई विनिर्दिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावित विधान के अधिनियमन के पश्चात् ग्राम न्यायालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

मितव्ययिता उपाय

***16. श्री जुएल ओराम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान व्यय को नियंत्रित करने हेतु तैयार किए गए मितव्ययिता उपायों और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरों पर रोक लगाना भी एक मितव्ययिता उपाय है;

(ग) यदि हां, तो इन उपायों के बावजूद काफी अधिकारी विदेश यात्रा पर जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाली स्कीमों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे व्यय, विशेषकर गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने के लिए मितव्ययिता उपायों को अपनाएं। इन उपायों में गैर-योजना व्यय में कटौती (ब्याज-भुगतान, ऋण की अदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन तथा राज्यों को वित्त आयोग अनुदान को छोड़कर) तथा यात्रा, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, वाहनों आदि से संबंधित अन्य मितव्ययिता उपाय शामिल हैं। पिछले वर्षों में इन उपायों से राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने तथा सरकार की कार्यात्मक क्षमता को प्रतिबंधित किए बगैर व्यय के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने में मदद मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारत सरकार के अधिकारी कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार ही विदेशी दौरा करते हैं।

अफीम नीति

***17. श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफीम की खेती के लिए न्यूनतम अर्हता उपज (एमक्यूवाई) निश्चित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान अफीम की खेती करने के लिए कितने किसानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सभी राज्यों में अफीम उत्पादन के संबंध में सरकार द्वारा एक समान एमक्यूवाई निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लाइसेंस प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) न्यूनतम अर्हता उपज (एमक्यूवाई) का निर्धारण वार्षिक तौर पर तथा अफीम की प्रति हेक्टेयर उपज जोकि क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है, के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, इसका निर्धारण इस बात के मद्देनजर किया जाता है कि अफीम उत्पादों के अवैध प्रयोग पर नियंत्रण रखा जा सके। चूंकि औसत उपज तथा जलवायुवीय परिस्थितियों सभी जगह एक समान नहीं होती है अत: सभी राज्यों में अफीम उत्पादन के लिए एक समान न्यूनतम अर्हता उपज (एमक्यूवाई) को निर्धारित करना संभव नहीं है। न्यूनतम अर्हता उपज (एमक्यूवाई) के बारे में उत्पादकों को अग्रिम रूप से सूचित करने के लिए सामान्य लाइसेंस परिस्थितियों में न्यूनतम अर्हता उपज संबंधी एक पूर्व चेतावनी की भी व्यवस्था की गई है जिससे किसानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अगले फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अर्हता हेतु इसका अनुपालन करेंगे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अफीम की खेती के लिए जिन किसानों को लाइसेंस जारी किये गये हैं उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

फसल वर्ष	लाइसेंस प्राप्त किसानों की सं.
2005-06	72,478
2006-07	62,658
2007-08	46,775

अफीम के किसानों को लाइसेंस प्रदान किये जाने से संबंधित सामान्य शर्तों को हर वर्ष अधिसूचित किया जाता है। न्यूनतम अर्हता उपज को छोड़कर सामान्य शर्तों के सभी प्रावधान अफीम उत्पादक सभी तीनों राज्यों यथा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर समान रूप से लागू होंगे।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति

*18. **श्री मोहन सिंह:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए क्या प्रणाली अपनाया जाता है;

(ख) अगस्त-सितम्बर, 2008 के दौरान मुद्रास्फीति की प्रतिशतता दर कितनी थी तथा वर्ष 2007 और जून-जुलाई, 2008 में विद्यमान मुद्रास्फीति की दर से यह कितने प्रतिशत अधिक थी;

(ग) चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा आर्थिक उपायों सहित क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं;

(ङ) ये उपाय कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं; और

(च) भविष्य में मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति की गणना सूचकांक में पिछले वर्ष के तदनुरूप सप्ताह की तुलना में मौजूदा सप्ताह में हुए प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है और यह पिछले 52 सप्ताहों में कीमतों में हुए परिवर्तनों के संचयी प्रभाव को दर्शाती है। भारत में मुद्रास्फीति दर को आकलित करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो थोक बाजार में व्यापारित वस्तुओं की औसत कीमत के स्तर को मापता है और यह दो सप्ताह के समय-अन्तराल पर साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध होता है। संदर्भ समूह में कुल 435 वस्तुएं शामिल हैं जिनकी कीमतों को मानीटर किया जाता है।

(ख) हाल के महीनों में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति नीचे सारणी में दिखाई गई है:

माह	2007-08	2008-09
जून	4.53	11.82
जुलाई	4.71	12.36
अगस्त	4.14	12.49अ
सितम्बर	3.51	12.04अ

अ-अनंतिम

(ग) मौजूदा वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति में वृद्धि वैश्विक और घरेलू बाजारों में कच्चे तेल, लौह अयस्क, धातुओं और कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।

(घ) से (च) सरकार नियमित आधार पर कीमतों की स्थिति पर नजर रख रही है और मुद्रास्फीति को काबू में रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार की मुद्रास्फीति रोधी नीतियों में कठोर राजकोषीय अनुशासन अपनाना, आवश्यक वस्तुओं के शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, उदार टैरिफ एवं व्यापार नीतियों के जरिए आवश्यक वस्तुओं का कारगर आपूर्ति-मांग प्रबंधन करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में, आर्थिक विकास में सहायक रहते हुए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि तथा रेपो दरों में वृद्धि करके घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में व्याप्त अनिश्चितताओं से उभरी स्फीतिकारी संभावनाओं पर काबू पाने का प्रयास किया गया है।

हाल के सप्ताहों में मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई है जो 9 अगस्त, 2008 के 12.91 प्रतिशत के शिखर से कम होकर 27 सितंबर, 2008 को 11.80 प्रतिशत हो गई। उम्मीद है कि गिरावट की यह रुख आने वाले महीनों में जारी रहेगा।

एनआरईजीएस तथा पीएमजीएसवाई का प्रभाव

*19. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अन्य स्थानों पर जाने तथा उनके जीवन स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रभाव का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) 7 दिसंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया, इसके पहले चरण में 200 जिलों को शामिल किया गया तथा वर्ष 2007-08 में 130 और जिलों में इसे लागू किया गया। शेष 284 जिलों को 1 अप्रैल, 2008 से इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। किसी कार्यक्रम के प्रभाव का परिणाम कार्यान्वयन के कुछ वर्षों के पश्चात ही दिखाई पड़ता है, इसलिए इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी। तथापि, एनआरईजीए की प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन का तीव्र मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 6 अध्ययन किए गए हैं। कुछ अध्ययनों में पलायन के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई है। इन अध्ययनों से यह पता चला है कि मजदूरों के पलायन का स्वरूप पारिवारिक पलायन से बदलकर व्यक्तिगत पलायन का हो गया है। यह मुख्यतया पुरुषों के पलायन तक ही सीमित है जबकि महिला सदस्य अपने गांव में ही रहती हैं और एनआरईजीए कार्य करती हैं। जीवन स्तर संबंधी प्रभाव से यह पता चलता है कि एनआरईजीए के अंतर्गत 100 दिनों के गारंटीयुक्त रोजगार के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण मजदूरों की मोलतोल की शक्ति बढ़ी है।

इसके अलावा, एनआरईजीए के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी करने के लिए समय-समय पर राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को भी तैनात किया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान एनआरईजीए के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए चरण-1 तथा चरण-2 में शामिल सभी 330 जिलों में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम की प्रक्रिया और कार्यान्वयन के संबंध में इन राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की टिप्पणियों और निष्कर्षों को राज्यों को भेजा गया है ताकि उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

वर्ष 2003-04 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर एक तीव्र अध्ययन कराया गया था। रोजगार सृजन, उद्योग, शिक्षा तथा सामाजिक पहलुओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। हाल ही में पीएमजीएसवाई का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन और सड़क प्रयोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अध्ययन का पहला चरण पूरा कर लिया गया है जिसमें सामान्य विधि विवरण तैयार किया जाता है तथा प्रक्रिया विधि का क्षेत्र जांच करने और उपयुक्त सुधार करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन किए जाते हैं।

सरकार ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए एनआरईजीए के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को सुदृढ़ बनाने का काम प्राथमिकता आधार पर किया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में परियोजनाओं की सूची तैयार करके कार्यों की योजना को सुदृढ़ बनाया गया है तथा कार्य स्थलों और कार्य निष्पादन में दक्षता लाने का काम किया गया है। राज्यों को एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता आधार पर समर्पित स्टाफ की नियुक्ति करने की सलाह दी गई है। निगरानी आसूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है तथा सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है। संस्थागत खातों के माध्यम से मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से सभी राज्यों को डाकघरों और बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने को कहा गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य

बनाया गया है और स्थानीय स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है। सभी स्टेकहोल्डरों की मदद करने के लिए हैल्पलाइन शुरू की गई है। इसके अलावा, राज्यों को 5-सूत्री कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है जिसमें (1) योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना, (2) पारदर्शिता, (3) जनभागीदारी, (4) ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा, तथा (5) कड़ी सतर्कता और निगरानी शामिल हैं।

[हिन्दी]

अमरीका के बैंकिंग संकट का प्रभाव

*20. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय बैंकों और कंपनियों पर अमरीका के बैंकिंग संकट के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में सब-प्राइम संकट के बाद, भारतीय बैंकों पर यूएसए के बैंकिंग संकट के प्रभाव की सतत आधार पर निगरानी करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सब-प्राइम संकट की पृष्ठभूमि में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में बैंकों पर इसके प्रभाव का आकलन करने और आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए सितम्बर 2007 के महीने में पन्द्रह प्रमुख बैंकों के साथ कई बैठकें की। यह पाया गया था कि किसी भी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक (भारत में परिचालन वाले), जिनके साथ विचार-विमर्श किया गया था, का यूएसए में सब-प्राइम बंधक बाजार और अन्य बाजारों में कोई प्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं था और कोई प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तथापि, कुछ बैंकों को उनके विदेशी परिचालनों में प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) में हानि हुई थी। विदेशों में परिचालन वाले उन कुछ भारतीय बैंकों ने अमेरिका के सब-प्राइम बाजारों में कोई प्रत्यक्ष एक्सपोजर न होते हुए भी कतिपय संपार्श्विक ऋण बाध्यताओं (सीडीओ)/बाण्डों में निवेश किया था, जिनकी सब-प्राइम एक्सपोजर वाली कुछ आधारभूत संस्थाएं थी। अब तक बैंकों ने ऋण संबंधी किसी हानि की सूचना नहीं दी।

इसके अलावा, भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी अनुषंगियों पर सब-प्राइम संकट के प्रभाव की सतत आधार पर निगरानी करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण व्युत्पन्नों और अन्य निवेशों तथा संबंधित एमटीएम में हानियों के संबंध में भारतीय बैंकों के, उनके विदेशी परिचालनों और अनुषंगियों के माध्यम से, निवेश की मासिक आधार पर रिपोर्टिंग के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भी स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के परामर्श से स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहा है। आरबीआई-सेबी की तकनीकी समिति सार्वभौमिक वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों और भारतीय बाजारों पर उसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रही है।

ऋण व्युत्पन्नों के संबंध में विदेशों में परिचालन वाले भारतीय बैंकों (सरकारी क्षेत्र के दस और गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंक) के विदेशी एक्सपोजर में मुख्य रूप से क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस), क्रेडिट लिंक्ड नोट्स (सीएलएन) और सीडीओ शामिल थे। निवेशों में आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी), आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां/बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (एसबीएस/एमबीएस) आदि शामिल थे। सीडीएस और सीएलएन के माध्यम से भारतीय बैंकों का एक्सपोजर सुस्थापित भारतीय कंपनियों द्वारा समर्थित है, जिनकी बाजार की सामान्य परिस्थितियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऋण के फैलाव के व्यापक होने पर भी देश में निरंतर अच्छी साख है।

निवेश बैंकिंग, बीमा और वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूएसए और यूरोप की कुछ बड़ी वित्तीय संस्थाओं के असफल होने से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार इन संस्थाओं को प्रमुख भारतीय बैंकों के एक्सपोजर का आकलन किया है। एक्सपोजर में मुख्य रूप से अस्थिर दर वाले नोट, भारत स्थित बैंकों द्वारा विदेशी प्रतिनिधि बैंकों के पास विदेशी मुद्रा में रखी गई धनराशियां, बैंक गारंटियां, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर, आदि शामिल थे। बैंकों ने इस एक्सपोजरों पर कुल 47.3 मिलियन अमरीकी डालर का प्रावधान किया है। लेहमैन ब्रदर्स को बैंकों का एक्सपोजर 336 मिलियन अमरीकी डालर है।

इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को निर्बाध और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने कुछ व्यवहार्य उपाय किए हैं जैसे-

(1) 11 अक्तूबर, 2008 से शुरू होने वाले पखवाड़े से बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 250 आधार बिन्दुओं की कमी करके उसे उनकी निवल मांग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल) के 9.00% से 6.50% करना जिससे प्रणाली में अतिरिक्त चल निधि जारी करना,

(2) बैंकों को अपने ग्राहकों को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के आहरण की अनुमति प्रदान करने और लघु एवं मझौले उद्यमों की देयराशियों के पुनर्निर्धारण पर विचार करने की अनुमति प्रदान करना,

(3) दिनांक 17.9.2008 से बैंकों को उनके एनडीटीएल के 1% सीमा तक अतिरिक्त चल निधि सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करना,

(4) बैंकों को म्युचुअल फंडों की चल निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों के बदले उनके एनडीटीएल के 0.5% तक 9% वार्षिक की नियत दर पर विशेष पुनर्खरीद करना।

(5) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के तहत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं को पहली किस्त के रूप में तत्काल 25,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करना,

(6) दिनांक 15.10.2008 से एफसीएनआर (बी) और एनआर(ई)आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की वृद्धि,

(7) बैंकों को विद्यमान 25% सीमा की तुलना में उनकी विदेशी शाखाओं और समनुरूपी बैंकों से अपनी अक्षुण टीयर-1 पूंजी अथवा 10 मिलियन अमेरिकी डालर, जो भी उच्चतर हो, उधार लेने की अनुमति प्रदान करना।

भारतीय रिजर्व बैंक सामने वाली चल निधि परिस्थितियों के आलोक में, इन उपायों की निरंतर आधार पर समीक्षा करेगा तथा घरेलू वित्तीय स्थिरता पर बाधा पहुंचाने वाले किसी भी प्रतिकूल बाह्य घटनाक्रमों के प्रति यथासमय त्वरित प्रतिक्रिया करेगा।

[अनुवाद]

आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. में अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करना

1. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत राज्यवार कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है और उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उस योजना के संशोधित पात्रता मानदण्डों के मद्देनजर अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) 1.3.2006 को अनुमानित जनसंख्या तथा योजना आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए दर्शाए गए गरीबी अनुमान के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 157 लाख होने का अनुमान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 200 रु. प्रति माह की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से भी इतनी ही राशि के अंशदान का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आईजीएनओएपीएस लाभार्थियों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	919230
2.	बिहार	1601436
3.	छत्तीसगढ़	442904
4.	गोवा	2687
5.	गुजरात	65070
6.	हरियाणा	130306
7.	हिमाचल प्रदेश	70871
8.	जम्मू-कश्मीर	83772
9.	झारखंड	642121
10.	कर्नाटक	689522

1	2	3
11.	केरल	141956
12.	मध्य प्रदेश	1396213
13.	महाराष्ट्र	845835
14.	उड़ीसा	643400
15.	पंजाब	166689
16.	राजस्थान	462393
17.	तमिलनाडु	696608
18.	उत्तर प्रदेश	2393548
19.	उत्तराखंड	112929
20.	पश्चिम बंगाल	935777
21.	अरुणाचल प्रदेश	14500
22.	असम	628949
23.	मणिपुर	72514
24.	मेघालय	18740
25.	मिजोरम	15516
26.	नागालैंड	28053
27.	सिक्किम	15169
28.	त्रिपुरा	136592
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	702
30.	चंडीगढ़	4036
31.	दादरा और नगर हवेली	6956
32.	दमन और दीव	630
33.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	94000
34.	लक्षद्वीप	142
35.	पाण्डिचेरी	336
	कुल	13480102

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश

2. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एलआईसी, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई और आईडीबीआई द्वारा कृषि, सहकारिता, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में कितनी राशि का निवेश किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं द्वारा अपने निवेश से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऋण की बलपूर्वक वसूली

3. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के आदेश में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चूककर्ताओं से ऋण की वसूली हेतु बाहुबल या गुण्डों के इस्तेमाल करने के कारण चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों से उपर्युक्त आदेश का पालन करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) आईसीआईसीआई बैंक लि. के एक उधारकर्ता द्वारा दायर मामले के संबंध में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आईसीआईसीआई बैंक लि. द्वारा दायर अपील (2007 की सं. 267) पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि वसूली एजेंटों, जो कि बाहुबली होते हैं, को भाड़े पर लेने की प्रथा अनुचित है और इसे हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। उधारकर्ता

द्वारा अपनी किस्तों का भुगतान करने में चूक किए जाने के मामलों में बाहुबलियों का सहारा लेने के बजाए कानून द्वारा मान्य प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा (दिनांक 30 नवम्बर, 2007) में पाया है कि हाल में वसूली एजेंटों का सहारा लेने के लिए बैंकों के विरुद्ध मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि प्रतिकूल प्रचार से पूरे बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वसूली एजेंटों का सहारा लेते समय निर्धारित मार्गनिर्देशों का अनुपालन करें और स्पष्ट किया है कि बैंकों के वसूली एजेंट द्वारा अनुचित तरीकों का प्रयोग किए जाने के संबंध में शिकायतें मिलने पर ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। जिन बैंकों के वसूली एजेंटों द्वारा अनुचित तरीकों का प्रयोग किए जाने के संबंध में उनके या उनके निदेशकों/अधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किए गए हैं/अर्थदंड लगाए गए हैं, उनके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अस्थायी प्रतिबंध (या लगातार अनुचित तरीकों के प्रयोग किए जाने के मामले में स्थायी प्रतिबंध) लगाने पर विचार करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2008 को बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों से कार्य लेने के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे उन वसूली एजेंसियों के कर्मचारियों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करें, जिनसे वे कार्य ले रहे थे। रोजगार पूर्व पूर्ण सावधानी उपायों में से एक उपाय के रूप में पुलिस द्वारा सत्यापन कराए जाने का सुझाव दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्धारित किया है कि सभी वसूली एजेंटों को भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण-सह-प्रमाणीकरण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए।

बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई.

4. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसमें वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में बीमा कानून में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. सीमा में यह वृद्धि कब से प्रभावी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) इस समय बीमा क्षेत्र में 26% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है।

(ख) से (च) विधि आयोग/के.पी. नरसिंहम समिति तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की सिफारिशों पर बीमा कानून (संशोधन) विधेयक संबंधी टिप्पणी पर मंत्रिमण्डल ने दिनांक 21.12.2006 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंत्रिसमूह को विचारार्थ भेज दिया है। मंत्रिसमूह ने प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया है और इसे मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जाना है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए होली डे होम

5. श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिए कटरा (वैष्णो देवी श्राइन), श्रीनगर, पटनीटोप, अमृतसर, हरिद्वार, इलाहाबाद, चित्रकूट, भुवनेश्वर, पुरी, गोवा, माउंट आबू, कोडाइकनाल, मदुरई, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, शिरडी और दार्जिलिंग में होली डे होम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थानों पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और निकट भविष्य मे उपलब्ध कराए जाने वाले आवास का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

6. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अरुणाचल प्रदेश में निजी भागीदारी से स्थापित की जाने वाली कुछ जलविद्युत परियोजनाओं के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत योजनाएं

7. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत किन-किन योजनाओं की पहचान की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जेएनएनयूआरएम एक मांग आधारित कार्यक्रम है और प्राथमिकता के आधार पर नगर विकास योजना (सीडीपी) से प्राप्त परियोजनाओं पर जेएनएनयूआरएम के तहत वित्तपोषण के लिए विचार किया जाता है। दिसंबर, 2005 से 2011-12 तक अर्थात् 11वीं योजना के लिए भी इस स्कीम को शुरू किया गया है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम
शहरी अवस्थापना और शासन के लिए जारी धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी धनराशि (लाख रु. में)				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4472.50	4710.83	48916.54	490.93	58590.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2006.94		2006.94
3.	असम	0.00	0.00	791.26	6321.15	7112.41
4.	बिहार	0.00	0.00	461.93		461.93
5.	छत्तीसगढ़	0.00	4800.00	1272.80		6072.80
6.	गोवा	0.00	0.00			0.00
7.	गुजरात	1844.00	15576.20	24563.54	10541.48	52525.22
8.	हरियाणा	0.00	1297.88	1339.84	1297.88	3935.60
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	522.61			522.61
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	2359.35	6877.36		9236.71
11.	झारखंड	0.00	0.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	कर्नाटक	0.00	10167.19	18955.86		29123.05
13.	केरल	0.00	4405.00	6319.93	491.20	11216.13
14.	मध्य प्रदेश	474.29	11107.42	7914.35	1527.62	21023.68
15.	महाराष्ट्र	2219.79	41358.21	56827.52	16074.29	116479.81
16.	मणिपुर	0.00	0.00	580.66		580.66
17.	मेघालय	0.00	0.00			0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	378.41		378.41
19.	नागालैंड	0.00	0.00	179.00		179.00
20.	उड़ीसा	0.00	120.26	9978.37		10098.63
21.	पंजाब	0.00	2241.75	4145.29	4939.22	11326.26
22.	राजस्थान	0.00	4146.93	10654.03	10075.41	24876.37
23.	सिक्किम	0.00	0.00	538.20		538.20
24.	तमिलनाडु	0.00	12913.28	16093.02	1808.90	30815.20
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00			0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	1860.47	21365.55		23226.02
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	1523.85	492.00	2015.85
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	8708.45	5687.25	5534.57	19930.27
29.	दिल्ली	0.00	0.00			0.00
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00	4068.00		4068.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00			0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1544.92		1544.92
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00			0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00			0.00
35.	दमन और दीव	0.00	0.00			0.00
	कुल	9010.58	126295.83	252984.42	59594.65	447885.48

[अनुवाद]

फेरी लगाने वाले

8. श्री के.एस. राव: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों और अन्य बड़े शहरों में फेरी लगानों वालों की संख्या कितनी है;

(ख) असंगठित क्षेत्र में फेरी लगाने वालों के संबंध में अर्जुन सेन गुप्ता समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में एक विनियामक प्रणाली के माध्यम से फेरी लगाने की अनुमति देने हेतु एक माडल कानून बनाने का है ताकि उन्हें प्रवर्तन एजेंसियों के हाथों प्रताड़ित होने से बचाया जा सके और सक्षम प्राधिकरण में पंजीकृत कराकर दुकान स्थापित करने की अनुमति दी जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा 'असंगठित क्षेत्र में कार्य स्थितियों और जीविका संवर्द्धन पर रिपोर्ट, 2007' के अनुसार अलग-अलग शहरों में फेरीवालों की संख्या अलग-अलग है, जो मुम्बई तथा कोलकाता जैसे महानगरों में 1.5 से 2 लाख तथा भुवनेश्वर जैसे छोटे शहरों में 30,000 के बीच है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) इस विषय पर केन्द्रीय कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

असंगठित क्षेत्र में फेरीवालों के संबंध में डा. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में गठित असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) की सिफारिशें

* शहरी फेरीवालों को जीविका उपार्जन के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना
* केवल स्वामियों की सहमति से ही शहरी क्षेत्रों में फेरी लगाने पर प्रतिबंध लगाना
* त्रि-स्तरीय मानीटरिंग तंत्र: कस्बा स्तर पर कस्बा वेन्डिंग समिति (टीवीसी), सीईओ नगरपालिका स्तर, राज्य स्तर पर कार्मिक:
  - नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा सभी कस्बों के प्रत्येक वार्ड में टीवीसी का गठन
  - टीवीसी में फेरीवालों की अधिक भागीदारी हो; रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, मार्केट और ट्रेडर एसोसिएशनों की कोई भूमिका न हो।
  - टीवीसी 3 जोन पहचाने-फेरी लगाने (हाकिंग) के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, कुछ प्रतिबंधों के साथ, कोई वेन्डिंग नहीं।
  - हाकिंग जोन शहर विशिष्ट हो।
  - यदि आवेदकों के अतिक्रमित स्थान को टीवीसी द्वारा लिया जाना है तो उपलब्ध स्थान, पूर्ण अधिभोग, लाटरी के आधार पर स्थान का नियमन करना।
  - टीवीसी द्वारा यथा संस्तुत शुल्क की अदायगी पर आबंटन।
  - टीवीसी यह सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एकत्र करे कि केवल पूर्व निर्धारित दरें ही वसूली जाएं।
  - टीवीसी द्वारा फेरीवालों को पहचान पत्र जारी करना तथा पंजीकरण करना।
  - जब नई दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाने हों तो पंजीकृत फेरीवालों को नई दुकानों के लिए वरीयता दी जाए।
  - टीवीसी, सुविधाओं का प्रावधान व उनकी निगरानी करे।
  - टीवीसी द्वारा लघु ऋण एजेंसियों के साथ फेरीवालों को ऋण दिलवाने के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार करना।
  - फेरीवालों द्वारा स्वयं ही साफ-सफाई व्यवस्था बनाकर रखना।
  - टीवीसी द्वारा उपयुक्त सुधार तंत्र बनाकर रखना।
  - नगरपालिका प्राधिकरण फेरीवालों से निर्णय कार्यान्वित कराएं।

* आईपीसी की धारा 283 तथा पुलिस अधिनियम की धारा 34 में संशोधन करना ताकि फेरीवालों को तर्कसंगत प्रतिबंधों के साथ उनके क्षेत्राधिकार से छूट दिलाई जा सके।
* बेदखली के लिए तंत्र।
* निर्धारित तारीख व समय देते हुए बेदखली से पूर्व सूचना जारी करना।
* यदि निर्धारित तारीख के भीतर स्थान खाली नहीं होता तो जुर्माना लगाना।
* जुर्माने की अदायगी पर तथा निर्धारित समय के भीतर, जब्त समान प्राप्त किया जाए।
* फेरीवालों के मसले से निपटने के लिए राज्य सरकारों व नगरपालिकाओं को प्रोत्साहित करना।
* विभिन्न स्तरों के लिए कार्रवाई योजना तैयार करना।
* शहरी फेरीवालों की जीविकोपार्जन संबंधी जरूरतों के मामलों से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा और कार्य की स्थितियों के बारे में कानून लागू करना।

(स्रोत: एनसीईयूएस द्वारा 'असंगठित क्षेत्र में कार्य स्थितियों तथा जीविका संवर्द्धन पर रिपोर्ट, 2007', पृष्ठ-177)।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा पार्क

9. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए पवन ऊर्जा पार्कों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए;

(ग) क्या सरकार ने इन पवन ऊर्जा पार्कों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) पवन ऊर्जा पार्क, जिन्हें सामान्यतया पवन फार्म परियोजनाएं कहा जाता है; की संस्थापना निजी क्षेत्र के निवेश के साथ वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में की जाती है। पवन विद्युत के वाणिज्यिक विकास हेतु संभाव्यता वाले क्षेत्रों की खोज करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सीमित प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि नीचे दी गई हैं:

वर्ष	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
2005-06	450	1716
2006-07	1000	1742
2007-08	1500	1663

पवन विद्युत हेतु राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) पवन टरबाइनों द्वारा उत्पादित बिजली को राज्य विद्युत ग्रिडों में दिया जाता है और इसका मीटरीकरण संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किया जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2008 तक पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित संचयी विद्युत 45.82 बिलियन यूनिट है।

विवरण

(मेगावाट में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
आंध्र प्रदेश	0.5	0.8	0.0	1.3
गुजरात	84.6	284.0	616.4	984.9
कर्नाटक	143.8	266.0	190.3	600.1
केरल	0.0	0.0	8.5	8.5
मध्य प्रदेश	11.4	16.4	130.4	158.2
महाराष्ट्र	545.1	485.3	268.2	1298.6
राजस्थान	73.3	111.8	69.0	254.0
तमिलनाडु	857.6	577.9	380.7	1816.1
कुल	1716.2	1742.1	1663.3	5121.5

आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत महाराष्ट्र को जारी की गई धनराशि

10. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एकीकृत आवास और स्लम बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को कोई धनराशि जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितना कार्य किया गया?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	जारी धनराशि
2006-07	55.79 करोड़ रु.
2007-08	55.54 करोड़ रु.
2008-09 (30.9.2008 तक)	52.36 करोड़ रु.

(ग) महाराष्ट्र राज्य हेतु अनुमोदित 37631 आवासों की तुलना में 9060 आवासों की प्रगति/पूरे होने की सूचना दी गई है।

बालिका समृद्धि योजना

11. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने बालिका समृद्धि योजना को राज्यों को स्थानान्तरित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) बालिका समृद्धि योजना के राज्यों को हस्तांतरण का मामला राष्ट्रीय विकास परिषद के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

शहरी गरीबों के लिए कोष

12. श्री ई. दयाकर राव: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी गरीबों के लिए कोष स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन हेतु दिशानिर्देशों में आवर्ती कोष के सृजन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसे आगे राज्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कोष भी कहा जा सकता है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के स्तर पर राज्य के मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे शहरी गरीबों के लिए समर्पित बुनियादी सेवाएं उचित प्रकार से सृजित करने हेतु प्रत्येक शहर का कम से कम 25% बजट (उच्चतर स्तरों से प्राप्त बजट सहित) शहरी गरीबी कोष/बजट के लिए प्रदान करें। इस कोष का उद्देश्य गरीबों के लिए भूमि और आवास के प्रावधान सहित शहरी गरीबी उपशमन तथा स्लम उन्नयन के लिए संसाधनों का स्थायी प्रवाह सुनिश्चित करना होगा।

[हिन्दी]

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

13. श्री गिरिधारी यादव: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 से ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं राज्य द्वारा मनोनीत एजेंसियों (एसडीए) द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित की जा रही है। इसमें तकनीकी सहायता/परामर्श, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और वैब समर्थित प्लेटफार्म के विकास हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। वर्षवार विभिन्न राज्यों में एसडीए को जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान जारी की गई निधियों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य द्वारा मनोनीत एजेंसी का नाम	2007-08	2008-09
1.	ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (केरल)	89.60	106.46
2.	अपारंपरिक ऊर्जा विकास निगम, एपी लि. (आंध्र प्रदेश)	42.65	44.74
3.	पुडुचेरी अक्षय ऊर्जा (पुडुचेरी)	14.00	6.30
4.	मेघालय निरीक्षणालय (मेघालय)	18.73	0.00
5.	हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा)	49.00	56.70
6.	पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा)	33.60	63.00
7.	तमिलनाडु सरकार बिजली निरीक्षणालय (तमिलनाडु)	47.50	40.53
8.	कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लि. (कर्नाटक)	28.35	52.50
9.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. (राजस्थान)	26.43	47.88
10.	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल (मध्य प्रदेश)	32.20	68.95
11.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. (उत्तर प्रदेश)	30.26	61.25
12.	मुख्य बिजली निरीक्षक-सह-सलाहकार कार्यालय (असम)	26.40	33.25
13.	इलेक्ट्रिसिटी हाउस, विद्युत विभाग (नागालैंड)	18.06	36.83
14.	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा)	33.64	53.34
15.	महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (महाराष्ट्र)	48.50	22.05
16.	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (बिहार)	32.55	10.50
17.	गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (गुजरात)	32.52	46.00
18.	उत्तराखंड सरकार का बिजली निरीक्षक कार्यालय (उत्तराखंड)	32.76	61.95
19.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली वितरण कंपनी लि. (पश्चिम बंगाल)	46.50	50.75
20.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (हिमाचल प्रदेश)	18.20	9.45
21.	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (अरुणाचल प्रदेश)	14.05	48.19
22.	ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार (झारखंड)	4.10	0.00
23.	विद्युत एवं बिजली विभाग, मिजोरम सरकार (मिजोरम)	5.80	39.06
24.	बिजली विभाग, मणिपुर सरकार (मणिपुर)	4.20	0.00
25.	बिजली निरीक्षणालय कार्यालय, उड़ीसा सरकार	0.00	53.80
26.	बिजली निरीक्षणालय कार्यालय, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सरकार	0.00	67.02

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत गुजरात के लिए स्वीकृत राशि

14. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात में झुग्गियों के स्थान पर नए घरों के निर्माण हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत राज्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) क्या गुजरात राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आबंटित सभी धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो पूरी राशि का उपयोग नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को आरम्भ हुआ था। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के घटकों, शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत गुजरात में परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी
2006-07	497.29	51.54
2007-08	115.63	101.59
2008-09 15.10.2008 तक	0	0

(ख) और (ग) बीएसयूपी परियोजनाओं के संबंध में, अभी तक 53.52 करोड़ रु. की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) धनराशि के पूरे उपयोग में कमी का प्रमुख कारण यह है कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और एकीकृत आवास परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि लम्बी होती है।

(ङ) कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को उच्चतम स्तर पर बताया गया है।

अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदायों को शामिल किया जाना

15. श्री नकुल दास राई: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और सिक्किम से अनुसूचित जनजातियों की सूची में वर्ष के दौरान कुछ समुदायों को शामिल करने/हटाने और अन्य संशोधन करने के लिए 120 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

(ग) अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में कुछ समुदायों को शामिल करने/हटाने और अन्य संशोधन के दावों का निर्धारण करने के लिए 15.06.1999 को सरकार द्वारा अनुमोदित प्रविधियों पर संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है, जिसमें समय लगता है। अत:, इन प्रस्तावों पर निर्णय करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

दिविप्रा आवास योजना, 2008

16. श्री रामस्वरूप कोली: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास योजना, 2008 के अंतर्गत कितने आवेदन-पत्र बेचे गए तथा इनमें से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने प्राप्त किए गए हैं;

(ख) क्या दिविप्रा का विचार जन सूचनार्थ अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों की सारी जानकारी उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवासीय स्कीम 2008 के अंतर्गत बैंकों एवं डीडीए पटल के माध्यम से कुल 8,99,445 आवेदन फार्म बिके थे। इसके अलावा, 4,02,077 आवेदन फार्म डीडीए की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए थे। इनमें से 5,66,084 आवेदन फार्म विभिन्न बैंकों के माध्यम से डीडीए को प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) डीडीए ने सूचित किया है कि आवेदकों की आवेदन फार्म संख्या नवंबर, 2008 के अंत तक डीडीए की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।

एचडीएफसी के साथ लार्ड कृष्णा और सेंचुरीयन बैंक का विलय

17. डा. के.एस. मनोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लार्ड कृष्णा बैंक तथा सेंचुरीयन बैंक आफ पंजाब का एचडीएफसी बैंक के साथ विलय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरबीआई ने इस विलय की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस विलय का लार्ड कृष्णा और सेंचुरीयन बैंक की शाखाओं तथा इन बैंकों के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1944 की धारा 44क(4) के तहत दिनांक 29.8.2007 से लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड (एलकेबीएल) का सेन्चुरियन बैंक आफ पंजाब (सीबीओपी) लि. के साथ और दिनांक 23.5.2008 से सेंचुरीयन बैंक आफ पंजाब लि. का एचडीएफसी बैंक लि. के साथ समामेलन की योजनाएं मंजूर की थी। समामेलनों की तारीख से अंतरक बैंकों की शाखाएं अंतरिती बैंकों की शाखाएं हो गईं।

(ङ) एलकेबीएल के सीबीओपी के साथ समामेलन की योजना में एलकेबीएल के सभी कर्मचारियों की सेवा में किसी गतिरोध या व्यवधान के बिना प्रभावी तारीख को उन परिलब्धियों और लाभों तथा उन सेवा शर्तों पर सीबीओपी लि. के कर्मचारियों के रूप में सेवा में जारी रहने का प्रावधान था, जो कर्मचारियों के लिए प्रभावी तारीख से ठीक पहले की तारीख को एलकेबीएल में उनके नियोजन की शर्तों की तुलना में कम लाभप्रद न हों। इसके अलावा, इसमें यह प्रावधान भी था कि प्रभावी तारीख को और उस तारीख से एलकेबीएल के कर्मचारियों के लाभ के लिए सृजित या विद्यमान भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या कोई अन्य विशेष योजना(एं), निधि(यां) सीबीओपी लि. को अंतरित हो जाएंगी। उपर्युक्त प्रावधान सीबीओपी के एचडीएफसी बैंक लि. के साथ समामेलन की योजना में भी शामिल किए गए हैं।

डीएमआरसी के अंतर्गत सवारी डिब्बों की कमी

18. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम सवारी डिब्बों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सवारी डिब्बों की वर्तमान संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए सवारी डिब्बों को कब से प्रचालन में लाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) लि. ने सूचित किया है कि उनके पास मौजूदा यातायात मांग को पूरा करने के लिए लगभग 5 अतिरिक्त ट्रेन सेटों के कोचों की कमी है।

डीएमआरसी ने मौजूदा कोचों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले उपाय शुरू कर दिए हैं। कुल 99.065 किमी. लंबाई वाली परियोजना के फेज-2 और उसके विस्तार के तहत नए खण्डों की सभी जरूरतों को पूरा करने तथा कोचों की मौजूदा संख्या को बढ़ाने के लिए कुल 424 ब्रॉड गेज कोचों और 196 मानक गेज कोचों के आपूर्ति आदेश दे दिए गए हैं। डीएमआरसी की जुलाई 2009 से मार्च 2011 तक नए कोचों को शामिल करने की योजना है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय बैंक

19. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने का है ताकि वंचित समूहों को समर्पित वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बैंक कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाया जाना

20. श्री अनन्त नायक: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों से इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत धनराशि के आबंटन को बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आईएवाई में आमूलचूल परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उसमें कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) जी, हां। इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत आबंटन में बढ़ोत्तरी करने के लिए कुछ राज्यों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आईएवाई के अंतर्गत किये गये राज्य-वार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन्दिरा आवास योजना एक लोकप्रिय योजना है तथा इसका समग्र कार्यान्वयन संतोषजनक रहा है। तथापि, आवश्यकतानुसार आईएवाई दिशानिर्देशों में आवश्यक परिशोधन करके समय-समय पर इसे बेहतर बनाने के लिए आईएवाई का आमूलचूल परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत किए गए राज्य-वार केन्द्रीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	केन्द्रीय आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	50434.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	1954.81
3.	असम	43225.67
4.	बिहार	148870.28
5.	छत्तीसगढ़	7799.32
6.	गोवा	310.64
7.	गुजरात	24734.35
8.	हरियाणा	3472.72
9.	हिमाचल प्रदेश	1224.84
10.	जम्मू-कश्मीर	3804.44
11.	झारखण्ड	13278.58
12.	कर्नाटक	19431.14
13.	केरल	10805.52
14.	मध्य प्रदेश	15511.42
15.	महाराष्ट्र	30415.70
16.	मणिपुर	1696.87
17.	मेघालय	2955.34
18.	मिजोरम	629.81
19.	नागालैंड	1955.65
20.	उड़ीसा	29248.20
21.	पंजाब	3294.73
22.	राजस्थान	12429.38
23.	सिक्किम	374.02

1	2	3
24.	तमिलनाडु	20192.94
25.	त्रिपुरा	3807.83
26.	उत्तर प्रदेश	66866.42
27.	उत्तराखंड	3352.28
28.	पश्चिम बंगाल	40345.46
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	639.67
30.	दादरा और नगर हवेली	106.58
31.	दमन और दीव	47.68
32.	लक्षद्वीप	41.34
33.	पुडुचेरी	318.60
	कुल	564577.00

निर्यात ऋण

21. **श्री सी. कुप्पुसामी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक विशेषत: बैंक आफ इंडिया (नार्थ जोन) लघु भेषज इकाइयों को निर्यात ऋण नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने किसी छोटे पैमाने की फार्मा इकाई को निर्यात ऋण देने से मना नहीं किया है बल्कि यह पात्रता के आधार पर आवश्यकता आधारित ऋण सीमा संस्वीकृत करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंक सामान्यत: ग्राहक विशेष के निष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद कार्यशील पूंजीगत सीमा के भीतर छोटे पैमाने की इकाइयों को निर्यात ऋण संस्वीकृत करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दि.वि.प्रा. की आवास योजना

22. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दि.वि.प्रा. का विचार 1979 योजना की तर्ज पर जनता/एलआईजी/एमआईजी/एचआईजी हेतु आवास योजना लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचना दी है कि नई पद्धति पंजीकरण स्कीम-1979 सभी पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित होने तक चलाई गई थी। तथापि, ऐसी स्कीम को काफी लंबे समय तक जारी रखने में निहित कठिनाइयां आती हैं। अतएव, डीडीए द्वारा ड्रा में घोषित सफल पंजीकृत व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के उपलब्ध फ्लैटों के आबंटन हेतु समय-समय पर विभिन्न आवास स्कीमें आरंभ की जाती है।

दि.वि.प्रा. की कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं

23. **श्री उदय सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण दिल्ली में दि.वि.प्रा. द्वारा बसायी गई कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो रख-रखाव तथा अनुरक्षण हेतु किन-किन कालोनियों को एम.सी.डी. को सौंपा जाना शेष है; और

(ग) इन कालोनियों को कब तक एम.सी.डी. को सौंपे जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि साउथ दिल्ली में डीडीए द्वारा विकसित की गई ऐसी कोई कालोनी नहीं है जिसमें बुनियादी सुविधाओं की कमी हो।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को विद्युत आबंटन

24. **श्री महेश कनोडीया:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 2006 में गुजरात राज्य को केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से 210 मेगावाट अनाबंटित विद्युत कोटा कम कर दिया तथा 2007 में मात्र 55 मेगावाट पुन: बहाल किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने शेष 155 मेगावाट कोटा को पुन: बहाल करने हेतु अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेष कोटा कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत सीमित एवं निर्धारित है। क्षेत्र में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के भीतर आबंटन और आबंटन का संशोधन सामान्यतया आवश्यकता की आकस्मिक अथवा मौसम संबंधी प्रवृत्ति, विद्युत आपूर्ति की स्थिति, वर्तमान उत्पादन और विद्युत संसाधनों के उपयोग, निष्पादन एवं भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) और पूर्वी क्षेत्र (ईआर) में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएम) की अनाबंटित विद्युत से विद्युत का आबंटन फरवरी 2006 में संशोधित किया गया था और गुजरात और गोवा की बेहतर स्थिति के कारण उनके आबंटन को कम करके क्षेत्र में अधिक कमी वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 151 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई थी। बाद में, अतिरिक्त विद्युत आबंटन के लिए गुजरात के अनुरोध तथा पश्चिमी क्षेत्र के घटकों की सापेक्ष विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गुजरात को अनाबंटित विद्युत को जनवरी 2007 में 5% (लगभग 55 मेगावाट) तक बढ़ा दिया गया था।

गुजरात सरकार ने अनाबंटित विद्युत को अपने पूर्व स्तर पर वापस लाने के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार को आबंटन में कमी के कारणों से अवगत करा दिया गया था। सीजीएस की अनाबंटित विद्युत के आबंटन की समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। किसी विशेष राज्य के लिए कोई कोटा अलग से नहीं रखा गया है।

देना बैंक द्वारा ऋण वसूली

25. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अनंत गुढ़े:
श्री प्रकाश बी. जाधव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देना बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में ऋण वसूली के लिए नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी ऋण राशि वसूली की गयी है;

(ग) क्या ऐसे किसी नोटिस को देना बैंक द्वारा वापस ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बैंक द्वारा वापस लिए गए नोटिस अनुसूचित जाति के उद्यमियों से संबंधित हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जिम्मेदारी तय की है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) देना बैंक ने ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को कोई चेतावनी नोटिस जारी नहीं किया है। ऋणों की वसूली के लिए, बैंक ने चूक करने वाले उधारकर्ताओं को मांग/वापसी के नोटिस और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए हैं। सामान्यत: बैंकों द्वारा चेतावनी नोटिस बैंकरों को गोपनीय-पत्रों के रूप में जारी किए जाते हैं, जिनके द्वारा उन्हें चूक करने वाले उधारकर्ताओं को विविध वित्तपोषण से बचने, प्रतिभूति हित की सुरक्षा करने और बैंकों के पास प्रभारित प्रतिभूतियों में कमी को रोकने के लिए अधिक राशि वाले चूकग्रस्त खातों के बारे में सतर्क किया जाता है। इसके अलावा, बैंकरों के बीच सूचना का इस प्रकार का आदान-प्रदान मानक खातों में भी किया जाता है। चूंकि यह सामान्य बैंक की प्रथा के अनुसार बैंकरों के बीच सूचना का गोपनीय आदान-प्रदान है, इसलिए यह उधारकर्ताओं की सामाजिक साख को प्रभावित नहीं करता है।

(ग) और (घ) संघीय व्यवस्था के तहत बैंकों से लगभग 160 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाले पुणे स्थित एक अधिक राशि वाले चूकग्रस्त कार्पोरेट उधार खाते में, दोहरे वित्तपोषण से बचने, प्रतिभूतियों में कमी को रोकने और सभी उधारदाता बैंकों

के प्रतिभूति हित की रक्षा करने के लिए पुणे में बैंकरों को चेतावनी नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, चूक करने वाली कंपनी के एक निदेशक के विशिष्ट अनुरोध पर बैंक द्वारा बाद में चेतावनी नोटिस को वापस ले लिया गया था, जिन्होंने यह आवेदन किया था कि चेतावनी नोटिस जारी किए जाने से उन अन्य कंपनियों के परिचालनों पर प्रभाव पड़ा था, जिनमें वे निदेशक हैं और 450 से अधिक परिवार इन कंपनियों पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं।

(ङ) और (च) संबंधित अधिक राशि वाला कार्पोरेट उधारकर्ता, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं। कंपनी के एक निदेशक ने यह अभ्यावेदन दिया कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

(छ) से (झ) बैंकों द्वारा अपनी देय राशियों की वसूली के लिए चेतावनी नोटिस या अन्य नोटिस जारी करने का निर्णय अपनी वसूली संबंधी नीतियों के अनुसार लिया जाता है और उनके सामान्य वाणिज्यिक निर्णय द्वारा नियंत्रित होता है।

चीनी फर्मों द्वारा विद्युत संयंत्र

26. श्री निखिल कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी फर्मों को देश में विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की चीनी फर्मों को अनुमति देने से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से निवारक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या देश में अधिष्ठापित चीनी संयंत्रों की तकनीकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक समिति का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, ताप विद्युत उत्पादन, को गैर-लाइसेंसीकृत कर दिया गया है और निजी क्षेत्र सहित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में, जल विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना के लिए, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पूंजी शामिल करना अनुमानित है/विद्युत अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, सरकार की वर्तमान नीति के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमानित स्वचालित मार्ग पर दी गई है जिसमें, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब विदेशी निवेशकर्ता का उसी क्षेत्र में वर्तमान सहयोग/संयुक्त उद्यम विद्यमान हो, सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोई भी चीनी फर्म विद्युत परियोजना की स्थापना/विकास नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) और (च) कुछ चीनी कंपनियां विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपकरणों की आपूर्ति कर रही हैं तथा ईपीसी ठेके दे रहे हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक समिति की स्थापना की है जिसका विचारार्थ विषय अधिक राख तत्व वाले भारतीय कोयले के प्रयोग के संदर्भ में चीन से आयात किए जा रहे बायलर और आक्सिलरी की प्रारूप विशेषताओं से संबंधित है।

समिति ने भारत में हाल में शुरू की गई उन थर्मल परियोजनाओं (300 मेगावाट यूनिट आकार) का दौरा किया जिन्हें चीनी निर्माताओं द्वारा मुख्य संयंत्र उपलब्ध कराए गए थे और उनसे परिचालन फीडबैक प्राप्त किया। ये यूनिट अल्पावधि के लिए प्रचालन में है और स्थायीकरण चरण के अंतर्गत हैं। अंतर्निहित उदारवादी कमियां, यदि कोई हों, तो लंबी अवधि के प्रचालन अर्थात् 1-2 वर्ष के दौरान पहचानी जा सकेंगी। बायलरों की निर्धारित वैधानिक जांच से विभिन्न बायलर घटकों पर कोयले की खराब गुणवत्ता के प्रभाव का पता चल सकेगा और आवश्यकतानुसार उपचार के उपाय किए जाएंगे।

किराए की कोख का दुरूपयोग रोकने के लिए विनियम

27. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंग-व्यापार के रूप में किराए की कोख के दुरूपयोग को रोकने के लिए "नेशनल गाइडलाइन्स फार एक्रेडिटेशन, सुपरविजन एण्ड रेगुलेशन आफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी (एआरटी) इन इंडिया" में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारत में चलाए जा रहे सहायता-प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी निदानालयों का पर्यवेक्षण और विनियमन करने के लिए "भारत में सहायता-प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी निदानालयों को मान्यता देने तथा इनके पर्यवेक्षण एवं विनियमन संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश" तैयार किए गए हैं। देश में इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए सहायता-प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक एवं नियमावली, 2008 के प्रारूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर डाले गए हैं, ताकि इनके विषय में विभिन्न पक्षों के विचार जाने जा सकें। कोख किराए पर लेने की पद्धति के दुरूपयोग की रोकथाम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं। इस विषय में सहायता-प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक एवं नियमावली के प्रारूप में ऐसे अतिरिक्त उपबंध जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जो उपर्युक्त राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में शामिल नहीं थे।

ग्रामीण आवास योजनाओं हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण

28. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक ग्रामीण आवास योजनाओं हेतु गृह ऋण प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के लिए कितना ऋण प्रदान किया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना में नई आवास इकाई के निर्माण तथा विद्यमान इकाई के उन्नयन की व्यवस्था की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) नामत: आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी), सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) तथा सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण आवासों के लिए विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत ऋण भी दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गुजरात सहित राज्यों में आवास योजनाओं के लिए दिए गए गृह ऋण के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2007-08 में पीएसबी द्वारा कुल 2,26,207 इकाइयों (5472.15 करोड़ रुपये) एवं एचएफसी द्वारा 45,330 इकाइयों (3220.89 करोड़ रुपये) को वित्तपोषित किया गया था।

[हिन्दी]

ऊर्जा क्षेत्र में भारत-ईरान सहयोग

29. श्री गणेश सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ईरान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त समझौते की शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारतीय गणराज्य और ईरानी इस्लामिक गणराज्य के बीच 10 अप्रैल, 2001 को एक व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। सहयोग क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण एवं प्रौद्योगिकी विकास शामिल हैं। व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से भी एक समझौता 5 वर्ष तक वैध था और जब तक अनुबंधकर्त्ता पक्ष दूसरे पक्ष को विपरीतत: अधिसूचित न करे, यह समझौता आगे एक और वर्ष की अवधि तक निरंतर बढ़ता जाएगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार तथा पेट्रोलियम मंत्रालय, ईरानी इस्लामिक गणराज्य के बीच 27 जनवरी, 2003 को हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में पारस्परिक रुचि के क्षेत्रों में सहयोग के उद्देश्य से भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला कोष

30. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) से अनुसूचित जनजातियों की कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत ली जाने वाली ब्याज दर ऊंची है और यदि हां, तो सरकार द्वारा गरीब अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को इसमें शामिल करने के लिए ब्याज दर में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय महिला कोष के संवर्धन हेतु क्या उपाय किये गये हैं/किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की कुल 5380 महिलाएं राष्ट्रीय महिला कोष से प्राप्त ऋणों से लाभान्वित हुईं।

(ख) राष्ट्रीय महिला कोष 8% वार्षिक की ब्याज दर पर मध्यस्थ अभिकरणों (गैर-सरकारी संगठनों, इत्यादि), को ऋण संवितरित करता है तथा ये मध्यस्थ अभिकरण लाभार्थी महिलाओं से ऋण के घटते शेष पर 8 से 18% प्रतिवर्ष तक की दर से ब्याज ले सकते हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में, जहां ब्याज दर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है तथा लाभार्थियों से 22-25% प्रतिवर्ष तक की दर से ब्याज लिया जा रहा है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों से अधिकतम 18% प्रतिवर्ष की दर से ही ब्याज लिया जा सकता है।

(ग) झारखंड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला कोष ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी को 2.5 करोड़ रुपये का ऋण संस्वीकृत किया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष ने आंध्र प्रदेश के 14 मंडल समाख्याओं को 7 करोड़ रुपये का ऋण संस्वीकृत किया, जिसकी 80% से अधिक महिला लाभार्थी गरीब जनजातीय महिलाएं हैं।

जनजातीय क्षेत्रों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के और अधिक अवसर खोजने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से परामर्श कर रहा है।

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

31. श्री एल. राजगोपाल:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री सुनील खां:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी समेकित बाल विकास परियोजनाएं अब तक चालू की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत शुरू किए गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.सी.डी.एस. कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ केंद्रों हेतु किसी चिकित्सा विशेषज्ञ समूह को संबद्ध किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार आई.सी.डी.एस. कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) 31 मार्च, 2008 तक की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या 6284 है। प्रचालन के लिए लक्षित 6118 परियोजनाओं में से 6070 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं 31 मार्च, 2008 तक प्रचालित हो चुकी हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम छह वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक समेकित कार्यक्रम है और पिछले कई वर्षों के दौरान उठाए गए विभिन्न कदमों के आधार पर इस स्कीम का विकास

हुआ है। इस संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

(1) वर्ष 2005-06 में आई.सी.डी.एस. स्कीम का 466 अतिरिक्त परियोजनाओं तथा 1.88 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में और वर्ष 2006-07 में 166 अतिरिक्त परियोजनाओं तथा 1.07 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में विस्तार।

(2) भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण की लागत में 50% की हिस्सेदारी।

(3) 1 सितम्बर, 2005 से आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराए में वृद्धि।

(4) पूर्वोत्तर राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।

(5) जनवरी, 2003 में मानदेय को दोगुना करना (अप्रैल, 2002 से लागू)।

(6) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पुरस्कारों की शुरूआत।

(7) 1 अप्रैल, 2004 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना का प्रारंभ।

(ङ) और (च) जी, नहीं। मंत्रालय को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(छ) और (ज) वित्त मंत्री ने वर्ष 2008 के अपने बजट अभिभाषण में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाकर क्रमशः 1500/- रुपये प्रतिमाह तथा 1,000/- रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाएं दोनों ही आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक अवैतनिक कार्यकर्त्रियां हैं।

विवरण

क्र.सं.	माह की रिपोर्ट	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या		
			31.3.2008 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत	वर्ष 2007-08 के दौरान लक्ष्य	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार प्रचालित
1	2	3	4	5	6
1.	03/08	आंध्र प्रदेश	385	376	385
2.	03/08	अरुणाचल प्रदेश	85	79	85
3.	02/08	असम	223	219	223
4.	04/07	बिहार	545	538	394
5.	03/08	छत्तीसगढ़	163	158	158
6.	03/08	गोवा	11	11	11
7.	03/08	गुजरात	260	260	260
8.	03/08	हरियाणा	137	128	137
9.	03/08	हिमाचल प्रदेश	76	76	76
10.	05/07*	जम्मू-कश्मीर	140	140	129
11.	11/07	झारखण्ड	204	204	204
12.	03/08	कर्नाटक	185	185	185
13.	03/08	केरल	163	163	163
14.	02/08	मध्य प्रदेश	367	367	367

1	2	3	4	5	6
15.	03/08	महाराष्ट्र	451	416	416
16.	12/07	मणिपुर	38	34	38
17.	03/08	मेघालय	41	39	41
18.	03/08	मिजोरम	23	23	23
19.	03/08	नागालैंड	56	56	56
20.	03/08	उड़ीसा	326	326	326
21.	03/08	पंजाब	148	148	148
22.	02/08	राजस्थान	278	274	278
23.	03/08	सिक्किम	11	11	11
24.	02/08	तमिलनाडु	434	434	434
25.	03/08	त्रिपुरा	54	51	54
26.	03/08	उत्तर प्रदेश	897	835	890
27.	03/08	उत्तराखंड	99	99	99
28.	03/08	पश्चिम बंगाल	416	416	411
29.	03/08	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	5	5
30.	03/08	चंडीगढ़	3	3	3
31.	03/08	दिल्ली	50	34	50
32.	12/07	दादरा और नगर हवेली	2	2	2
33.	03/08	दमन और दीव	2	2	2
34.	10/07	लक्षद्वीप	1	1	1
35.	03/08	पुडुचेरी	5	5	5
		अखिल भारतीय	6284	6118	6070

[हिन्दी]

बाढ़ ताप विद्युत परियोजना

32. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री चन्द्र शेखर दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बाढ़ ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी कर दी जाएगी तथा इसका कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार परियोजना की निगरानी के लिए कोई समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) एनटीपीसी लि. की बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना के दो चरण हैं। पहले चरण में 660 मेगावाट प्रत्येक की तीन यूनिटें हैं, जिसके लिए निवेश अनुमोदन फरवरी, 2005 में प्रदान किया गया था। दूसरे चरण में 660 मेगावाट प्रत्येक की दो यूनिटें हैं, जिसके लिए निवेश अनुमोदन फरवरी, 2008 में प्रदान किया गया था।

चरण-1 (3×660 मेगावाट)- इस परियोजना के मुख्य विद्युत गृह भवन, परिचालित जल (सीडब्ल्यू) प्रणाली, कूलिंग टावर, कोल हैंडलिंग संयंत्र एवं अन्य बाहरी क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है। स्टीम जेनरेटर व सहायक पैकेज के मामले में बायलर स्ट्रक्चर की आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है और यूनिट-1 की 37,523 एमटी में से 19,729 एमटी सामग्री की आपूर्ति कर दी गई है। तथापि, मै. टेक्नोप्रोम एक्सपोर्ट, रूस, स्टीम जेनरेटर पैकेज का स्थापना कार्य करने के लिए मना कर रहा है। क्योंकि एअसी मूल्य वृद्धि सीमा को हटाने एवं कार्य संचालन अवधि में संशोधन की भी मांग कर रही है। एनटीपीसी ने विवाद के अधिनिर्णय के अधीन एजेंसी को बायलर स्थापना कार्य तुरंत आरंभ करने के लिए नोटिस जारी किया। एजेंसी ने अधिनिर्णय का विकल्प चुना और 10 अक्तूबर, 2008 को अधिनिर्णायक नियुक्त किया गया है।

चरण-2 (2×660 मेगावाट)- मुख्य संयंत्र स्टीम जेनरेटर पैकेज मार्च 2008 एवं मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों को जुलाई 2008 में आवार्ड किया गया है। पाइलिंग कार्य सितम्बर 2008 में शुरू हुआ है। स्टीम टरबाइन जेनरेटर पैकेज के लिए अवार्ड शीघ्र ही किये जाने का अनुमान है।

(ख) और (ग) **चरण-1 (3×660 मेगावाट)**-

चरण-1 की यूनिटों को नवंबर, 2010 तक चालू किए जाने का विचार था। अब एनटीपीसी मार्च, क्रमिक रूप से 2012 तक सभी यूनिटों को चालू करने के लिए सभी हर संभव प्रयास कर रहा है।

चरण-2 (2×660 मेगावाट)-

चरण-2 बाढ़ परियोजना के संबंध में परियोजना कार्यकलापों की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। कार्यक्रम के अनुसार पहली यूनिट वर्ष 2011-12 में और दूसरी यूनिट 2012-13 में चालू किए जाने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। एनटीपीसी लि. की परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय/अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मानीटर की जा रही हैं-

(1) मासिक रिपोर्ट/समीक्षा के माध्यम से मानीटरिंग।

(2) विद्युत मंत्रालय द्वारा तिमाही प्रगति समीक्षा (क्यूपीआर)।

पारेषण लाइनों का ठप्प हो जाना

33. श्री अधीर चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अक्सर ग्रिड तथा पारेषण लाइनें ठप्प हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में 2008-09 के दौरान कोई ग्रिड फेल नहीं हुआ। तथापि, 7 एवं 9 मार्च, 2008 को उत्तरी क्षेत्र में आंशिक रूप से ग्रिड में गड़बड़ी हुई जब क्षेत्र में असामान्य मौसम की स्थिति एवं प्रदूषण की वजह से एक झटके में उच्च वोल्टेज विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें बड़ी संख्या में ट्रिप हो गई थी। अत्यधिक प्रदूषण, असामान्य धुंध, उच्च आर्द्रता के होने के साथ-साथ शीतकालीन बारिश भी न होने के फलस्वरूप ट्रांसमीशन लाइनें ट्रिप हो गई थीं।

(ग) और (घ) ग्रिड को इन घटनाओं की जांच करने एवं उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत खाली मकानों का पुनरुद्धार

34. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत खाली मकानों के पुनरुद्धार हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितने मकान खाली पड़े हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान कितने मकानों का पुनरुद्धार किया गया है;

(ग) क्या पुनरुद्धार कार्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर नहीं किए जाने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कारपोरेट घरानों द्वारा लिया गया ऋण

35. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारपोरेट घरानों द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण को नियमित रूप से वापस नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चूककर्ताओं से ऋण की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बैंक/वित्तीय संस्थान अपने अतिदेय ऋणों की वसूली अपनी ऋण वसूली नीतियों के अनुसार करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने, अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने और वसूली का अच्छा वातावरण बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान और उनके वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करना, ऋणों को अनुपयोज्य आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए मार्गनिर्देश, कंपनी ऋण पुनर्गठन तंत्र स्थापित करना, एकबारगी निपटान योजनाएं, (1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, (2) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, और (3) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरटी) अधिनियम, 1993 का अधिनियमन आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक एक करोड़ और उससे ज्यादा के वाद दाखिल नहीं किए हुए 'संदेहास्पद' और 'हानि' उधार खातों की सूची को अर्द्ध वार्षिक (अर्थात् 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार) आधार पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय उपयोग के लिए जारी करता है। 25 लाख रुपए और उससे ज्यादा के जानबूझकर की गई चूक के बिना वाद दाखिल मामलों की सूची भी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय उपयोग के लिए जारी करता है। इसके अलावा ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लि. (सिविल), 1 करोड़ और उससे ज्यादा के वाद दाखिल खातों और 25 लाख रुपए और उससे ज्यादा के बिना वाद दाखिल खातों (जानबूझकर चूक करने वालों) के आंकड़े रखता है। इस सूचना को सिबिल की वेबसाइट www.cibil.com पर प्राप्त किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के कारण उनकी सकल अनुपयोज्य आस्तियां वर्ष 2006 में से घटकर वर्ष 2007 में और वर्ष 2008 में 2.34% हो गई है।

पद्मम एलआईसी आवास योजना

36. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के त्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय कार्यालय ने 2006 में "पद्मम एलआईसी आवास योजना" शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को हाल में बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2006 के अंत में, तिरुवनंतपुरम में पद्मम आवास योजना शुरू की थी। इसने 52 फ्लैटों के लिए दिनांक 30.11.2006 को इस योजना का विज्ञापन दिया था और इसके लिए 764 आवेदन प्राप्त

हुए थे। निर्माण लागत में वृद्धि होने के कारण इस योजना को निरस्त कर दिया गया था। एलआईसी ने योजना के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार तब तक सभी 52 आवंटियों को ब्याज सहित राशि वापस कर दी है।

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

37. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टेट बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने शाखा खोलने के लिए लाइसेंस नियम में संशोधन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित, विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) शाखा प्राधिकार नीति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई/संशोधित की जाती है और वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई लाइसेंसिंग नियमावली में संशोधन करने के लिये प्राधिकृत नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या		
	1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006	1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007	1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	13	14	101
असम	10	3	15
बिहार	7	6	25
चंडीगढ़	4	1	8
छत्तीसगढ़	6	6	23
दिल्ली	8	2	15
गोवा	2	–	12
गुजरात	19	16	88
हरियाणा	10	6	11
हिमाचल प्रदेश	2	3	11
जम्मू-कश्मीर	3	3	8
झारखण्ड	9	5	12
कर्नाटक	18	7	54

1	2	3	4
केरल	4	21	41
लक्षद्वीप	1	-	-
मध्य प्रदेश	12	10	58
महाराष्ट्र	20	10	85
मणिपुर	-	1	-
मेघालय	3	1	1
मिजोरम	-	2	-
नागालैंड	-	-	2
उड़ीसा	14	18	38
पुदुचेरी	-	3	2
पंजाब	13	8	27
राजस्थान	8	10	10
सिक्किम	-	-	1
तमिलनाडु	8	20	56
त्रिपुरा	1	2	2
उत्तर प्रदेश	25	22	164
उत्तराखंड	3	1	37
पश्चिम बंगाल	3	3	25
कुल	226	204	932

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों संबंधी मास्टर ऑफिस फाइल (नवीनतम उन्नत संस्करण)।
टिप्पणी: 1 '-' का अर्थ है 'शून्य'।

रेपो तथा सीआरआर दर

38. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो तथा कैश रिजर्व रेशियो दरों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और बैंकों की ब्याज दर की वृद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) रेपो दर 11 जून, 2008 को 7.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत, 24 जून, 2008 से 8.5 प्रतिशत तथा और बढ़ाकर 29 जुलाई, 2008 से 9.0 प्रतिशत की गई थी।

आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) को 26 अप्रैल, 2008 से 7.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत, 10 मई 2008 से 8.00 प्रतिशत, 24 मई, 2008 से 8.25 प्रतिशत, 5 जुलाई, 2008 से 8.50 प्रतिशत, 19 जुलाई, 2008 से 8.75 प्रतिशत और 30 अगस्त, 2008 से 9.00 प्रतिशत किया गया था।

तथापि, सीआरआर को घटाकर 11 अक्तूबर, 2008 से 6.50 प्रतिशत किया गया जिसकी घोषणा तीन चरणों में की गई थी—6 अक्तूबर, 2008 को 0.5 प्रतिशत घटाकर उसे 8.5 प्रतिशत किया गया, 10 अक्तूबर, 2008 को 1.0 प्रतिशत कम करके 7.5 प्रतिशत किया गया तथा आगे 15 अक्तूबर, 2008 को 1.0 प्रतिशत घटाकर 6.5 प्रतिशत किया गया। 15 अक्तूबर, 2008 को की गई घोषणा पूर्व प्रभाव से क्रियान्वित की गई है।

बैंक दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो इस समय 6 प्रतिशत है। बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज-दर में नकदी की स्थितियों और ऋण की मांग संबंधी स्थिति का ध्यान रखा जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति विवरण के माध्यम से मौद्रिक और ब्याज दर का ऐसा माहौल सुनिश्चित करते हुए मूल्य वृद्धि का सामना करने का संकल्प व्यक्त किया है जो अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश की मांग के लिए सहायक हो जिससे विकास की रफ्तार बनी रहे। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत साधनों के उपयुक्त प्रयोग के माध्यम से नकदी के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखेगा।

थोक मूल्य सूककांक (1993-94=100) द्वारा मापित बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की दर 2007-08 के दौरान 7.75 प्रतिशत तथा 27 सितम्बर, 2008 को 11.80 प्रतिशत थी।

2007-08 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (1999-2000 की कीमतों पर उपादान लागत पर) 9.0 प्रतिशत थी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, अप्रैल-जून 2008-09 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (1999-2000 की कीमतों पर उपादान लागत पर) 7.9 प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

निवेशकों द्वारा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें

39. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) को गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों के खिलाफ निवेशकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के खिलाफ सेबी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) प्रतिभूति बाजारों के विनियमनकर्ता के रूप में सेबी निवेशकों से प्रतिवेदन, सुझाव प्राप्त करता है और इसका निवेशक की शिकायत के समाधान के लिए एक व्यापक तंत्र है। निवेशक सहायता और शिक्षा कार्यालय (ओआईएई) संबंधित सूचीबद्ध कंपनियों और पंजीकृत माध्यस्थों के साथ परामर्श करके निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना सुकर बनाता है।

इसके संबंध में ब्यौरा अधोलिखित सारणी में दिए गए हैं:

वर्ष	प्राप्त	निपटारा किया गया
2005-06	30,488	27,240
2006-07	22,033	18,811
2007-08	41,908	38,216

सस्ते सौर लैम्प और लालटेन

40. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सस्ते दर पर सौर लैम्प/लालटेन उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त लैम्पों पर कोई राजसहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अविद्युतीकृत गांवों तथा बस्तियों में सौर लालटेनों के वितरण संबंधी एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सौर लालटेनों में रोशनी के स्रोत के रूप में इस समय काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) का प्रयोग किया जाता है। एक सौर लालटेन की औसत लागत लगभग 3,500 रु. है और मंत्रालय द्वारा प्रति सौर लालटेन 2400 रु. की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार की कक्षा 9-12 में पढ़ने वाली बालिका को उसके स्कूल अध्ययन की संपूर्ण अवधि के दौरान एक सौर लालटेन मुफ्त दी जाती है।

मंत्रालय द्वारा सीएफएल को प्रतिस्थापित करने के लिए श्वेत लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी) आधारित सौर लालटेनों के विकास में भी सहायता की जा रही है जिनसे सौर लालटेनों की लागत में और कमी होने की संभावना है। उत्पाद-विकास और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु श्वेत एलईडी आधारित सौर लालटेनों की प्रारूप कार्य-निष्पादन विशिष्टियां तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. परियोजनाओं की निगरानी

41. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:**
श्री अजीत जोगी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी हेतु पंचायती राज योजनाओं (पी.आर.आई.) को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गयी उपर्युक्त योजनाओं की निगरानी में सरकार की कोई भूमिका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत के संविधान में 73वें संशोधन के फलस्वरूप, ग्रामीण जल आपूर्ति को पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किए जाने हेतु संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी एवं प्रबंधन करने की शक्ति राज्यों के पास है। सरकार ने राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है जो पंचायती राज संस्थाओं के जरिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन और अनुरक्षण की रूपरेखा निर्धारित करेगी। प्रस्तावित ज्ञापन में पंचायती राज संस्थाओं को चरणबद्ध ढंग से शामिल करने के लिए नीतियां बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता शामिल है। इस रूपरेखा में जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच, अभिलेख रखने, जल आपूर्ति प्रणालियों के परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित मामलों, प्रयोक्ता शुल्कों का संग्रहण आदि के लिए पंचायती राज संस्था के कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ जिनमें एआरडब्ल्यूएसपी शामिल है, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की हैं।

विद्युत विभाग के कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण संस्थान

42. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी में विद्युत विभाग के कर्मचारियों हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संस्थान द्वारा किस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए गए और कितनी निधियां आबंटित की गयीं;

(घ) इस संस्थान के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संस्थान में कुछ शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद सृजित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी नहीं। हालांकि, गुवाहाटी में, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एन.पी.टी.आई.) का एक प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान को विद्युत क्षेत्र में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्ष 2003 के दौरान मंजूरी प्रदान की गई थी। चूंकि, संस्थान के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए संस्थान ने असम राज्य विद्युत बोर्ड के परिसर से प्रचालन करना शुरू कर दिया है।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्मिकों के ब्यौरे निम्नवत हैं-

2003-04	189
2004-05	100
2005-06	448
2006-07	470
2007-08	547
2008-09	472 (30.09.2008 तक)

एन.पी.टी.आई., गुवाहाटी निम्नलिखित क्षेत्रों में अभियंताओं, प्रचालकों, सुपरवाइजरों आदि के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करती है-

(1) पारेषण एवं वितरण

(2) जल विद्युत

(3) थर्मल विद्युत

(4) ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण

(5) ए.पी.डी.आर.पी.

पिछले तीन वर्षों और दो वर्तमान वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित निधियों के ब्यौरे निम्नवत् हैं-

(लाख रुपए में)

2005-06	65.24
2006-07	456.00
2007-08	418.00
2008-09	225.00

(घ) गुवाहाटी में संस्थान की स्वीकृत संख्या 09 (पांच नए सृजित पद तथा 4 अन्य स्थानों से स्थानांतरित पद) है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

समेकित जनजातीय विकास एजेंसियां

43. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों (आई.टी.डी.ए.एस.) के पास जनजातीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वयं के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं अपितु वे प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग का कोई मामला प्रकाश में आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) उड़ीसा में, परियोजना प्रशासक, कुछ विशेष अधिकारी और इंजीनियरी स्टाफ एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) में प्रतिनियुक्ति पर है। अनुसचिवीय स्टाफ स्थायी रूप से रहता है। आंध्र प्रदेश में केवल कृषि, बागवानी अधिकारी आदि से संबंधित कतिपय क्षेत्रीय पद पर ही प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं जबकि अन्य पद नियमित आधार पर भरे जाते हैं।

(ख) आईटीडीए में निधियों के दुरूपयोग का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम और इटूरनागराम की आईटीडीए में निधियों के दुरुपयोग के दो दृष्टांत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ग) श्रीसैलम आईटीडीए के मामले से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। यह मामला जांचाधीन है। इटूरनागराम आईटीडीए के मामले में, विस्तृत जांच-पड़ताल करने के बाद यह तथ्य सामने आया कि (891) ईएसएस यूनिटों को स्थापित करने में कुल 1,06,71,200/- रुपए की राशि का दुर्विनियोजन किया गया और इटूरनागराम, आईटीडीए में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अन्य अधिकारियों में से 3 अधिकारी इस दुर्विनियोजन के लिए जिम्मेदार पाए गए। उन्हें तत्काल उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया और उनके विरुद्ध आपराधिक तथा अनुशासनात्मक मामले शुरू कर दिए गए हैं। ये मामले प्रक्रियाधीन हैं।

केन्द्र और राज्यों के बीच कर भागीदारी

44. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य वर्धित कर (वैट) पैनल ने केन्द्रीय करों में राज्यों का अंश बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। मूल्य वर्धित कर (वैट) पैनल ने भारत से केन्द्रीय करों में राज्यों का अंश बढ़ाने की मांग नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों हेतु छात्रावास

45. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों हेतु छात्रावास की केन्द्र प्रायोजित योजना में कोई संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मद में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जी, हां।

(ख) योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 (1.4.2008 से) संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अभिज्ञात) अनुसूचित जनजातीय लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100% केन्द्रीय अंश पाने का पात्र है। अन्य लड़कों के छात्रावास हेतु राज्य सरकारों की निधियन पद्धति 50:50 पर आधारित है। संघ राज्य क्षेत्रों में मामले में केन्द्र सरकार लड़के तथा लड़कियों के छात्रावास की निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजातीय लडके तथा लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) के लिए भी निधियन उसी मानदंड के अनुसार होगा जैसे अन्य छात्रावासों के लिए है। संसद सदस्य भी इस उद्देश्य के लिए अपनी एमपीएलडी योजना से राज्यों को प्रतिस्थानिक रूप से निधियां उपलब्ध करवा सकते हैं। छात्रावास का रख-रखाव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। छात्रावास, प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के हो सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2007-2008) के दौरान इस योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत 37.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वर्तमान वर्ष के लिए 66.00 करोड़ रुपए के बजट आबंटन में से 22.21 करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों को अब तक जारी कर दिए गए हैं।

किसानों को ऋण

46. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गयी है;

(ख) कुल कृषि ऋण में से लघु और सीमांत किसानों को दिए गए ऋण का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या बड़े किसानों के लाभ के लिए बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बैंकों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण की कुल राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

एजेंसी	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09**
वाणिज्यिक बैंक (सीबी)	1,25,477 (40.86%)	1,66,485 (44.68%)	1,75,072 (43.00%)	53,297 (43.70%)
सहकारी बैंक (सीबी)	39,786 (56.42%)	42,480 (42.46%)	43,684 (51.75%)	17,215 (37.15%)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	15,223 (52.04%)	20,435 (57.29%)	24,814 (60.53%)	9,197 (50.79%)
कुल	1,80,486	2,29,400	2,43,570	79,709

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े छोटे एवं सीमांत किसानों को दिए गए ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं।

*मार्च, 2008 तक अनन्तिम आंकड़े।

**आगस्त 2008 तक के अनन्तिम आंकड़े।

सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों को दिए गए कृषि ऋण के प्रतिशत में विगत तीन वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है, जबकि सहकारी बैंक के हिस्से में, संभाव्यता कमजोर सहकारी संरचना के कारण थोड़ी सी गिरावट है।

(ङ) भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए ऋण की अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* भारत सरकार बुनियादी स्तर पर किसानों को 7% वार्षिक की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण प्रदान कर रही है।

* भारत सरकार अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए 13,596 करोड़ रुपये की राशि के एक पुनरुज्जीवन पैकेज का कार्यान्वयन कर रही है।

* बैंकों ने कृषि ऋणों हेतु प्रलेखीकरण प्रक्रिया को सरल किया है।

* 50,000/- रुपये तक के ऋणों को सम्पार्श्विक तथा मार्जिन राशि मुक्त बना दिया गया है और ''अदेयता प्रमाणपत्र'' की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

* बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सलाह दी गई है।

* बैंकों को, परिवारों को जनरल क्रेडिट कार्ड प्रदान करके वित्तीय पहुंच प्राप्त करने, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के साथ अतिरिक्त सुविधा रहित खाता खोलने, नागरिक सामाजिक संगठनों जैसे किसान क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), डाकघरों की सेवाओं का कारबार सुविधा प्रदाता/कारबार सम्पर्की माडल, आदि के रूप में उपयोग करके वित्तीय पहुंच बढ़ाने के निदेश दे दिए गए हैं।

किसानों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

47. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को भूमिहीन अथवा पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को कृषि ऋण में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच एकड़ से कम भूमि वाले छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों को समय पर तथा वहनीय ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बैंकों को समय-समय पर निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं:-

(1) 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को छोटे एवं सीमांत किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और समग्र प्राथमिकता क्षेत्रों के हिस्से के रूप में कमजोर वर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का एक्सपोजर (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाए।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के अपने परिपत्र द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/एससीबी) [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहित] को भूमिहीन, श्रमिकों, बंटाईदारों तथा मौखिक पट्टेदारों को ऋण के मामले में फसलों को उगाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज्य संस्थानों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने की सलाह दी गई है।

(3) इसके अतिरिक्त इन बैंकों को 50,000/- रुपए तक के ऋण के लिए भूमिहीन श्रमिकों, बंटाईदारों एवं मौखिक पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय की स्थिति (जोती गई भूमि/फसल उगाने का ब्यौरा) संबंधी शपथ-पत्र स्वीकार करने की सलाह दी गई है। बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के लिए संयुक्त देयता समूह/स्व-सहायता समूह ऋण के प्रकार को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तथापि, बैंकों को वित्त प्रदान करने से पूर्व केवाईसी मानदंड, मूल्यांकन एवं सामान्य पूर्व-स्वीकृति जांच के अनुसार पहचान की अपनी कार्यपद्धति को अपनाने की भी सलाह दी गई थी।

(4) विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत एससीबी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अपने संवितरण का 40% छोटे एवं सीमांत किसानों को किया जाए।

(ग) और (घ) इस विभाग के ध्यान में कोई विशेष शिकायत नहीं लाई गई है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

48. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और उड़ीसा हेतु ऋण माफ किया जाना

49. श्री प्रसन्न आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन किसानों के मामलों पर विचार कर रही है जिनकी फसलें बिहार और उड़ीसा में हाल ही में आयी बाढ़ के कारण बर्बाद हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार ने बिहार को अब तक 1,000 करोड़ रुपए और 1.25 लाख मीट्रिक टन अनाज जारी किया है और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की राहत सहायता देने की घोषणा की है। इन राज्यों के किसानों के लिए कोई पृथक ऋण माफी योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं के समय बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मूल परिपत्र के जरिए बैंकों को स्थायी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो हाल ही में बाढ़ से प्रभावित राज्य जैसे बिहार और उड़ीसा पर भी लागू हैं। इस क्रम में अब तक के अंतिम परिपत्र में निम्नलिखित राहत उपाय निर्धारित किए गए हैं:-

* फसल ऋण और कृषि मीयादी ऋण में बकाया मूलधन और इस पर लगे ब्याज को मीयादी ऋण में परिवर्तन।
* ऋण और उस पर लगे ब्याज का फसल नष्ट होने की बारंबारता/फसल को हुई हानि की तीव्रता के आधार पर 3 से 10 वर्षों की अवधि के लिए परिवर्तन/ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण।
* प्रभावित किसानों को नये फसल ऋण।
* परिवर्तित/ऋणावधि पुनर्निर्धारित कृषि ऋण को ''चालू देय'' के रूप में मानना।
* परिवर्तित/ऋणावधि पुनर्निर्धारित ऋणों से संबंधित ब्याजों को पृथक करना।
* शिथिल जमानत राशि और मार्जिन सन्नियन में शिथिलता।
* उन कृषकों को, जिनकी फसल को क्षति हुई है, उपभोग ऋण का प्रावधान; और
* पुनर्निर्धारण करते समय न्यूनतम एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि।

ऋण का पुनर्भुगतान

50. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 के बजट में घोषित किए गए कृषि ऋण माफी पैकेज के कारण कर्जदारों द्वारा समय पर ऋणों के पुनर्भुगतान पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ख) क्या कृषि ऋण माफी योजना के कारण कृषि उपकरण ऋण पर चूक संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों द्वारा किसानों को नए ऋण मुहैया कराने के संदर्भ में उनके उचित वाणिज्यिक हितों का ख्याल रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना 2008 लागू करने से किसानों द्वारा ऋणों की समय पर चुकौती किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं विशेषत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं (सीसीआई) की वित्तीय स्थिति सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने एडीडब्ल्यूडीआर योजना प्रारम्भ की थी। इसके अतिरिक्त, सरकार का इरादा किसानों के लिए ऋण दिए जाने की व्यवस्था पुन: शुरू करना था। बड़ी संख्या में ऐसे किसान जिनकी अन्यथा संस्थागत स्रोतों तक पहुंच नहीं थी, अब ऐसे ऋण ले सकेंगे।

(ग) सरकार ने सामान्यत: ऋणदात्री संस्थाओं और विशेषत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं की नकदी संबंधी स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

* सरकार अक्तूबर 2008 तक ऋणदात्री संस्थाओं को 25,000 करोड़ रुपए, जुलाई 2009 में 15,000 करोड़ रुपए, जुलाई 2010 में 12,000 करोड़ रुपए तथा शेष राशि यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति जुलाई 2011 में करेगी।

* सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं को रियायती पुनर्वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से नाबार्ड में अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीआरसी) निधि की स्थापना की है।

* नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं को खरीफ 2008 के दौरान संवितरित वास्तविक फसल ऋण के 75% तक पुनर्वित्त देने का निर्णय लिया है, जबकि पिछले वर्षों में यह राशि 35% तक दी जाती थी।

* नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए अपना पुनर्वित्त बजट वर्ष 2007-08 में 18,432 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 21,500 करोड़ रुपए कर दिया है।

* नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों द्वारा शोध्य देय राशि को 6 महीनों के लिए आस्थगित कर दिया है।

* सरकार रबी 2008-09 के दौरान नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली नकदी सहायता पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज सहायता दे रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ब्याज सहायता 3.5% वार्षिक तथा सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 4.5% वार्षिक है।

उत्पाद शुल्क अपवंचन

51. मो. मुकीम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बड़ी दवा कम्पनियां उत्पाद शुल्क वसूल रही हैं परंतु इस तर्क को आधार बनाकर कि वे कर छूट वाले राज्यों में कार्य कर रही हैं उत्पाद शुल्क जमा नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का उत्पाद शुल्क अपवंचन किया गया है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) ऐसे किसी भी मामले का पता नहीं चला है जिसमें बड़ी-बड़ी फार्मा कम्पनियां उत्पाद शुल्क लगा रही हैं और उसे इस आधार पर जमा नहीं कर रही हैं कि वे कर से छूट प्राप्त राज्यों में कारोबार कर रही हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह लागू नहीं होता।

लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

52. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें नहीं सौंपी हैं;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों में हेरफेर किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न कम्पनियों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करने हेतु एक विशेष कार्य बल नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) उन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्होंने देय लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें विगत वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हेरफेर करने वाली कोई कम्पनी नहीं पाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1.	ए.पी.एम. इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	आस्था इंटरमिडिएट्स लिमिटेड
3.	अभिषेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

1	2
4.	अक्त टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	एडिसन्स पेन्ट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
6.	आदिनाथ टेक्सटाईल्स लिमिटेड
7.	आदिसंकरा स्पीन्निंग मिल्स लिमिटेड
8.	आदित्या मिल्स लिमिटेड
9.	एडीपी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	एडवांस डिटर्जेन्ट्स लिमिटेड
11.	एकता लिमिटेड
12.	ऐरो फार्मा लिमिटेड
13.	अगरपरा जूट मिल्स लिमिटेड
14.	अग्गरसेन स्पीनर्स लिमिटेड
15.	एग्रीमोर लिमिटेड
16.	अहमदाबाद न्यू कोटन मिल्स लिमिटेड
17.	अक्षया टेक्सटाईल्स लिमिटेड
18.	अलागीरी एसपीजी एण्ड डब्ल्यूवीजी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	अलकेम लेब्स लिमिटेड
20.	आलपिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
21.	अल्युमेको इंडिया इक्सटूशन लिमिटेड
22.	अमल लिमिटेड
23.	अमित प्रोसेसर्स (प्रा.) लिमिटेड
24.	अमृत बनासपती कं. लिमिटेड
25.	अमरुतांजन लिमिटेड
26.	अमरुतांजन लिमिटेड
27.	आंध्र आर्गनिक्स लिमिटेड
28.	आंध्र प्रदेश फाइबर्स लिमिटेड
29.	आंध्र प्रदेश स्टील लिमिटेड
30.	अंजनी सिन्थेटिक्स लिमिटेड

1	2
31.	एपीजे इंडस्ट्रीज लिमिटेड
32.	एपीआई असोशिएट लिमिटेड
33.	अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड
34.	एआरबी बियरिंगस लिमिटेड
35.	आरकोट टेक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड
36.	अरफत पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
37.	अरिहंत इंडस्ट्रीज लिमिटेड
38.	अरिहंत स्टील एण्ड ऐलॉइस लिमिटेड
39.	एरिलिन टेक्सटाईल्स लिमिटेड
40.	अर्जन खिमजी गिन्निंग एण्ड प्रोशेसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
41.	आरमोढ़ केमिकल्स लिमिटेड
42.	अर्जूना मिल्स लिमिटेड
43.	आशिमा लिमिटेड
44.	अशोका ऐलाई स्टील लिमिटेड
45.	एशिया फेब लिमिटेड
46.	एशियन फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
47.	एसरोमी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
48.	असम कोटन मिल्स लिमिटेड
49.	असम फ्रन्टियर टी लिमिटेड
50.	एटलांटिक स्पीन्निंग एण्ड डब्ल्यूवीजी मिल्स लिमिटेड
51.	आकलेंड इंटरनेशनल लिमिटेड
52.	आस्टिन इंजीनियरिंग लिमिटेड
53.	अरुयाप्पन टेक्सटाईल्स लिमिटेड
54.	बगालकोट उद्योग लिमिटेड
55.	बाल फार्मा लिमिटेड
56.	बालाजी हरबल एण्ड स्पाइसिस एक्सट्रक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2
57.	बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
58.	बन्नारी अम्मन स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
59.	बंसवाड़ा टेक्सटाईल मिल्स लिमिटेड
60.	बरक वेली टी कम्पनी
61.	बड़ौदा रायों .कारपोरेशन लिमिटेड
62.	बेक इंडिया लिमिटेड
63.	बेलरी स्टील्स एण्ड एलोईएस लिमिटेड
64.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
65.	बरजर आटो एण्ड इंडस्ट्रियल कोटिंग्स लिमिटेड
66.	बेस्ट एण्ड क्रोम्पटन इंजीनियरिंग लिमिटेड
67.	भागवंती रब्बर एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
68.	भारत बेटरी मैन्युफैक्चर कं. प्राइवेट लिमिटेड
69.	भारत फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
70.	भारत इमुनोलोकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड
71.	भवानी मिल्स लिमिटेड
72.	भिवानी डेनिम एण्ड अपैरल्स लिमिटेड
73.	भोरूका टेक्सटाईल्स लिमिटेड
74.	भूषण लिमिटेड
75.	बिजली प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
76.	बिन्नी लिमिटेड
77.	बिरला कोटन एपीजी एण्ड डब्ल्यूवीजी मिल्स लिमिटेड
78.	बिरला वीएक्सएल लिमिटेड
79.	बोजराज टेक्सटाईल मिल्स लिमिटेड
80.	बोम्बे बुरमाह ट्रेडिंग कार्पो. लिमिटेड
81.	बोम्बे कण्डक्टर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स
82.	बोम्बे ड्रग्स एण्ड फार्मास. लिमिटेड
83.	बोम्बे सिल्क मिल्स लिमिटेड
84.	बृन्दावन एलोईस लिमिटेड
85.	ब्रोच टेक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड
86.	सी.टी. कोटन यार्न लिमिटेड
87.	केशे फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
88.	कैलामा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
89.	कोलकाटा केमिकल कम्पनी लिमिटेड
90.	कोलकाटा इलेक्ट्रिकल्स लेम्पस वर्क लिमिटेड
91.	केनरा स्प्रिंग्स लिमिटेड
92.	केनरा स्टील लिमिटेड
93.	कार्डवेल स्पीनिंग मिल्स प्रा. लिमिटेड
94.	केवंपोर शुगर वर्क लिमिटेड
95.	सीसीएल प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
96.	सिएट टायर्स आफ इंडिया लिमिटेड
97.	सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
98.	सेन्ट्रोन इंडस्ट्रियल एलाईस लिमिटेड
99.	सेन्चुरी आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड
100.	सेन्चुरी ट्युब्स लिमिटेड
101.	चड्ढा शुगर्स (प्रा.) लिमिटेड
102.	चकोलस एसपीजी एण्ड डब्ल्यू मिल्स लिमिटेड
103.	चट्टा शुगर कम्पनी लिमिटेड
104.	छाबड़ा स्पीनर्स लिमिटेड
105.	चोक्सी ट्युब्स कम्पनी लिमिटेड
106.	चोला टेक्सटाईल्स लिमिटेड
107.	क्रोमेटिक इंडिया लिमिटेड
108.	सिफातुल लिमिटेड
109.	सर्कर जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड

1	2
110.	क्लेरिज लाईफ साईंसिस
111.	कलर केम लिमिटेड
112.	कोरमंडल सीमेन्ट्स लिमिटेड
113.	कोसमोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
114.	डी.बी.वी. कोटन मिल्स लिमिटेड
115.	देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड
116.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
117.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
118.	दामोदर थ्रेड्स लिमिटेड
119.	दावनगीर शुगर कम्पनी लिमिटेड
120.	डीसीएम लिमिटेड
121.	डीसीएम श्रीराम कोंसोलिडेट्स लिमिटेड
122.	डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
123.	दीवान टायर्स लिमिटेड
124.	डेल्टा लिमिटेड
125.	डेल्टा पेपर मिल्स लिमिटेड
126.	डिटेजेंट्स इंडिया लिमिटेड
127.	देव श्री सीमेन्ट लिमिटेड
128.	देवरसंस इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
129.	धामपुर शुगर (काशीपुर) लिमिटेड
130.	धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
131.	धानामल सिल्क मिल्स प्रा. लिमिटेड
132.	डायमंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
133.	डायमंड केबल्स लिमिटेड
134.	डायमंड टेक्सटाईल्स मिल्स प्रा. लिमिटेड
135.	दिल लिमिटेड
136.	दीवान रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
137.	दोदबल्लपुर स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
138.	दोयवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड
139.	डोमिनो लेथर्स लिमिटेड
140.	डोनीयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
141.	डनलप इंडिया लिमिटेड
142.	डीडब्ल्यूडी फार्मासियुटिकल्स
143.	डायना हाइटेक पावरसिस्टम लिमिटेड
144.	डायनामिक्स डायरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
145.	ईस्ट इंडिया कोमर्सियल कं. लिमिटेड
146.	ईस्ट इंडिया कोटन मेन्यु. कं. लिमिटेड
147.	ईस्ट इंडिया सिंटेक्स लिमिटेड
148.	ईस्टर्न नेफ्था केमिकल्स लिमिटेड
149.	ईस्टर्न शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
150.	इगरो पेपर माऊडल्स लिमिटेड
151.	आयशर मोटर्स लिमिटेड
152.	एलन फार्मा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
153.	इलेक्ट्रीक लेम्प मैन्युफैक्चर्स (इंडिया) लिमिटेड
154.	इलेक्ट्रोस्ट्रील कास्टिंगस लिमिटेड
155.	एलोरा स्टील्स लिमिटेड
156.	एमामी लिमिटेड
157.	एमामी पेपर मिल्स लिमिटेड
158.	एम्पायर प्लास्टिशंस (आई) लिमिटेड
159.	एमटेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
160.	एस्कोर्टस लिमिटेड
161.	एसके क्नीत इंडिया लिमिटेड
162.	एयुरेशियन एथकेम लिमिटेड
163.	एयुरोस्पीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

1	2
164.	एवरेस्ट साईकल्स लिमिटेड
165.	एवरेस्ट आर्गेनिक्स लिमिटेड
166.	एवरेस्ट पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड
167.	फेना (प्रा.) लिमिटेड
168.	फाइन फ्रगरेंसिस प्राईवेट लिमिटेड
169.	फोर्टस (इंडिया) लेबोरेटरिज प्रा. लिमिटेड
170.	फियुरिस्टिक आफशोर सर्विसिस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
171.	जी ई मोटर्स इंडिया लिमिटेड
172.	जी.के. स्टील एण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज
173.	जी.एस.एल. (इंडिया) लिमिटेड
174.	गनेशन बेंजोप्लास्ट लिमिटेड
175.	गनेश फ्लौर लिमिटेड
176.	गर्ग फरनेस लिमिटेड
177.	गौरव पेपर मिल्स लिमिटेड
178.	जीई लाईटिंग (आई) लिमिटेड
179.	गीतांजली मिल्स लिमिटेड
180.	गोबल्ड टेक्सटाईल्स लिमिटेड
181.	गोल्डन प्रोटीन्स लिमिटेड
182.	गोरा मल हरी राम लिमिटेड
183.	गोविन्द रब्बर लिमिटेड
184.	गोविंदवाल स्टील लिमिटेड
185.	गुजरात एल्युमिनियम एक्सट्रशन्स प्रा. लिमिटेड
186.	गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड
187.	गुजरात कार्बन एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
188.	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कम्पनी लिमिटेड
189.	जीवीजी पेपर मिल्स लिमिटेड
190.	ग्वालियर शुगर कं. लिमिटेड

1	2
191.	गायत्री स्टारच्केम लिमिटेड
192.	हफ्फकीन बायो-फार्मासियुटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड
193.	हफ्फकीन एन्था फार्मा लिमिटेड
194.	हमसावेनी स्पीनर्स लिमिटेड
195.	हनील एरा टेक्सटाईल्स लिमिटेड
196.	हंजर फाइबर्स लिमिटेड
197.	हार्डकास्टेल एण्ड वौड मैन्युफेक्चरिंग कं. लिमिटेड
198.	हरियाणा कोनकास्ट लिमिटेड
199.	हरियाणा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
200.	हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
201.	हरियाणा टेलीकाम लिमिटेड
202.	हरियाणा ट्रेक्टर्स लिमिटेड
203.	हरियाणा ट्यूब मैन्युफेक्चर कं. लिमिटेड
204.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
205.	हेग लिमिटेड
206.	हेन्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
207.	हेमादरी सीमेन्ट्स लिमिटेड
208.	हेमकेल इंडिया लिमिटेड
209.	हेमकेल स्पाइस इंडिया लिमिटेड
210.	हिन्द लेम्पस लिमिटेड
211.	हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड
212.	हिन्डन रिवर मिल्स लिमिटेड
213.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड
214.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
215.	हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड
216.	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड
217.	हिन्दुस्तान आर्गेनीक केमिकल्स लिमिटेड
218.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

1	2
219.	हिन्दुस्तान स्टील लि.
220.	हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
221.	हूगली मिल्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
222.	हायटोन टेक्सटाईल्स लिमिटेड
223.	आई.सी. टेक्सटाईल्स लिमिटेड
224.	आई.वी.पी. लिमिटेड
225.	इदी लिमिटेड
226.	इंडकेमी हेल्थ स्पेशियलिटिस प्रा. लिमिटेड
227.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
228.	इंडियन केमिकल्स लिमिटेड
229.	इंडिल. फार्मा प्रा. लिमिटेड
230.	इंडो रामा टेक्सटाईल्स लिमिटेड
231.	इंडो जापान स्टील्स लिमिटेड
232.	इन्द्र आर्गेनिक लिमिटेड
233.	इन्दु स्पीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
234.	इंडस्ट्रियल आर्गेनिक्स लिमिटेड
235.	इंडस्ट्रीयल प्रोग्रेस
236.	इनोक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
237.	आईपीएफ विक्रम इंडिया लिमिटेड
238.	आईपीआई स्टील लिमिटेड
239.	इसाग्रो (एशिया) एग्रो केमिकल्स प्रा. लिमिटेड
240.	इस्पात प्रोफाइल्स इंडिया लिमिटेड
241.	जे डी आर्गोकेम लिमिटेड
242.	जे.बी. केमिकल्स एण्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
243.	जे.के. फार्माकेम लिमिटेड
244.	जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड
245.	जे.के. कोटन सं. एण्ड व. लिमिटेड
246.	जे.के. हेलन एण्ड कर्टीस लिमिटेड
247.	जे.के.टी. फेबरिक्स लिमिटेड
248.	जे.एल. मोरीसन (इंडिया) लिमिटेड
249.	जे.आर. आर्गेनिक्स लिमिटेड
250.	जे.आर. आर्गेनिक्स लिमिटेड
251.	जगदले इंडस्ट्रीज लिमिटेड
252.	जयकिशनदास मल जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड
253.	जयपुर पोलिस्पीन लिमिटेड
254.	जानकीराम मिल्स लिमिटेड
255.	जनता स्पीनिंग मिल्स प्रा. लिमिटेड
256.	जय सिन्थ डायकेम लिमिटेड
257.	जयलकमी आयल केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
258.	जयसिन्थ एन्थ्राकीनो लिमिटेड
259.	जयसिन्थ डायस्टफ (इंडिया) लिमिटेड
260.	जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
261.	जेनसंस एण्ड निकोल्सन (इंडिया) लिमिटेड
262.	जीन्दल सॉ लिमिटेड
263.	जीन्दल वेजीटेबल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड
264.	जोतिन्द्र स्टील एण्ड ट्युब्स लिमिटेड
265.	जुग्गीलाल कमलापत जूट कं. लिमिटेड
266.	ज्योति ओवरसीज लिमिटेड
267.	के.आर. फूड्स लिमिटेड
268.	कजरिया यार्न एण्ड ट्वीनस लिमिटेड
269.	कलमेश्वर टेक्ट. मिल्स लिमिटेड
270.	कल्यानी स. मिल्स लिमिटेड
271.	कल्याणपुर सीमेन्ट्स लिमिटेड
272.	कामदगीरी सिन्थेटिक्स लिमिटेड
273.	कान्हा वनस्पती लिमिटेड
274.	कंकानाराह कं. लिमिटेड

1	2
275.	कनोइ पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
276.	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को)
277.	कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि.
278.	कसत पेपर एण्ड पल्प लिमिटेड
279.	कस्तुरी मिल्स लिमिटेड
280.	केगांव पेपर मिल्स लिमिटेड
281.	केडिया ओवरसीज लिमिटेड
282.	केडिया वनस्पति लिमिटेड
283.	केइ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
284.	केरला आटोमोबाईल्स लिमिटेड
285.	केरला स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड
286.	केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
287.	केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड
288.	केसवानी सिन्थेटिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
289.	खादर स्पीनर्स (प्रा.) लिमिटेड
290.	खेतान इंडिया लिमिटेड
291.	खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड
292.	कीछा शुगर कं. लिमिटेड
293.	किरलोसकर बेटरिज प्राईवेट लिमिटेड
294.	केकेपी टेक्सटाईल्स लिमिटेड
295.	क्लार सेहेन प्रा. लिमिटेड
296.	कोहीनूर इंडिया प्रा. लिमिटेड
297.	कोनार्क जूट लिमिटेड
298.	कोंगरार स्पीनर्स (प्रा.) लिमिटेड
299.	कोंगरार टेक्सटाईल्स लिमिटेड
300.	कोरेस इंडिया लिमिटेड
301.	कोसन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड

1	2
302.	कोठारी ग्लोबल लिमिटेड
303.	कोठारी प्लांटेशंस एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
304.	कोविलपत्ती लक्ष्मी रोलर मिल्स लिमिटेड
305.	कृष्णा लाइफस्टाईल टेक्नोलोजिस लिमिटेड
306.	केआरएम इंटरनेशनल लिमिटेड
307.	केएसएल एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
308.	कुमार कापटेक्स लिमिटेड
309.	कुमार टायर्स मन्यु. कं. लिमिटेड
310.	कुमारागीरी टेक्सटाईल्स लिमिटेड
311.	कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड
312.	एल. कान्त पेपर मिल्स लिमिटेड
313.	एल.पी. गैस एक्विपमेंट प्रा. लिमिटेड
314.	एल.एस.पी. एग्रो लिमिटेड
315.	लखानी इंडिया लिमिटेड
316.	लक्ष्मी अपैरेल्स एण्ड चूमेंस लिमिटेड
317.	लक्ष्मी शांमुगा स. मिल्स लिमिटेड
318.	लक्ष्मी शुगर मिल्स कं. लिमिटेड
319.	लक्ष्मी बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड
320.	लिवर इंडिया एक्सपोर्ट लिमिटेड
321.	लाइफलाइन बायोटेक
322.	एलएमएल लिमिटेड
323.	लुधियाना स्टील लिमिटेड
324.	एमएच मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
325.	एम.पी. स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड
326.	मदनपाल स. मिल्स लिमिटेड
327.	मधुबन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
328.	मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

1	2
329.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
330.	महादेव फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
331.	महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवेल. कार्पो. लिमिटेड
332.	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लिमिटेड
333.	महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कं. लिमिटेड
334.	महावीर स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
335.	महेन्द्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
336.	महिन्द्रा युजीन स्टील कं. लिमिटेड
337.	मैकाल फाइबर्स लिमिटेड
338.	मध्या नेशनल पेपर्स मिल्स लिमिटेड
339.	मेनकाइंड फार्मा प्रा. लिमिटेड
340.	मनसुख इंडस्ट्रीज लिमिटेड
341.	मनसुरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
342.	मापरा लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
343.	मेरीस स्पीनर्स प्रा. लिमिटेड
344.	मरकंदा वनस्पति मिल्स लिमिटेड
345.	मारमागोआ स्टील लिमिटेड
346.	मे एण्ड बेकर (आई) लिमिटेड
347.	मेघदूत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
348.	मेनन एण्ड मेनन लिमिटेड
349.	मेट्रोनी ड्रग्स प्रा. लिमिटेड
350.	मेवाड़ टेक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड
351.	माइक्रोविथ फैशन प्रा. लिमिटेड
352.	माडर्न मिल्स लिमिटेड
353.	माडर्न सीन्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड
354.	मोदी रबर लिमिटेड
355.	मोडीपोन लिमिटेड
356.	मोदीस्टोन लिमिटेड

1	2
357.	मोहन जूट मिल्स लिमिटेड
358.	मोहन स्टील्स लिमिटेड
359.	मोंतरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
360.	मोर्डी टेक्सटाईल्स एण्ड प्रोशेसर्स लिमिटेड
361.	मोरपेन लेबोरेट्रीज लिमिटेड
362.	मुकुन्द लिमिटेड
363.	मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड
364.	मुल डेंटप्रो प्रा. लिमिटेड
365.	मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट लिमिटेड
366.	मैसूर शुगर कं. लिमिटेड
367.	एन आर पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड
368.	नागाम्ल मिल्स लिमिटेड
369.	नाहर एक्सपोर्ट लिमिटेड
370.	नैनी पेपर्स लिमिटेड
371.	नारायण कृष्णा स्पीनर्स प्रा. लिमिटेड
372.	नर्बदा स्टील्स लिमिटेड
373.	नाथ पल्प एंड पेपर्स मिल्स लिमिटेड
374.	नथानी पेपर्स मिल्स लिमिटेड
375.	नेशनल एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड
376.	नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड
377.	नेशनल फर्टीलाईजर्स लिमिटेड
378.	नेशनल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
379.	नेशनल जुट मैनुफैक्चर्स कम्पनी लिमिटेड
380.	नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड
381.	नेशनल सेविंग थ्रेड्स कं. लिमिटेड
382.	नेशनल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
383.	नव भारत पेपर मिल्स लिमिटेड
384.	नव कर्नाटक स्टील लिमिटेड

1	2
385.	नव ज्योति इंवेस्टमेंट एंड डीलर्स लिमिटेड
386.	नवाबगंज शुगर मिल्स कं. लिमिटेड
387.	एनसीएस शुगर्स लिमिटेड
388.	नीलम जूट प्रा. लिमिटेड
389.	नीलिकन फूड डाईस एंड केमिकल लिमिटेड
390.	नियोन लेबोरेट्रीज लिमिटेड
391.	नेपा लिमिटेड
392.	एनईपीसी टेक्सटाईल्स लिमिटेड
393.	न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कं. लिमिटेड
394.	न्यू होरिजन शुगर मिल्स प्रा. लिमिटेड
395.	न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड
396.	न्यू फालटन शुगर वर्क्स लिमिटेड
397.	न्यू राजपुर मिल्स कं. लिमिटेड
398.	न्यू टी कं. लिमिटेड
399.	निरंजन सिंह करता सिंह फोरगिंग्स प्रा. लिमिटेड
400.	निरलोन लिमिटेड
401.	निवास स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
402.	निजाम डेक्कन शुगर्स लिमिटेड
403.	निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड
404.	नुडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
405.	ओचा लैब्स प्रा. लिमिटेड
406.	ओनडेयो नालको इंडिया लिमिटेड
407.	ओपटेल कम्युनिकेशन लिमिटेड
408.	ओरबिट एक्सपोर्ट लिमिटेड
409.	ओरबिट पोलिस्टर लिमिटेड
410.	ओरिएंट स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
411.	ओसवाल स्पी. एंड वैव. मिल्स कं. लिमिटेड
412.	ओसवाल शुगर लिमिटेड
413.	ओसवाल वनस्पति एंड जैनरल इंडस्ट्री लिमिटेड
414.	ओवरसीज हेल्थ केयर प्रा. लिमिटेड
415.	ओक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
416.	ओजोन फर्मासेटुकल्स लिमिटेड
417.	पेसिफिक कोटस्पीन लिमिटेड
418.	पदम कौटन यार्न्स लिमिटेड
419.	पाइवा साईकिल प्रा. लिमिटेड
420.	पनासिया बायो टेक लिमिटेड
421.	पंचशील पेपर मिल्स लिमिटेड
422.	पंजोन लिमिटेड
423.	पंटालून इंडस्ट्रीज लिमिटेड
424.	पारागोन टेक्सटाईल मिल्स प्रा. लिमिटेड
425.	पारामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड
426.	पारसरामपुरिया (ई.) लिमिटेड
427.	पारसरामपुरिया सेन्थेटिक लिमिटेड
428.	परेंटेरल ड्रग्स (इंडिया) लिमिटेड
429.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
430.	पटेल इंजीनियरिंग कं. (एस) लिमिटेड
431.	पीसीआई पेपर्स लिमिटेड
432.	पोद्दार प्रोजेक्ट लिमिटेड
433.	पोलिमर पेपर्स लिमिटेड
434.	पावर ट्रांसमीशन कार्पो. आफ उत्तरांचल लिमिटेड
435.	प्रभात सोलवेंट एक्सट्राइक्सन इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड
436.	प्रभुदास किशोरदास टोबैको प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड
437.	प्रगति पेपर मिल्स लिमिटेड
438.	प्रकाश जूट इंडस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड
439.	प्रणवादत्या स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
440.	प्रशांत इंडिया लिमिटेड

1	2
441.	प्रेसाईज लेबोरेट्रीज लिमिटेड
442.	प्राईम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
443.	प्रूडेन्शियल शुगर कारपोरेशन लिमिटेड
444.	पीटीसी इंडिया लिमिटेड
445.	पीटीएल इंटरप्राईजेस लिमिटेड
446.	पुल्लीक्कर मिल्स लिमिटेड
447.	पल्प प्रोडक्ट लिमिटेड
448.	पंजाब आयरन एंड स्टील कं. लिमिटेड
449.	पंजाब स्पी. एंड विव. मिल्स लिमिटेड
450.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
451.	पुष्पसन्स इंडस्ट्री लिमिटेड
452.	पीवीपी लिमिटेड
453.	आरबीएस रबर मिल्स प्रा. लिमिटेड
454.	आर के टेक्सोन (इंडिया) लिमिटेड
455.	आर एस आर मोहोत स्पी. एंड विव. मिल्स लिमिटेड
456.	राशी फर्टीलाइजर लिमिटेड
457.	राधिका स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
458.	रघुवर इंडिया लिमिटेड
459.	रैनबो इंक एंड वारनिस मैनु. कं. प्रा. लिमिटेड
460.	रायपुर अल्लोयस एंड स्टील लिमिटेड
461.	राजलक्ष्मी टेक्सटाईल प्रोसेसर्स लिमिटेड
462.	राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
463.	राजस्थान पेटरो सेनथेटिक्स लिमिटेड
464.	राजस्थान पोलिस्टर लिमिटेड
465.	राजस्थान स्पीनिंग विविन्ग मिल्स लिमिटेड
466.	राजदीप इंडस्ट्रीयल प्रा. लिमिटेड
467.	राजगढ़िया पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड
468.	राजगोपाल टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमिटेड
469.	राजिन्दर ट्यूब्स लिमिटेड
470.	राजकुमार मिल्स लिमिटेड
471.	रालसन इंडस्ट्री लिमिटेड
472.	राम गोपाल बिरला टेक्सटाईल लिमिटेड
473.	रामा फाइबर्स लिमिटेड
474.	रामा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
475.	रामा क्वाटेक्स लिमिटेड
476.	रामपुर फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
477.	राना महेन्द्रा पेपर लिमिटेड
478.	राना पेपर्स लिमिटेड
479.	रंजन केमिकल्स लिमिटेड
480.	रासी एक्सपोर्ट लिमिटेड
481.	राठी इस्पात लिमिटेड
482.	रीजेंसी एक्याइलेक्ट्रो एंड मोटेल रीसोर्ट्स लिमिटेड
483.	रिलायंस इनर्जी लिमिटेड
484.	रिलायंस इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड
485.	रेस केमोल प्रा. लिमिटेड
486.	रेषमा फैब्रिक्स लिमिटेड
487.	रोहन डाईज एंड इंटरमेडिएट्स लिमिटेड
488.	रोशन लाल पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड
489.	आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड
490.	आरएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
491.	रूबी रबर वर्क्स लिमिटेड
492.	रूइया कोटेक्स लिमिटेड
493.	एस कुमार इंटरप्राईजेज (सिनफैब) प्रा. लिमिटेड
494.	एस के कोटेक्स लिमिटेड
495.	एस एल एस टेक्सटाईल्स लिमिटेड
496.	एस एल वी स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड

1	2
497.	एस आर आयल एंड फैट्स लिमिटेड
498.	सम्राट स्पिन्नर लिमिटेड
499.	संगनेरिया वूलेन मिल्स लिमिटेड
500.	सांची पोलिएस्टर्स लिमिटेड
501.	संजय पेपर एंड केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड
502.	शारदा फर्टीलाईजर्स लिमिटेड
503.	शराफ टेक्सटाईल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
504.	सरस्वती इंडस्ट्री सिंडीकेट लिमिटेड
505.	सरस्वती स्टील एंड एलाय लिमिटेड
506.	सराया शुगर मिल्स प्रा. लिमिटेड
507.	सारदा पेपर्स लिमिटेड
508.	सरिता सिंथेटिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
509.	सरोज मिल्स लिमिटेड
510.	सस्वाड माली शुगर फैक्टरी लिमिटेड
511.	स्केनेक्टडी हेरदिल्लिआ लिमिटेड
512.	शेखसरिया केमिकल्स लिमिटेड
513.	शेखसरिया केमिकल्स लिमिटेड
514.	शेखसरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लिमिटेड
515.	शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड
516.	सामली पेपर मिल्स लिमिटेड
517.	शीतल फाइबर्स लिमिटेड
518.	शिवा सीमेंट लिमिटेड
519.	शिवना स्पिनर्स लिमिटेड
520.	श्री एसिड एंड केमिकल्स लिमिटेड
521.	श्री अजित पल्प एंड पेपर लिमिटेड
522.	श्री रही राज पेपर मिल्स लिमिटेड
523.	श्री राजेश्वरनंद पेपर मिल्स लिमिटेड
524.	श्री राम मिल्स लिमिटेड
525.	श्री सीताराम मिल्स लिमिटेड
526.	श्री स्वामी हरिगिरी पेपर मिल्स लिमिटेड
527.	श्री सिन्थेटिक लिमिटेड
528.	श्री वानि शुगर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड
529.	श्री अमरीता मिल्स लिमिटेड
530.	श्री ईशर अलाय स्टील लिमिटेड
531.	श्री रानी लक्ष्मी गिन्निंग विव. मिल्स लिमिटेड
532.	श्रीनिवास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
533.	श्रीवत्स इंटरनेशनल लिमिटेड
534.	श्रुथी सिंथेटिक्स लिमिटेड
535.	शुक्ला मंसेता इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड
536.	सिद्धार्थ कलरकेम लिमिटेड
537.	सिद्धेश्वरी पेपर उद्योग लिमिटेड
538.	सिडमक लेबोरेट्री (आई) प्रा. लिमिटेड
539.	सिफा कोटेड स्टील्स
540.	सिमप्लेक्स कास्टिंग्स प्रा. लिमिटेड
541.	सिरुगुप्पा शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड
542.	सीतालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड
543.	सिवराज स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
544.	स्मरुथी आर्गेनिक लिमिटेड
545.	एसएमएस फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड
546.	एसएनएस टेक्सटाईल लिमिटेड
547.	सोमानी आयरन एंड स्टील लिमिटेड
548.	सोमेश्वर सीमेंट केमिकल्स लिमिटेड
549.	सोनु सिंथेटिक लिमिटेड
550.	सूरज औटोमोबाइल्स लिमिटेड
551.	सोरभ सीमेंट लिमिटेड
552.	साऊदर्न टेक्सटाईल्स लिमिटेड

1	2
553.	सोवदेश्वरी अम्मान स्वपनर्स लिमिटेड
554.	एसपीबीएल लिमिटेड
555.	स्पेसियलिटी पेपर्स लिमिटेड
556.	स्पेक्ट्रम पावर जेनेरेशन लिमिटेड
557.	स्पेनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
558.	श्री सिवकामी मिल्स लिमिटेड
559.	श्री अकिलनदेश्वरी मिल्स प्रा. लिमिटेड
560.	श्री गनेसर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
561.	श्री कुमारवेल टेक्सटाईल लिमिटेड
562.	श्री मीनाक्षी सुंदरराम टेक्सटाईल लिमिटेड
563.	श्री राजा राजेश्वरी पेपर मिल्स लिमिटेड
564.	श्री सरस्वती मिल्स लिमिटेड
565.	श्री सिद्दीश्वर टेक्सटाईल मिल्स प्रा. लिमिटेड
566.	श्री उमा परमेश्वरी मिल्स लिमिटेड
567.	श्री वल्लिअप्पा टेक्सटाइल लिमिटेड
568.	श्री अशोक टेक्सटाईल्स लिमिटेड
569.	श्री अम्बल मिल्स लिमिटेड
570.	श्री अनजनेया कोटन मिल्स लिमिटेड
571.	श्री अन्नपुर्णा कोटन मिल्स एंड इंड. लिमिटेड
572.	श्री चक्र सीमेंट लिमिटेड
573.	श्री दुर्गा सीमेंट कम्पनी लिमिटेड
574.	श्री गनपति मिल्स कं. लिमिटेड
575.	श्री जयजोती एंड कं. लिमिटेड
576.	श्री जयलक्ष्मी स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
577.	श्री मालिनि स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
578.	श्री मुरली स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
579.	श्री नतेसर स्पि. एंड वेव. मिल्स लिमिटेड
580.	श्री शक्ति टेक्सटाइल लिमिटेड

1	2
581.	श्री सरवेश कोटन मिल्स लिमिटेड
582.	श्री सनगुमावेल मिल्स लिमिटेड
583.	श्री वरलक्ष्मी जूट टविन मिल्स प्रा. लिमिटेड
584.	श्री वेलायुधास्वामी स्पिनिंग प्रा. लिमिटेड
585.	श्री वेंकटेश मिल्स लिमिटेड
586.	स्टेडमेड प्राईवेट लिमिटेड
587.	स्टैण्डर्ड मिल्स कं. लिमिटेड
588.	स्टैण्डर्ड सर्फैक्टेन्ट्स लिमिटेड
589.	स्टेडमैन फार्मासिटुकल्स प्रा. लिमिटेड
590.	स्टील स्ट्रीप्स लिमिटेड
591.	स्टेल्ला सिल्कस लिमिटेड
592.	सुधान स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
593.	सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड
594.	सुगौलि शुगर वर्क्स लिमिटेड
595.	सुखना पेपर मिल्स लिमिटेड
596.	सुलोचना कोटन स्पि. मिल्स लिमिटेड
597.	सुनिता टेक्सटाइल प्रा. लिमिटेड
598.	सनवेज इंडिया लिमिटेड
599.	सुपर फाइबर्स लिमिटेड
600.	सुपर सिनकोटेक्स (इंडिया) लिमिटेड
601.	सुपिरियर इंडस्ट्रीयल एंटरप्राईजेज लिमिटेड
602.	सुपिरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
603.	सुपरिम पेपर मिल्स लिमिटेड
604.	सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
605.	सुरिन्दर इंजिनियरिंग कम्पनी प्रा. लिमिटेड
606.	सूर्या ट्विन्स (प्रा.) लिमिटेड
607.	सूर्या एग्रो आयल लिमिटेड
608.	स्वरूप वेजटेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

1	2
609.	स्वास्तिक शूटिंग लिमिटेड
610.	सेलवानिया एंड लक्ष्मण लिमिटेड
611.	टाई चोनबैंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
612.	तमराई मिल्स लिमिटेड
613.	तमिलनाडु टी प्लानटेशन कारपोरेशन लिमिटेड
614.	टाटा एसएसएल लिमिटेड
615.	टैसिल केमिकल्स एंड हाइड्रो पावर लिमिटेड
616.	तीस्ता वैली टी कं. लिमिटेड
617.	टेलीफोन केबल्स लिमिटेड
618.	टेपकोन इंटरनेशनल (इंडिया) लिमिटेड
619.	टेरीन फाइबर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
620.	थापर कनकास्ट लिमिटेड
621.	दी अहमदाबाद एडवानिया मिल्स लिमिटेड
622.	दी अल्युमीनियम एडवानिया मिल्स लिमिटेड
623.	दी ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड
624.	दी बुज-बुज कम्पनी लिमिटेड
625.	दी कैम्पडेनी इंडस्ट्री लिमिटेड
626.	दी डान मिल्स कम्पनी लिमिटेड
627.	दी फर्टीलाईजर कार्प. आफ इंडिया लिमिटेड
628.	दी गंगेज मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड
629.	दी इंडियन आयरन स्टील कं. लिमिटेड
630.	दी इंडियन सीमलेस लिमिटेड
631.	दी जय इंजिनियरिंग वर्क्स लिमिटेड
632.	दी कोल्हापुर स्टील लिमिटेड
633.	दी लक्ष्मीजी शुगर मिल्स कं. लिमिटेड
634.	दी मद्रास वनस्पति लिमिटेड
635.	दी मोरान टी कं. (इंडिया) लिमिटेड
636.	दी निरसिम्हा मिल्स लिमिटेड
637.	दी राजरत्न मिल्स लिमिटेड
638.	दी साउथ इंडिया पेपर मिल्स लिमिटेड
639.	दी ट्रानवकोर रेयन लिमिटेड
640.	थ्री एम पेपर मैनु. कं. प्रा. लिमिटेड
641.	तिरूमाला सिउंग हान टेक्सटाइल लिमिटेड
642.	तिरुपति फायबर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड
643.	तिरुपति शुगर्स लिमिटेड
644.	तिरुपुर कोटन स्पि. एंड वेव. मिल्स लिमिटेड
645.	ट्राको केबल कं. लिमिटेड
646.	ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्युपमेंट लिमिटेड
647.	ट्रावनकोर शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
648.	ट्रानवकोर टायटानियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड
649.	ट्रेन्ट लिमिटेड
650.	त्रीची स्टील रोलिंग मिल्स लिमिटेड
651.	तुलसियानि बिल्डर्स एंड टेक्सटाइल (प्रा.) लिमिटेड
652.	तुंगा अलायज एंड स्टील प्रा. लिमिटेड
653.	तुषाको पम्प्स प्राइवेट लिमिटेड
654.	तुतिकोरीन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
655.	यूबी डिस्टिल्लेरिज लिमिटेड
656.	यूडीआईवाई पायरोकेबल्स प्रा. लिमिटेड
657.	यूएमआई स्पेशल स्टील लिमिटेड
658.	यूनिमार्क लिमिटेड
659.	यूनाइटेड पल्प एंड पेपर्स मिल्स लिमिटेड
660.	यूनिटी मिल्स प्रा. लिमिटेड
661.	यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड
662.	यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड
663.	यूपी स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड
664.	अप्पर इंडिया बियरिंग एंड ब्रशिंग प्रा. लिमिटेड

1	2
665.	अप्पर इंडिया स्टील मैनु. एंड इंजि. कं. लिमिटेड
666.	उषा मार्टीन लिमिटेड
667.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
668.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
669.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पि. कं. लिमिटेड
670.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड
671.	उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
672.	उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
673.	वीवीएफ लिमिटेड
674.	वमसाधारा पेपर मिल्स लिमिटेड
675.	वनजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
676.	वनाविल डाईज एंड केमिकल्स लिमिटेड
677.	वापि पेपर मिल्स लिमिटेड
678.	वर्धालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड
679.	वर्धमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड
680.	वशिष्टि डीटरजेंट्स लिमिटेड
681.	वीना टेक्साइटल्स लिमिटेड
682.	वेजटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
683.	वेजटेबल विटामिन फूड्स कं. लिमिटेड
684.	वेंकटलक्ष्मी टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड
685.	विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड
686.	विदर्भ पेपर मिल्स लिमिटेड
687.	विडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
688.	विद्युत मेटेलिक्स लिमिटेड
689.	विजय सिल्क हाउस (वाराणसी) लिमिटेड
690.	विजयेश्वरी टेक्सटाइल्स लिमिटेड
691.	विजयकुमार मिल्स लिमिटेड़
692.	विक्रम स्टील प्रा. लिमिटेड
693.	विप्पी स्पीनप्रो लिमिटेड
694.	विर्चोव लैबोरेट्रीज लिमिटेड
695.	विशाल कोस्टस्पिन लिमिटेड
696.	विशाल पेपरटेक (इंडिया) लिमिटेड
697.	विश्वभारती टेक्सटाइल्स लिमिटेड
698.	वाटरमैन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
699.	वाटरमैन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
700.	वेल पैक पेपर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड
701.	वेसकेयर इंडिया लिमिटेड
702.	वेस्ट बंगाल एग्रो टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड
703.	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड
704.	वेस्टर्न इंडिया कोटन लिमिटेड
705.	व्हीलेब्रोटर अलाय कास्टिंग्स लिमिटेड
706.	व्हाइट हाऊस कोटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
707.	विंग्स फार्मा (प्रा.) लिमिटेड
708.	विनसम इंटरनेशनल लिमिटेड
709.	विनटी लि.
710.	येम्मीगनुर स्पि. मिल्स लिमिटेड
711.	जेनीथ लिमिटेड
712.	जेनीथ स्टील पाइप्स एंड इंड. लिमिटेड

[हिन्दी]

ए.डी.बी. ऋण

53. श्री अजीत जोगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एशियाई विकास बैंक ने किन-किन राज्यों को ऋण स्वीकृत किए हैं;

(ख) इनमें से छत्तीसगढ़ से संबंधित परियोजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण का उपयोग कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इन ऋणों की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किए जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त ऋणों पर कितनी वार्षिक ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) इस अवधि के दौरान 14 ऋण करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	वर्ष	हस्ताक्षरित ऋणों की संख्या	शामिल राज्य
1.	2006	02	केरल और छत्तीसगढ़
2.	2007	08	उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश
3.	2008	04	असम, कर्नाटक, राजस्थान, और मध्य प्रदेश

(ख) छत्तीसगढ़ से संबंधित परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

ऋण संख्या	परियोजना का नाम	राशि मिलियन अमरीकी डालर
2159-आईएनडी	छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	46.1
2050-आईएनडी	छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास क्षेत्र परियोजना	180.0

(ग) ऋण संख्या 2159-आईएनडी 30 जून, 2006 को प्रभावी हुआ था और ऋण समापन की तारीख 31 मार्च, 2013 है। ऋण संख्या 2050-आईएनडी 14 जनवरी, 2005 को प्रभावी हुआ था और ऋण समापन की तारीख 31 जनवरी, 2009 है। ऋण संख्या 2159-आईएनडी और ऋण संख्या 2050-आईएनडी के मामले में अगस्त, 2008 की स्थिति के अनुसार संवितरण राशि क्रमशः 3.7 मिलियन और 51.2 मिलियन अमरीकी डालर है। ऋणों की शर्तें वही हैं जो एशियाई विकास बैंक के साधारण पूंजी संसाधन (ओसीआर) ऋणों पर लागू होती हैं।

(घ) 1.4.2005 के पश्चात् हस्ताक्षरित ऋणों के लिए ब्याज का भुगतान, विशेष श्रेणी के राज्यों और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर जिनमें ब्याज का भुगतान संघ सरकार द्वारा किया जाता है, संबंधित राज्य द्वारा किया जाएगा।

(ङ) ब्याज की राशि का परिकलन संबंधित ऋण करार में यथा विनिर्दिष्ट लागू होने वाली दर पर संवितरित और बकाया ऋण के आधार पर प्रत्येक छठे महीने किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरी विनियामक प्राधिकरण

54. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए प्राधिकरण की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का देशव्यापी क्षेत्राधिकार वाला राष्ट्रीय शहरी नियामक प्राधिकरण का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि शहरी शासन सहित स्थानीय सरकार से संबंधित मामले भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अनुसार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

झारखंड में नगरपालिकाओं को सहायता

55. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने झारखंड में नगरपालिकाओं को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड सरकार द्वारा इस संबंध में भेजा गया कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना को स्वीकृति देने में कितना समय लगने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी-नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूईजी) घटक के तहत वर्ष 2008-09 में 288.39 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत और 230.71 करोड़ रु. की वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से झारखण्ड राज्य के रांची शहर में ''रांची जलापूर्ति परियोजना'' (संस्वीकृत की गई है। इसके अलावा, अन्य स्कीम नामत: त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत संस्वीकृत परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

2005-06	2006-07	2007-08
18.09	339.87	96.181 (लाख रु. में)

इसके अलावा, दूसरी स्कीम नामत: जेएनएनयूआरएम की छोटे तथा मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कोई परियोजना प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

छोटे तथा मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी)
परियोजना-वार स्थिति
(14.10.2008 तक)

समग्र नियतन (करोड़ रु.)	114.52
अब तक वचनबद्ध कुल एसीए (प्रोत्साहन सहित) (करोड़ रु.)	78.62
अब तक वचनबद्ध जारी एसीए (करोड़ रु.)	40.03
अब तक प्रतिबद्ध की जाने वाली शेष एसीए (करोड़ रु.)	35.90
लम्बित परियोजनाएं	शून्य

(लाख रु.)

क्र.सं.	कस्बों/शहरों के नाम	घटक की स्कीम/नाम	एसएलएससी द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	पात्र केन्द्रीय अंश की पहली किस्त (50%)	डीपीआर की तैयारी हेतु 1.5% की दर से प्रोत्साहन	वर्ष 2005-06 के दौरान जारी एसीए की पहली किस्त	वर्ष 2006-07 के दौरान एसीए की पहली किस्त	वर्ष 2007-08 के दौरान जारी एसीए की पहली किस्त	कुल जारी
झारखण्ड										
1.	चास	जल आपूर्ति	3324.19	2659.35	1329.68	49.86	0.00	0.00	1379.54	1379.54
2.		ठोस कचरा प्रबंधन	567.62	454.10	227.05	8.51	0.00	0.00	235.56	235.56
3.	देवघर	जल आपूर्ति	4737.77	3790.22	1895.11	71.07	0.00	0.00	1966.17	1966.17
4.	हजारीबाग	ठोस कचरा प्रबंधन	569.17	455.34	227.67	8.54	0.00	0.00	236.21	236.21
5.	लोहरदगा	ठोस कचरा प्रबंधन	447.8	358.24	179.12	6.72	0.00	0.00	185.84	185.84
कुल	4	5	9646.55	7717.24	3858.62	144.70	0.00	0.00	4003.32	4003.32

[अनुवाद]

प्रधान (प्राइम) ब्याज दरें

56. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसमान छूती कीमतों तथा मुद्रास्फीति के दबाव के कारण भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी प्रधान ब्याज दरों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो बेंचमार्क प्रधान ब्याज दर (बी.पी.एल.आर.) में संशोधन सहित तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर 1994 से, 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों, जिनमें आवास ऋण शामिल हैं, पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है और ये ब्याज दरें बैंकों द्वारा स्वयं, बैंचमार्क मूल उधार दरों (बीपीएलआर) और विस्तार संबंधी दिशानिर्देशों के अध्यधीन, अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से निर्धारित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही के महीनों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय किए हैं। इनमें आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) और रेपो दरों को बढ़ाना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप निधियों का मूल्य बढ़ गया और जिससे बैंकों द्वारा बीपीएलआर बढ़ा दी गई है।

(ख) बीपीएलआर में संशोधन का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में है।

विवरण I

क्र.सं.	बैंक का नाम सरकारी क्षेत्र के बैंक	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	30.6.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	30.9.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	12.25	12.25	12.75	13.75
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	12.50	13.00	13.50	14.00
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	12.50	13.00	13.00	14.00
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	12.75	13.25	13.25	*
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	12.50	13.25	13.75	14.25
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	12.50	13.00	13.00	14.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	12.50	13.25	13.25	*
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	12.50	13.00	13.00	*
9.	इलाहाबाद बैंक	12.50	13.25	13.00	14.00
10.	आन्ध्रा बैंक	12.25	12.75	12.75	*
11.	बैंक आफ बड़ौदा	12.50	12.75	12.75	14.00
12.	बैंक आफ इंडिया	12.50	12.75	12.75	14.00
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	12.50	13.25	13.25	14.00

1	2	3	4	5	6
14.	केनरा बैंक	12.50	12.75	12.75	14.00
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	12.50	13.00	13.00	14.00
16.	कारपोरेशन बैंक	12.50	13.00	13.00	14.00
17.	देना बैंक	12.75	13.00	13.00	14.25
18.	इंडियन बैंक	12.50	12.50	12.50	14.00
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	12.50	13.25	13.25	14.00
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	12.50	12.50	13.25	*
21.	पंजाब नेशनल बैंक	12.25	12.50	12.50	14.00
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	12.75	13.50	14.00	14.75
23.	सिंडिकेट बैंक	12.25	13.00	13.00	14.00
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	12.50	12.75	12.75	*
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	12.50	13.25	13.25	14.25
26.	यूको बैंक	12.75	13.50	13.50	*
27.	विजया बैंक	12.25	13.00	13.00	*
28.	आईडीबीआई लि.	12.75	13.25	13.25	14.25

*उपलब्ध नहीं

विवरण II

क्र.सं.	बैंक का नाम गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	30.6.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	30.9.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर
1	2	3	4	5	6
1.	बैंक आफ राजस्थान	14.00	14.50	14.50	*
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	12.50	*	*	*
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	13.00	14.50	14.50	*
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	13.00	13.75	14.75	14.75
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	14.50	15.00	15.50	16.00

1	2	3	4	5	6
6.	फैडरल बैंक लि.	13.25	13.75	13.75	14.50
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	13.00	13.00	14.00	14.50
8.	कर्नाटक बैंक लि.	13.00	14.00	14.00	15.00
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	13.50	14.00	14.00	15.25
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	14.00	14.00	14.25	15.00
11.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	14.75	*	*	*
12.	नैनीताल बैंक लि.	12.50	13.00	13.00	*
13.	रत्नाकर बैंक लि.	13.50	13.50	13.50	15.00
14.	सांगली बैंक लि.	13.00	*	*	*
15.	साऊथ इंडियन बैंक लि.	14.50	15.00	15.00	16.00
16.	तमिलनाडु मर्किनटाइल बैंक लि.	12.00	13.00	13.50	15.00
17.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	14.50	15.25	15.25	16.25
18.	एसबीआईसीआई बैंक लि.	12.50	13.25	13.25	13.50
19.	डेवलपमेंट बैंक लि.	16.50	14.50	15.25	16.25
20.	एक्सिस बैंक लि.	14.00	14.75	15.25	15.25
21.	इन्डसइंड बैंक लि.	15.75	15.75	16.25	17.00
22.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	14.75	15.75	15.75	17.25
23.	सेन्चुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	14.50	15.00	*	*
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	14.00	15.00	15.25	16.50
25.	कोटक महेन्द्रा बैंक	16.50	16.50	17.00	17.75
26.	येस बैंक लि.	14.00	15.50	16.00	17.00

*उपलब्ध नहीं

विवरण III

क्र.सं.	बैंक का नाम विदेशी बैंक	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	30.6.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर	30.9.2008 की स्थिति के अनुसार बैंचमार्क मूल उधार दर
1	2	3	4	5	6
1.	सिटी बैंक	13.75	13.75	14.50	15.50
2.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	13.00	13.00	13.00	14.25

1	2	3	4	5	6
3.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	13.25	15.50	15.50	*
4.	बैंक आफ अमेरिका	13.50	14.25	14.25	15.00
5.	अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक	12.50	शून्य	शून्य	शून्य
6.	अबू धाबी कामर्शियल बैंक लि.	12.00	12.00	12.00	*
7.	एबीएन आमरो बैंक	14.00	15.25	15.25	16.75
8.	बैंक आफ बेहरिन एंड कुवैत	13.25	13.75	13.75	15.00
9.	मशरेक बैंक	14.50	14.50	14.50	*
10.	सीलोन बैंक	13.50	13.50	13.50	*
11.	बीएनपी परिबस	14.00	14.00	14.00	15.00
12.	ड्यूश बैंक	12.75	12.75	12.75	*
13.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	11.50	11.50	11.50	*
14.	सोसाइटी जनरैल	14.00	14.00	14.00	16.00
15.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	14.00	15.00	15.00	15.00
16.	बैंक आफ टोकियो मित्सुबिशी यूएफजे लि.	13.35	13.35	13.35	14.00
17.	बार्क्लेज बैंक	11.00	11.00	14.00	*
18.	जे.पी. मुरुगन चेस बैंक	शून्य	12.50	13.50	*
19.	स्टेट बैंक आफ मारीशस	12.50	12.50	12.50	13.50
20.	डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर	14.50	14.50	14.50	15.50
21.	बैंक आफ सीलोन	12.00	12.50	12.50	*
22.	शिनहान बैंक	12.50	13.25	13.25	*
23.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	11.00	शून्य	शून्य	*
24.	अरब बंगलादेश बैंक	11.00	11.00	11.00	*
25.	मिजुहो कारपोरेट बैंक	11.00	11.00	11.00	*
26.	चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	11.50	11.50	11.50	*
27.	करुंग थाई बैंक पीसीएल	10.00	10.00	10.00	10.00
28.	एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	15.50	15.50	15.50	*

*उपलब्ध नहीं

[हिन्दी]

सेंसेक्स में गिरावट

57. श्री संतोष गंगवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2008 से अभी तक सेंसेक्स में निरंतर गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को हुई हानि का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सेंसेक्स 1 जनवरी, 2008 को 20,300.071 था जो 13 अक्तूबर, 2008 को गिरकर 11309.09 हो गया। भारतीय प्रतिभूति बाजार के सूचकांकों में गिरावट पूरे विश्व में मुख्य सूचकांकों में गिरावट की तर्ज पर हुई है। किसी बाजार में उतार-चढ़ाव अंतर्निहित होता है। यह अर्थव्यवस्था सेक्टर और कंपनी के बारे में घरेलू और विदेशी खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों की अवधारणा का परिणाम है। यह अवधारणा अनेक कारकों से प्रभावित होती है जिनमें वृहत आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभाव्यता, सरकार की नीतिगत विश्वसनीयता, कारपोरेट निष्पादन, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बाजार मनोभाव शामिल होते हैं। बाजार कीमत में गिरावट के कारण निवेशकों को होने वाली हानि उनके पोर्टफोलियो का संगठन, प्रतिभूति अधिप्राप्ति की लागत और अधिप्राप्ति के बाद पोर्टफोलियो के लिए प्राप्त कारपोरेट लाभ पर निर्भर होगी।

सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

अवसंरचना परियोजनाएं

58. श्री जुएल ओराम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विभिन्न राज्यों में अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विभिन्न राज्यों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है।

पिछले तीन वर्षों हेतु चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन (राशि करोड़ रुपये में) इस प्रकार है:

श्रेणी	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2007	31 मार्च, 2008
अवसंरचना	1,12,853	1,42,975	2,02,296

राज्य-वार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) पर बकाया ऋण

59. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) पर बकाया ऋणों की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त ऋण को इक्विटी में रूपांतरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार के भाग के रूप में नए इक्विटी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सी.पी.एस.ई. में ऐसी इक्विटी पर सरकार द्वारा कितनी राशि लाभांश के रूप में अर्जित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) पर 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्रोतों से उधार ली गई राशि के रूप में 21775 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण और 45651 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण बकाया था। उद्यम-वार और स्रोत-वार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2006-07 के खंड I के क्रमश:

विवरण 11 और 12 में दिया गया है, जो 27.02.2008 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया था तथा जो अब एक सार्वजनिक दस्तावेज है। यह सर्वेक्षण लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट dpe.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ख) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार प्रस्तावों के अनुसार 2006-07 और 2007-08 के दौरान नकदी रहित सहायता 2880.33 करोड़ रुपए थी, जिसमें ऋण की साम्या/प्रतिदेय अधिमान शेयर/डिबेंचर में परिवर्तित करना भी शामिल है तथा नकद सहायता, जिसमें साम्या, ऋण और अनुदान का नया अनुमिश्रण (फ्रैश इंफ्यूजन) शामिल है, 1111.88 करोड़ रुपए थी। तथापि, ऋण के साम्या में परिवर्तन के साथ-साथ साम्या के फ्रैश इंफ्यूजन की वास्तविक राशि वर्षों में बढ़ती है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा पुनरुद्धार स्कीमों के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। लाभांश का भुगतान तभी किया जा सकता है जब सी.पी.एस.ई. में आमूल परिवर्तन हो और वह लाभ अर्जित करे। नकदी इंफ्यूजन और नकदी रहित सहायता का उद्यम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। विगत दो वर्षों के दौरान इनमें से किसी भी कंपनी ने लाभांश घोषित नहीं किया है।

विवरण

2006-07 और 2007-08 के दौरान बी.आर.पी.एस.ई. द्वारा संस्तुत प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल/सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित नकद और नकदी रहित सहायता

(15.10.2008 की स्थिति के अनुसार स्थिति)

क्र.सं.	सी.पी.एस.ई. का नाम	सरकारी अनुमोदन की तारीख	सहायता (करोड़ रुपए)		
			नकद#	नकदी रहित@	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड	2.6.2006	-	-	-
2.	भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड##	16.6.2006	9.80	-	9.80
3.	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	27.7.2006	-	267.29	267.29
4.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	27.7.2006	-	104.64	104.64
5.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	3.8.2006	-	6.02	6.02
6.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	5.10.2006	-*	-*	-*
7.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रैशर्स लिमिटेड	7.12.2006	3.37$	153.15	156.52$
8.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	21.12.2006	207.19	233.41	440.60
9.	एच.एम.टी. मशीन ट्लूस लिमिटेड	1.2.2007	723.00	157.00	880.80
10.	मेकॉन लिमिटेड	8.2.2007	93.00**	23.08	116.08
11.	एन्ड्यू यूले एं. कंपनी लिमिटेड	22.2.2007	-&	457.14	457.14
12.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	26.6.2007	-	612.94	612.94
13.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड##	11.10.2007	3.82	7.55	11.37
14.	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लिमिटेड	26.11.2007	-	-	-$$
15.	भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड	3.1.2008	21.21	124.42	145.63

1	2	3	4	5	6
16.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड	24.4.2008	–	479.16	479.16
17.	भारतीय टायर निगम लिमिटेड	@@	–	–	–@@
18.	एन.ई.पी.ए. लिमिटेड	23.8.2007	–	–	–@@@
19.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	26.6.2008	50.49	253.73	304.22
	कुल		1111.88*	2880.33*	3992.21*

\# नकद सहायता में साम्या/ऋण/अनुदानों के जरिए बजटीय सहायता शामिल हो सकती है।

@ नकदी रहित सहायता में ब्याज, दंडात्मक ब्याज, भारत सरकार का ऋण, गारंटी माफी तथा ऋण साम्या/डिबेंचर आदि में परिवर्तन शामिल हो सकता है।

सरकार ने इन सी.पी.एस.ईज को बंद करने को मंजूरी दे दी है।

& भारत सरकार अथवा संयुक्त उद्यम अथवा स्ट्रेटजिक पार्टनर द्वारा निधियों के इन्क्यूजन संबंधी मामले का निदान वित्त मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

* सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 2470.77 करोड़ रुपए की नकदी रहित सहायता तथा कोल इंडिया लिमिटेड से 2004-05 से प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए से सेवा-प्रभार में छूट पर विचार किया गया है।

$ इसके अतिरिक्त ओ.एन.जी.सी. और बी.एच.ई.एल. क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए तक की नकद सहायता देंगे।

** बी.आर.एस. ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज संबंधी राजसहायता जो 6.50 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक नहीं हो, को जारी करना शामिल नहीं है।

$$ मंत्रिमंडल ने बी.एच.ई.एल. द्वारा बी.एच.पी.वी. का अधिग्रहण करने को सिद्धान्ततः मंजूरी इस दिशानिर्देश के साथ दी है कि बी.एच.पी.वी. का मूल्यांकन सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर विवेकपूर्वक किया जाए और यदि अधिग्रहण करना व्यवहार्य न हो तो मामले को पुनः मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाए।

@@ संसद ने कंपनी के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के चार्टर में परिवर्तन करने के लिए टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 अनुमोदित कर दिया था।

@@@ निजी क्षेत्र में जे.वी. रूट के जरिए नेपा लिमिटेड के पुनरुद्धार का प्रस्ताव तथा जे.वी. के समावेशन के लिए संसद की मंजूरी के लिए अनुरोध करने वाला एक विधेयक संसद में रखा गया है।

जनजातीय लोगों के भूमि अधिकार

60. श्री ई. दयाकर राव: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या जनजातीय लोगों द्वारा भूमि अधिकारों के अपने दावों को दाखिल किए जाने के बाद ये लोग निशाने पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) "भूमि अधिकार" दो प्रकार के होते हैं:

(1) वन क्षेत्रों में भूमि धारण करने का अधिकार।

(2) गैर-वन क्षेत्रों में भूमि धारण करने का अधिकार।

वन भूमि के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 ने वन निवासी अनुसूचित जनजातियों को उनके निवास अथवा उनकी आजीविका हेतु अपनी खेती के लिए वन भूमि को धारण करने और रहने का अधिकार प्रदान किया है। संबंधित राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे और कार्रवाई करे।

गैर-वन भूमि के संबंध में "भूमि" और इसका प्रबंधन राज्यों के विशेष विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार [भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-11 (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18] के अंतर्गत आता है। अतः राज्य सरकारें इस संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। राज्यों के विभिन्न भू-राजस्व कानून/विनियम इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं। तथापि, अनुसूचित क्षेत्रों में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार, संबंधित राज्यों के राज्यपाल जनजातियों की भूमि को गैर-जनजातियों को अंतरित न करने के विनियम बना सकते हैं। यहां तक कि गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में भी, राज्य सरकारों ने, सामान्यतः, जनजातियों से भूमि को

गैर-जनजातियों को अंतरित करने से रोकने और जनजातियों और अन्य संक्रामित भूमि की पुन:बहाली नीति को स्वीकार कर लिया है।

केन्द्र सरकार स्तर पर भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) एक सीमित सीमा तक ही इस मामले से संबंधित है, क्योंकि उनकी भूमिका एक परामर्शदात्री, मानीटरिंग और समन्वयकारी प्रकृति की है। वे सभी राज्यों में जनजाति से भूमि-अन्य संक्रामण विषय की समय-समय पर मानीटरिंग करते हैं।

(ख) और (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास, आंध्र प्रदेश और राजस्थान सहित किसी भी राज्य से जनजातियों द्वारा भूमि-अधिकारों के अपने दावे दर्ज करने के बाद लम्बाधीन होने की कोई सूचना नहीं है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संबंध में समीक्षा समिति

61. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग संबंधी सचिवों की समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय क्या थे;

(ख) सरकार द्वारा समीक्षा समिति की स्वीकृत तथा अस्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिफारिशों के स्वीकृत नहीं किए जाने के मामले में क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रक्रियायन के लिए सचिव-समिति का गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य उन सिफारिशों के लिए जांच-समिति के रूप में कार्य करना था जिन पर मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया जाना था।

(ख) और (ग) सचिव-समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को एक पैकेज के रूप में स्वीकार कर लिया है। उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए ग्रेड वेतन संबंधी समिति की सिफारिश तथा महानिदेशक एस.एस.बी. तथा आई.टी.बी.पी. के पदों के स्तरोन्नयन संबंधी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश की अलग से जांच को मंत्रिमंडल ने अस्वीकार कर दिया है।

मेट्रो रेल का विस्तार

62. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में मेट्रो रेल के विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का विचार मेट्रो रेल निगम के साथ मिलकर मेट्रो रेल का विस्तार रिठाला के बाद करने का है ताकि रोहिणी फेज-III तथा IV के अंतर्गत आने वाली डी.डी.ए. कालोनियों को शामिल किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) लि. द्वारा कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मेट्रो रेल के विस्तार का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(1) दिल्ली में अम्बेडकर नगर से गुड़गांव, हरियाणा में सुशांत लोक तक (14.47 कि.मी.)-1581 करोड़ रु., दिल्ली मेट्रो फेज-II का विस्तार।

(2) दिल्ली में अशोक नगर से नोएडा सेक्टर-32 तक (7 कि.मी.)-827 करोड़ रु. दिल्ली मेट्रो फेज-II का विस्तार।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिनांक 3.10.2007 को डीडीए द्वारा अनुमोदित जोन-एम के प्रारूप जोनल योजना के आधार पर, रिठाला से बरवाला तक और फिर प्रस्तावित 100 मी. मार्गाधिकार के साथ नरेला एवं होलम्बी कलां तक मेट्रो कोरिडोर का विस्तार का प्रस्ताव है। रिठाला के बाद मेट्रो रेल का विस्तार प्रस्तावित है जिसमें रोहिणी फेज-III, IV एवं V के अंतर्गत आने वाली डीडीए कालोनियां शामिल हैं। इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए डीडीए को अपना प्रस्ताव डीएमआरसी को प्रस्तुत करना अभी बाकी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचक नामावली में नामांकन

63. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए मुख्य निर्वाचक अधिकारी, दिल्ली की वेबसाइट पर आन-लाइन फार्म 16 दर्ज कर आवेदन करने वाले दिल्ली के अनेक नागरिकों के ब्यौरों का सत्यापन अभी तक नहीं किया गया है और पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में उनके नाम शामिल नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले को त्वरित रूप से करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पीअरलेस जेनरल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी लि.

64. श्री वसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2011 से पीअरलेस जेनरल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी लि. को अपनी शेष गैर-बैंकिंग कंपनी (आर.एन.बी.सी.) कारोबार को बंद करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को पीअरलेस कंपनी से आर.एन.बी.सी. कारोबार को जारी रखने के लिए कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी तथा निर्णय क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पीअरलेस कंपनी को शत-प्रतिशत जमा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में जमा करने के निदेश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमाणपत्र धारकों को प्रतिलाभ देने की पीअरलेस कंपनी की वचनबद्धता पर विचार किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) आर.एन.बी.सी. के कारोबार को बंद करने के भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के पीछे क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर 2007 में पिअरलेस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कं. लि. को 31 मार्च, 2011 तक अर्थात् 1 अप्रैल, 2007 की तिथि से चार वर्षों की अवधि के अंदर अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी (आरएनबीसी) कारोबार से नए कारोबार प्रतिरूप में अंतरण करने की सलाह दी थी। इस कंपनी ने 5 वर्षों तक अर्थात् मार्च 2012 तक आरएनबीसी कारोबार करते रहने की अनुमति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया था। समुचित विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनी को 31 मार्च 2011 तक आरएनबीसी कारोबार से दूसरे कारोबार प्रतिरूप में अंतरण करने की सलाह दी गयी है।

(ङ) से (ज) अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2007 से सभी आरएनबीसी को जमाकर्ताओं के उनके कुल दायित्वों (एएलडी) का 100 प्रतिशत का निर्देशित निवेश करना आवश्यक है। कंपनियों को उनके एएलडी का 100 प्रतिशत का निर्देशित निवेश करने के निर्देश देने के लिए आरएनबीसी निर्देशों को उपांतरित करने का मुख्य उद्देश्य नकदी स्थिति को बेहतर बनाना और आरएनबीसी के निवेशों को सुरक्षा प्रदान करना और इस तरह जमाकर्ताओं को और अधिक संरक्षण उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, आरएनबीसी निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत, बैंक ने न्यूनतम प्रतिलाभ दर भी विहित की है, जिसे आम लोगों से स्वीकार की गई जमाओं पर प्रदान करने के लिए आरएनबीसी बाध्य है।

बदलते वित्तीय परिवेश में यह स्वीकार किया गया है कि आरएनबीसी द्वारा अपनाया गया कारोबार प्रतिरूप अलाभकारी है और जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नियुक्त, वसूली एजेंटों के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल, 2008 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके द्वारा नियुक्त वसूली एजेंसियों के कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। नियुक्ति पूर्व सम्यक तत्परता उपायों के रूप में पुलिस सत्यापन कराने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्धारित किया है कि सभी वसूली एजेंटों को भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण-सह-प्रमाणन कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेना चाहिए।

[हिन्दी]

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र

65. श्री महावीर भगोरा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आम आदमी आवास

66. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने ''आम आदमी आवास'' नामक कार्यक्रम के अंतर्गत कम लागत वाले मकानों के निर्माण के लिए संकल्पना टिप्पण तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने 1 लाख रुपये (भूमि लागत के अलावा) से कम की लागत वाले लगभग 25 वर्ग मीटर क्षेत्र के सस्ते आवासों की संकल्पना तैयार की है। इस कार्यक्रम का नाम आम आदमी आवास (एएए) रखा गया है। कार्यक्रम में ऐसे आवासों की व्यवस्था की गई है जिनसे, अलग से रसोई, शौचालय एवं बहु-प्रयोजनीय कमरे के साथ, बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित होगी। इनका निर्माण सम्बद्ध आधारभूत सुविधाओं जैसे आंतरिक सड़कों, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्कूल, मूलभूत खरीदारी, सामुदायिक भवन, मनोरंजन के क्षेत्र, आदि के विकास की गुंजाइश रखते हुए एक सटे क्षेत्र में 2,000-3,000 इकाईयों के समूह में किया जाएगा। एएए कार्यक्रम में कार्यस्थल पर निर्मित एवं प्रीफेल तकनीकों को मिलाकर किफायती प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा जिससे टिकाऊपन एवं किफायत मिलेगी। एएए संबंधी संकल्पना टिप्पणी एनएचबी द्वारा आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को भेज दी गई है तथा इसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में भी उठाया गया है।

सौर ऊर्जा आयोग

67. श्री दुष्यंत सिंह: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र सौर ऊर्जा आयोग के कार्यकरण में भागीदारी करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) इस समय सौर ऊर्जा आयोग स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना ने एक सौर मिशन की स्थापना के द्वारा देश में सौर ऊर्जा के विकास का प्रस्ताव किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनजातियों में साक्षरता

68. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनजातियों में साक्षरता दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में जनजातियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (च) 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की 64.8 प्रतिशत की कुल साक्षरता दर की तुलना में 47.1 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार निरक्षर अनुसूचित जनजातीय लोगों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला संलग्न विवरण ब्यौरा में है।

यद्यपि 1990-91 से 2001 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में समग्र वृद्धि 12.63 प्रतिशत की तुलना में

17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथापि दोनों के बीच काफी अंतर है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा को सुकर बनाकर इसे पाट रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को साक्षरता एवं शिक्षा का एक नोडल मंत्रालय है, के प्रयासों को निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा पूरा कर रहा है:-

1. अनुसूचित जनजातियों हेतु लड़के/लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण की योजना।

2. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना।

3. अनुसूचित जनजाति लड़कियों में साक्षरता उत्थान हेतु कम साक्षरता पाकेटों के कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों में शिक्षा का सशक्तिकरण करना।

4. अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों द्वारा कक्षा-6 से 12 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करना।

इन योजनाओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट तथा मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर देखा जा सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव, जो योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, को वित्तीय स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार निरक्षर अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार संख्या (7+आयु समूह)

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरक्षर-2001 (व्यक्ति)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2619983
2.	अरुणाचल प्रदेश	285786
3.	असम	1033026
4.	बिहार	433272
5.	छत्तीसगढ़	2599576
6.	दिल्ली	0
7.	गोवा	210
8.	गुजरात	3222009
9.	हरियाणा	0
10.	हिमाचल प्रदेश	72796
11.	झारखण्ड	3412302
12.	जम्मू-कश्मीर	564160
13.	कर्नाटक	1512548
14.	केरल	112042
15.	मध्य प्रदेश	5654112
16.	महाराष्ट्र	3151424
17.	मणिपुर	214603
18.	मेघालय	609171
19.	मिजोरम	74675
20.	नागालैंड	515743
21.	उड़ीसा	4203733
22.	पंजाब	0
23.	राजस्थान	3073429
24.	सिक्किम	31405
25.	तमिलनाडु	325122
26.	त्रिपुरा	361522
27.	उत्तर प्रदेश	54530
28.	उत्तराखंड	78472
29.	पश्चिम बंगाल	2077219
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	8514
31.	चंडीगढ़	0
32.	दादरा व नगर हवेली	63707
33.	दमन व दीव	4389
34.	लक्षद्वीप	6712
35.	पांडिचेरी	0
	भारत	33,879,217

[अनुवाद]

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले

69. **श्री अबु अयीश मंडल:**
श्री राम कृपाल यादव:
श्री अमिताभ नंदी:
श्री किन्जरपु येरनायडु:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च-न्यायालयों में कितने-कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन न्यायालयों द्वारा इन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु लिये जाने वाले समय के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या दर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि न्यायालय में किसी मामले के निपटान में लगने वाला समय अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(घ) उच्चतर न्यायालयों में लंबित मामलों सहित मामलों के निपटान को सुकर बनाने के विचार से सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या का पुनर्विलोकन करती है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों का शीघ्र भरा जाना सुनिश्चित करती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किए गए पिछले पुनर्विलोकन में, सरकार ने निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 152 अतिरिक्त पद सृजित करने का विनिश्चय किया है:

1.	इलाहाबाद	65
2.	आंध्र प्रदेश	10
3.	बंबई	11
4.	कलकत्ता	08
5.	दिल्ली	12
6.	हिमाचल प्रदेश	02
7.	कर्नाटक	01
8.	केरल	09
9.	मध्य प्रदेश	01
10.	पंजाब और हरियाणा	15
11.	झारखण्ड	8
12.	छत्तीसगढ़	10
	कुल	152

सरकार ने उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पदसंख्या को भी, जो वर्तमान में 25 है, बढ़ाकर 30 करने का अनुमोदन किया है, इसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

सरकार न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोजन के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में आईसीटी अवसंरचना को उन्नयन करने का उपबंध करती है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को यथाविद्यमान	ग्रहण मामले	नियमित सुनवाई के मामले	कुल
	उच्चतम न्यायालय	31.8.08	29273	19565	48838

उच्च न्यायालय

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को यथाविद्यमान	सिविल मामले	दांडिक मामले	कुल
1.	इलाहाबाद	30.6.08	630625	229149	859774
2.	आंध्र प्रदेश	30.6.08	145368	17634	163002
3.	बम्बई	31.12.07	330399	39579	369978
4.	कलकत्ता	31.12.07	243222	40015	283237
5.	छत्तीसगढ़	30.6.08	52716	22892	75608
6.	दिल्ली	31.12.07	103273	36054	139327
7.	गुजरात	31.12.07	85862	29532	115394
8.	गुवाहाटी	30.6.08	52372	7884	60256
9.	हिमाचल प्रदेश	31.12.07	21312	6378	27690
10.	जम्मू-कश्मीर	30.6.08	45197	1799	46996
11.	झारखण्ड	31.12.07	28149	23008	51157
12.	कर्नाटक	30.6.08	92481	14783	107264
13.	केरल	30.6.08	86537	25598	112135
14.	मद्रास	30.6.08	397902	36142	434044
15.	मध्य प्रदेश	30.6.08	124416	61389	185805
16.	उड़ीसा	30.6.08	213658	23134	236792
17.	पटना	30.6.08	78386	35682	114068
18.	पंजाब और हरियाणा	30.6.08	215627	46640	262267
19.	राजस्थान	31.12.07	166364	51855	218219
20.	सिक्किम	30.6.08	84	18	102
21.	उत्तराखंड	30.6.08	12875	6084	18959
	कुल		3126825	755249	3882074

करेंसी नोटों के मुद्रण हेतु स्वदेशी सामग्री

70. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री नन्द कुमार साय:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास करेंसी नोटों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त कागज, स्याही तथा मशीनरी का देश में ही निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस प्रयोजनार्थ चिन्हित किये गए करेंसी मुद्रणालय का नाम क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) करेंसी की छपाई के लिए करेंसी कागज का उत्पादन देश में ही प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में किया जा रहा है। करेंसी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए:-

(1) प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद के लिए करेंसी कागज मशीन की एक नई लाइन की अधिप्राप्ति हेतु टेंडर पहले से ही जारी किया जा चुका है; और

(2) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड ने एक ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माता के साथ संयुक्त उद्यम में एक नए प्रतिभूति कागज कारखाने की स्थापना करने के लिए पहले से ही बोलियां आमंत्रित कर ली हैं। निजी भागीदार को एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा।

बैंक नोटों के मुद्रण में उपयोग होने वाली सभी प्रकार की स्याही की अधिप्राप्ति इस समय घरेलू स्रोतों अधिकांशत: एसआईसीपीए इंडिया लि.; सिक्किम (एसआईसीपीए, एसए स्विटजरलैंड की एक अनुषंगी कंपनी) और बैंक नोट प्रेस, देवास स्थित स्याही कारखाने से की जा रही है। अपेक्षित कम परिमाण के कारण करेंसी नोटों के मुद्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी का देश में विनिर्माण करना व्यवहार्य नहीं है। केवल 2-3 कंपनियां ही समस्त विश्व की जरूरत को पूरा करती हैं।

[हिन्दी]

बैंकों की रेटिंग

71. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकिंग एम्बुड्समैन बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर बैंकों को रेटिंग देता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 में किसी बैंक विशेष के विरुद्ध की गई शिकायतों के आधार पर बैंकों की रेटिंग करने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी

72. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मेडिक्लेम पालिसी-धारकों के लिए मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी लागू करने का है जिसके जरिए पालिसी धारक के पास बोनस तथा अन्य लाभ खोए बिना दूसरी बीमा कंपनी में जाने का विकल्प होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि साधारण बीमा परिषद (साधारण बीमा कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकलापों का संघ) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पालिसी तैयार कर रही है जो सभी बीमाकर्ताओं के लिए मानक होगी तथा इसलिए वहनीय होगी। पालिसी को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है जिसके पश्चात् बीमाकर्ता इसे आईआरडीए के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो प्राधिकरण की "फाइल करें तथा उपयोग करें" प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित है।

[हिन्दी]

आयकर तथा सीमा शुल्क विभागों में भ्रष्टाचार

73. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न जांच प्राधिकारियों/एजेंसियों के पास आज की तारीख तक भ्रष्टाचार के लंबित मामलों का उनकी लंबित रहने की तारीख सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमे चल रहे तथा आरोपित कुछ अधिकारियों को उनके भ्रष्टाचार मामलों में शामिल होने के बावजूद भी उन्हें अप्रैल 1999 से इनलैंड क्लिअरेन्स डिपो (आईसीडी) जैसी मलाईदार जगहों पर तैनात किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अप्रैल, 1999 से ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात करने का क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने सीबीईसी तथा सीबीडीटी के उक्त उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले जो विभिन्न जांच प्राधिकरणों/एजेंसियों के समक्ष आज की स्थिति के अनुसार लंबित है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(ख) और (ग) अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि ''सहमत सूची/संदेहास्पद सत्यानेष्ठा वाले अधिकारियों की सूची'' में जिन अधिकारियों को शामिल किया गया है उन्हें यथा सम्भव गैर-संवेदनशील निदेशालयों में तैनात किया जाता है अथवा गैर संवेदनशील प्रभार दिये जाते हैं।

(घ) और (ङ) जांच पूरी होने तक भ्रष्टाचार के मामलों में सम्मिलित अधिकारियों को स्थानांतरित करके गैर-संवेदनशील प्रभार दिये जाते हैं तथा उपयुक्त मामलों में उन्हें निलंबित किया जाता है और/अथवा उनका नाम ''सहमत सूची'' में सम्मिलित कर लिया जाता है और उनके आचरण पर निगरानी रखी जाती है।

(च) नियमित अंतरालों में आकस्मिक जांच की जाती है। अधिकारियों के एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है ताकि दोषियों के साथ उनका मेल-जोल न हो सके। आयुक्तालयों में लोक शिकायत समितियों का गठन किया गया है जो जनता एवं व्यापारियों की शिकायतों का निवारण करती हैं। जनता और अधिकारियों के आपसी सम्पर्क को कम करने के लिए ई-प्रशासन पर जोर दिया जाता है। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निविदा के ब्यौरे वेबसाइट में दिए जाते हैं।

विवरण

विभिन्न जांच प्राधिकरणों के पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

प्राधिकरण	कार्रवाई का वर्ष	के.उ.शु. एवं सी.शु.बो. के संबंध में मामलों की संख्या	के.प्र.क.बो. के संबंध में मामलों की संख्या
के.जा. ब्यूरो	2007	75	12
	2006	98	19
	2005	70	29
	2004	13	42
	2003	-	19
	2002	-	23
	2001	-	8
	2000	-	1
	1999	-	5
	1998	-	4
	1997	-	4
	1996	-	3
	1995	-	1
	1994	-	1
	योग	256	171
के.जा. ब्यूरो के अलावा	2007	65	-
	2006	23	1
	2005	20	-
	2004	7	-
	2002	3	-
	2001	1	-
	2000	2	-
	1997	1	-
	योग	122	1

[अनुवाद]

वेतन संशोधन के कारण राज्यों पर भार

74. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने में पड़ने वाले भार का पचास प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) छठे वेतन आयोग के लागू होने के परिणामस्वरूप वित्तीय भार को वहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी के संबंध में सर्वेक्षण

75. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों की ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी की स्थिति का पता लगाने के संबंध में किए गये किसी सर्वेक्षण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में कितनी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन व्यापक प्रतिदर्श आधार पर "भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति" पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण करवाता है। वर्ष 2004-05 में करवाए गए 61वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी की दर (1000 व्यक्तियों के श्रमबल में से) सामान्य स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए सामान्य आधार पर 5 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और कुल मिलाकर 6 थी।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय की मुख्य योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2005-06, 2006-07 तथा 2007-08) के दौरान ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसजीएसवाई			सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस)					
		सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या			एसजीआरवाई			एनएफएफडब्ल्यूपी	एनआरईजीएस	
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	120032	621600	207466	162.54	51.84	21.55	73.25	371.93	1160.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	914	897	816	1.98	2.72	1.85	1.89	1.36	0.83
3.	असम	33769	49549	66078	108.47	65.10	62.98	36.79	181.43	150.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	40311	43988	47228	129.10	36.58	0.00	53.21	103.72	233.30
5.	छत्तीसगढ़	10413	16091	22268	89.90	25.75	8.56	84.55	275.29	553.42
6.	गोवा	368	453	569	0.57	0.71	0.42	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	11220	10912	13593	49.41	29.48	20.16	24.35	50.44	41.92
8.	हरियाणा	9865	10376	14104	18.77	23.09	21.08	1.35	7.38	12.31
9.	हिमाचल प्रदेश	5049	3917	4926	2.15	1.45	0.92	0.26	3.66	29.36
10.	जम्मू-कश्मीर	2534	3477	2761	0.00	0.47	0.00	0.00	1.44	0.30
11.	झारखण्ड	43619	45452	35711	116.34	9.47	0.00	117.70	205.46	203.12
12.	कर्नाटक	42010	40094	80883	120.13	97.29	27.27	13.29	112.24	99.42
13.	केरल	17770	17357	29375	38.42	19.10	26.84	0.14	13.44	43.37
14.	मध्य प्रदेश	29114	28818	35876	193.93	97.22	40.93	220.23	852.53	1147.24
15.	महाराष्ट्र	59005	70356	100712	201.80	114.84	53.71	0.00	59.05	73.93
16.	मणिपुर	1572	2783	2663	2.60	10.36	0.05	3.78	9.45	15.85
17.	मेघालय	1139	1738	1888	11.15	9.04	5.35	0.51	47.00	12.76
18.	मिजोरम	962	6558	3808	3.76	4.79	1.96	1.00	2.62	10.60
19.	नागालैंड	1528	2143	978	10.19	4.08	3.76	0.00	3.92	7.08
20.	उड़ीसा	57307	63126	77972	182.88	60.98	23.02	152.27	284.58	147.48
21.	पंजाब	3304	6319	10214	0.75	0.33	1.72	3.25	5.88	3.12
22.	राजस्थान	16836	22582	24187	77.25	59.36	46.62	46.85	670.68	1158.01
23.	सिक्किम	847	907	1111	2.30	2.78	0.05	0.74	0.60	3.16
24.	तमिलनाडु	37977	50838	146206	165.61	88.66	85.52	40.17	148.27	529.14
25.	त्रिपुरा	1946	5728	8299	35.17	23.39	3.63	5.50	37.60	80.59
26.	उत्तराखंड	10490	6981	7035	19.66	18.03	13.51	4.54	12.37	34.36
27.	उत्तर प्रदेश	88707	88959	107056	228.48	117.65	48.14	32.86	136.21	198.03
28.	पश्चिम बंगाल	12701	23741	28864	123.30	32.97	0.92	54.63	80.46	164.63
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	587	85	106	1.32	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	0	8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन व दीव	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	3	6	65	0.20	0.03	0.19	0.00	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	865	1293	1087	0.24	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
	कुल	662764	1247132	1083905	2098.37	1007.67	520.80	973.11	3679.01	6114.62

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा विदेशों में निवेश

76. **श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंकों ने विदेशों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान बैंक-वार कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ग) इन बैंकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान अर्जित किए गए लाभ बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

77. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में 1409 कालोनियों को अनन्तिम रूप से और एक वर्ष के अंदर उक्त प्रयोजनार्थ 1976-77 की निबन्धन और शर्तों का पालन करते हुए इन्हें स्थाई करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनधिकृत कालोनियों की वर्तमान स्थिति क्या है और अभी तक कितने चरण पूरे हो चुके हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिनांक 8.2.2007 को अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) वर्ष 2002 के हवाई सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा सभी अनधिकृत कालोनियां (वे कालोनियां छोड़कर जहां समाज के समृद्ध व्यक्ति रहते हैं) नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करें। दिनांक 31.3.2002 तक मौजूद ''बस्तियां'' जो गांव आबादी के विस्तार के रूप में बनी हैं और जिन्हें गांव आबादी के लाल डोरा विस्तार के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, वे बस्तियां भी अनधिकृत कालोनियों के अनुरूप नियमितीकरण की पात्र हैं।

(2) निम्नलिखित प्रकार की कालोनियों अथवा उनके भागों पर नियमितीकरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा:-

(क) अधिसूचित अथवा आरक्षित वन क्षेत्रों में आने वाली कालोनियां/कालोनियों के हिस्से।

(ख) ऐसी कालोनियां/कालोनियों के हिस्से जो अवस्थापना सुविधाओं के प्रावधान में बाधा हैं अथवा वर्तमान/प्रस्तावित रेलवे लाइनों, मास्टर प्लान सड़कों तथा प्रमुख/ट्रंक जल आपूर्ति तथा सीवरेज लाइनों के मार्गाधिकार क्षेत्र में आती हैं।

(ग) ऐसी कालोनियां जहां नियमितीकरण योजना की औपचारिक घोषणा की तारीख तक 50% प्लाट अनिर्मित थे।

(घ) ऐसी कालोनियों अथवा कालोनियों के हिस्से, चाहे निजी भूमि पर हों अथवा सरकारी, का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा यदि वे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

(3) नियमितीकरण प्रक्रिया से संबंधित मामलों के संबंध में संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए/दिल्ली सरकार के साथ संपर्क के लिए प्रत्येक कालोनी में एक पंजीकृत रेजीडेंट सोसायटी होनी चाहिए।

(4) विकसित सरकारी भूमि की लागत वसूली हेतु कालोनियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। प्लाट धारक कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रचलित लागत तथा अविकसित सरकारी भूमि के लिए हरजाने का भुगतान करेंगे। विकसित सरकारी भूमि के मामले में भूमि दर डीडीए द्वारा अधिसूचित दर तथा हरजाना होगी।

(5) विकास कार्यों के लिए विकास प्रभार की वसूली तथा रूपरेखा दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(6) नियमितीकरण से संबंधित कार्य, जिसमें प्रत्येक कालोनी की सीमाओं को अंतिम रूप देना, संबंधित एजेंसियों के सहयोग से विकास कार्य की तैयारी तथा कार्यान्वयन शामिल है, कार्यान्वयन, समन्वयन, मानीटरिंग तथा सर्वेक्षण दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।

(7) वास्तविक नियमितीकरण उच्चतम न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन है।

दिनांक 5.10.2007 को जारी दिशानिर्देश 2007 के आधार पर अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए विनियमन राजपत्र में दिनांक 24.3.2008 को अधिसूचित किए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर विनियमनों में दिनांक 16.6.2008 को संशोधन करके दिल्ली सरकार को प्राधिकृत किया गया कि वे निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अनधिकृत कालोनियों को अंतरिम नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करें।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि उन्होंने अनधिकृत कालोनियों के आवेदनपत्र (1) जांच के लिए दिल्ली नगर निगम, तथा (2) जांच तथा भू-उपयोग परिवर्तन के लिए डीडीए को भेज दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार अनधिकृत कालोनियों की सीमाएं निर्धारित करवाने की कार्रवाई भी कर रही है। बड़ी संख्या में कालोनियों के संबंध में अंतरिम नियमितीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निगरानी

78. श्री नवीन जिन्दल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नेशनल लेवल मानीटर्स (एनएलएम) द्वारा अभी तक राज्य-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ख) निगरानी रिपोर्टों में क्या मुख्य निष्कर्ष निकले गए हैं; और

(ग) निगरानी रिपोर्टों के आलोक में इस योजना के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण लोगों के बीच एनआरईजीए के बारे में जागरूकता पैदा करने की स्थिति युक्तिसंगत रूप में अच्छी थी। एनएलएम रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत गांवों में पंजीयन की तारीख से 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जाब कार्ड जारी किए गए, 88.34 प्रतिशत गांवों में सभी आवेदकों को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराए गए और 85 प्रतिशत गांवों में 15 दिनों के भीतर मजदूरी दी गई। 81 प्रतिशत ब्लाकों में शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है और एनएलएम ने इसका दौरा किया। क्षेत्र जिन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, एनआरईजीए के लिए समर्पित स्टाफ, ग्रामीण लोगों के बीच अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी, खराब यातायात वाले दुर्गम क्षेत्रों में किए गए कार्य की निगरानी से संबंधित है।

(ग) ग्रामीण लोगों के बीच एनआरईजीए के बारे में जागरूकता पैदा करना एक सतत प्रक्रिया है और ब्लाक स्तर पर सभी सरपंचों का एकदिवसीय अभिमुखीकरण; ग्राम सभा का नियमित आयोजन, स्थानीय भाषा के समाचार-पत्र का उपयोग, रेडियो जिंगल टीवी स्पाट, फिल्म और स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पत्रिका, सरल स्थानीय भाषा में विवरणिका और गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता समूहों की भागीदारी जैसे व्यापक आईईसी क्रियाकलापों के जरिए जागरूकता सृजन किया जा रहा है। अब तक 2.24 लाख ग्राम रोजगार सेवक, 5277 कार्यक्रम अधिकारी, 22588 तकनीकी स्टाफ और 11722 गैर-तकनीकी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं और 1.87 लाख रोजगार सेवकों, 30937 तकनीकी एवं गैर-तकनीकी स्टाफ, 6.81 लाख पंचायती राज संस्थाकर्मी और सतर्कता एवं निगरानी समितियों के 5.51 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। एनआरईजीए के अंतर्गत पारदर्शिता लाने एवं मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से कहा गया है कि वे एनआरईजीए कामगारों को डाकघरों/बैंकों में उनके खातों के जरिए मजदूरी का वितरण करें। अब तक 4.22 करोड़ खाते खोले गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा दौरा किए गए एनआरईजीए (चरण-I एवं II) जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	3

1	2	3
3.	असम	13
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	15
6.	गुजरात	9
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू-कश्मीर	5
10.	झारखण्ड	22
11.	कर्नाटक	11
12.	केरल	4
13.	मध्य प्रदेश	31
14.	महाराष्ट्र	18
15.	मणिपुर	3
16.	मेघालय	5
17.	मिजोरम	4
18.	नागालैंड	5
19.	उड़ीसा	24
20.	पंजाब	4
21.	राजस्थान	12
22.	सिक्किम	3
23.	तमिलनाडु	10
24.	त्रिपुरा	3
25.	उत्तर प्रदेश	37
26.	उत्तरांचल	5
27.	पश्चिम बंगाल	17

क्रेडिट कार्ड धारकों से अधिक ब्याज वसूल करना

79. **श्री निखिल कुमार:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों से इस बात की शिकायतें मिली हैं कि बैंकों द्वारा उनसे अधिक ब्याज वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से 7 मई, 2007 को जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का पालन करने के लिए निदेश दिए हैं और प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों सहित अधिकतम ब्याज दर निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या बैंकों द्वारा उक्त मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है वे क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं से अभी भी अधिक ब्याज दर वसूल कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) संशोधित बैंककारी ओम्बड्समैन योजना, 2006 बैंककारी ओम्बड्समैन कार्यालय को क्रेडिट/डेबिट कार्डों के संबंध में शिकायत प्राप्त करने और उनका निपटान करने में सक्षम बनाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित शिकायतों को आगे अधिक ब्याज वसूलने, इत्यादि जैसे वर्गों में नहीं बांटती है।

''बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाने के संबंध में शिकायतों'' पर दिनांक 7 मई, 2007 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी वाणिज्यिक बैंकों को उचित आंतरिक नियम और प्रक्रिया स्थापित करने की सलाह दी गयी है ताकि उनके द्वारा अग्रिमों एवं ऋणों पर प्रक्रिया संबंधी और अन्य प्रभारों सहित अतिब्याजी ब्याज नहीं लगाया जा सके। इसके अलावा बैंकों को सलाह दी गयी है कि छोटे मूल्यों के ऋण, विशेषकर वैयक्तिक ऋणों और इसी प्रकृति के दूसरे ऋणों के संबंध में नियमों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करते समय बैंकों को उपर्युक्त परिपत्र में सूचीबद्ध ऐसे ऋण संस्वीकृत करने के लिए उचित पूर्वानुमोदन प्रक्रिया विहित करने, बैंकों द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में युक्तिसंगत और न्यायसंगत जोखिम प्रीमियम शामिल करना, ऋणों और उसके उच्चतम सीमा, इत्यादि पर न्यायसंगत ब्याज और सभी अन्य प्रशुल्क निर्धारित करना, इत्यादि जैसे मुख्य निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। बैंकों को इस संबंध में अपने नीतियां उपयुक्त तरीके से प्रचारित करने की सलाह दी गयी है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23 जुलाई, 2008 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों को सलाह दी है कि दिनांक 7 मई, 2007 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में शामिल छोटी राशि के वैयक्तिक ऋण और उसी प्रकृति के ऋणों के संबंध में निर्देश, क्रेडिट कार्ड की देयता पर भी लागू होंगे।

एसबीआई के साथ एसबीएस का विलय

80. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री सर्वे सत्यनारायण रेड्डी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
डा. के.एस. मनोज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के विलय की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकिंग क्षेत्र के श्रमिक संघों ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहायक बैंकों के विलय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो श्रमिक संघों की मुख्य चिंताएं क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी भी बैंकिंग संस्था के अधिग्रहण की योजना, जिसमें ऐसे अधिग्रहण से संबंधित शर्तें निहित हों तथा जिससे स्टेट बैंक का केन्द्रीय बोर्ड तथा संबंधित बैंकिंग संस्था का निदेशालय एवं प्रबंधक सहमत हो, मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी। इन सांविधिक उपबंधों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के अधिग्रहण की योजना का इन बैंकों के संबंधित बोर्डों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित मसौदा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35(2) के अनुसार मंजूरी हेतु सरकार को भेजा गया था। सरकार ने उक्त योजना के लिए दिनांक 13.8.2008 को मंजूरी दे दी है तथा इसे अधिसूचित कर दिया है।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का भारतीय स्टेट बैंक में प्रस्तावित विलय और साथ ही सभी सहयोगी बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की योजना के संबंध में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के सभी सहयोगी बैंकों (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र) के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकाय-सहयोगी बैंक अधिकारी संघ से पत्र मिला है, जिसमें स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की प्रतिक्रिया को शीघ्र पूरा करने हेतु दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया गया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा

81. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा सावधि जमा को स्वीकृति दी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनआरआई जमा से क्षेत्रवार कितना निवेश किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा (एनआरआई) जमा को आकृष्ट करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

सरकार अनिवासी भारतीयों से सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं करती है। तथापि, वे बैंक, जो प्राधिकृत डीलर हैं, (1) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अनिवासी (विदेशी) खाता योजना (एनआरई खाता), अथवा (2) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता बैंक योजना, (एफसीएनआर-बी खाता), के अंतर्गत किसी भी अनिवासी भारतीय से अथवा (3) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट अनिवासी (सामान्य) खाता योजना (एनआरओ खाता), के अंतर्गत भारत से बाहर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति से जमाराशि स्वीकार कर सकते हैं। यह दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 5/2000-आरबी (विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), विनियम, 2000 के विनियम 5(1) के अनुसार है।

(ख)

(अमरीकी मिलियन डालर)

वर्ष (मार्च अंत की स्थिति के अनुसार)	एनआर(ई) आरए	एफसीएन आर(बी)	एनआर ओ
2006	22070	13064	1148
2007	24495	15129	1616
2008	26716	14168	2788
2008 (अगस्त अंत की स्थिति के अनुसार)	24755	13455	3209

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक विज्ञप्ति-अक्तूबर, 2008 की सारणी सं. 45

(ग) जी, नहीं। चूंकि ये साधन स्वभावत: समरूप हैं, बैंकों द्वारा स्वीकृत जमाखातों के पूल अथवा किसी विशेष प्रकार के अभिनियोजन की पहचान करना संभव नहीं होगा।

(घ) अनिवासी (विदेशी) (एनआरई) खातों और एफसीएआर (बी) खातों में जमा की गई राशियों पर ब्याज दरें, 16 सितम्बर, 2008 को और दोबारा 15 अक्तूबर, 2008 को संशोधित की गई हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जनजातियां

82. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जनजातियों की राज्य-वार/संघ राज्य-वार क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(ख) कितने लोगों को सहायता दी गई है और अभी तक कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा संकलित किए गए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जनजाति गणना के आकलन के अनुसार, 1993-94 से 2004-05 की समयावधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जनजातियों में शहरी क्षेत्रों में 7.8 प्रतिशत की कमी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 4.6 प्रतिशत की तदनुरूपी कमी आई है। संबंधित वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जनजातियों की क्रमश: राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशतता

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1993-94		2004-05	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25.66	46.68	30.5	50.0
2.	असम	41.44	7.11	14.1	4.8
3.	बिहार	69.75	35.76	53.3	57.2
4.	छत्तीसगढ़	–	–	54.7	41.0
5.	दिल्ली	–	–	0.0	9.4
6.	गुजरात	31.2	35.47	34.7	21.4
7.	हरियाणा	41.55	–	0.0	4.6

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	63.94	–	14.9	2.4
9.	जम्मू-कश्मीर	–	0	8.8	0.0
10.	झारखंड	–	0	54.2	45.1
11.	कर्नाटक	37.33	82.05	23.5	58.3
12.	केरल	37.34	1.08	44.3	19.2
13.	मध्य प्रदेश	56.69	65.28	58.6	44.7
14.	महाराष्ट्र	50.38	61.06	56.6	40.4
15.	उड़ीसा	71.26	64.85	75.6	61.8
16.	पंजाब	0.27	0	30.7	2.1
17.	राजस्थान	46.23	13.21	32.6	24.1
18.	तमिलनाडु	44.37	30.08	32.1	32.5
19.	उत्तर प्रदेश	37.11	36.89	32.4	37.4
20.	उत्तराखंड	–	19.41	43.2	64.4
21.	पश्चिम बंगाल	61.95	–	42.4	25.7
	अखिल भारत	51.94	41.14	47.3	33.3

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय कठिनाइयां

83. श्री तथागत सत्पथी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वित्तीय वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए आयकर कानून

84. श्री अधीर चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सरलीकृत आयकर कानून तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सरलीकृत आयकर कानून के कब तक बनाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) नई आयकर संहिता तैयार होने के अंतिम चरण में है। आशा है कि इसे जनता के लिए शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।

फर्जी मतदाता

85. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रुटिपूर्ण मतदाता कार्डों और फर्जी मतदाता कार्डों के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संशोधन

86. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों और विभिन्न संगठनों से क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाने सहित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मानदंडों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) मंत्रालय को राजस्थान की मुख्य मंत्री से एनआरईजीए के अंतर्गत गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार के दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में रोजगार के दिवसों की संख्या बढ़ाने के बारे में एक अन्य प्रस्ताव श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा) से प्राप्त हुआ था। दोनों प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और उन्हें यह जानकारी दे दी गई है कि एनआरईजीए के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी की सांविधिक गारंटी का प्रावधान है। तथापि, एनआरईजीए अधिनियम, 2005 की धारा 3(4) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के अंतर्गत किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए अधिनियम की धारा 3(1) के तहत गारंटीयुक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए किसी योजना के अंतर्गत कार्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है।

त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की स्थापना

87. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) 14 जुलाई, 2008 को केरल के मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया गया था कि वे यह स्पष्ट करें कि क्या तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव जसवंत सिंह आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों की पूर्ति करता है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के निबंधनों के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और केरल के राज्यपाल के विचार भी संप्रेषित करें। यद्यपि, केरल के मुख्य मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हो गया है किंतु केरल के राज्यपाल के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

एसबीआई में ऋणों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग

88. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक में ऋणों के केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों के कारण केरल सहित देश के उपभोक्ताओं को अनावश्यक विलम्ब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ऋण प्रदान करने के मामले में किसी बैंक की शाखा को केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र से जोड़ने संबंधी अधिकतम दूरी क्या है;

(ग) क्या ऋण आवेदनों को मंजूरी मिलने में औसतन 15 से 45 दिनों का समय लगता है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण सहित शीघ्र ऋण मंजूर किए जाने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक में ऋणों के केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) देश के शीर्ष 110 केन्द्रों में स्थित हैं और ये ऋण संस्वीकृति/प्रसंस्करण के संबंध में बैंक के निर्धारित मानदंडों को समान रूप से कार्यान्वित करने और उत्पाद/सेवाओं की त्वरित सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के जरिए ग्राहक की संतुष्टि के लिए बनाए गए हैं। सीपीसी एक शहर में शाखाओं को ही कवर करते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि ऋण प्रसंस्करण केन्द्रों ने प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा निर्धारित की है और नियंत्रकों द्वारा उनके कार्य-निष्पादन की लगातार निगरानी की जा रही है। व्यक्तियों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की संस्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा निम्नानुसार हैं:-

आवास ऋण हेतु - 6 दिन

शिक्षा ऋण हेतु - 5 दिन

कार ऋण हेतु - 2 दिन

पालीमर पर करेंसी नोट

89. श्री उदय सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जाली भारतीय नोटों की समस्या से निपटने के लिए आस्ट्रेलिया में प्रचलित प्रणाली की तरह पालीमर पर करेंसी नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पालीमर पर छपे करेंसी नोटों से किस सीमा तक जाली करेंसी के इस्तेमाल को रोका जा सकेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बैंक नोटों की परिचालन अवधि को बढ़ाने के उद्देश्य से परीक्षण आधार पर पालीमर कागज पर 10 रुपए मूल्यवर्ग के केवल 100 मिलियन बैंक नोटों को मुद्रित करने का निर्णय लिया गया है ताकि भारतीय परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसे नोटों की उपयुक्तता अथवा अन्य प्रकार से उपयोगिता सिद्ध हो सके। नकली नोट बनाने और बैंक नोटों में प्रयुक्त सामग्री, कागज हो या पालीमर, के बीच परस्पर कोई संबंध सिद्ध नहीं होता।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी

90. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दर्ज किए गए सोने की तस्करी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस तस्करी के क्या कारण हैं तथा किन-किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है; और

(ग) सोने की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत सोने की तस्करी के मामलों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	मात्रा (किलोग्राम में)	जब्त किए गए सोने का मूल्य (करोड़ रुपये में)
2005-06	45	57.508	3.62
2006-07	28	14.874	1.52
2007-08	58	24.615	4.92
2008-09 (सित. 08 तक)	22	7.924	0.84

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और भारत में सोने के मूल्य में अंतर ही ऐसी तस्करी का कारण है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, बन्दरगाह और भू-सीमाओं पर ऐसी तस्करी की अधिक संभावना रहती है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित क्षेत्रीय कार्यालयों को सोने की तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क और सावधान रहने के निदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

मेगा विद्युत परियोजनाएं

91. **श्री के.एस. राव:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेगा विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से मंजूरी प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु क्या तंत्र है;

(ग) क्या सरकार का विचार मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपनी नीति में संशोधन करने तथा इन परियोजनाओं को वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) (1) 1995 से संचालित सरकार की वर्तमान मेगा विद्युत नीति जिसका पिछली बार अप्रैल, 2006 में संशोधन किया गया था, के अनुसार मेगा विद्युत परियोजनाओं को निम्नलिखित वित्तीय छूट/लाभ दिए गए हैं:-

* मुख्य उपस्कर के आयात पर शून्य सीमा शुल्क।
* विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 के अधीन मेगा विद्युत परियोजना उपस्कर के घरेलू बोलिकर्त्ताओं को डीम्ड निर्यात लाभ।
* आयकर लाभ: इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1ए के अनुसार आयकर अवकाश व्यवस्था।

(1) इसके अतिरिक्त सरकार ने मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित विद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित वैधानिक, नीतिगत एवं प्रशासनिक उपाय किये है:

* नए विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन।
* ताप विद्युत उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त करना।
* ईंधन संयोजन का प्रावधान।
* अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का पुनर्संरचन।
* पारेषण एवं वितरण में खुली पहुंच।
* टैरिफ नीति की अधिसूचना।
* राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना।
* पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ समन्वय।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार ताप विद्युत उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और निजी क्षेत्र के संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति अपेक्षित नहीं है। जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में उस जल विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति अपेक्षित है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक पूंजीगत व्यय होने का अनुमान हो।

(ग) और (घ) वर्तमान मेगा विद्युत नीति फिलहाल समीक्षाधीन है।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय आमेलन

92. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा गठित वित्तीय आमेलन कोष (एफआईएफ) तथा वित्तीय आमेलन प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएफएफ) से पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों सहित ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवा प्रदान में किस प्रकार से सहायता मिलेगी;

(ख) क्या उक्त कोषों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वित्तीय अन्तर्वेशन निधि (एफआईएफ) तथा वित्तीय अन्तर्वेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के कुछ महत्वपूर्ण पात्र कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

* संस्थाओं जैसे किसान सेवा केन्द्रों तथा ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सवंर्धनात्मक सहायता प्रदान करके उद्यम-क्षमता को विकसित करना और वित्तीय जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ाना;

* कारबार सुविधा प्रदाताओं एवं कारबार सम्पर्कियों, बैंकों, डाकघरों, राज्य सरकार के विभागों, एमएफआई, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय स्तर के संघों के कार्मिकों, स्व-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों, आदि की क्षमता का निर्माण;

* ग्रामीण ऋण ब्यूरो की स्थापना एवं ग्रामीण ग्राहकों की ऋण रेटिंग के लिए निधीयन सहायता;

* प्रयोक्ता अनुकूल प्रौद्योगिकीय समाधानों को प्रोत्साहित करना तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना;

* ऋण स्वीकृति प्रक्रिया हेतु कागजी कार्यवाही को सुकर बनाने वाली प्रौद्योगिकियों को निधीयन सहायता;

* बैंकों, डाकघरों, राज्य सरकार, एमएफआई, गैर-सरकारी संगठनों, वीए के कार्मिकों, अन्य पणधारियों की क्षमता का निर्माण; और

* इन दोनों निधियों के सलाहकार बोर्डों द्वारा यथा अनुमोदित अन्य कोई कार्यकलाप।

वित्तीय अन्तर्वेशन समिति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय अपवर्जन 61.2% से 95.9% के बीच है। अत: समिति ने पहले से ही सिफारिश कर दी है कि वित्तीय अन्तर्वेशन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र को पर्याप्त सहायता दी जाए।

इन निधियों से सहायता प्रदान करने से ग्रामीण गरीब, दूरदराज क्षेत्रों के गरीबों सहित, को वित्तीय सेवाएं प्राप्त होंगी, जिससे बैंकों को अप्रयुक्त जमा राशियां जुटाने और ऋण प्रदान करने में सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सूचना प्रौद्योगिकी एवं एफआईटीएफ से संचार मध्यस्थता हेतु सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

राज्यों का ऋण भार

93. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों की ऋण संबंधी समस्याओं तथा ऋण भार के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए "ऋण समेकन और ऋण माफी" की एक स्कीम संस्तुत की है। इस स्कीम के तहत 31.03.2004 तक संविदाबद्ध और 31.03.2005 तक बकाया पिछले केन्द्रीय ऋणों को 7.5 प्रतिशत की घटी हुई ब्याज दर पर 20 समान वार्षिक किस्तों में लौटाए जाने के लिए नए सिरे से अनुसूचित और समेकित किया जाना है बशर्ते कि राज्यों ने मुख्य-प्रावधानों के साथ-साथ अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के अधिनियम लागू कर रखे हों। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को कुल मिलाकर मूल राशि की अदायगी के तहत 11,929 करोड़ रुपए तथा घटी हुई ब्याज दर की अदायगी के तहत 21,276 करोड़ रुपए की कम राशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त विनिर्दिष्ट स्थितियों/शर्तों के अधीन राजस्व घाटा कम करने से जुड़ी एक ऋण-माफी स्कीम भी लागू है। इससे भी राज्यों को और ज्यादा ऋण-राहत मुहैया होने की उम्मीद है। उपर्युक्त सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और "राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) 2005-06 से 2009-10" नाम से विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर सभी राज्य सरकारों में परिचालित किए जा चुके हैं।

अभी तक, 26 राज्य एफ.आर.बी.एम.ए. लागू कर चुके हैं तथा 25 राज्यों का लगभग 1,12,076 करोड़ रुपए का (वित्त मंत्रालय का) केन्द्रीय ऋण भी समेकित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 में 15 राज्यों के 3,984.35 करोड़ रुपए, वर्ष 2006-07 में 20 राज्यों के करीब 4,691.56 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2007-08 में 18 राज्यों के लगभग 4,609.55 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं।

भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें

94. श्री किन्जरपु येरनमायडु: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) भ्रष्टाचार से संबंधित लंबित मामलों पर कार्यवाही करने के लिए और अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता को हाल ही में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रमुखता से बताया गया है। इस विषय की समीक्षा की जा रही है।

अप्रत्याशित लाभों पर कर

95. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी तेल कम्पनियों के अप्रत्याशित लाभों पर कर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) निजी तेल शोधन कम्पनियों के अप्रत्याशित लाभों पर कोई कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

96. मो. मुकीम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काडिल्या हेल्थ, अदानी ग्रुप, कोपरन, लुपिन, रेनबैक्सी और निरमा लिमिटेड जैसी कंपनियों के प्रमोटरों ने अपने शेयरों के मूल्य में धांधली की थी और निर्दोष खुदरा निवेशकों के साथ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) वर्ष 1999-2001 के दौरान कोपरन, लुपिन, निरमा और काडिला लिमिटेड की पर्चियों की सेबी द्वारा की गई जांच से इन कंपनियों के प्रोमोटरों द्वारा की गई किसी प्रकार की धांधली का पता नहीं चला है। रेनबैक्सी और अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड के मामले में सेबी द्वारा जांच की गई और जांच के निष्कर्षों के आधार पर (1) विद्युत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो रेनबैक्सी की पूर्णत: एक अनुषंगी कंपनी है, और (2) अदानी एक्सपोर्टस लिमिटेड के सात प्रोमोटर निकायों के विरुद्ध सेबी (कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 1995 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन किए गए विभिन्न उल्लंघनों के बारे में इसके नीचे दी गई कंपनियों को इस अधिनियम की धारा 209क के अनुसार निरीक्षण किया गया। इन कंपनियों के विरुद्ध या तो अभियोजन दायर किया गया है या कंपनियों के संबंधित पंजीयक द्वारा अभियोजन दायर करने पर विचार किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निरीक्षण के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निरीक्षण के निष्कर्षों पर की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निरीक्षण के निष्कर्ष और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209क के तहत की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	कोपरन	3ग, 211 (6 काउंट्स), 212 (लाभांश की घोषणा) नियम 1975 के साथ पठित धारा 224(8), 223ख, 193, 257, 205, 217(3), 209(1), 209(3) (ख), 211(3क) के अधीन उल्लंघनों की सूचना दी गई है। अभियोजन दायर करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। इसके उत्तर में उपर्युक्त उल्लंघन के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 621क के तहत संयुक्त आवेदन दायर किया है। उसका संयोजन सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 11.3.2005 के आदेश द्वारा किया गया है।
2.	निरमा लिमिटेड	धारा 295 (7 काउंट्स), धारा 17, 58क, 49, 275, 297/299/301, 327, 211 (2 काउंट), 17 के तहत उल्लंघनों की सूचना दी गई है। धारा 295 (2 काउंट), 17 के अधीन अभियोजन दायर करने और धारा 225, 299/301, 217, 211 (2 काउंट्स) के अधीन उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। कंपनी ने 295 (2 काउंट), 17 और 297/301 के लिए संयुक्त आवेदन दायर किया है, जो लंबित है।

1	2	3
3.	अदानी इम्पेक्स लिमिटेड	धारा 209, 301, 433(ग), 217, 211, 147, 303, 372(6) के तहत उल्लंघनों की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा चुकी है और क्षेत्रीय निदेशक से पूरक रिपोर्ट मंगायी जा रही है।
4.	अदानी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	जांच अधिकारी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 और 217(1) (ख) के तहत उल्लंघन की सूचना दी है।
5.	अदानी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	जांच अधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (2 काउंट्स), 217(3), 209(3)(ख) के तहत उल्लंघनों की सूचना दी है।
6.	अदानी एंटरप्राईजिज लिमिटेड	जांच अधिकारी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (2) काउंट्स) के तहत उल्लंघनों की सूचना दी है।
7.	लुपिन लिमिटेड	कंपनी नियमावली, 1975 के साथ पठित अधिनियम, 58 की अनुसूची-XIV के साथ पठित धारा 224(8)(ख), 350, 308(2), 211 (4 काउंट्स), 2007(1)(ख), 297(1), 205(2क), 307(1), 303(1), 372क(5), 193(1)147(1)(क) के तहत उल्लंघनों की सूचना दी गई थी।
8.	काडिला हेल्थ केयर लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 295(1)(घ) (4 काउंट्स) 49, 299/301, 299/300/301 धारा 297 (7 काउंट्स), 211 (4 काउंट्स), 217, 291, 292, 209 (3) (ख) (2 काउंट्स), 297 के तहत उल्लंघनों की सूचना दी गई और डूबे ऋण को बट्टे खाते डाला गया।
9.	मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड	जांच के दौरान जांच अधिकारी ने अधिनियम की निरीक्षण अनुसूची-VI पैरा 1 226(3)(घ) के साथ पठित धारा 295 और 418 के उल्लंघन की सूचना दी है। आरओसी, जालंधर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अभियोजन दायर किए गए हैं।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंक

97. श्री अनन्त नायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में कितने सरकारी बैंकों द्वारा अपनी कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान इनमें से कोई बैंक अपनी शाखाओं में एटीएम खोलने जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में कार्य कर रही बैंक शाखाओं की संख्या का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। 30.09.2008 की स्थिति के अनुसार, एटीएम की संख्या तथा 2008-09 के दौरान खोले जाने हेतु प्रस्तावित एमटीएम की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में सरकारी क्षेत्र की बैंक शाखाओं की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	की स्थिति के अनुसार बैंक शाखाओं की संख्या		
		31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2007	31 मार्च, 2008
1	2	3	4	5
1.	अंगल	47	49	53
2.	बालंगीर	27	28	31
3.	बालेश्वर	73	75	76
4.	बेरगढ़	39	41	42
5.	भद्रक	45	48	50
6.	बौद्ध	15	15	15
7.	कटक	136	139	144
8.	देवगढ़	12	12	12
9.	धनकनाल	38	40	42
10.	गजपती	17	17	18
11.	गंजम	134	141	148
12.	जगतसिंहपुर	51	53	59
13.	जजपुर	53	55	60
14.	झारसुगदा	28	33	35
15.	कालाहांडी	37	39	40
16.	कंधमल	28	28	29
17.	कनदरपारा	45	45	49
18.	केवनझार	57	61	66
19.	खुर्दा	191	207	224
20.	कोरापत	28	30	32
21.	मलकानगिरी	6	6	6
22.	मयूरभंज	83	84	89
23.	नवापारा	9	9	9
24.	नवरंगपुर	7	7	9

1	2	3	4	5
25.	नयागढ़	29	31	32
26.	पुरी	58	59	64
27.	रायागढ़	28	30	33
28.	सम्बलपुर	64	65	68
29.	सोनपुर	10	10	11
30.	सुन्दरगढ़	104	108	112
	कुल	1199	1565	1659

स्रोत: बैंकों के संबंध में मास्टर कार्यालय फाइल (नवीनतम अद्यतन रूप)

नोट: 1. भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगियों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंक 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई।

विवरण II

क्र.सं.	बैंक का नाम	30.9.2008 की स्थिति के अनुसार विद्यमान एटीएम की संख्या	2008-09 के दौरान खोले जाने हेतु प्रस्तावित एटीएम की संख्या
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	7	0
2.	आंध्रा बैंक	23	2
3.	बैंक आफ बड़ौदा	14	0
4.	बैंक आफ इंडिया	8	3
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2	0
6.	केनरा बैंक	15	0
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	9	0
8.	कार्पोरेशन बैंक	10	3
9.	देना बैंक	5	0
10.	आईडीबीआई बैंक	6	0
11.	इंडियन बैंक	3	2
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5	0
13.	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	0	1
14.	पंजाब नैशनल बैंक	30	7
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0
16.	भारतीय स्टेट बैंक	319	175
17.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	0	0
18.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0	0
19.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1	0
20.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	0	0
21.	सिंडीकेट बैंक	17	5
22.	यूनियन बैंक	29	7
23.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	4	2
24.	यूको बैंक	38	16
25.	विजया बैंक	0	1
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	545	224

[हिन्दी]

बंजर भूमि का विकास

98. श्री अजीत जोगी:
श्री अनन्त नायक:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार बंजर भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस प्रकार की भूमि के कितने क्षेत्र को कृषि के तहत लाया गया तथा वहां क्रियान्वित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए), हैदराबाद के सहयोग से सैटेलाइट इमेजरी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2005 (वेस्टलैण्ड एटलस आफ इंडिया, 2005) के अनुसार देश में 552.69 लाख हैक्टेयर भूमि के बंजरभूमि होने का अनुमान लगाया गया है। बंजरभूमि के क्षेत्रफल के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बंजरभूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाने के उद्देश्य से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित करने के लिए 97.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शामिल किए गए क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान विभाग के वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए 15,359 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्दिष्ट किया गया है।

विवरण I

(लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	बंजरभूमि का क्षेत्रफल
1.	आंध्र प्रदेश	45.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.18
3.	असम	14.03
4.	बिहार	5.44
5.	छत्तीसगढ़	7.58
6.	गोवा	0.53
7.	गुजरात	20.38
8.	हरियाणा	3.27
9.	हिमाचल प्रदेश	28.34
10.	जम्मू-कश्मीर	70.20
11.	झारखण्ड	11.17
12.	कर्नाटक	13.54
13.	केरल	1.79
14.	मध्य प्रदेश	57.13
15.	महाराष्ट्र	49.28
16.	मणिपुर	13.17
17.	मेघालय	3.41
18.	मिजोरम	4.47
19.	नागालैंड	3.71
20.	उड़ीसा	18.95
21.	पंजाब	1.17
22.	राजस्थान	101.45
23.	सिक्किम	3.81
24.	त्रिपुरा	1.32
25.	तमिलनाडु	17.31
26.	उत्तरांचल	16.10
27.	उत्तर प्रदेश	16.98
28.	पश्चिम बंगाल	4.40
29.	संघ राज्य क्षेत्र	0.31
	कुल	552.69

विवरण II

(लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06			2006-07			योग*
		डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1.71	0.67	1.395	1.80	0.74	1.21	7.525
2.	अरुणाचल प्रदेश			0.70			1.91	2.61
3.	असम			1.38			2.21920	3.5992
4.	बिहार	0.45		1.10	0.45		1.12	3.12
5.	छत्तीसगढ़	0.68		0.99575	0.70		1.02076	3.39651
6.	गोवा			0.02920			0	0.02920
7.	गुजरात	1.45	1.85	1.05	1.475	2.10	0.80	8.725
8.	हरियाणा		0.70	0.26		0.795	0.165	1.92
9.	हिमाचल प्रदेश	0.235	0.23	0.93592	0.235	0.24	0.39083	2.26675
10.	जम्मू-कश्मीर	0.385	0.25	0.91711	0.385	0.31	0.45	2.69711
11.	झारखण्ड	1.17		0.30	0.71		0.28234	2.46234
12.	कर्नाटक	1.32	0.99	1.1378	1.325	1.10	1.16714	7.03994
13.	केरल			0.75346			0.29091	1.04437
14.	मध्य प्रदेश	1.55		1.4506	1.665		1.51283	6.17843
15.	महाराष्ट्र	1.80		0.70	2.18		1.54864	6.22864
16.	मणिपुर			0.49			0.58	1.07
17.	मेघालय			0.565			0.88	1.445
18.	मिजोरम			1.36			0.64	2.00
19.	नागालैंड			0.405			0.24	0.645
20.	उड़ीसा	0.85		1.12639	0.865		1.082	3.92339
21.	पंजाब			0.31482			0.04245	0.35727
22.	राजस्थान	0.575	5.31	1.06986	0.60	6.065	1.09252	14.71238
23.	सिक्किम			0.14342			0.217	0.36042
24.	त्रिपुरा			0.254			0.27971	0.53371

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	तमिलनाडु	0.95		1.34234	1.04		0.50730	3.83964
26.	उत्तरांचल	0.525		0.89211	0.545		0.51569	2.4778
27.	उत्तर प्रदेश	0.95		1.25	1.005		1.93277	5.13777
28.	पश्चिम बंगाल	0.40		0.30053	0.40		0.58712	1.68765
	योग	15.00	10.00	22.61831	15.38	11.35	22.68421	97.03252

*प्रतिबद्ध देयताओं तथा कार्यक्रमों की पुनर्संरचना के कारण वर्ष 2007-08 के दौरान तथा चालू वर्ष में अभी तक कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सफाई की स्थिति

99. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी पत्रिका फार्ब्स ने अपने अध्ययन में दिल्ली को "विश्व के सबसे गंदी शहरों में से एक" बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर दिल्ली तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों में सफाई की स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातीय लोगों का पुनर्वास

100. श्री जुएल ओराम: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के कलिंग नगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण कितने जनजातीय लोग विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सभी विस्थापित जनजातीय लोगों का उचित पुनर्वास किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ग) अनुसूचित जनजातियों सहित विस्थापित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इसका नोडल मंत्रालय है, द्वारा अधिसूचित 'राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी) 2007' में विशिष्ट प्रावधान किया गया है। यद्यपि राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकरणों को एनआरआरपी 2007 में विहित दिशानिर्देशों की अपेक्षा और अधिक लाभ स्तर प्रदान किए जाने की छूट है क्योंकि संविधान के अनुसार 'भूमि' राज्य का विषय है। अत: उड़ीसा में कलिंग नगर में स्टील संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापितों की संख्या और विस्थापित जनजातियों को समुचित रूप से पुनर्स्थापित करने संबंधी रिकार्ड उड़ीसा सरकार द्वारा रखा जाता है।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा निजी बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

101. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा निजी बैंकों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वे ऋण लेने वालों से ब्याज की अधिक दरें वसूल रहे हैं तथा उन्हें कई प्रकार से परेशान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं/बैंकों हेतु ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित करने तथा इस संबंध में उन्हें निदेश जारी करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका अनुपालन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को उपभोक्ताओं से, विभिन्न प्रकार से उपभोक्ता ऋणों, जिनमें उनके द्वारा प्राप्त किए गए वाहन ऋण शामिल है, के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उच्च ब्याज दर लेने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के संबंध में कोई निदेश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। ब्याज सहित ऋण एवं अग्रिम कंपनी एवं ग्राहक के बीच किए गए करार के निबंधन एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होंगी। तथापि एनबीएफसी के परिचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंक उपयुक्त तंत्र लागू कर रहे हैं। एनबीएफसी को ब्याज दर तथा कार्रवाई संबंधी प्रभार एवं अन्य प्रभार निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आन्तरित नीतियां एवं कार्यपद्धतियां निर्धारित करने की सलाह दी गई है क्योंकि कुछ स्तर के बाद ब्याज दरें बहुत अधिक हो सकती है तथा ये न ही बनाए रखने लायक हो सकती है और न ही सामान्य वित्तीय पद्धतियों के अनुरूप हो सकती है (परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं)।

जहां तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.00 लाख से अधिक के गृह ऋणों सहित सभी अग्रिमों पर ब्याज दरें 18 अक्तूबर, 1994 से अधिनियमित कर दी हैं और ये ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी बैंचमार्क मूल उधार पर (बीपीएलआर) तथा पैलाव संबंधी दिशानिर्देशों के अध्यधीन स्वयं निर्धारित की जाती है। तथापि बैंक उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वैयक्तिक ऋणों के संबंध में बीपीएलआर एवं आकार पर ध्यान दिए बिना ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की एनबीएफसी के लिए अधिकतम ब्याज दर निर्धारित करने की कोई योजना नहीं है। जैसाकि ऊपर दिया गया है ब्याज सहित ऋण एवं अग्रिम, कंपनी एवं ग्राहक के बीच किए गए करार के निबंधनों एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे।

एनटीपीसी द्वारा परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना

102. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी ने 2000 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु कोई रिपोर्ट सरकार को सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) एनटीपीसी लि. की कारपोरेट आयोजना में, 12वीं योजना में कम से कम 2000 मेगावाट क्षमता की परमाणु क्षणता स्थापित करने पर विचार किया गया है। जून, 2006 में एनटीपीसी ने परमाणु विद्युत क्षेत्र में कदम रखने के लिए परमाणु क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए एक योजना तैयार की थी। एनटीपीसी लि. अन्तर्राष्ट्रीय सिविल परमाणु सहयोग से संबंधित वर्तमान विकासों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नीति तैयार करेगा।

[हिन्दी]

अन्य देशों में भारतीय परियोजनाएं

103. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों में चल रही भारतीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं में अभी तक शामिल लक्ष्यों/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय कंपनियों द्वारा अन्य देशों में चलाई जा रही परियोजनाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की है, अर्थात् सिविल निर्माण टर्न-की और परामर्शी सेवाएं। विदेशों में भारतीय परियोजनाओं के लिए गारंटी के रूप में विनियामक अनुमोदनों के साथ-साथ वचनबद्धताओं के माध्यम से निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सहायता, एक्जिम बैंक और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। एक्जिम बैंक और वाणिज्यिक बैंक 100 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य तक की परियोजनाओं को अनुमोदित कर सकते हैं। 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य वाली परियोजना निर्यात संविदाओं के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्य दल से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। भारत से हो रहे परियोजना निर्यात, पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रहे है, जो विदेशों में भारतीय विशेषज्ञता की बढ़ती

महत्ता का संकेत देते हैं। भारतीय कंपनियों ने अनेक क्षेत्रों जैसे सिविल निर्माण परियोजनाओं (सड़कें, रेलवे, बांध, हवाईअड्डों, साईबर टावर) ईपीसी टर्न-की परियोजनाओं (बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, औद्योगिक संयंत्र, रिफाइनरी परियोजनाएं, देशों के बीच तेल और गैस पारेषण परियोजनाएं), तकनीकी सेवाओं (इंजीनियरिंग डिजाईन, परियोजना इंजीनियरिंग, औद्योगिक संयंत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण) में प्रगति की है और अंतर-राष्ट्रीय बाजारों में अपनी एक अलग पहचान गई है। ऐसी परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

सस्ते आवास संबंधी कृतक बल

104. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सभी के लिए सस्ते आवास" उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और निम्न आय वर्गीय लोगों के लिए आवासों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु अर्थोपायों की सिफारिश करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा गठित कृतक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम

105. श्री दुष्यंत सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2008-09 के लिए उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधित शर्तों एवं निबंधनों के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का विशेष ध्यान हानि में कमी के संबंध में वास्तविक तथा प्रदर्शनीय निष्पादन पर है। परियोजना क्षेत्र में राज्य विद्युत यूटिलिटियों से 15% से सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि कमी लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है। यूटिलिटियों को यूटिलिटी स्तर पर सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि कमी के निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है-

* 30% से अधिक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि वाली यूटिलिटियां-3% प्रति वर्ष की कमी।

* 30% से कम सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि वाली यूटिलिटियां-1.5% प्रति वर्ष तक की कमी।

(ख) और (ग) स्पष्ट आधारभूत आंकड़ों के सतत् एकत्रीकरण के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणालियों की स्थापना और ऊर्जा लेखा के क्षेत्र में सूचना तकनीक अपनाना तथा उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किसी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व अनिवार्य पूर्व शर्तें हैं। 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों, शहरों एवं नगरों को पुन:गठित कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण भारों वाले कुछ अधिक भार घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं औद्योगिक फीडरों में से कृषि फीडरों के पृथक्करण के कार्य और हाईवोल्टेज वितरण प्रणाली (11 केवी) के कार्य भी शुरू किए जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जानी है। भाग "क" में ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा और सूचना तकनीक आधारित सेवा केंद्रों के लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचना तकनीक अनुप्रयोगों की अधिष्ठापना के लिए परियोजनाओं को शामिल किया जाना है। भाग (ख) में नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

इस योजना में उन शहरों में यूटिलिटी स्टाफ के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान भी शामिल हैं, जहां एटी एंड सी हानि स्तर आधारभूत स्तरों से कम तक लाए जाते हैं।

(घ) 11वीं योजना के दौरान पुनर्गठित एपीडीआरपी कार्यक्रम का अनुमानित वित्तीय आकार 51,577 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र

106. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। चीन, रूस, यूरोप एवं जापान से प्राप्त विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता से कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं देश में स्थापित की जा रही है, यद्यपि भारत में विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में देशी उपस्करों की आपूर्ति भेल द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) अत्यधिक मात्रा वाले भारतीय कोयले का उपयोग करने के संदर्भ में चीन से आयात किए जाने वाले बायलरों एवं सहायक उपस्करों के डिजाइन स्वरूप का अध्ययन करने के लिए इस वर्ष के प्रारंभ में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने एक समिति की स्थापना की। समिति ने सब-क्रिटिकल डिजाइन की 300/600 मेगावाट की चीनी इकाईयों के बायलरों के मुख्य डिजाइन स्वरूपों एवं इसके सहायक उपस्करों से संबंधित उपलब्ध तकनीकी विवरणों की जांच की और इसको अच्छे इंजीनियरिंग कार्यों के अनुरूप पाया गया।

समिति ने अपनी रिपोर्ट, जो सीईए की वेबसाइट पर डाली गयी है में भी स्पष्ट किया है कि विनिर्देश को अंतिम रूप देने के चरण के दौरान यूटिलिटिज/परामर्शदाता द्वारा अपेक्षित परिश्रम और विस्तृत इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। कार्य एवं साइट पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ग्राहक बिंदुओं को चिह्नित करने तथा जांच प्रक्रिया एवं मानकों के लिए एक विस्तृत व्यापक गुणवत्तापरक योजना प्रत्येक मुख्य उपस्कर/प्रणाली के लिए परिभाषित एवं कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

जनजातीय बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

107. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय से अनुदान जारी न किए जाने के कारण गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा जनजातीय बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बंद हुई संस्थाओं का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों को समय पर अनुदान जारी करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ग) मंत्रालय को किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से समय पर अनुदान जारी न होने के कारण परियोजनाएं बंद होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यह सभी विहित औपचारिकताओं के पूरा होते ही तुरंत निधियां जारी करता है।

गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा

108. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक पैनल ने देश में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लेखाओं की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कंपनियों के लेखाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) योजना आयोग ने वित्त क्षेत्र में सुधार से संबंधित गठित की गई डा. रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की प्रारूप रिपोर्ट पब्लिक के विचारार्थ अपनी वेबसाइट पर रख दी थी। प्रारूप रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध, दोनों तरह की कंपनियों के लेखाओं के चयनित या सदर्श आधार पर पुनरीक्षण के लिए कुछ सुझाव किए गए हैं।

(ग) से (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जानी होती है। किसी कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष सांविधिक रूप से भरे जाने भी अपेक्षित होते हैं जहां उनकी समीक्षा शेयरधारकों द्वारा की जा सकती है। अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत यदि आवश्यकता हो तो ऐसे लेखाओं की कम्पनी रजिस्ट्रार या इस मामले में सरकार/सेबी द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा भी जांच/संवीक्षा की जा सकती है। वर्तमान सांविधिक उपबंध में कम्पनी लेखाओं की यथावश्यक पुनरीक्षा हेतु यथोचित ढांचा प्रदान किया गया है।

जटरोफा की खेती हेतु ऋण

109. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक देश में किसानों को जटरोफा की खेती के लिए ऋण देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस ऋण पर कोई राज-सहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्रदान की गई राज-सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अवक्रमित तथा बंजरभूमि पर जटरोफा की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 1 जुलाई, 2005 के परिपत्र द्वारा सभी बैंकों को (बैंक द्वारा स्वीकार्य जटरोफा पौधरोपण के 3 माडल सहित) दिशा-निर्देश जारी किया है। बैंक जटरोफा की खेती के लिए किसानों को ऋण प्रदान करता है।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति विकास बोर्ड (नोवोड बोर्ड) द्वारा "बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम" के अंतर्गत आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किए जाने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जटरोफा तथा वृक्ष जन्य अन्य तिलहनों (टी.बी.ओ.) की खेती के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। बैंकों के नाम निम्नानुसार हैं-

1.	राजस्थान	–	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सिंडिकेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक।
2.	मध्य प्रदेश	–	बैंक आफ इंडिया।
3.	मणिपुर	–	पंजाब नेशनल बैंक।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा 'वृक्ष जन्य तिलहन समेकित विकास योजना' के अंतर्गत बायो-ईंधन फसल तथा जटरोफा सहित वृक्ष जन्य तिलहनों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति विकास बोर्ड (नोवोड बोर्ड) के जरिए किसानों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 30% क्रेडिट लिंक्ड आर्थिक सहायता दी जा रही है जो 50% आवधिक ऋण तथा 20% लाभार्थी के अंशदान से सम्बद्ध है।

(घ) नोवोड बोर्ड अपनी "बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम" योजना के अंतर्गत परियोजना पूरी होने पर 30% आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2006-07	:	10.49767 लाख रुपये
2007-08	:	1.1006 लाख रुपये
2008-09	:	0.38985 लाख रुपये

नगर निगम कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण

110. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न नगर निगमों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को गंदे नाले की सफाई करने के दौरान रोग होने की आशंका रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा क्या इन कामगारों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सरकार ने क्या उपाय शुरू किए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय को सीवरों की सफाई करते समय रोगों से पीड़ित नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में किसी शहरी स्थानीय निकाय/राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सीवरों की सफाई सहित सीवरों के प्रचालन और अनुरक्षण तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमित स्वास्थ्य जांच संबंधी मामला देश भर के नगर निगमों/नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में आता है। इसलिए, चतुर्थ श्रेणी कामगारों के नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ कार्य करते समय आवश्यक सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने का उत्तरदायित्व भी संबंधित नगर निगमों/ नगर पालिकाओं का है। तथापि, शहरी विकास मंत्रालय ने ''सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट संबंधी मेनुअल'' द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया है, जिसमें अध्याय-8, पैरा 8.10.3 और 8.11 विशेष रूप से संक्रमणों और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

रुपये के मूल्य में गिरावट

111. **श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री ई. दयाकर राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समान अवधि के दौरान चीन, सिंगापुर, थाइलैंड, फिलीपीन्स, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया जैसे देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में 2007-08 और 2008-09 में दोतरफा घट-बढ़ देखी गई है। मार्चान्त-2007 और मार्चान्त 2008 के बीच अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान (7 अक्तूबर, 2008 तक) भारतीय रुपये में सामान्यतया मूल्य ह्रास हुआ है। 7 अक्तूबर, 2008 को विनियम दर प्रति अमरीकी डालर 48.01 रुपये के स्तर तक आ पहुंची अर्थात् 31 मार्च, 2008 के स्तर की तुलना में 16.7 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ।

(ग) एशियाई मुद्राओं, जिनमें भारतीय रुपया भी शामिल है, का मूल्य आम तौर पर अमरीकी डालर के मुकाबले उद्धृत किया जाता है और इसलिए इन एशियाई मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये की घट-बढ़ सामान्यतया अमरीकी डालर के मुकाबले इन मुद्राओं की सापेक्ष घट-बढ़ को दर्शाती है। 2007-08 और 2008-09 (अप्रैल-सितंबर 2008) दोनों में चीन, फिलीपीन्स और सिंगापुर की मुद्राओं के मुकाबले रुपये में सामान्यतया मूल्य ह्रास हुआ। 2007-08 में सामान्यतया मूल्य वृद्धि के बाद, चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर 2008) में रुपये के मूल्य में थाईलैण्ड, मलेशिया, ताईवान और इण्डोनेशिया जैसे देशों की अन्य मुद्राओं के मुकाबले सामान्यतया ह्रास हुआ है।

(घ) 2008-09 में अगस्त 2009 तक, मूल्य ह्रास का पहला और मुख्यतया विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा किए गए विशाल पूंजी बहिर्वाह, कंपनियों द्वारा डालर की बढ़ी हुई मांग और स्टाक बाजार में मन्दी की स्थितियों के कारण था। सितंबर 2008 से यह मूल्य ह्रास अधिक तेजी से हुआ है जो मुख्यतया अभूतपूर्व वैश्विक वित्तीय संकट के कारण है जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी सूचकांक में तीव्र गिरावट हुई है, अपर्याप्त आपूर्ति की पृष्ठभूमि में घरेलू बाजार भागीदारों और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अमरीकी डालर की बड़ी मांग पैदा हुई है।

(ङ) विनिमय दर संबंधी उतार-चढ़ाव पर कड़ी नजर रखी जाती है तथा बाजार की समग्र स्थितियों पर निर्भर करते हुए और समग्र विनिमय दर नीति के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू विदेशी मुद्रा बाजारों में उपयुक्त समझी गई दखल-कार्रवाई की जाती है।

जाली मुद्रा

112. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने माह अगस्त, 2008 में सिद्धार्थ नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की डुमरियागंज शाखा की मुख्य तिजोरी से 20 लाख रु. मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा बरामद की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जाली भारतीय मुद्राओं को बैंकों की एटीएम मशीनों में भी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ङ) क्या कुछ बैंक कर्मचारियों को एटीएम मशीनों और बैंकों के माध्यम से ग्राहकों द्वारा प्राप्त की गई जाली मुद्राओं के संबंध में दोषी पाया गया है और उन्हें दंडित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) जाली भारतीय मुद्रा के परिचालन की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने दिनांक 25 जुलाई, 2008 को 16 लाख रु. की जाली मुद्रा बरामद की थी। यह भी सूचित किया गया है कि इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक डुमरियागंज शाखा, सिद्धार्थ नगर के कैशियर को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के निरीक्षण दल ने भारतीय स्टेट बैंक डुमरियागंज में नोटों की जांच की तथा 4.02 करोड़ रु. की राशि के 76293 जाली नोटों का पता लगाया।

(ग) और (घ) एटीएम के माध्यम से जाली मुद्रा वितरित किए जाने की कुछ घटनाएं भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में लाई गई है, पिछले तीन वर्षों तथा इस वर्ष के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	मूल्य-वर्ग	नोटों की संख्या
2005	100	01
	500	20
	1000	शून्य
2006	100	शून्य
	500	शून्य
	1000	शून्य
2007	100	शून्य
	500	07
	1000	शून्य
2008	100	शून्य
	500	03
	1000	01

(ङ) और (च) अब तक इस प्रकार का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(छ) जाली मुद्रा के परिचालन की रोकथाम के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सलाह देते हुए एक मुख्य परिपत्र जारी किया गया है कि:

(1) बैंकों को अपने एटीएम में केवल अच्छी गुणवत्ता के वास्तविक नोटों का भंडारण सुनिश्चित करना चाहिए। एटीएम के माध्यम से जाली नोटों के संवितरण को संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों का परिचालन समझा जाएगा।

(2) बैंकों को, शाखाओं को जाली बैंक नोटों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के प्रसार तथा इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अपने मुख्यालय में एक नकली (जाली) बैंक नोट सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए ताकि केवल भली-भांति छांटे गए तथा जांच किए गए नोट ही एटीएम में रखे जाएं तथा बैंक नोटों को हैंडल करने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के समय पर्याप्त सुरक्षा उपायों को अपनाना भी सुनिश्चित किया जा सके।

(3) बैंकों को शाखाओं का रख-रखाव करने वाली सभी मुद्रा पेटीओं को नोट छंटाई मशीनों से सुसज्जित करना चाहिए ताकि जाली नोटों का पता लगाया जा सके। बैंक अपनी शाखाओं में तथा लोगों के प्रयोग के लिए काउंटर पर इस प्रकार की मशीनें लगाने पर भी विचार करें।

(4) बैंकों को जाली मुद्रा का पता लगाने के लिए अपने स्टाफ के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

(5) यदि, मुद्रा पेटी से विप्रेषण में जाली नोट पाए जाते हैं, तो जाली मुद्रा के मूल्य के बराबर संपूर्ण राशि बैंक के चालू खाते के नामे डाली जाएगी तथा भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए पिछले विप्रेषण की तारीख से जाली नोटों की राशि पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक जालसाजों पर नकेल कसने के लिए समय-समय पर बैंक नोटों में सुरक्षा संबंधी नई विशेषताओं/नए डिजाईनों को शामिल करता रहा है।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा

113. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और वर्ष 2007-08 के दौरान क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) 11वीं योजना अवधि अर्थात् 2007-2012 के दौरान देश में पवन विद्युत से 10,500 मेगावाट के क्षमता संयोजन की योजना बनाई गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान 1663 मेगावाट सहित 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में 9522 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा देश में संभाव्यता वाले स्थलों पर निजी निवेश के माध्यम से वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना को बढ़ावा दिया जाता है। अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों/राज्यों में ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु संभाव्यता नहीं पाई गई है। सरकार द्वारा पवन विद्युत जनरेटर उप-प्रणालियों हेतु रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, विद्युत परियोजनाओं पर दस वर्ष का करावकाश त्वरित मूल्य-ह्रास का लाभ, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से आवधिक ऋण जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, संभाव्यता वाले राज्यों में पवन विद्युत हेतु अधिमान्य शुल्क-दर उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रालय द्वारा पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए उसके पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, चेन्नई के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं।

ग्रिड से अधिक मात्रा में बिजली प्राप्त करना

114. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री उदय सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य सरकारों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिडों से अधिक मात्रा में बिजली प्राप्त करने से रोकने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारतीय विद्युत ग्रेड कोड (आई.ई.जी.सी.) में व्यवस्था की गई है कि घटकों को ग्रिड से अपनी शुद्ध निकासी को अपने-अपने निकासी कार्यक्रमों के भीतर सीमित रखना चाहिए जब कभी फ्रीक्वेन्सी 49.5 एच.जेड. से कम हो, तथा फ्रीक्वेन्सी 49.0 एच.जेड. से कम होने की स्थिति में अतिरिक्त निकासी को कम करने के लिए अपेक्षित लोड शैडिंग करने चाहिए।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के अंतर्गत आयोग द्वारा अधिसूचित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) के प्रावधानों के अनुसार ग्रिड की सुरक्षा एवं स्थायित्व बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए घटक राज्य यूटिलिटियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षेत्र में ग्रिड प्रचालनों की निगरानी हेतु एक निर्दिष्ट सर्वोच्च निकाय होने के कारण क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र, जब भी अपेक्षित हो, अतिरिक्त निकासी करने वाले घटकों के साथ मामले को उठाता है। निरंतर चूक की स्थिति में, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र तथा सदस्य सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा आई.ई.जी.सी. की धारा 1.5 के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाते हैं। आवश्यकतानुसार केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा भी मामले को उठाया जाता है। सचिव (विद्युत),

भारत सरकार ने 12 सितम्बर 2008 को उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के घटक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की बैठक आयोजित की और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रिड से अतिरिक्त निकासी को रोकने के लिए निर्देश दिए।

हाल ही में, कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा संबंधित पक्षों की सुनवाई के पश्चात् याचिका संख्या 89/2008 में दिनांक 22.09.2008 के आदेश द्वारा आयोग ने ग्रिड कोड के उल्लंघन के लिए ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड, कर्नाटक पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का दण्ड लगाया था।

आनलाइन नोटरी आवेदन देने हेतु योजना

115. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:**
श्री सुनील खां:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में नोटरियों के लिए आनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) नोटेरी की नियुक्ति और उनके लाइसेंसों के नवीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करने के लिए तत्कालीन अपर सचिव श्री के.डी. सिंह की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 27 नवंबर, 2007 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में ई-गवर्नेंस को प्रारंभ करने और आवेदनों नियुक्ति, अनुशासनिक कार्यवाहियों और इलैक्ट्रानिक नोटेरी रजिस्टर आदि के अनुरक्षण की प्रक्रिया के संपूर्ण कंप्यूटरीकरण के लिए सिफारिश की गई है। उक्त रिपोर्ट सरकार के समीक्षाधीन है।

(ख) यदि सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तो इसके क्रियान्वयन में कुछ समय लगेगा।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

116. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही विशेष परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में एसजीएसवाई के अंतर्गत सरकार को प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों/परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो लम्बित प्रस्तावों/परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरूआत से लेकर अब तक 247 विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विशेष परियोजनाओं के लिए 499 प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 47 विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 13260.621 लाख रु. की धनराशि केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गयी है।

(ङ) राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त एसजीएसवाई के अंतर्गत अनेक विशेष परियोजना प्रस्तावों की जांच दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और दो अंतर मंत्रालय समितियों के माध्यम से विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। उनकी टिप्पणियों को देखते हुए राज्य सरकारों को परिशोधन, पुनर्गठन और पुनर्प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रस्ताव लौटा दिए गए हैं जो कि एक सतत् प्रक्रिया है और इसलिए इन परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए किसी प्रकार की समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

विवरण I

अब तक एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत विशेष परियोजनाओं की संख्या

राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	24
अरुणाचल प्रदेश	4
असम	11
बिहार	10
छत्तीसगढ़	9
गोवा	1
गुजरात	9
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	9
जम्मू-कश्मीर	4
झारखण्ड	3
कर्नाटक	6
केरल	9
महाराष्ट्र	15
मणिपुर	6
मेघालय	2
मिजोरम	5
मध्य प्रदेश	22
नागालैंड	5
उड़ीसा	2
पंजाब	5
राजस्थान	21
सिक्किम	1
तमिलनाडु	8
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	9
उत्तरांचल	13
पश्चिम बंगाल	4
विविध राज्य	24
कुल	247

विवरण II

वर्ष 2005-06 से अब तक एसजीएसवाई के अंतर्गत प्राप्त एवं अनुमोदित विशेष परियोजना प्रस्तावों की संख्या

राज्य	प्राप्त किए गए प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	17	1
अरुणाचल प्रदेश	21	0
असम	12	0
बिहार	26	3
छत्तीसगढ़	15	5
गोवा	0	0
गुजरात	11	0
हरियाणा	3	0
हिमाचल प्रदेश	15	1
जम्मू-कश्मीर	5	0
झारखण्ड	17	0
कर्नाटक	25	2
केरल	16	2
महाराष्ट्र	48	6
मणिपुर	28	2

1	2	3
मेघालय	8	1
मिजोरम	3	0
मध्य प्रदेश	43	3
नागालैंड	23	2
उड़ीसा	33	0
पंजाब	10	0
राजस्थान	13	0
सिक्किम	1	1
तमिलनाडु	11	0
त्रिपुरा	5	0
उत्तर प्रदेश	23	4
उत्तरांचल	16	1
पश्चिम बंगाल	22	2
विविध राज्य	29	11
कुल	499	47

बैंकों का विलय

117. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ विलय करने का है ताकि बड़े पूंजी आधार के साथ बैंकों की संख्या सीमित रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में बैंक यूनियनों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त विलय का अर्थव्यवस्था पर पर पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

118. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्राथमिकता तथा गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण की धनराशि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बढ़ोत्तरी का कारण गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की राशि को बढ़ावा जाना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) 31 मार्च, 2006, 2007 और 2008 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) क्रमश: 42,117 करोड़ रुपए, 38,602 करोड़ रुपए और 39,749 करोड़ रुपए थीं। प्रतिशत के संदर्भ में, इन बैंकों का कुल एनपीए वर्ष 2006 में 3.71% से घटकर वर्ष 2007 में 2.81% और वर्ष 2008 में 2.34% रह गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल एनपीए का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने अग्रिमों, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों, एनपीए आदि सहित कार्यनिष्पादन संबंधी विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ''वार्षिक लक्ष्यों संबंधी आशय विवरण'' के आधार पर उनके समग्र कार्यनिष्पादन की निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए इन बैंकों के कुल बकाया ऋणों के वर्ष 2006 में 3,97,051 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2007 में, 5,01,653 करोड़ रुपए और वर्ष 2008 में 5,97,653 करोड़ रुपए होने के

बावजूद मार्च 2006, 2007 और 2008 के अंत में क्रमशः 22,374 करोड़ रुपए, 22,954 करोड़ रुपए और 25,287 करोड़ रुपए था। प्रतिशत के संदर्भ में, यह एनपीए वर्ष 2006 में 5.65% से घटकर वर्ष 2007 में 4.58% और वर्ष 2008 में 4.23% रह गया है।

इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने, अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने और वसूली का अच्छा वातावरण बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपयोज्य आस्तियों के प्रावधान और उनके वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करना, ऋणों को अनुपयोज्य आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए मार्गनिर्देश, कंपनी ऋण पुनर्गठन तंत्र स्थापित करना, एकबारगी निपटान योजनाएं, (1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एफएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, (2) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और (3) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरटी) अधिनियम, 1993 का अधिनियमन आदि शामिल हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां

(करोड़ रुपए में)

	बैंक का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
	1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	1184	1094	1009
2.	आन्ध्रा बैंक	437	397	372
3.	बैंक आफ बड़ौदा	2390	1972	1858
4.	बैंक आफ इंडिया	2479	1931	1783
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	944	820	766
6.	केनरा बैंक	1793	1487	1391
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2684	2572	2350
8.	कार्पोरेशन बैंक	626	625	584
9.	देना बैंक	949	744	573
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	1116	1381	1377
11.	इंडियन बैंक	669	532	473
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1228	1045	916
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2116	1454	1280
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	942	291	136
15.	पंजाब नैशनल बैंक	3138	3391	3319
16.	सिंडिकेट बैंक	1506	1553	1760

1		2	3	4
17.	यूको बैंक	1235	1504	1652
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2098	1873	1657
19.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	744	817	761
20.	विजया बैंक	540	564	512
21.	भारतीय स्टेट बैंक	10376	9871	12576
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	389	463	437
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	453	351	312
24.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	363	294	265
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	398	384	359
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	543	524	521
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	168	128	179
28.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	610	540	571
	कुल	42117	38602	39749

स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर में रिक्त पद

119. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर में रिक्त पदों की ग्रेड-वार संख्या कितनी है तथा ये पद कितने समय से रिक्त हैं;

(ख) कितने पदों को पदोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है;

(ग) ऐसे पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे पदों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्रेड	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं	टिप्पणी
प्रबंध निदेशक	1	01.10.2008	सरकार/भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भरा जाना है।
ग्रेड-VII महाप्रबंधक (सतर्कता)	1	01.08.2008	सरकार द्वारा भरा जाना है।
महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी)	1	01.09.2008	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भरा जाना है।
वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-V	6	01.07.2008	पदोन्नति के जरिए

वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-IV	56	01.07.2008	पदोन्नति के जरिए
मध्यक्रम प्रबंधन ग्रेड-III	233	01.07.2008	-वही-
मध्यक्रम प्रबंधन ग्रेड-II	300	01.07.2008	-वही-
कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-I	400	01.07.2008	पदोन्नति द्वारा (80%) सीधी भर्ती द्वारा (20%)

(ग) से (ङ) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ने सूचित किया है कि रिक्तियां चालू वर्ष में ही हुई हैं। वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-V तक के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है और यह दिनांक 30.11.2008 तक पूरी कर ली जाएगी।

विद्युत वितरण प्रबंधन प्रणाली

120. श्री उदय सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने बिजली गुल होने तथा बिजली चोरी की समस्या से निपटने के लिए एक जटिल विद्युत वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के सभी प्रमुख नगरों तथा शहरों को जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक उत्पादन तथा पारेषण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए एक निगरानी नियंत्रण तथा प्रापण प्रणाली स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संशोधित निबंधन एवं शर्तों के साथ त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। क्षति में कमी के संदर्भ में वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु है। उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सशक्तिकरण तथा उन्नयन के लिए किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व, परिशुद्ध आधारभूत आंकड़े के सतत संग्रहण के लिए विश्वसनीय तथा स्वचालित प्रणालियों की स्थापना, तथा ऊर्जा लेखों के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक पूर्व-शर्तें हैं। योजना के तहत परियोजनाओं को दो भागों में लिया जाना होता है। भाग-क में, ऊर्जा लेखे/लेखा परीक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्रों के लिए आधारभूत आंकड़े तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की स्थापना हेतु परियोजनाओं को शामिल करना होता है। 4 लाख से ज्यादा की जनसंख्या तथा 350 मिलियन यूनिट की वार्षिक निवेश ऊर्जा वाले परियोजना क्षेत्रों में पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आंकड़ा अर्जन प्रणाली (स्काडा) की स्थापना भी की जा सकती है। भाग-ख में नियमित वितरण सशक्तिकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

वोटिंग मशीनों का दुरुपयोग

121. श्री रामदास आठवले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वोटिंग मशीनों के किसी प्रकार के दुरुपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातियों को व्यावसायिक शिक्षा

122. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर ठरांव): (क) से (ग) जनजातियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र की एक योजना 1998 से विद्यमान है। इस योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने और चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को 100 केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का विवरण तथा आवेदन संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं तथा मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.nic.in) पर डाले गए हैं।

[अनुवाद]

कारपोरेट जगत में जुड़ी धोखाधड़ियां

123. श्री के.एस. राव: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट जगत से जुड़ी कितनी धोखाधड़ियों का पता चला तथा उनका शेयरधारकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों तथा सरकारी राजस्व संग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) उक्त धोखाधड़ियों में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार धनशोधन, लेखा परीक्षा तथा अन्य वित्तीय धोखाधड़ियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों को सक्षम बनाने के लिए एक नीति बनाने तथा दिशा-निर्देश निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा कथित विगत तीन वर्षों के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) या अन्य से प्राप्त 28 मामले धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए निरीक्षकों को भेजे गए हैं। पूर्वोक्त मामलों की जांच की प्रगति से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

धोखाधड़ी होने से शेयरधारकों के लिए मूल्य कम हो सकता है तथा ऋणधारकों के लिए जोखिम में वृद्धि हो सकती है। उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो कपटपूर्ण कार्रवाई में शामिल पाए गए हैं। जहां कहीं कारपोरेट संबंधी धोखाधड़ी पाई जाती है, संबंधित राजस्व प्राधिकारियों को भी यथावश्यक कार्रवाई करने के लिए जांच के निष्कर्षों के बारे में जानकारी दी गई है।

(ग) और (घ) विभिन्न धोखाधड़ियों के निपटान में जुटी विभिन्न सरकारी एजेंसियां वर्तमान सांविधिक ढांचे के अनुसार कार्रवाई कर रही है। सरकार ऐसी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करती है तथा उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए यथोचित उपाय करती है।

विवरण

दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2008 तक की अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा एसएफआईओ को भेजे गए जांच संबंधी मामलों की संख्या

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	जांच आदेश की तारीख	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		वर्ष 2005-2006		
1.	ऊषा इंडिया लि.	18.05.2005	दिनांक 10.02.2006 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अभियोजन दायर किए गए।	अभियोजन दायर।
2.	मालविका स्टील लि.	18.05.2005	दिनांक 10.02.2006 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अभियोजन दायर किए गए।	अभियोजन दायर।
3.	कोशिका टेलिकाम लि.	18.05.2005	दिनांक 17.03.2006 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अभियोजन दायर किए गए।	अभियोजन दायर।

1	2	3	4	5
4.	इंफोरमेशन टेक आफ इंडिया लि. (यह मामला एसएफआईओ को अभी तक सरकारी तौर पर नहीं भेजा गया है)	14.10.2005	इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने याचिका में उठाए गए प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए मामला सीएलबी को सौंप दिया गया है। अत: जांच स्थगित रखी गई है। सीएलबी के आदेश की प्रतीक्षा है।	–
5.	मुक्ता आर्ट्स लि.	08.11.2005	माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई द्वारा दिनांक 17.11.2005 को जांच के आदेश के विरुद्ध अंतरिम स्थगनादेश दिए जाने के परिणामस्वरूप जांच निलंबित की गई। मामला आदेशार्थ डिविजन बेंच को भेज दिया गया है।	–
			वर्ष 2006-2007	
6.	सोंख टेक्नोलाजिज इंटरनेशनल	16.05.2006	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत	अभी तक अभियोजन से संबंधित धारा तय नहीं की गई।
7.	सोंख टेक्नोलाजिज लि.	16.05.2006	जांच रिपोर्ट दिनांक 26.09.2007 को प्रस्तुत।	अभियोजन दायर।
8.	मोरपेन लेबोरेट्रीज लि.	16.05.2006	जांच रिपोर्ट दिनांक 16.3.2007 को प्रस्तुत, अभियोजन दायर किए गए हैं।	अभियोजन दायर।
			वर्ष 2007-2008	
9.	जेवीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
10.	जेवीजी पब्लिकेशन लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
11.	जेवीजी होटल्स लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
12.	जेवीजी स्टील्स लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
13.	जेवीजी टेक्नो इंडिया लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
14.	जेवीजी होल्डिंग्स लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
15.	जेवीजी फार्म फ्रेश लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
16.	जेवीजी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
17.	जेवीजी ओवरसीज लिमिटेड	09.07.2007	जांचाधीन	
18.	जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड	27.07.2007	जांचाधीन	
19.	जेवीजी लीजिंग लिमिटेड	27.07.2007	जांचाधीन	
20.	जेवीजी सिक्यूरीटीज लिमिटेड	27.07.2007	जांचाधीन	
21.	जेवीजी डिपार्टमेंटल स्टोर लिमिटेड	27.07.2007	जांचाधीन	
22.	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	07.08.2007	जांचाधीन	
23.	सिस्टम्स इंडिया (अमेरिका) लिमिटेड	17.01.2008	जांचाधीन	
24.	कृषि एक्सपोर्ट कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड	25.02.2008	जांचाधीन	
25.	लिफिन इंडिया लिमिटेड	26.02.2008	जांचाधीन	

विगत तीन वर्षों अर्थात् दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2008 तक की अवधि के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा की गई जांच

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	आदेश की तारीख	स्थिति
1.	वर्मा स्टील एंड वायर्स प्रा.लि.	14.11.2005	अभियोजन दायर करने के निर्देश जारी
2.	स्पोर्टिंग पास्टाईम इंडिया लि.	21.11.2006	अभियोजन दायर करने के निर्देश जारी
3.	प्रभात फोरजिंग प्रा.लि.	21.9.2007	अभियोजन दायर करने के निर्देश जारी

वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव

124. श्री ई. दयाकर राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश को वैश्विक उथल-पुथल के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वैश्विक वित्तीय बाजारों में संकट और 15 सितम्बर, 2008 को लेहमन ब्रदर्श के दिवालियापन के बारे में समाचार से, भारतीय स्टाक बाजार में गिरावट आई है। सेंसेक्स, जो 15 सितम्बर, 2008 को 13531.27 पर था, 13 अक्तूबर, 2008 को गिरकर 11309.09 पर आ गया। इसी अवधि के दौरान निफ्टी भी 4072.9 से गिरकर 3490.7 पर आ गया।

तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व सुदृढ़ बने हुए हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली स्थिर और दुरुस्त है। हम आज भारतीय बाजारों में जो देख रहे हैं, वह वैश्विक वित्तीय स्थिति का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। यह वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता और चिन्ता की केवल झलक है। तथापि, भारत में किसी प्रकार की चिन्ता या अनिश्चितता का कोई कारण नहीं है।

(ख) देश में वित्तीय अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की दिशा में सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1. लिबोर/अदल-बदली+25 आधार बिन्दूओं के लिए एफसीएनआर (बी) जमा और लिबोर/अदला-बदली+100 आधार बिन्दुओं के लिए एनआर (ई) रुपया जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि;
2. घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार हस्तक्षेप। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी लेनदेन प्रचलित बाजार दरों और बाजार प्रचलनों पर होंगे;
3. अनुसूचित बैंकों को नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत उनकी निवल मांग और समय देयताओं की एक प्रतिशत तक की सीमा तक अतिरिक्त नकदी सहायता का लाभ उठाने की अनुमति देना;
4. बैंकों को म्यूचुअल फंडों की नकदी आवश्यकता की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ, उनकी निवल मांग और समय देयताओं की 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त नकदी सहायता का लाभ उठाने की अनुमति देना;
5. रिजर्व बैंक ने 17 सितम्बर, 2008 से दैनंदिन आधार पर दूसरी नकदी समायोजन सुविधा संचालित करने का निर्णय लिया है;
6. नकद आरक्षण अनुपात में 250 आधार बिंदुओं की कमी करना, जो एनडीटीएल का 9 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत होगा;
7. कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत, सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी ऋण संस्थाओं को पहली किस्त के रूप में 25,000 करोड़ रुपए की राशि देने के लिए सहमति दे दी है;
8. कारपोरेट बांडों में संस्थागत निवेशक निवेश सीमा को 3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर करने का निर्णय लिया गया है;
9. सेबी ने यह निर्णय लिया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा उधार दी गई प्रतिभूतियों और विदेशों में उनके उप-खातों की स्थिति समेकित आधार पर सप्ताह में दो बार अर्थात् प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को बताई जाएगी; और

10. सेबी ने यह भी सूचित किया है कि वह भारत में कुछ बड़े वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों की मानीटरिंग कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार की सुव्यवस्थित कार्य पद्धति में बाधा न आए। सेबी स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के साथ परामर्श करके स्थिति की निरंतर समीक्षा भी कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक-सेबी-तकनीकी समिति भी वैश्विक वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों और भारतीय बाजारों पर उसके प्रभाव पर कड़ी नजर रख रही है।

मोबाइल फोन द्वारा भुगतान

125. **श्री किन्जरपु येरनायडु:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चेकों की बजाय मोबाइल फोन द्वारा भुगतान करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2008 को जारी दिशा निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को अपने ग्राहकों को भुगतान करने के लिए मोबाइल को भी एक माध्यम के रूप में उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। मोबाइल फोन का उपयोग, विद्यमान भुगतान तरीकों जैसे चेक, कार्ड और दूसरी इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों के अतिरिक्त होगा।

आरबीआई के दिशानिर्देशों/सलाह का उल्लंघन करना

126. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंक अपने उपभोक्ताओं को पास-बुक जारी करने की आरबीआई की सलाह का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/सलाहों का उल्लंघन करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के अपने वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) में इन बैंकों के ग्राहकों को पास बुक जारी करने में कुछ अनियमितताएं पाई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, अपनी निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार, इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ एएफआई के निष्कर्षों का अनुसरण करता है।

जनजातीय सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम हेतु वित्त पोषण

127. **श्री अनन्त नायक:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई विदेशी एजेंसी उड़ीसा में जनजाति अधिकारिता और आजीविका कार्यक्रम का वित्त पोषण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की एजेंसियों द्वारा मुहैया करायी गई निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्रों की एक विशिष्ट एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा जनजाति अधिकारिता और आजीविका कार्यक्रम (ओटीईएलपी) का वित्तपोषण करती है:

- अनुसूचित जनजातियों को अधिकार प्रदान करना और उनकी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना;
- उनकी आजीविका को समग्र रूप से सुधारना;
- स्थानीय समुदायों को ऊपर उठाना;
- भूमि, जल और धनों तक उनकी पहुंच और उत्पादकता को बढ़ाना, आफ-फार्म उद्यमों को बढ़ावा देना;
- उन्नत सुपुर्दगी तंत्र (इम्प्रूवड डिलीवरी सिस्टम) के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना;
- स्वदेशी जानकारी को बढ़ाना और प्रौद्योगिकीय नवीनतम परिवर्तन लाने के लिए उनका उपयोग करना तथा राज्य में पूर्व जनजातीय वातावरण के विकास को बढ़ावा देना।

इस कार्यक्रम की कुल लागत 91.2 मिलियन यूएस डालर है। इसमें से उड़ीसा सरकार का योगदान 9.6 मिलियन यूएस डालर है।

[हिन्दी]

आदित्य सौर दुकानें

128. श्री अजीत जोगी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही आदित्य सौर दुकानें के स्थानों सहित उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में इस प्रकार की और दुकानें खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उनके स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा कितनी निधियां खर्च करने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) मंत्रालय की एक निवर्तमान स्कीम के अंतर्गत देश में कुल 104 आदित्य सौर दुकानें स्थापित की गईं। एक संशोधित स्कीम के अंतर्गत अब इन दुकानों की स्थापना अक्षय ऊर्जा दुकानों के रूप में की जा रही हैं। इस स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक दुकान की स्थापना करना है। 16 राज्यों के लिए कुल 165 अक्षय ऊर्जा दुकानों का अनुमोदन किया जा चुका है।

आदित्य सौर दुकानों और अक्षय ऊर्जा दुकानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत दुकान की स्थापना करने के लिए 7% की ब्याज दर पर अधिकतम 10.00 लाख रु. तक उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ पात्रता शर्तों के अध्यधीन दो वर्षों की अवधि के लिए प्रति माह 10,000 रु. का एक आवर्ती अनुदान और प्रोत्साहन भी उपलब्ध है।

विवरण

आदित्य सौर दुकान और अक्षय ऊर्जा दुकान का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आदित्य सौर दुकानें	अक्षय ऊर्जा दुकानें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18	
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	
4.	असम	1	
5.	बिहार	1	8
6.	छत्तीसगढ़	1	13
7.	चंडीगढ़		1
8.	दिल्ली	1	
9.	गुजरात	7	1
10.	हरियाणा	10	9
11.	हिमाचल प्रदेश	1	1
12.	जम्मू-कश्मीर	1	
13.	झारखण्ड	2	5
14.	कर्नाटक	1	22
15.	केरल	3	7
16.	मध्य प्रदेश	1	11
17.	महाराष्ट्र	7	8
18.	मणिपुर	1	
19.	मिजोरम	3	
20.	नागालैंड	2	
21.	उड़ीसा	2	
22.	पांडिचेरी	1	
23.	पंजाब	2	12
24.	राजस्थान	2	
25.	सिक्किम	1	
26.	तमिलनाडु	3	4
27.	त्रिपुरा	2	
28.	उत्तर प्रदेश	11	58
29.	उत्तरांचल	5	4
30.	पश्चिम बंगाल	8	

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन

129. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या लक्ष्य प्राप्त हो सकें; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गयी निधियों और उनके द्वारा प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। वर्ष 2005-06 में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारत निर्माण शुरू किया गया जिसे चार वर्षों में कार्यान्वित किया जाना था और इसके अंतर्गत ग्रामीण पेयजल एक घटक है। भारत निर्माण अवधि के दौरान 55067 कवर न की गई तथा 3.31 लाख निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों को कवर किया जाना था तथा 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में जल गुणवत्ता समस्याओं को हल किया जाना था। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा हासिल की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(बसावटों की संख्या)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
2005-06	56,270	97,215
2006-07	73,120	107,350
2007-08	155,499	180,788
2008-09*	219,782	30,831

*राज्यों द्वारा सितम्बर, 2008 तक दी गई जानकारी के अनुसार।

(ख) एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत कवरेज अर्थात् (सामान्य), डीपीएपी क्षेत्र तथा प्राकृतिक आपदा के लिए रिलीज की गई निधियों तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई राशि के संबंध में दी गई जानकारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत सामान्य, डीडीपी क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत रिलीज तथा सूचित व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09*	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	25080.29	16036.00	27221.88	27649.64	30524.00	38840.72	19803.72	19994.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	10674.54	10518.16	13663.78	10333.20	11241.00	12130.67	8066.00	1755.39
3.	असम	14800.62	10863.40	11372.37	18104.16	18959.00	11726.22	12322.00	7623.59
4.	बिहार	15324.00	6954.93	13006.65	13681.84	16968.50	16580.54	45238.00	15512.45
5.	छत्तीसगढ़	5020.44	2738.50	6549.00	7237.00	9595.00	10415.54	6521.00	1055.93
6.	गोवा	182.45	96.08	127.00	147.88	165.50	230.99	0.00	0.00
7.	गुजरात	12769.16	12650.63	14033.08	12166.76	20589.00	21771.83	15721.50	10093.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा	4193.80	2612.54	6372.63	6341.02	9341.00	10953.87	5865.00	4970.85
9.	हिमाचल प्रदेश	11895.00	11911.30	15620.86	15632.68	13042.00	13245.19	7075.50	1780.67
10.	जम्मू-कश्मीर	23671.50	18278.97	23314.67	27092.31	32992.00	19005.73	19893.00	6203.92
11.	झारखण्ड	6307.28	4334.99	3631.00	4115.15	8445.51	11751.10	8033.00	1840.72
12.	कर्नाटक	21208.99	21188.05	24336.00	24590.65	28316.24	28656.79	23933.00	11908.08
13.	केरल	6170.65	4914.70	6216.00	7471.95	8425.08	8346.25	5167.00	2127.09
14.	मध्य प्रदेश	15039.88	15483.73	19733.40	16798.24	25162.00	26755.60	19524.00	10324.28
15.	महाराष्ट्र	33235.88	32286.40	36152.00	34870.89	40440.00	36716.25	28629.00	4937.81
16.	मणिपुर	271367	845.27	1689.50	3234.95	4559.00	3470.73	2508.00	18.01
17.	मेघालय	3190.10	3243.84	5104.59	4569.51	5529.00	5661.16	2890.00	1844.62
18.	मिजोरम	2599.27	2488.87	4271.39	4381.79	3888.00	3015.73	2472.00	1092.81
19.	नागालैंड	2647.76	1647.05	2998.00	2857.52	3974.57	2738.62	2126.00	3919.29
20.	उड़ीसा	13880.94	8902.56	9722.58	9954.61	17194.55	22651.87	14934.00	5543.30
21.	पंजाब	4134.81	3754.91	4098.00	4111.48	5179.91	4027.59	4328.00	1353.30
22.	राजस्थान	49135.34	35499.63	31466.30	51477.91	60672.00	61664.08	90796.00	33562.15
23.	सिक्किम	1283.68	1121.56	1630.77	1596.40	2013.00	1536.20	1072.00	200.48
24.	तमिलनाडु	12053.66	9374.62	12496.22	16111.32	19090.00	19090.00	12091.00	3862.49
25.	त्रिपुरा	3199.86	3255.38	4577.89	3681.54	5443.00	5419.19	2563.00	771.19
26.	उत्तर प्रदेश	28372.10	18134.01	28389.40	33073.82	40151.00	36716.25	27786.00	20583.35
27.	उत्तराखंड	6559.12	5533.11	8329.36	5916.69	8930.00	10134.13	5379.00	1324.88
28.	पश्चिम बंगाल	15078.33	14238.08	17118.40	14454.73	19137.00	23054.59	19470.00	4747.68
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1747.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.18	0.00
	कुल	352170.64	278907.27	353242.72	381655.64	469966.86	466779.61	414206.72	178952.25

*30.9.2008 तक रिलीज की गई निधियां और सूचित व्यय।

[अनुवाद]

ऊर्जा की आवश्यकता

130. **श्री चालासोबरी वल्लभनेनी:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए सत्रहवें इलैक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण के अनुसार पांच वर्षों बाद (2012-13) देश में ऊर्जा की आवश्यकता तकरीबन 968,659 मिलियन यूनिट होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान दर से उस समय कितनी ऊर्जा उपलब्ध होने की संभावना है; और

(ग) अंतर को पाटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सत्रहवें इलैक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण में वर्ष 2011-12 में वर्ष-वार विद्युत मांग अनुमान और 2016-2017 एवं 2021-22 तक पंचवर्षीय योजना-वार प्रोजेक्शन (जो 12वीं एवं 13वीं योजनाओं के अंतिम वर्ष है।) दिए गए हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 के अंत तक अखिल भारतीय इलैक्ट्रिकल ऊर्जा की आवश्यकता 968659 मिलियन यूनिट (एम.यू.) होने का अनुमान है।

(ख) उत्पादन योजना मानदंडों पर आधारित 2011-12 के दौरान अनुमानित ऊर्जा उपलब्धता लगभग 1023000 मिलियन यूनिट है।

(ग) विद्युत की उपलब्धता 2011-12 के लिए अनुमानित आवश्यकता से अधिक होने का अनुमान हैं। विद्युत की उपलब्धता वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए 11वीं योजना के लिए 78,700 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कैप्टिव संयंत्रों से अतिरिक्त विद्युत का दोहन करने तथा मांग संबंधी प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के माध्यम से विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कदम उठाए गए हैं। एक मजबूत अन्तराज्यीय एवं अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन प्रणाली की योजना बनाई गई है, जो न केवल नियोजित उत्पादन क्षमता की निकासी सुनिश्चित करेगी, अपितु जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली है, वहां से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में बिजली को अंतरित करने के लिए खुली पहुंच भी प्रदान करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीमा कवर

131. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर सूक्ष्म बीमा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीमा कवर बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान किसी बीमा कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने 10 नवम्बर, 2005 को व्यष्टि बीमा विनियम अधिसूचित किए हैं। ये विनियम, ग्रामीण क्षेत्रों में वहनीय बीमा कवर की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए थे।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवन तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा शुरू किए गए बीमा उत्पादों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

*जीवन बीमा कंपनियों के व्यष्टि बीमा उत्पादों की सूची**

बीमा कंपनी	उत्पाद का नाम वैयक्तिक श्रेणी	आरंभ करने की तारीख	उत्पाद का नाम समूह श्रेणी	आरंभ करने की तारीख
1	2	3	4	5
अवीवा	ग्रामीण सुरक्षा	12-जून-2007	क्रेडिट प्लस	1-नवम्बर-2004

1	2	3	4	5
बजाज एलायंज	बजाज एलायंज जन विकास योजना	7-मार्च-2007		
	बजाज एलायंज सरल सुरक्षा योजना	7-मार्च-2007		
	बजाज एलायंज अल्प निवेश योजना	7-मार्च-2007		
बिरला सनलाइफ	बीमा धन संचय	31-अगस्त-2007		
	बीमा सुरक्षा सुपर	31-अगस्त-2007		
आईएनजी वैश्य	सिक्योरिंग लाइफ रूरल एंडोमेंट प्लान (तथापि 13 मार्च-08 को उत्पाद वापस ले लिया गया है)	24-फरवरी-2003	जेनरिक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस फार सोशल सेक्टर	27-मार्च-2002
	सुरक्षित जीवन रूरल एंडोमेंट प्लान (तथापि 13 मार्च-08 को उत्पाद वापस ले लिया गया है)	8-मार्च-2002	आईएनजी सरल सुरक्षा	30-नवम्बर-2007
सहारा	सहारा सहयोग	26-जून-2006	सहारा जनकल्याण	15-मार्च-2005
एसबीआई लाइफ			ग्रामीण शक्ति	1-दिसम्बर-2007
			ग्रामीण सुपर सुरक्षा	1-दिसम्बर-2007
			किसानों के लिए सुपर सुरक्षा	4-मार्च-2002
			स्वयं सहायता समूहों के लिए शक्ति (ग्रुप स्वधन)	10-अक्तूबर-2003
			केसीसी/जीसीसी धारकों के लिए आजीवन पेंशन	5-जून-2003
श्रीराम			श्री सहाय-एसपी	18-मार्च-2007
			श्री सहाय-एपी	15-मई-2007
टाटा एआईजी	टाटा एआईजी लाइफ आयुष्मान योजना	8-अगस्त-2006		
	टाटा एआईजी लाइफ नवकल्याण योजना	8-अगस्त-2006		
	टाटा एआईजी लाइफ सम्पूर्ण बीमा योजना	8-अगस्त-2006		
एलआईसी	जीवन मधुर	27-सितम्बर-2006	जनश्री बीमा योजना	10-अगस्त-2000
			आम आदमी बीमा योजना	2-अक्तूबर-2007

*सभी उत्पाद जो आईआरडीए (व्यष्टि बीमा) विनियम 2005, नवम्बर 2005 से पूर्व आरम्भ उत्पादों सहित में व्यष्टि बीमा उत्पादों के लिए अनुबद्ध मानदंडों के अंतर्गत आते हैं।

विवरण II

आदिनांक, साधारण बीमा कंपनियों के लिए सूक्ष्म बीमा उत्पाद

1. **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

   1. पशु बीमा-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण पशु की हानि।
   2. पशु-धन बीमा-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण पशुधन की हानि।
   3. कृषि संबंधी पम्प सैट-कृषि संबंधी पम्प सैट खराब होना।
   4. जनता वैयक्तिक दुर्घटना-कम आय वाले समूहों को वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

5. समूह वैयक्तिक दुर्घटना-समूहों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा।

6. पीए किसान क्रेडिट कार्ड धारक-किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

7. भाग्यश्री-अभिभावकों की मृत्यु होने पर बालिका के लिए वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी।

8. राजराजेश्वरी-पति की मृत्यु होने पर पत्नि के लिए वैयक्तिक दुर्घटना।

9. जन आरोग्य-गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

10. सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा-गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

2. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्यष्टि बीमा-गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

2. व्यष्टि स्वास्थ्य-गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

3. राजेश्वरी महिला कल्याण व्यष्टि योजना-पति की मृत्यु होने पर पत्नि की स्वयं की दुर्घटना।

4. जनता वैयक्तिक दुर्घटना-कम आय वाले समूहों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

5. ग्रामीण दुर्घटना व्यष्टि बीमा पालिसी-ग्रामीण व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी।

6. किसान कृषि पम्प सेट बीमा पालिसी-कृषि संबंधी पम्प सैट का खराब होना।

7. पशु व्यष्टि बीमा-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण पशु की हानि।

8. भाग्यश्री बाल कल्याण-अभिभावकों की मृत्यु होने पर बालिका के लिए वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी।

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. ग्रामीण सुरक्षा बीमा-ग्रामीणों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

2. ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा-ग्रामीणों के लिए वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा।

4. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. पशु बीमा-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण पशु की हानि।

2. जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा-वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

3. ग्रामीण वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी-वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

4. किसान क्रेडिट कार्ड बीमा-वैयक्तिक दुर्घटना, स्वास्थ्य इत्यादि सहित पैकेज पालिसी।

5. राजराजेश्वरी कल्याण महिला योजना पालिसी-पति की मृत्यु को कवर करते हुए वैयक्तिक दुर्घटना।

6. भाग्यश्री बाल कल्याण पालिसी-अभिभावकों की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर बालिका के लिए बीमा सुरक्षा।

7. कृषि संबंधी पम्प सैट-कृषि संबंधी पम्प सैट का खराब होना।

8. सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा-स्वास्थ्य बीमा।

5. रॉयल सुन्दरम् एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. शक्ति स्वास्थ्य शील्ड पालिसी-ग्रामीणों तथा गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

2. शक्ति सिक्योरिटि शील्ड पालिसी-ग्रामीणों तथा गरीबों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा।

3. पशुधन शील्ड-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण जीवन की हानि।

4. जनजातीय स्वास्थ्य शील्ड-आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

5. ग्रामीण आरोग्य रक्षा-ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

6. जनशक्ति शील्ड-कम आय वालों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना।

7. माइक्रो एंटरप्राइज शील्ड-कलपुरजों, उपकरणों तथा आस्तियों के लिए अग्नि बीमा सुरक्षा।

6. टाटा-एआईजी-जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. समूह वैयक्तिक दुर्घटना-ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना।

2. पशु बीमा-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण पशु की हानि।

7. बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. पशु तथा पशुधन बीमा-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण पशु तथा पशुधन की हानि।

2. अग्नि बीमा

3. स्वास्थ्य बीमा-ग्रामीण तथा गरीब व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

4. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा-ग्रामीण तथा गरीब व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

8. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. व्यष्टि स्वास्थ्य-ग्रामीण तथा गरीब व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

2. जीवन बीमा-मृत्यु, बीमारी तथा दुर्घटना के कारण जीवन की हानि।

3. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा-ग्रामीण तथा गरीब व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

4. मौसम बीमा-अपर्याप्त वर्षा के कारण फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।

9. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड

1. वर्षा बीमा-अपर्याप्त वर्षा के कारण फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।

2. वर्षा बीमा-अपर्याप्त वर्षा के कारण फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।

3. अफीम का डोडा बीमा-विभिन्न मानदंडों की भिन्नता के कारण-फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।

4. मौसम बीमा-विभिन्न मौसम मानदंडों के भिन्नता के कारण-फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।

10. स्वास्थ्य तथा एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. व्यष्टि स्वास्थ्य बीमा-ग्रामीण तथा गरीब व्यक्तियों के स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा।

2. व्यष्टि वैयक्तिक दुर्घटना बीमा-ग्रामीण तथा गरीब व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा।

[हिन्दी]

ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा

132. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनसे कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन की संभावना है;

(ग) क्या सरकार इस उद्देश्य से राज्यों को प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति पर पांच प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक स्कीम बनाई है। प्रत्येक परियोजना की क्षमता 16 मेगावाट तक होने की संभावना है।

(ग) और (घ) कचरा जनित इंधन को तैयार करने, दहन, बायोमिथेनेशन, काम्पोस्टिंग और खत्तों सहित मिश्रित प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाएं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा विकसित की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति परियोजना 10.00 लाख रु. तक की परियोजना विकास सहायता के अलावा प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन प्रति मेगावाट 2.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान और विकास एवं कार्यशालाओं तथा सेमिनारों के माध्यम से जागरूकता सृजन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

आई.डब्ल्यू.डी.पी. का क्रियान्वयन करने में समस्याएं

133. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के सफल कार्यान्वयन में सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस दिशा में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या कार्य के अंतर्गत जारी निधियों का विभिन्न राज्यों द्वारा पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष जारी और उपयोग की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निधि जारी नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) देश में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के सफल कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष आने वाली मुख्य समस्याएं केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर पर्याप्त व्यावसायिक सहायता के साथ समर्पित संस्थाओं का अभाव, केन्द्र, राज्य, जिला तथा वाटरशेड स्तरों पर कमजोर निगरानी तंत्र तथा प्रति हैक्टेयर लागत मानदण्ड का अपर्याप्त होना है। इस संबंध में विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 को अपनाया गया है, इससे इन समस्याओं का समाधान होगा।

(ख) और (ग) आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत निधियां 5 वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान 5 से 7 किस्तों में जारी की जाती हैं। परियोजना के लिए अगली किस्त तभी जारी की जाती है जब खर्च न की गई शेष राशि पहले जारी की गई किस्त की राशि के 50 से कम हो किसी परियोजना के लिए जारी की गई निधियां वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती हैं और इन्हें अगले वर्ष उपयोग में लाया जा सकता है। अत: किसी परियोजना के लिए जारी की गई राशि परियोजना के पूरा होने पर ही पूर्णत: उपयोग में लायी जाती है। गत 3 वर्षों के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा 1164.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विवरण

आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक राज्य-वार जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4046.95	3563.06	3713.46
2.	बिहार	990.00	951.41	199.57
3.	छत्तीसगढ़	2026.44	2295.67	2574.75
4.	कपार्ट	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	24.10	0.00	0.00
6.	गुजरात	2418.52	2713.08	2356.55
7.	हरियाणा	594.32	547.99	445.31
8.	हिमाचल प्रदेश	2662.51	1754.56	2785.57
9.	जम्मू-कश्मीर	1120.45	661.74	596.52
10.	झारखण्ड	303.25	232.93	290.31
11.	कर्नाटक	2495.94	3206.49	2292.29
12.	केरल	778.17	260.05	201.36

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	2051.93	1967.91	1647.23
14.	मध्य प्रदेश	4857.38	3111.57	5697.46
15.	उड़ीसा	2307.44	2062.00	1793.91
16.	पंजाब	302.87	350.80	250.17
17.	राजस्थान	2401.67	4276.32	4845.23
18.	तमिलनाडु	2600.44	2692.45	2707.01
19.	उत्तर प्रदेश	3222.78	4736.16	5582.07
20.	उत्तरांचल	1688.02	1123.27	1667.40
21	पश्चिम बंगाल	464.57	627.18	262.27
	कुल	37357.74	37134.66	39908.45
पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	1061.37	2583.77	1563.57
2.	असम	3373.90	3102.23	2705.23
3.	मणिपुर	553.52	1634.93	449.58
4.	मेघालय	804.01	1202.51	547.37
5.	मिजोरम	1122.00	857.86	3128.82
6.	नागालैंड	3886.19	1098.17	2964.28
7.	सिक्किम	165.55	274.95	386.14
8.	त्रिपुरा	308.48	538.08	0.00
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	11275.01	11292.50	11745.00
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का योग	48632.75	48427.16	51653.45

यूटीआई तथा आईडीबीआई की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

134. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार यूटीआई तथा आईडीबीआई का पुनर्गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुनर्गठन प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विगत तीन वर्षों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

अवधि	यूटीआई	आईडीबीआई
31.03.2006	3094	1116
31.03.2007	2645	1232
31.03.2008	2109	1565

(ख) से (घ) जहां तक यूटीआई के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) का संबंध है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 में निहित सांविधिक उपबंधों में, एसयूयूटीआई का प्रतिनिधित्व करने वाली और उससे संबंधित आस्तियों के केन्द्र सरकार को अंतरण के तरीके और प्रक्रिया का उल्लेख है। जहां तक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का संबंध है, बैंक के पुनर्गठन हेतु ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

किसान ऋण राहत निधि

135. श्री जुएल ओराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी राष्ट्रीय ऋण राहत निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक आबंटित और उपयोग हुई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण राहत कोष के लाभ उठाने संबंधी मानकों/दिशानिदेशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 2007-08 के बजट में 10,000 करोड़ रु. की प्रारंभिक निधि से लोक लेखा में किसान ऋण राहत निधि (एफडीआरएफ) बनाई गई है, ताकि उन ऋणदात्री संस्थाओं के भुगतान हेतु स्रोतों को बढ़ाया जा सके, जिन्होंने कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 का लाभ दिया है। अब तक इस निधि से कोई आहरण नहीं किया गाय है।

लोहारीनाग-पाला परियोजना

136. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा 600 मेगावाट वाली लोहारीनाग-पाला परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 8.2.2005 के पत्र सं. जे-12011/33/2004-1ए-1 तथा दिनांक 1.4.2005 के संशोधन पत्र के द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में अभियमितताएं

137. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के संबंध में निधियों के अन्यत्र उपयोग करने, निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न करने और क्रियान्वयन की अविश्वसनीय निगरानी करने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (2006 की रिपोर्ट सं. 13) जो कि वर्ष 2000-2005 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जांच पर आधारित है, मंत्रालय में प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के संदर्भ में निधियों के विपथन, टेंडर प्रक्रिया का पालन न किए जाने और अविश्वसनीय निगरानी संबंधी कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के संबंध में निधियों के विपथन; आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में टेंडर प्रक्रिया का पालन न किए जाने और आंध्र प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में अविश्वसनीय निगरानी के कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु को कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार अस्वीकार्य कार्यकलापों हेतु पीएमजीएसवाई निधियों का उपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की सलाह दी गई है।

(2) निधियां जारी करने/उनके उपयोग की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(3) राज्यों को मानक बोली प्रक्रिया के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है।

(4) राज्यों को गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है।

(5) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/निगरानी की जा रही है।

नोटरी नियमों में संशोधन

138. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:**
श्री सुनील खां:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नोटरी नियमों में संशोधन करने का है ताकि नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु प्रैक्टिसिंग वकील की अनुभव अर्हता को कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम का उल्लंघन

139. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम के कथित उल्लंघन की दोषी पाई गई कम्पनियां की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) कम्पनियों/संगठनों के नाम सहित मामलों का विवरण एवं वर्ष 2006, 2007 तथा 2008 (सितम्बर तक) के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	मामला सं.	शीर्षक	निपटारे की तारीख	की गई कार्रवाई
1	2	3	4.	5
		वर्ष 2006		
1.	आरटीपीई 04/1995	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम मै. पुष्पा बिल्डर्स लि.	24.01.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश

1	2	3	4	5
2.	आरटीपीई 99/2000	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम रीबाक इंडिया कम्पनी	24.03.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
3.	आरटीपीई 132/1997	जोगिन्दर सिंह बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	18.05.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
4.	आरटीपीई 160/1996 सीए 37/2002	डी.जी. (आई. एंड आर.) अभिलाष टंडन बनाम 1. मैं ओसियन इम्पैक्स लि. 2. फाईव स्टार होलिडेज प्रा.लि.	11.08.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
5.	आरटीपीई 178/2000	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम इंडिया हैबिटेट संटर	28.08.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
6.	आरटीपीई 3/2000	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम आल इंडिया मोटर्स ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस	31.08.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
7.	यूटीपीई 86/1999	निदेशक (अनुसंधान) बनाम टेलको	28.02.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
8.	यूटीपीई 87/1999	निदेशक (अनुसंधान) बनाम टेलको	28.02.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
9.	यूटीपीई 90/1999	निदेशक (अनुसंधान) बनाम टेलको	28.02.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
10.	यूटीपीई 57/2002	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम बैरोन इंटरनेशनल लि.	12.01.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
11.	यूटीपीई 35/1997	श्रीमती दुर्गा चौधरी बनाम 1. रजनी प्रोपर्टीज (प्रा.) लि. 2. श्री बी. दत्ता 3. श्री विनोद भटनागर	08.03.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
12.	यूटीपीई 63/2004	ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड बनाम धनभाई ज्वैलर्स	25.04.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश

1	2	3	4	5
13.	यूटीपीई 45/2004	ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड बनाम ठाकुर भाई ज्वैलर्स	25.04.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
14.	यूटीपीई 258/1998	ग्राहक सहायक गुड़गांव वोलैंटरी कन्ज्यूमर एसोसिएशन बनाम 1. डीएलएफ यूनिवर्सल लि. 2. द डायरेक्टर टाउन एंड कन्ट्री	02.05.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
15.	यूटीपीई 190/1998	ग्राहक सहायक गुड़गांव वोलैंटरी कन्ज्यूमर एसोसिएशन बनाम 1. डीएलएफ यूनिवर्सल लि. 2. द डायरेक्टर टाउन एंड कन्ट्री	02.05.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
16.	यूटीपीई 141/1995	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम चौ. शंकर शाह ज्वैलर्स	12.05.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
17.	यूटीपीई 142/1995	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम कृष्णा ज्वैलर्स	12.05.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
18.	यूटीपीई 149/1998	प्रो. शिवनारायण सिंह बनाम यूपी हाऊसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड	11.05.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
19.	यूटीपीई 114/1996 सीए 240/1996	डी.जी. (आई. एंड आर.) सुनील गोयल बनाम 1. मै. स्टेरलिंग सेलुलर लि. 2. वायस कम्युनिकेशन्स	15.05.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
20.	यूटीपीई 73/2002	ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड बनाम श्री कृष्णा ज्वैलर्स	02.07.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
21.	यूटीपीई 74/2001	सुनील गुलाटी बनाम इंडिया हैबिटेट सेंटर	21.08.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
22.	यूटीपीई 189/1999	श्री अब्दुल वाहिद खान बनाम ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट आथोरिटी	06.09.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
23.	यूटीपीई 169/91	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	09.10.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश

1	2	3	4	5
24.	यूटीपीई 168/1997	श्री बी.एन. कुरील बनाम 1. दुर्गा लैंड एंड फाइनेंस कं.	03.11.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
25.	यूटीपीई 03/2000	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम 1. रीलायंस इंडस्ट्रीज लि. 2. श्री डब्ल्यू भाष्करा राव 3. श्री गोपी कृष्ण, विमल शोरूम 4. मै. श्री वामसी, विमल शोरूम 5. हारमनी बूटीक, विमल शोरूम 6. ओनली विमल शोरूम	27.11.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
26.	आरटीपीई 12/1995 सीए 53/1996	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम 1. श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. 2. मै. श्री रानी सेल्स कारपोरेशन 3. श्री मातादीन टेकरीवाल 4. श्री कमल कुमार 5. श्री अंजनी कुमार 6. श्री सुरेश कुमार 7. श्री संजय कुमार	12.01.2006	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
27.	सीए 274/1999	मै. वैक्सो केमिकल्स बनाम मै. केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लि.	04.01.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
28.	सीए 104/1999	लाजेश्वर पाल सिंह बनाम मेरठ डेवलपमेंट आथोरिटी	17.01.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
29.	सीए 288/2000	मै. मानक टेक्नोलाजिकल प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. बनाम दी जनरल मैनेजर, इलेक्ट्रोनिक कार. आफ इंडिया लि.	20.01.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
30.	सीए 330/1999	श्री आर.सी. महेश्वरी बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	20.01.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
31.	सीए 694/2000	सी.वी. रमन्नाराबी बनाम दिल्ली डेवलपमेंट आथोरिटी	27.01.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
32.	सीए 599/2000	उमेश कुमार धूपर बनाम दिल्ली डेवलपमेंट आथोरिटी	30.01.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
33.	सीए 213/1997	स्मार्क इंजिनियरिंग प्रा.लि. बनाम 1. यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. 2. लीड-वेज लि.	01.02.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
34.	सीए 475/2000	निर्मल काठ पेंटल बनाम इसराना	06.02.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
35.	सीए 180/1999	मोहम्मद इब्राहीम बनाम केनरा बैंक	08.02.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
36.	सीए 74/2000	दया धीन बनाम मेक वेब सी रीजोर्ट्स लि.	14.02.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
37.	सीए 65/1997	श्रीमती उषा साहनी एवं अन्य बनाम 1. बैंक आफ अमेरिका, एन.टी. एवं एस.ए. 2. भारतीय रिजर्व बैंक	22.02.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
38.	सीए 297/1999	विन्सम ब्रीवरीज लि. बनाम 1. थर्मेक्स लि. 2. इको थर्म इंजिनियर्स प्रा.लि.	14.03.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
39.	सीए 138/2000	ओरबिट प्रोपर्टीज प्रा.लि. बनाम मालीबू एस्टेट प्रा.लि.	17.03.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
40.	सीए 91/1999	मै. के.एस. सिंघल डेयरीज प्रा.लि. बनाम एलबी एनर्जी सिस्टम्स प्रा.लि.	20.03.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
41.	सीए 219/2001	जयसवाल निको लि. बनाम एवरी इंडिया लि.	03.04.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
42.	सीए 106/2003	विनोद टंडन एवं अन्य बनाम 1. फील्ड स्प्रींग्स बिल्डर्स प्रा.लि. 2. हरमन बिल्डर्स एवं डवलपर्स	05.04.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
43.	सीए 05/1999	सुमीत इंडस्ट्रीज लि. बनाम सीमेंस लि.	26.04.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
44.	सीए 540/2000	लिबर्टी ग्रूप मार्केटिंग डिवीजन बनाम सी.डी.एस. इंडिया प्रा.लि.	26.04.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
45.	सीए 96/2003	श्रीमती फकरंदा जैदी बनाम श्री आई हसन एवं अन्य	28.04.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
46.	सीए 554/2000	ब्रिगेडियन (सेवानिवृत्त) मदन सिंह बनाम 1. डीएलएफ यूनिवर्सल लि. 2. दी डायरेक्टर टाऊन एंड कंटरी	02.05.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
47.	सीए 204/2001	श्री सुजाय राय एवं श्रीमती अरुणधती राय बनाम 1. डीएलएफ यूनिवर्सल लि. 2. दी डायरेक्टर टाऊन एंड कंटरी	02.05.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
48.	सीए 34/2004	ऊषा इंटरकांटिनेन्टल (आई) बनाम शशि एग्रो फंड प्रा.लि.	08.05.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
49.	सीए 338/1999	अजय कुमार सिंह बनाम रीजेंसी इंडस्ट्रीज लि.	12.05.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
50.	सीए 208/1999	श्री अदील मिर्जा बनाम 1. श्री प्रेम खुराना 2. श्री संजय सचदेवा	15.05.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
51.	सीए 275/1998	ग्रांट्स कन्ज्यूमर्स एजुकेशन एवं रीसर्च बनाम टेलीकाम डिस्ट्रीक जीडी	18.05.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
52.	सीए 32/2000	श्री सुरेन्द्र कुमार सिरोही बनाम 1. मै. सुरी आटोमोबाईल्स 2. मै. मारुति उद्योग लि.	23.05.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
53.	सीए 53/2002	श्रीमती एकता सेठ एवं अन्य बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लि.	03.07.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
54.	सीए 245/2000	श्री अशोक दत्ता बनाम 1. फूटहिल प्रोपर्टीज लि. 2. श्रीमती जोती मेहरा 3. श्री एन.एस. मेहरा 4. श्री रविन्द्रनाथ पर्थी 5. बलवंत सिंह मेहरा 6. श्रीमती दुर्गा मेहरा	21.07.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
55.	सीए 242/1999	हरी गोपाल गर्ग बनाम एमटीएनएल	24.07.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
56.	सीए 463/1999	अमित भटनागर बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	04.08.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
57.	सीए 37/2002	अभिलेष टंडन बनाम 1. ओसियन एम्येक्ट्स लि. 2. फाइव स्टार होलिडेज लि.	11.08.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
58.	सीए 199/2000	रोयल डंगले बनाम अंसल प्रोपर्टीज एवं इंडस्ट्रीज लि.	11.08.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
59.	सीए 149/2002	वरुण गुप्ता बनाम एसपी जैन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड रीसर्च	20.09.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
60.	सीए 472/1994	मीनाक्षी शर्मा बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	21.09.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
61.	सीए 88/1997	सुश्री सत्यवती आर रुईया बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	09.10.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
62.	सीए 48/1995	हेमंत चुन्नी लाल साह बनाम श्री यूसूफ अब्दुल्ला पटेल	11.10.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
63.	सीए 589/2000	एसकेएम हासपीटल एंड मैटरनिटी होम बनाम डालमिया रीजोर्ट्स इंटरनेशनल प्रा.लि.	16.10.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
64.	सीए 108/2001	श्री ए.सी. खुल्लर	06.11.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
	सीए 213/2001	श्री हरदीप सिंह सोढ़ी		
	सीए 173/2001	श्री विजय कुमार मेहता		
	सीए 176/2001	श्री राजेन्द्र सिंह डांग		
	सीए 212/2001	श्री आर.पी.एस. भाईटा		
	सीए 214/2001	श्री सत्यजित सूद		
	सीए 171/2001	श्री आनंद कुमार		
	सीए 181/2001	श्री मनोज दत्ता		
	सीए 178/2001	श्री महेन्द्र सिंह		
	सीए 172/2001	श्री आर.पी. डीमरी		
	सीए 177/2001	श्री एस.पी. प्रतापन		
	सीए 221/2001	श्री विजय टंडन		
	सीए 188/2001	सुश्री पुष्पा मल्होत्रा		
	सीए 174/2001	सुश्री हरमीत कौर		
	सीए 175/2001	श्री जोगिन्दर सिंह		
	सीए 170/2001	श्री हिम्मत राम बनाम दिल्ली डेवलपमेंट आथोरिटी		
65.	सीए 36/2001	श्री के. सुन्दर बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	21.11.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
66.	सीए 65/2004	रूट ट्रेवल लि. बनाम दी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि.	27.11.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
67.	सीए 356/1998	संजीव दीवान बनाम मसूरीज देहरादून डेवलपमेंट आथोरिटी	05.12.2006	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
		वर्ष 2007		
1.	आरटीपीई 199/1997	श्रीमती अन्नम्मा जार्ज डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम 1. केरल व्यापारी व्यवसायी ईकोपना समिति 2. मै. हिन्दुस्तान लीवर लि. 3. केरल राज्य	13.02.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
2.	यूटीपीई 69/2004	ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड बनाम टीसी आडी एंड सन्स	11.10.2007	धारा 36घ(2) के तहत सम्मति आदेश

1	2	3	4	5
3.	आरटीपीई 72/1999	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम एस्काट्र्स लि.	22.03.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
4.	आरटीपीई 120/1995	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम लखबीर इंटरप्राईजेस (इंडेन गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स)	16.04.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
5.	आरटीपीई 80/1997	श्रीमती प्रमीला शर्मा बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	20.04.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
6.	आरटीपीई 100/1985	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम दिल्ली हिन्दुस्तान मर्केन्टाईल एसोसिएशन	31.05.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
7.	आरटीपीई 57/1992	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम यूनाईटिड टावर्स (इंडिया) प्रा.लि.	10.07.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
8.	आरटीपीई 218/1995	श्रीमती कला सेठी बनाम यूनाईटिड ट्रेडर्स (प्रा.) लि.	10.07.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
9.	आरटीपीई 06/2001	दी डायरेक्टर (रीसर्च) बनाम 1, टाटा लीवर्ट लि. 2. मै. टेक्नीकल ट्रेड एंड सर्विसेज	08.10.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
10.	आरटीपीई 10/2003 सीए 49/2003	श्री बी.आर. भार्गव बनाम सीनियर सीटीजन होम काम्पलेक्स वैलफेयर सोसाइटी	07.12.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
11.	यूटीपीई 55/2002	1. ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्डस 2. श्री एम.ए.जे. विनोद बनाम मै. बंशी ज्वैलर्स	24.01.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
12.	यूटीपीई 09/2005	1. ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्डस 2. श्री एम.ए.जे. विनोद बनाम मै. मंजूनाथ ज्वैलर्स	17.05.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
13.	यूटीपीई 58/2006	डा. वी.के. अहूजा बनाम मै. लिब्रा ट्रेवल्स (रजि.)	25.05.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश

1	2	3	4	5
14.	यूटीपीई 106/2000 सीए 593/2000	श्री विनीत प्रसाद बनाम मै. ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी	30.05.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
15.	यूटीपीई 341/1997	1. सुश्री सुशीला मेहता 2. डा. प्रयाग मेहता बनाम मै. वाटिका प्लांटेशन प्रा.लि.	31.05.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
16.	यूटीपीई 88/2007	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम मै. रीलायंस कम्युनीकेसन्स लि.	24.07.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
17.	यूटीपीई 87/2004	ब्यूरो आफ इंडिया स्टैण्डर्डस बनाम मै. स्वीस गोल्ड हाऊस	28.07.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
18.	यूटीपीई 86/1998	के.पी. जैन बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लि.	11.10.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
19.	सीए 5/2005	अशोक कुमार चौधरी बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट आथोरिटी	24.01.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
20.	सीए 112/2005	ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) एस.आर. रैना बनाम आर्मी वैलफेयर हाऊसिंग कारपोरेशन	23.02.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
21.	सीए 141/2000	चेतन खुल्लर बनाम डीडीए	09.03.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
22.	सीए 37/1999	फिटनेस एवं ब्यूटी प्वाइंट बनाम जैनिक स्लिमिंग सिस्टम्स	15.03.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
23.	सीए 02/2004	रमिन्द्र सिंह बनाम सुरेन्द्र कुमार आर्या	30.03.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
24.	यूटीपीई 11/1996	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम चैतरे लिठ बर्नेट हेन्स इंडिया लि.	06.07.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
25.	सीए 30/2007	डी.पी. नन्दा बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	18.04.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
26.	सीए 244/1997	ऊषा इंटरनेशनल लि. बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट एरिया	16.05.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
27.	सीए 61/2004	के.एन. रविन्द्रन बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट एरिया	22.05.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
28.	सीए 72/2005	डा. राजेश अग्रवाल बनाम 1. लाईफलाइन ग्लोबल लि. 2. सीएट कम्पनी	28.05.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
29.	सीए 190/1993	श्री जगराम निर्वाण कटारिया बनाम मै. मनजोग इंवेस्टमेंट्स	31.05.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
30.	सीए 60/2003	गोखलेश इंटरप्राइजेज बनाम पेनजान लि. एवं अन्य	17.07.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
31.	सीए 566/2000	जे. रविन्द्रन बनाम एवरोल इंडस्ट्रीज एवं अन्य	24.07.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
32.	सीए 32/2001	पी.जे. फाइनेंस कं. लि. बनाम स्टर्लिंग होलिडे रीजोर्ट्स (आई) लि.	21.08.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
33.	सीए 73/2005	राजीव भार्गव बनाम चान्सलर क्लब	10.09.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
34.	सीए 38/2000	गिट्स फूड प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. बनाम स्टर्लिंग होलिडे रीजोर्ट्स (आई) लि.	17.09.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
35.	सीए 76/2005	एस.डी. चोपड़ा बनाम मदर्सन इंटरनेशनल	21.09.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
36.	सीए 37/1993	नरेन्द्र प्रकाश अग्रवाल बनाम मैनेजमेंट आफ जसवंत रूरल एजुकेशन सोसाइटी	01.10.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
37.	सीए 13/2007	श्री लीलाधर पंत बनाम आईसीआईसीआई बैंक	05.10.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
38.	सीए 48/2003	श्री कृष्णा इंफोसिस्टम बनाम होलिट पैकर (आई) लि.	29.10.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
39.	सीए 186/1999	आशिष अहलुवालिया बनाम डालमिया रीजोर्ट्स इंटरनेशनल प्रा.लि.	10.12.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
40.	सीए 3/2006	आक्साईड्स इंक बनाम आफसोर इम्पैक्स कारपोरेशन	13.12.2007	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
41.	आरटीपीई 99/1990	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम 1. सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन 2. द आन्ध्र सीमेंट कं. लि. 3. द एसोसिएटेड सीमेंट कं. लि. 4. बेसल कोर्ट उद्योग लि. 5. द बिरला जूट एंड इंडस्ट्रीज लि. 6. द सेंचुरी एसपीजी एंड मैनुफैक्चरींग कं. लि. 7. चेंटिनड सीमेंट कारपोरेशन लि. 8. कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लि. 9. डालमिया सीमेंट (प्रा.) लि. 10. डायमंड सीमेंट 11. गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि. 12. द हिन्दुस्तान सुगर मिल्स लि. 13. द इंडिया सीमेंट्स लि. 14. जे.के. सीमेंट वर्क्स 15. द जयपुर उद्योग लि. (दोषी नहीं) 16. जे पी रीवा सीमेंट लि. 17. कल्याणपुर लाईम एंड सीमेंट वर्क्स लि. 18. द केसीपी लि. 19. लक्ष्मी सीमेंट 20. लार्सन एंड टोबरो लि. 21. मद्रास सीमेंट्स लि.	20.12.2007	बंद करने एवं बाज आने का आदेश

1	2	3	4	5
		22. मेकर्स डेवलपमेंट सर्विसेस (प्रा.) लि. 23. मंगलम सीमेंट्स लि. 24. मोदी सीमेंट लि. 25. मैसूर सीमेंट लि. 26. नर्मदा सीमेंट कं. लि. 27. ओरिएंट सीमेंट कं. लि. 28. उड़ीसा सीमेंट लि. 29. पनीयम सीमेंट एंड मिनरल्स इंडिया लि. 30. प्रियदर्शनी सीमेंट लि. 31. राशी सीमेंट लि. 32. राजश्री सीमेंट 33. रेमण्ड सीमेंट वर्क्स 34. रोहतास इंडस्ट्रीज लि. (दोषी नहीं) 35. सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल्स इंडिया लि. 36. श्री सीमेंट लि. 37. श्री दिग्विजय सीमेंट कं. लि. 38. सोनवैली पोर्टलैण्ड सीमेंट कं. लि. 39. टेक्समैको लि. (दोषी नहीं) 40. केसवराम इंडस्ट्रीज लि. 41. विक्रम सीमेंट 42. एचएमपी सीमेंट लि. 43. डीसीएम सीमेंट लि. 44. श्री विष्णु सीमेंट लि. 45. सीमेंट कारपोरेशन आफ गुजरात लि.		
		वर्ष 2008		
1.	सीए 317/2000	बेरी इंडस्ट्रीज टेप कं. बनाम आरपी कोटिंग प्रा.लि.	08.09.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
2.	सीए 94/2005	एम.के. शर्मा बनाम 1. करण बैली एस्टेट 2. दीपक बजाज	17.01.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
3.	सीए 87/2003	हिमालया इंटरनेशनल लि. बनाम हिन्दुस्तान टीन वर्क्स लि.	01.07.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
4.	सीए 106/2002	रीना रानी बनाम 1. बैरोन इलेक्ट्रानिक प्रा.लि. 2. मनोज इलेक्ट्रानिक लि.	13.05.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
5.	सीए 167/2001	वीना सिन्हा बनाम यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज रिसर्च प्रा.लि.	05.05.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
6.	सीए 38/2006	रवि शंकर पाण्डेय बनाम 1. जागरण प्रकाशन लि. 2. संजय गुप्ता	21.05.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
7.	यूटीपीई 188/1988	कृष्णा एस्टेट बनाम ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	13.05.2008	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
8.	सीए 135/1998	पूजा भवन बनाम 1. टेलको 2. टाटा फाइनेंस 3. रोहित आटोमोबाईल्स	16.07.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
9.	सीए 98/2006	फीरोज अहमद बनाम 1. रवि रंजन, इंफोटेक फ्रांचिसेसी-एसएसआई 2. मनोज कुमार, इंफोटेक फ्रांचिसेसी-एसएसआई 3. डायरेक्टर, एसएसआई लि.	18.07.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
10.	सीए 112/2006	रंजन कुमार शर्मा बनाम एशिअन पेंट्स (इंडिया) लि.	25.03.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
11.	सीए 187/2001	बी.एल. निमेश बनाम शिद्धेश्वरी बिल्डर्स प्रा.लि.	19.03.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
12.	सीए 361/1999	प्रसनल प्वाइंट केयर लि. बनाम एलआईसी आफ इंडिया	11.04.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
13.	यूटीपीई 13/2005	ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड बनाम टी. सुमैया सेटी एवं अन्य	21.08.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
14.	सीए 292/1999	जीपी कैप. अनिल गुप्ता बनाम स्टेलिंग होलिडे रीसोर्ट्स लि.	29.08.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत

1	2	3	4	5
15.	आरटीपीई 21/2001	सरबजित एस. मोखा एवं अन्य बनाम 1. सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन 2. एसोसिएट सीमेंट कं. लि. 3. गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि. 4. परीसिम सीमेंट लि. 5. लार्सन एवं टाउब्रो लि. 6. लफ्फार्ग सीमेंट 7. ग्रासीम सीमेंट 8. सत्रा सीमेंट वर्क्स 9. जे.पी. सीमेंट 10. डाल्मंड सीमेंट 11. मेहर सीमेंट इंडस्ट्रीज हाऊस	29.02.2008	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
16.	सीए 198/2000	एम. रामा राव बनाम 1. ओम डेवलपर्स 2. संजय आर. देसाई 3. एबी माटे	07.03.2008	क्षतिपूर्ति स्वीकृत
17.	यूटीपीई 42/2004	ब्यूरो आफ इंडिया स्टैण्डर्ड बनाम हरजीवन दास झूठा भाई जवेरी	28.03.2008	सम्मति आदेश 36घ(2)
18.	यूटीपीई 05/2005	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम अलोहा इंडिया	28.03.2008	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
19.	यूटीपीई 85/2007	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम महानगर टेलिफोन निगम लि.	31.03.2008	बंद करने एवं बाज आने का आदेश
20.	आरटीपीई 30/2006	डी.जी. (आई. एंड आर.) बनाम . 1. रेसिन्स एंड प्लास्टिक लि. 2. की एजेन्सी 3. बम्बई पिग्मेंट एंड अलाईड प्रोडक्ट 4. समर केमिकल्स	06.02.2008	सम्मति आदेश

नोट:

आरटीपीई - प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार जांच
यूटीपीई - अनुचित व्यापार व्यवहार जांच
सीए - क्षतिपूर्ति आवेदन
डीजी (आई एंड आर) - महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण)

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण

140. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

बैंकों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां

141. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, क्षेत्रवार, राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति के दिशानिर्देशों में हाल ही में संशोधन किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) अनुकम्पा-आधार पर नियुक्ति के बदले में अनुग्रह राशि की अदायगी के लिए आदर्श योजना-2004 को निम्नलिखित अपवादस्वरूप मामलों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति किए जाने के लिए, जुलाई 2007 में संशोधित किया गया था, जहां:-

(1) किसी कर्मचारी की अपनी कार्यालयी सेवा के दौरान, हिंसा, आतंकवाद, लूट अथवा डकैती के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है।

(2) किसी कर्मचारी की अपनी पहली नियुक्ति के 5 वर्षों के भीतर अथवा 30 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले, जो भी बाद में हो, आश्रित पत्नी और/अवयस्क बच्चों को छोड़कर मृत्यु हो जाती है; और

(3) नियुक्ति केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में की जाएगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

142. श्री उदय सिंह:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार काउंसिल आफ इंडिया ने सरकार से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा करने और उसमें पारदर्शिता लाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

143. श्री रामदास आठवले:
श्री एम. अंजन कुमार यादव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित प्रस्तुत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से राज्य-वार कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई और कितनी मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ग) उनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की रिलीज हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों की संबंधित परियोजना अनुमोदन/स्वीकृति समितियों द्वारा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाती है। अपूर्ण प्रस्तावों को अपेक्षित जानकारी एवं स्पष्टीकरण आदि के लिए वापस भेज दिया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत किसी राज्य से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृत करने में अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है और पी.एम.जी.एस.वाई. दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान लंबित प्रस्ताव संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 449 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 47 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गए हैं और 252 अपूर्ण प्रस्तावों को राज्यों को लौटा दिया गया/रद्द कर दिया गया है। प्राप्त, अनुमोदित एवं लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत परियोजनाओं पर राज्य विशेष के संदर्भ में विचार नहीं किया जाता है बल्कि संबंधित जिला प्रस्ताव के आधार पर विचार किया जाता है और तदनुसार अनुमोदित किया जाता है। अब तक जिलों से 590 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अनुमोदित किये गए हैं तथा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। समेकित बंजर भूमि प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) जिसमें समेकित वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) शामिल हैं, के अंतर्गत वर्ष 2007-08 तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

विवरण I

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

#	राज्य	चरण	सड़कों की संख्या	लंबाई कि.मी. में	अनुमान करोड़ में	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	चरण III	248	1975.28	1042.09	संवीक्षा के दौरान पाई गई विसंगतियां राज्य को बता दी गई। अनुपालन की प्रतीक्षा है।
2.	बिहार	मिसिंग लिंक	231	796.00	319.25	राज्य से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए। 30.10.2008 को अधिकारी संपन्न समिति की होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।
3.		भारत निर्माण बैच-III	1102	3626.86	1271.93	संवीक्षा की जा रही है।
4.	बिहार-एनईए					
	एनएचपीसी	चरण-VII	15	59.73	40.80	संवीक्षा शुरू की जाने वाली है।
	इरकान	चरण-VII	439	1416.60	605.88	संवीक्षा शुरू की जाने वाली है।
5.	गुजरात	चरण-VIII	1327	3793.75	880.00	30.10.2008 को अधिकार संपन्न समिति की होने वाली बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए सुलभ
6.	हरियाणा	चरण-VIII	51	618.61	356.77	राज्य से स्पष्टीकरण प्राप्त होना है।

1	2	3	4	5	6	7
7.	झारखण्ड	चरण-VI	636	2971.69	928.32	24.07.2008 को अधिकार संपन्न समिति की हुई बैठक की टिप्पणियों का अनुपालन रिपोर्ट राज्य से प्राप्त हुआ है। स्पष्टीकरण शीघ्र जारी किया जाएगा।
8.	केरल	चरण-VII	420	1155.00	499.80	संवीक्षा शुरू की जाने वाली है।
9.	मध्य प्रदेश	एडीबी बैच-V	404	1875.47	558.73	संवीक्षा की जा रही है।
10.	मिजोरम	चरण-VII	25	386.05	193.78	संवीक्षा के दौरान पाई गई विसंगतियां राज्य को बता दी गई। अनुपालन की प्रतीक्षा है।
11.	उड़ीसा	एडीबी बैच-III	313	1514.38	632.02	30.10.2008 को अधिकार संपन्न समिति की होने वाली बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए सुलभ
12.	सिक्किम	चरण-VII सामान्य पीएमजीएसवाई	106	488.69	298.83	संवीक्षा के दौरान पाई गई विसंगतियां राज्य को बता दी गई। अनुपालन की प्रतीक्षा है।
13.	त्रिपुरा	चरण-VIII	112	568.49	316.55	संवीक्षा के संबंध में टिप्पणियां राज्य को भेज दी गई। अनुपालन की प्रतीक्षा है।
14.	उत्तर प्रदेश	चरण-VIII भाग-II	1132	7707.34	2929.64	संवीक्षा की जा रही है।
	कुल 12 राज्यों के लिए		6561	28954	10874.39	

विवरण II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत और लंबित एसजीएसवाई परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		लंबित
	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	11		5		1	1			2
अरुणाचल प्रदेश	1		5		13		2		18
असम	3		3		3		3		7
बिहार	14		4	1	5		3	2	8
छत्तीसगढ़	6		5	2	4	3			6
गोवा									0
गुजरात	4		2		4		1		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा			1				2		1
हिमाचल प्रदेश	2		3	1	4		6		9
जम्मू-कश्मीर	1				3		1		3
झारखण्ड	3		7		7				7
कर्नाटक	18		4	1	2	1	1		7
केरल	7		4	2	3		2		5
महाराष्ट्र	19		12	2	12	2	5	2	13
मणिपुर	8		10	1	3	1	7		15
मेघालय	6		2	1					0
मिजोरम	1	1	2	1				1	1
मध्य प्रदेश	10	2	15		14		4		22
नागालैंड	6		7		5		5		13
उड़ीसा	5		7		10		11		14
पंजाब	2		1		6		1		4
राजस्थान	3		4		6				4
सिक्किम			1	1					0
तमिलनाडु	4		4		1		2		1
त्रिपुरा	4				1				1
उत्तर प्रदेश	10		5	2	6		2	2	7
उत्तरांचल	5		6	1	5				6
पश्चिम बंगाल	3	1	10		5	1	4		9
विविध राज्य	4	1	10	8	10	1	5	1	10
कुल	160	5	139	24	133	10	67	8	200

[अनुवाद]

बैंक हड़ताल

144. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
डा. के.एस. मनोज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बैंककर्मियों ने सितम्बर, 2008 में दो दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की मांग, यदि कोई हो, क्या है;

(ग) कर्मचारियों की मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने की संभावना है;

(घ) इस हड़ताल के कारण कारोबार में कितनी हानि हुई तथा आम लोगों को कितनी असुविधा हुई; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की असुविधा से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) युनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) द्वारा आह्वान किये जाने पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कर्मचारी पीएसबी के निजीकरण, रघुराम राजन समिति और अनवारूल होडा समिति की सिफारिशों, पीएसबी के विलयन तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन का विरोध करने के लिये और अपनी मांगों, नामत: पेंशन के दूसरे विकल्प, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों, वेतन संशोधन, सभी सामान्य नौकरियों और सेवाओं में आऊटसोर्सिंग रोकने तथा बैंकों में रिक्त पदों को भरने जैसे मुद्दों के संबंध में यूएफबीयू और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के बीच दिनांक 25.2.008 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) से जल्द कार्यान्वयन, के समर्थन में दो दिन, 24 और 25 सितम्बर 2008 को, हड़ताल पर थे।

(ग) अभी तक, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों के समेकन के संबंध में कोई निदेश जारी नहीं किया गया है और पीएसबी के नियंत्रण एवं प्रबंधन को गैर-सरकारी क्षेत्र को अंतरित करने का प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, रघुराम राजन तथा अनवारूल होडा समितियों की सिफारिशों की रिपोर्टों के बारे में अभी विचार किया जाना है। बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। इसके अलावा, आईबीए ने सूचित किया है कि वह दिनांक 25.02.2008 के एमओयू में कवर किये गये मुद्दों के संबंध में यूएफबीयू के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहा है।

(घ) हड़ताल के कारण हुई हानि का परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं है। देश-भर में फैले 27,000 एटीएम के कार्य करने के कारण जनता को दिक्कत कम से कम हुई।

(ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 20 के अनुसार, सुलह की कार्यवाही उस तारीख से आरंभ होनी है, जिस तारीख को मुद्दों को निपटाने और हड़ताल को टालने के लिये सुलह अधिकारी को हड़ताल का नोटिस प्राप्त हो।

आवासीय विद्यालय

145. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 11वीं योजना अवधि के दौरान और अधिक केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि के दौरान आवासीय विद्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। यह केवल राज्यों को आवासीय विद्यालय स्थापित करने का समर्थन करती है।

(ख) 11वीं योजना अवधि के वित्तीय वर्ष (2008-09) के दौरान आवासीय विद्यालयों (आश्रम विद्यालयों) की स्थापना हेतु कुल बजटीय प्रावधान 30.00 करोड़ रुपए का है। योजना मांग-प्रेरित तथा जरूरतों पर आधारित है तथा सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति के उपरांत ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी किया जाता है। इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां चिन्हित नहीं की जाती।

[हिन्दी]

केन्द्र और राज्यों के बीच सेवा कर का बंटवारा

146. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 33 सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व को राज्य सरकारों के साथ बांटने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके बीच क्या समझौता हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच यह सहमति हुई थी कि केन्द्रीय बिक्री कर को वर्ष 1.4.2007 से आरंभ करते हुए तीन वर्ष की अवधि में अर्थात् 31.3.2010 तक समाप्त कर दिया जाएगा। केन्द्रीय बिक्री कर की दर में 1.4.2007 से जब यह 4 प्रतिशत थी, हर वर्ष एक प्रतिशत की कटौती करने

पर सहमति हुई थी। इसके फलस्वरूप परिवर्तन की अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वर्तमान समेकित दिशानिर्देशों में शामिल एक उपाय के रूप में केन्द्र सरकार ने साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि अन्त: राज्य प्रकृति की 33 सेवाएं जो वर्तमान में सेवा कर के अध्यधीन हैं उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग उन राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय बिक्री कर में कमी के कारण हानि हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में जारी किए गए वर्तमान समेकित दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार परिवर्तन अवधि के दौरान पहचानी गयी 33 सेवाओं पर सेवा कर लगाने और उसकी वसूली को जारी रखेगी, परन्तु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फार्म-घ की समाप्ति एवं तम्बाकू पर बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर से होने वाले अतिरिक्त राजस्व की गणना के बाद देय नकद क्षतिपूर्ति यदि कोई हो के प्रति संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजस्व अन्तरित किया जाएगा। यदि अपेक्षित होगा तो केन्द्र सरकार के बजट के माध्यम से ऐसी राशि का अंतरण होगा। इस निर्णय को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

147. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उक्त संगठनों को जारी की गई निधियों का योजना-वार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा प्रयुक्त धनराशि का योजना-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उन सहायताप्राप्त संगठनों की निगरानी/लेखापरीक्षा कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के मानक मंत्रालय की वेबसाइट (www.wcd.nic.in) में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जिन गैर-सरकारी संगठनों को राशि निर्मुक्त की गई, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्टों तथा मंत्रालय के वेबसाइट (www.wcd.nic.in) में उपलब्ध है। जहां तक संगठनों द्वारा राशि के उपयोग का संबंध है, आगामी किस्तें संगठनों द्वारा प्रस्तुत खातों के लेखा-परीक्षित विवरण तथा उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। मंत्रालय की सभी स्कीमों का उनमें अन्तर्निहित मानीटरिंग प्रणाली के माध्यम से समुचित मानीटरिंग किया जाता है।

माफ किया गया कुल ऋण

148. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की कुल कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गई;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक सहित सरकार ने देश में ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में बैंकों द्वारा मानदण्डों के व्यापक उल्लंघन संबंधी मामलों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उठाए गए नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के संबंध में उद्योगों, सेवा क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योगों की प्रतिशतता अलग-अलग क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि ऋण को भी बट्टे खाते में डाले जाने वाले ऋणों में सम्मिलित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विगत तीन वर्षों के

दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा समझौते सहित बट्टे खाते डाली गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

बैंक समूह	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008
सरकारी क्षेत्र के बैंक	8,833	9,423	8,021
नये निजी क्षेत्र के बैंक	1,409	1,232	1,577
पुराने निजी क्षेत्र के बैंक	544	618	724
विदेशी बैंक	905	590	1,339
कुल	11,691	11,863	11,661

(ख) और (ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में बैंकों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते डालते समय मानदंडों के अतिक्रमण का कोई विशिष्ट उदाहरण जानकारी में नहीं आया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा मांगे गए अनुसार आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार ने लगभग 3.69 करोड़ किसानों को 65,318 करोड़ रु. की ऋण राहत/ऋण माफी प्रदान करते हुए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 का कार्यान्वयन किया है।

बैंकों के ऋण पर ब्याज दर

149. श्री जुएल ओराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विभिन्न प्रकार के ऋणों के ऊपर ब्याज दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान की गई वृद्धि का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्राहकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज दरों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास ब्याज की दरों की घटाने संबंधी कोई नया प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी आधार मूल उधार दर में वृद्धि की है। तथापि, पिछले छ: महीनों के दौरान विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ब्याज दर में वृद्धि का मद-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) आधार मूल उधार दर में यह वृद्धि मुख्यतया मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए मौद्रिक उपायों के कारण हुई है। इसमें रिपो रेट और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में हुई वृद्धि शामिल है, जिसने विगत महीनों में बैंकों की निधि लागत को प्रभावित किया है।

(घ) और (ङ) ब्याज दर को अब विनियमित और बाजार आधारित कर दिया गया है। सरकार ब्याज दरों का निर्धारण नहीं करती है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में सर्वेक्षण

150. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार काउंसिल आफ इंडिया ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) सरकार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा कराए गए किसी सर्वेक्षण से अनभिज्ञ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की स्थापना के लिए कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति ऋण भार

151. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश पर प्रति व्यक्ति ऋण भार कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण के ऊपर ब्याज की अदायगी के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) देश के ऋण भार को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, समेकित सामान्य सरकार जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें शामिल हैं, की आन्तरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार की देनदारियों का प्रति व्यक्ति भार 2007-08 (सं.अ.) में 31,874 रुपये था।

(ख) पिछले तीन वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष में समेकित सामान्य सरकार की ब्याज-अदायगियों से संबंधित उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:

सारणी: समेकित सामान्य सरकार की ब्याज अदायगियां

(करोड़ रुपये)

2005-06	2006-07	2007-08 (सं.)	2008-09 (ब.अ.)
2,03,977	2,30,831	2,63,736	2,87,477

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

(ग) सरकार द्वारा ऋण भार कम करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं: एफआरबीएम अधिनियम, 2003 और केंद्र में उसके अधीन बनाए गए नियमों के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का पालन करना; 26 राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व से संबंधित कानून अधिनियमित करना; बारहवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार 25 राज्यों के ऋणों का समेकन करना और कम ब्याज दरों पर ऋण की अवधि पुनर्निर्धारित करके राहत पहुंचाना तथा राजकोषीय सुधार के लिए ऋण माफ करना; उपयुक्त नीतियों के जरिए कम ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखना; कम लागत वाले बाजार उधार लेकर ऋण की भुगतान अनुसूची पुनर्निर्धारित करना जिससे बकाया ऋण की रखाव लागत कम होगी; और उपयुक्त कर नीतियां अपनाना जिसके परिणामस्वरूप कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक हो तथा विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन करना जिससे राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया सुसाध्य हो।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण की माफी

152. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने देश में किसानों के ऋणों को माफ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के तहत 41.20 लाख पात्र किसानों को 8,909.30 करोड़ रु. की ऋण माफी एवं ऋण राहत का लाभ दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई ऋण माफी/ऋण राहत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008-माफ की गई धनराशि
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(खातों की संख्या हजार में, तथा राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	छोटे किसान/सीमान्त किसान		अन्य किसान		कुल योग	
		किसानों के खातों की संख्या	माफ की गई कुल राशि	किसानों के खातों की संख्या	माफ की गई कुल राशि	किसानों के खातों की संख्या	माफ की गई कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	542.79	119507.83	121.18	22995.90	663.97	142503.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.15	301.02	0.07	47.48	2.22	348.50

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	69.03	11868.11	1.90	194.29	70.93	12062.40
4.	बिहार	465.76	102904.61	24.26	4088.90	490.02	106993.51
5.	छत्तीसगढ़	51.89	8099.80	17.40	4124.22	69.29	12224.02
6.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	28.18	7784.07	10.98	2660.02	39.16	10444.09
9.	हरियाणा	18.91	15524.77	6.87	7699.59	25.78	23224.36
10.	हिमाचल प्रदेश	8.26	1871.34	0.14	27.42	8.40	1898.76
11.	जम्मू-कश्मीर	5.44	1103.88	0.32	31.91	5.76	1135.79
12.	झारखण्ड	167.70	22379.88	2.58	380.25	170.28	22760.13
13.	कर्नाटक	257.42	73703.40	123.40	33503.45	380.82	107206.85
14.	केरल	126.57	37997.60	1.48	415.00	128.05	38412.00
15.	मध्य प्रदेश	172.56	29956.44	82.23	12657.10	254.79	42613.54
16.	महाराष्ट्र	72.86	18591.56	44.22	8688.08	117.08	27279.64
17.	मणिपुर	1.71	237.49	0.04	12.15	1.75	249.64
18.	मेघालय	5.74	853.14	0.00	0.00	5.74	853.14
19.	मिजोरम	5.52	1406.08	0.30	40.20	5.82	1446.28
20.	नागालैंड	1.09	193.06	0.00	2.08	1.09	195.14
21.	उड़ीसा	322.94	49325.11	21.38	3820.09	344.32	53145.20
22.	पंजाब	5.40	2586.04	2.84	1126.73	8.24	3712.77
23.	राजस्थान	129.06	32055.25	43.42	10422.65	172.48	42477.90
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	41.84	11116.08	6.47	1355.20	48.31	12471.28
26.	त्रिपुरा	7.25	719.71	0.06	9.87	7.31	729.58
27.	उत्तरांचल	9.19	1594.16	0.80	128.50	9.99	1722.66
28.	उत्तर प्रदेश##	838.50	176668.05	69.79	24148.09	908.29	200816.14
29.	पश्चिम बंगाल	178.82	23690.05	1.33	312.69	180.15	24002.74
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–
31.	पुडुचेरी	–	–	–	–	–	–
	कुल	3536.58	752037.93	583.46	138891.86	4120.04	890929.79

स्रोत: नाबार्ड

कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन शोषण

153. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने देश में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण संबंधी मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के इस प्रकार के शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2006-08) दर्ज किए गए मामलों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। किंतु, आयोग द्वारा कराए गए व्यापक परामर्श के आधार पर "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत समाधान) विधेयक, 2006" शीर्षक से तैयार किए गए विधेयक पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग
"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	2008	2007	2006	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	3	0	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	1	2	0	3
4.	बिहार	5	1	3	9
5.	छत्तीसगढ़	0	1	0	1
6.	गोवा	0	1	0	1
7.	गुजरात	9	2	0	11
8.	हरियाणा	11	8	2	21
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	2
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	3	1	1	5
12.	कर्नाटक	6	1	3	10
13.	केरल	1	1	2	4

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	13	6	1	20
15.	महाराष्ट्र	8	8	4	20
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	5	1	0	6
21.	पंजाब	3	6	6	15
22.	राजस्थान	17	13	6	36
23.	सिक्किम	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	5	4	0	9
25.	त्रिपुरा	1	0	0	1
26.	उत्तर प्रदेश	40	22	15	77
27.	उत्तराखंड	2	5	0	7
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	1	5
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
30.	चंडीगढ़	3	0	1	4
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22	22	16	60
35.	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
	कुल	163	110	63	336

किसान क्रेडिट कार्ड

154. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाए गए, मापदंड क्या हैं;

(ख) उक्त कार्ड धारकों को उपलब्ध लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक गरीबों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने में अनावश्यक अड़चनें पैदा कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को क्रेडिट कार्डों की सुगम उपलब्धता के लिए मानदंडों/दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और एक पास बुक अथवा कार्ड कम पास-बुक प्रदान किया जाना।

* ऋण-सीमा के अन्दर कितनी भी बार आहरण/पुनर्भुगतान सहित, परिक्रामी नकद ऋण सुविधा।

* ऋण सीमा को, परिचालनगत भूमिजोत, फसल चक्र तथा वित्त की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाना।

* ऋण-सीमा निर्धारित करते समय, पूरे वर्ष के लिए पूर्ण उत्पादन ऋण आवश्यकताओं तथा फसल उत्पादन से जुड़ी अनुषंगी कार्यकलापों पर विचार किया जाना।

* प्रत्येक आहरण की चुकौती का 12 माह की अधिकतम अवधि में किया जाना।

* प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों के मामले में ऋण का अंतरण/पुनर्निर्धारण।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्न प्रकार से है:

* किसानों की पर्याप्त और समयबद्ध ऋण तक पहुंच।

* निधियों के आहरण हेतु न्यूनतम कागजी कार्य और प्रलेखीकरण का सरलीकरण।

* नकद आहरण तथा निविष्टियां खरीदने में लचीलापन।

* किसानों पर ब्याज भार कम करते हुए किसी भी समय ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना।

* वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन तीन वर्षों के लिए सुविधा की संस्वीकृति तथा संतोषजनक परिचालन और वृद्धि के लिए प्रावधान।

* केसीसी कार्ड जारी करने वाले बैंक की शाखा के बजाय दूसरी बैंक शाखा से आहरण का लचीलापन।

(ग) और (घ) नहीं, महोदय। सभी बैंकों के पास, बैंकों द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से मनाही करने सहित ग्राहकों की सभी शिकायतों का समाधान किए जाने हेतु एक मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण-तंत्र है। इस संबंध में बैंकों को समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए जा चुके हैं। किसी भी उचित शिकायत को संबंधित बैंक द्वारा निपटाया जाता है।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को किसान क्रेडिट कार्ड के विद्यमान मानदंडों/दिशानिर्देशों की समीक्षा करने हेतु ही सुझाव दिया है।

न्यायालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

155. श्री नन्द कुमार साय: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने न्यायालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में आवंटित की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) न्यायालयों की स्थापना करने के विषय के संबंध में विनिश्चय राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाता है। केंद्रीय सरकार, त्वरित निपटान न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयों के प्रचालन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देश के सभी जिलों में कुटुंब न्यायालय स्थापित करने और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए और अधिक न्यायालय स्थापित करने का एक सुझाव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि और अधिक न्यायालय स्थापित करने के विषय के संबंध में विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए 75 करोड़ रुपए तथा कुटुंब न्यायालयों के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा का उत्पादन

156. श्री संतोष गंगवार: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सरकारी विभागों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सौर ऊर्जा के विकास के लिए निजी क्षेत्र को कितनी राजसहायता दी गई है/दिए जाने का विचार है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों को उनकी संस्थापनाओं में सौर ऊर्जा उपकरणों और प्रणालियों के प्रयोग को बढ़ाने का सुझाव देता रहा है। शहरी विकास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य/संघ शासित सरकारों को कुछ श्रेणी के भवनों में सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उप-नियमों में संशोधन करने हेतु उनके स्थानीय निकायों को दिशा-निर्देशों को जारी करने पर विचार करने के लिए पहले ही कहा गया है। इस आधार पर, 18 राज्यों ने अपने शहरी स्थानीय निकायों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। सात राज्यों में 26 म्यूनिसिपल कार्पोरेशन/विकास प्राधिकरणों ने भी अपने भवन उप-नियमों में संशोधन कर दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में नए सरकारी भवनों में पैसिव वास्तु शिल्पीय डिजाइन संकल्पनाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने हेतु आदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सौर ऊर्जा के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मंत्रालय विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है। जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु निर्माणकर्ताओं को सुलभ ऋण, विभिन्न उपकरणों के आयात पर रियायती या शून्य कर, उत्पाद शुल्क से छूट, त्वरित मूल्यह्रास, सौर तापीय और प्रकाशवोल्टाइक प्रौद्योगिकियों आदि पर आधारित ग्रिड विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं।

(ङ) निजी क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडी/सहायता की राशि निम्नवत् है:-

(1) सौर जल तापन प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए इरेडा के माध्यम से निर्माणकर्ताओं को 5% की ब्याज दर पर सुलभ ऋण।

(2) सौर तापीय से उत्पादित बिजली हेतु 10/- रु. प्रति किवा.घं. तक और 1 मेगावाट और अधिक की क्षमताओं के सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों से 12/- रु. प्रति किवा.घं. तक।

(3) उद्योग से अनुसंधान और विकास प्रोजेक्टों की लागत के 50% तक।

[अनुवाद]

आदर्श शहर योजना उप-नियमों में संशोधन

157. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के 59 प्रतिशत क्षेत्र के भूकम्प-प्रवण होने के मद्देनजर आदर्श शहर आयोजना उप-नियमों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अब तक उक्त उप-नियमों में संशोधन किया है;

(ग) क्या सरकार ने भूकम्प प्रवण क्षेत्रों में भूकम्प रोधी भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय निर्माण संहिता (एनबीसी) 2005 और माडल भवन निर्माण उप नियमों के अनुसार अपने शहरों/नगरों के संबंधित भवन उपनियमों में संरचनात्मक सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करें। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि माडल भवन उपनियमों और गृह मंत्रालय के माडल उपनियमों में यथा निहित संरचनात्मक सुरक्षा प्रावधानों को भी शामिल किया जाए।

(ख) अब तक 23 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि भवन उपनियमों को संशोधित करने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) आईआईटी, कानपुर द्वारा तैयार किए गए भूकंप संबंधी सुझावों को सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है तथा उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट में भी डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा आईआईटी, चैन्नई द्वारा प्रकाशित भवनों की भूकंपीय रैट्रोफिटिंग संबंधी पुस्तिका को भी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

158. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी राज्य-वार अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ अभी तक राज्य-वार कितनी निधियां उपयोग की गई हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) फरवरी, 2007 से कार्यान्वित की जा रही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना स्कीम के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायालय कर्मचारिवृंद को लैपटाप कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन 1514 न्यायालय काम्पलेक्सों में स्थल तैयार करने के क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए उच्च न्यायालयों/ राज्य सरकार के अभिकरणों को निधियां उपलब्ध कराई गई है। हार्डवेयर उपाप्त करने की प्रक्रियाएं भी प्रगति पर हैं।

(ख) सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), स्कीम के कार्यान्वयन अभिकरण को 187.05 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। एनआईसी ने स्कीम के अधीन अभी तक 71.94 करोड़ रुपए के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट दी है।

विवरण

तारीख 12.09.2008 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदत्त किए गए लैपटापों की संख्या	प्रदत्त किए गए लेजर प्रिंटरों की संख्या	न्यायाधीशों के निवास पर ब्राडबैंड की संख्या	जिला न्यायालयों में ब्राडबैंड की संख्या	अधीनस्थ न्यायालयों में ब्राडबैंड की संख्या	प्रशिक्षित किए गए न्यायाधीशों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए न्यायालय कर्मचारिवृंद की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	880	814	729	22	203	470	1880
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	4	6	1		6	24
3.	असम	252	246	209	21		233	932
4.	बिहार	1137	833	333	18	2	1103	4412
5.	चंडीगढ़	36	36	5	1		18	72
6.	छत्तीसगढ़	271	251	164	16		213	852

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	दादरा और नगर हवेली	2	2	2	1		2	8
8.	दमन और दीव	1	1	1	1		0	0
9.	दिल्ली	341	330				243	972
10.	गोवा	40	40	30	1		46	184
11.	गुजरात	835	835	779	25	133	660	2640
12.	हरियाणा	317	228	214	15	21	174	696
13.	हिमाचल प्रदेश	115	115	114	11	40	68	272
14.	जम्मू-कश्मीर	182	179	114	14		160	640
15.	झारखण्ड	446	438	328	17	3	413	1652
16.	कर्नाटक	693	662	575	31	123	706	2824
17.	केरल	416	416	361	16	75	282	1128
18.	लक्षद्वीप	3	3	1			0	0
19.	मध्य प्रदेश	953	953	807	43	128	852	3408
20.	महाराष्ट्र	1623	1538	1121	27	240	1191	4764
21.	मणिपुर	27	27	17	1		28	112
22.	मेघालय	5	5	5	1		8	32
23.	मिजोरम	21	21	10	1			0
24.	उड़ीसा	399	380	213	14		281	1124
25.	पांडिचेरी	19	19	10	1		17	68
26.	पंजाब	261	256	271	16	38	220	880
27.	राजस्थान	767	813	689	41	176	602	2408
28.	सिक्किम	9	9	9	1	0	22	88
29.	तमिलनाडु	676	676	500	21	22	634	2536
30.	त्रिपुरा	62	57	41	7		17	68
31.	उत्तर प्रदेश	1702	1679	1406	64		1623	6492
32.	उत्तराखंड	120	81	76	13	14	74	296
33.	पश्चिम बंगाल	747	667	546	24	54	639	2556
	योग	13365	12599	9686	486	1272	11005	44020

विमानों के आयात में कर अपवंचन

159. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोज्जा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार्टर उपयोग के लिए विमान आयात करने वाली भारतीय फर्मों ने करों का अपवंचन करने के लिए आयात मानदंडों की अवहेलना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अपवंचकों से राजस्व वसूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) ऐसा प्रतीत होता है कि कई आयातकों ने, जिन्होंने गैर-अनुसूचित यात्री/चार्टर सेवा प्रचालकों के लिए उपलब्ध आयात शुल्क में छूट का लाभ उठाया है, छूट अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन किया है।

(ख) और (ग) तेरह मामलों में जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, रिलायंस कामर्शियल डीलर्स प्रा.लि., रिलायंस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवेल्स लि., जी एम आर एविएशन लि., ईस्ट इंडिया होटल्स लि., ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि., भारत होटल्स लि., एयरमिड एविएशन लि., डव एयरलाईंस प्रा.लि., तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लि., इंडियन मेटल एंड फेरो एलायज लि. हैं। पंद्रह अन्य मामलों में जांच चल रही है जिनमें संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शामिल कंपनियों के नाम हैं: मेसर्स प्रिविलेज एयरवेज, पुंज लायड एविएशन लि., रैन एयर सर्विसेज लि., मेगा कारपोरेशन लि., एस्कार्ट्स लि., स्काई एयरवेज लि., एस के बी इफ्राकान प्रा.लि., वी आर एल लाजिस्टिक्स लि., गुजरात अदनी एविएशन प्रा.लि. एवं रेमण्ड लि.। कई मामलों में एयरक्राफ्ट जब्त कर लिए गए हैं और बांड भरने तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर उन्हें मुक्त करने की अनुमति दी गयी है।

(घ) जिन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार न्याय-निर्णयन किया जाएगा। जिन मामलों में जांच चल रही है, उनमें जांच पूरी होने पर, जहां आवश्यक होगा, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। वसूली की कार्रवाई न्याय-निर्णयन के परिणाम के अनुसार की जाएगी।

विवरण I

उन आयातकों की सूची जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	एयरक्राफ्ट का प्रकार	मूल्य	शामिल सीमा शुल्क
1	2	3	4	5
1.	रिलायंस कामर्शियल डीलर्स प्रा.लि.	एयरबस ए-319	231.81	57.43
2.	रिलायंस कामर्शियल डीलर्स प्रा.लि.	फाल्कान	167.01	41.37
3.	रिलायंस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स लि.	ग्लोबल 5000	144.00	36.78
4.	जी एम आर एविएशन लि.	डासाल्ट फाल्कान	111.44	27.46
5.	ईस्ट इंडिया होटल्स लि.	हाकर 850 एक्स पी	56.15	13.93
6.	ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि.	हेलीकाप्टर इ सी-155बी1	41.38	10.76
7.	ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि.	हेलीकाप्टर ईसी-135 पी2+	42.16	10.45
8.	भारत होटल्स लि.	ब्रीचक्राफ्ट	26.93	6.67
9.	एयरमिड एविएशन सर्विसेज प्रा.लि.	हेलीकाप्टर इसी 135	26.54	6.70

1	2	3	4	5
10.	डव एयरलाइंस प्रा.लि.	सेस्ना 525 ए साइटेशन	26.52	6.07
11.	तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लि.	सेस्ना 525 ए साइटेशन	25.13	6.23
12.	ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि.	हेलीकाप्टर इसी 135	10.13	2.57
13.	इंडियन मेटल एंड फेरो एलायज लि.	हेलीकाप्टर रोबिंसन	1.83	0.49
		कुल	911.03	226.91

विवरण II

जांच के अधीन आयातकों की सूची

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	एयरक्राफ्ट का प्रकार	मूल्य	शामिल सीमा शुल्क
1.	प्रिविलेज एयरवेज	फाल्कान 2000	85.47	19.29
2.	पुंज लायड एविएशन लि.	गल्फ इस्ट्रीम जी 200	72.23	18.00
3.	रन एयर सर्विसेज लि.	हाकर	35.70	9.00
4.	मेगा कार्पोरेशन लि.	पाइलेटस	9.00	2.30
5.	रन एयर सर्विसेज लि.	बेल 430	24.75	6.20
6.	रन एयर सर्विसेज लि.	बीच 1900 डी	14.78	3.75
7.	रन एयर सर्विसेज लि.	सुपर किंग एयर बी 200	13.94	3.50
8.	रन एयर सर्विसेज लि.	सुपर किंग एयर बी 200	12.98	3.25
9.	रन एयर सर्विसेज लि.	सुपर किंग एयर बी 200	12.84	3.75
10.	एस्कार्ट्स लि.	हेलीकाप्टर बेल 407	12.78	3.50
11.	स्काई एयरवेज लि.	हेलीकाप्टर बेल 407	11.84	3.01
12.	एस के बी इनफ्राकान प्रा.लि.	स्पेयर पार्टस	0.40	0.02
13.	वी आर एल लाजिस्टिक्स लि.	प्रीमियर आई ए	25.47	6.31
14.	गुजरात अदनी एविएशन प्रा.लि.	जेट हाकर 850 एक्स पी	56.00	14.00
15.	रेमंड लि.	स्पेयर पार्टस	4.80	1.20
		कुल	392.98	97.08

शहरी गरीबों के बारे में सर्वेक्षण

160. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित अपनी छठी-रिपोर्ट में एक वर्ष के भीतर शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण कराने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। द्वितीय प्रशासनिक आयोग (एआरसी) ने स्थानीय शासन संबंधी अपनी छठवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि शहरी गरीबों की पहचान के लिए "एक व्यापक सर्वेक्षण एक वर्ष के भीतर कराया जाए। इस प्रकार की पहचान के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानदण्ड सरल और सुग्राह्य होने चाहिए जिससे निरपेक्ष आधार पर यह कार्य हो सके और विवेक के उपयोग की आवश्यकता न रहे। यह पहचान कार्य घर-घर के सर्वेक्षण के आधार पर होना चाहिए और सर्वेक्षण दल में संबंधित क्षेत्र सभा का कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। पहचान किए गए ऐसे शहरी गरीबों को बहु-उपयोगी पहचान-पत्र जारी किए जाएं ताकि वे सभी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ उठा सके"।

(ग) जहां तक आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है तो इस मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत रोजगार परक शहरी गरीबी उपशमन स्कीम कार्यान्वित की जाती है, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कुछ आर्थिक/गैर आर्थिक मानदंडों के आधार पर शहरी गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी में से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए घर-घर का सर्वेक्षण कराया जाता है। राज्य/संघ शासित प्रदेशों से समय-समय पर यह अनुरोध किया जाता है कि वे योजना आयोग द्वारा मुहैया की गई संशोधित/अद्यतन राज्य विशिष्ट गरीबी आधारों के आधार पर ऐसे बीपीएल सर्वेक्षण कराएं ताकि आर्थिक और गैर आर्थिक मानदण्डों के आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थियों (निर्धनतम) की पहचान की जा सके।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

161. **श्री नंद कुमार साय:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग ने बाल उत्पीड़न के लिए विद्यालयों के खिलाफ बहुत से मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने वर्ष 2007-08 में 57 तथा वर्ष 2008-09 में 22 ऐसे मामले दर्ज किए हैं। मामले में तथ्यों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकार, राज्य पुलिस, स्कूल प्राधिकारी तथा अन्य को लिखा जाता है तथा तत्पश्चात् उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

कृषि ऋण में उपलब्धियां

162. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान कृषि ऋण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि ऋण हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें कितनी उपलब्धि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के संबंध में कृषि ऋण लक्ष्य का निर्धारण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	एजेंसी	2007-08*		2008-09**	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(i)	वाणिज्यिक बैंक	1,50,000	1,75,072.13	1,95,000	53,296.76
(ii)	सहकारी बैंक	52,000	43,684.13	55.000	17,215.12
(iii)	आरआरबी	23,000	24,813.65	30.000	9,196.95
	कुल	2,25,000	2,43,569.91	2,80,000	79,708.83

*मार्च 2008 तक के अनंतिम आंकड़े
**अगस्त 2008 तक के अनंतिम आंकड़े
राज्यवार कोई लक्ष्य तय नहीं किए जाते।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा सोमवार, 20 अक्तूबर, 2008 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 20 अक्तूबर, 2008/ 28 आश्विन, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	बची सिंह रावत 'बचदा'	1
2.	श्री बसुदेव आचार्य श्री कैलाशनाथ सिंह यादव	2
3.	श्री महावीर भगोरा श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3
4.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	4
5.	श्री मानिक सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	5
6.	श्री दुष्यंत सिंह श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	6
7.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री हेमलाल मुर्मू	7
8.	श्री काशीराम राणा डा. धीरेंद्र अग्रवाल	8
9.	श्री अबु अयीश मंडल	9
10.	श्री सुग्रीव सिंह श्री नन्द कुमार साय	10
11.	डा. शफीकुर्रहमान बर्क श्री एम. राजामोहन रेड्डी	11
12.	श्री पी.सी. थामस प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	12
13.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री मो. ताहिर	13
14.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री संतोष गंगवार	14
15.	श्री शिशुपाल एन. पटले श्रीमती सुमित्रा महाजन	15
16.	श्री जुएल ओराम	16
17.	श्रीमती मेनका गांधी	17
18.	श्री मोहन सिंह श्री तथागत सत्पथी	18
19.	श्री मधु गौड यास्खी श्री अजय चक्रवर्ती	19
20.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	64, 102
2.	आचार्य, श्री प्रसन्न	49
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	25, 72, 108, 134, 148
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	55, 122
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	68, 106, 132, 146
6.	आठवले, श्री रामदास	39, 90, 121, 143, 151
7.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	63
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	14, 59, 101, 144, 158
9.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	71
10.	भगोरा, श्री महावीर	65, 103, 129
11.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	42, 92, 129
12.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	50 95, 126, 142, 159
13.	चक्रवर्ती, श्री अजय	86, 118, 140
14.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	27, 36, 87, 119, 141
15.	चौधरी, श्री अधीर	33, 84, 116
16.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	74, 80
17.	देवरा, श्री मिलिन्द	3, 19, 61
18.	डींडसा, श्री सुखदेव सिंह	4
19.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	32, 35
20.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	25, 75
21.	गांधी, श्रीमती मेनका	74, 110, 136
22.	गंगवार, श्री संतोष	57, 156
23.	गुढ़े, श्री अनंत	25
24.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	25
25.	जयाप्रदा, श्रीमती	22, 62, 114, 137, 150
26.	जिन्दल, श्री नवीन	1, 78, 86, 113
27.	जोगी, श्री अजीत	41, 53, 98, 128
28.	कनोडीया, श्री मेहश	24
29.	करुणाकरन, श्री पी.	37, 86, 88

1	2	3
30.	खां, श्री सुनील	31, 115, 138
31.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3, 54, 99
32.	कोली, श्री रामस्वरूप	16
33.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2
34.	कृष्ण, श्री विजय	32
35.	कुप्पुसामी, श्री सी.	21
36.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	76, 111, 130
37.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	52
38.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	28, 81, 115, 138
39.	माने, श्रीमती निवेदिता	75
40.	मनोज, डा. के.एस.	17, 80, 144
41.	मेहबा, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	40
42.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	11
43.	मुकीम, मो.	51, 96
44.	मंडल, श्री अबु अयीश	69
45.	मुर्मू, श्री हेमलाल	77, 112
46.	नन्दी, श्री अमिताभ	69
47.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	25
48.	नायक, श्री अनन्त	20, 97, 98, 127, 145
49.	निखिल कुमार, श्री	26, 79, 112
50.	ओराम, श्री जुएल	58, 100, 135, 149
51.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	18
52.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	73
53.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	109, 153, 157, 162
54.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	73
55.	राई, श्री नकुल दास	15
56.	राजगोपाल, श्री एल.	31
57.	राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी	5
58.	राव, श्री ई. दयाकर	12, 60, 111, 124
59.	राव, श्री के.एस.	8, 91, 123
60.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	91, 154
61.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	36, 87, 119, 141
62.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	48, 80, 125
63.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	142
64.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	27, 80
65.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	10
66.	साय, श्री नन्द कुमार	70, 107, 133, 155, 161
67.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	45, 80, 117
68.	सत्पथी, श्री तथागत	83
69.	सेठी, श्री अर्जुन	43
70.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	34
71.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	70, 133, 147, 157, 162
72.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	38
73.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	7, 85, 117, 139
74.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	44, 93
75.	सिंह, श्री दुष्यंत	67, 105, 131, 152
76.	सिंह, श्री गणेश	29
77.	सिंह, श्री मोहन	102
78.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	30, 79, 82, 129
79.	सिंह, श्री सुग्रीव	70, 107, 133, 147
80.	सिंह, श्री उदय	23, 89, 114, 120, 142
81.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	24
82.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	6, 56
83.	सुब्बारायण, श्री के.	46
84.	सुमन, श्री रामजीलाल	76, 111, 130
85.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	9
86.	तुम्मर, श्री वी.के.	73, 139
87.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	72, 108, 134, 148
88.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	66, 104, 130, 160
89.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	85, 117, 122
90.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	31, 41
91.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	70, 109, 153, 157, 162
92.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	143
93.	यादव, श्री गिरिधारी	13, 133
94.	यादव, श्री राम कृपाल	69
95.	यास्खी, श्री मधु गौड	75
96.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	47, 69, 94, 125

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	
वित्त	:	1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	4
विधि और न्याय	:	15
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	
विद्युत	:	2, 3, 6
ग्रामीण विकास	:	8, 19
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	5, 9
महिला और बाल विकास	:	7

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	52, 108, 123, 139
वित्त	:	2, 3, 4, 17, 19, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58 59, 61, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 103, 111, 112, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 131, 134, 135, 140, 141, 144, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 159, 162
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	10, 14, 34, 104, 160
विधि और न्याय	:	63, 69, 85, 87, 94, 115, 121, 138, 142, 150, 155, 158
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	9, 13, 40, 67, 113, 128, 132, 156
विद्युत	:	6, 24, 26, 29, 32, 33, 42, 91, 102, 105, 106, 114, 120, 130, 136
ग्रामीण विकास	:	1, 20, 41, 65, 75, 78, 83, 86, 98, 109, 116, 129, 133, 137, 1
जनजातीय कार्य	:	15, 43, 45, 48, 60, 68, 82, 100, 107, 122, 127, 145
शहरी विकास	:	5, 7, 8, 12, 16, 18, 22, 23, 54, 55, 62, 77, 99, 110, 157
महिला और बाल विकास	:	11, 27, 30, 31, 147, 153, 161.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 38:
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।